लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]
5th Lok Sabha

Preservation Unit
Parliament Library

[खंड 39 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. XXXIX contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : **Two Rupees**

विषय सूची/CONTENTS

अंक 45, शुक्रवार, 26 अप्रैल, 1974/6 वैशाख, 1896 (शक)

No. 45 Friday, April 26, 1974/Vaisakha 6, 1896 (Saka)

निधन संबंधी उल्लेख विषय	SUBJECT C.S.R.	पृष्ठ PAGES
	Obituary Reference R. C.	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS R.C.	
ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.		
851 ब्रिटेन के साथ ऋण संबंधी करार	Loan agreement with Britain .	2
852 इंडियन एयरलाइन्स में कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते की अदायगी	Payment of Overtime to Employees of Indian Airlines	4
853 भारत-मिश्र व्यापार वार्ता	Indo-Egypt Trade Talks . . .	7
854 एयर इंडिया और इंडियन एयर-लाइंस द्वारा प्रयुक्त वायुयान	Aircraft used by Air India and Indian Airlines	9
856 अमरीका को मेंढक की टांगों का निर्यात	Export of Frog Legs to USA . .	11
857 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सुधारों के बारे में बैठक	Meeting of International Monetary Reforms	13
858 गेंहूं तथा नियंत्रित कपड़े के मूल्यों में वृद्धि का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर प्रभाव	Impact of Increase in Prices of wheat and Controlled cloth on Consumer Price Index	14
अल्प सूचना प्रश्न	**Short Notice Question**	
अ० सू० प्र० संख्या 13—दिल्ली न्यायालयों में स्टाम्प पेपरों की कमी	Shortage of Stamp Papers in Delhi Courts	17
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**Written Answers to Questions**	
ता० प्र० संख्या S.Q. No.		
855 छोटे रबड़-बागानों के मालिकों के लिये राजसहायता की अधिक दर	Higher rate of subsidy for rubber re-plantations to Small holders . .	20
859 श्रिम्पो के निर्यात से आय	Export Earnings from Shrimps . .	21

किसी नाम पर अंकित यह †इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्त व में पूछा था।

The Sign †marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
860	हरियाणा के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखाएं खोलना	Opening of New Branches of Nationalised Banks in Rural and Tribal Areas of Haryana . . .	21
861	भारतीय रुपये की क्रय-शक्ति	Purchasing power of Indian Rupee	22
862	बिहार में कंपनियों के नाम आयकर की बकाया राशि	Arrears of Income Tax against Companies in Bihar . . .	22
863	भारत-ईरान व्यापार वार्ता	Indo-Iran Trade Talks	23
864	दीर्घावधि निर्यात नीति	Long Term Export Policy . .	25
865	दोहरी मूल्य नीति	Dual Pricing Policy	25
866	बिहार में अभावग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Relief Work in Scarcity Affected areas of Bihar .	26
867	केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों द्वारा विदेशी दौरे	Foreign Tours by Officials of Central Government	26
868	अमरीकी सहायता पुनः आरम्भ करने के संबंध में वार्ता	Talks on Resumption of US Aid . .	27
869	पाकिस्तान पर बकाया ऋण	Outstanding Amount of Loan against Pakistan	28
870	रूसी सहायता से औद्योगिक परियोजनायें	Industrial projects with Soviet Assistance	28
871	पश्चिम बंगाल में पर्यटन स्थलों के विकास के लिये मंजूर की गई राशि	Amount sanctioned for Development of Tourist Spots in West Bengal . .	29

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8246	सीमावर्ती क्षेत्रों में 2 रु० और 5 रु० के नोटों का प्रचलन	Circulation of Notes of Rupees 2 and 5 Denominations in Border Areas .	30
8247	देश में वैधशालायें	Observatories in the country . .	30
8248	आयकर अधिकारियों के वेतन में असंगति	Anomaly in pay of Income Tax Officers	31
8249	बंगलादेश को लुंगियों का निर्यात	Export of Lungi to Bangladesh . .	31
8250	मदन पार्क, दिल्ली में बैंक संबंधी सुविधायें प्रदान करना	Providing of Banking facilities in Madan Park, Delhi	31
8251	केरल को सहकारी क्षेत्र में कताई मिलों के लिये वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Kerala for Spinning Mills in Co-operative Sector .	32

अतां० प्र० संख्या विषय U.S.Q. No.		Subject	पृष्ठ Pages
8252	विद्युत करघा बुनकरों और सहकारी समितियों को ऋण	Loans to Powerloom Weavers and Co-operative Societies . .	32
8253	सरकारी कर्मचारियों को मकान बनाने के लिये ऋण देना	House Building Advance to Government Employees	32
8254	मध्य प्रदेश को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Madhya Pradesh	33
8255	राज्य सरकारों के बजट में घाटे	Budget Deficits of State Governments	33
8256	पटसन पर निर्यात शुल्क में वृद्धि	Increase in Export Duty on Jute . .	35
8257	पाकिस्तान और भारत के बीच विमान सेवा	Air Service between Pakistan and India	35
8258	पालम हवाई अड्डे पर सुरक्षित ढंग से विमान उतारने के लिये प्रबंध	Arrangements for making aircraft landing safer at Palam Airport . .	35
8259	ऊनी उद्योग का आधुनिकीकरण	Modernisation of Woollen Industry .	36
8260	मध्य प्रदेश में 'लीड बैंक योजना' के अन्तर्गत बनाई गई विकास योजनाओं की क्रियान्विति	Implementation of Development Schemes chalked out under Lead Bank Scheme in Madhya Pradesh . .	36
8261	विकासशील देशों से वस्तुओं के क्रय के लिये जापान की नई योजना	New Scheme by Japan for sale of Goods by Developing countries . .	36
8262	सूती धागे के थोक बिक्री मूल्य का सूचकांक	Whole Sale price index for prices of cotton yarn	37
8263	चमड़े की बनी हुई वस्तुओं के निर्यात में कमी	Decline in Export of Leather Goods	37
8264	गुजरात में आयकर की बकाया राशि	Arrears of Income Tax in Gujarat .	37
8265	पूर्व जर्मनी से आयातित वस्तुयें	Items imported from East Germany .	38
8266	गुजरात में काले धन का पता लगाना	Black Money unearthed in Gujarat .	38
8267	राजस्थान में बरामद तस्करी का माल	Smuggled Goods seized in Rajasthan .	38
8268	मारिशस में उद्योग स्थापित करने के लिये भारतीय व्यापारियों को प्रस्ताव	Invitation to indian Traders to set up Industries in Mauritius . .	39
8269	स्टेट बैंक आफ इन्डिया और रिजर्व बैंक आफ इन्डिया के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता दिया जाना	Grant of HRA to Employees of State Bank and Reserve Bank of India .	40
8270	राज्य व्यापार निगम द्वारा रबड़ की खरीद	Purchase of Rubber by STC .	42

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8271	हंगरी के साथ व्यापार करार	Trade Agreement with Hungary.	43
8272	सिक्योरिटी प्रैस, होशंगाबाद के एक मजदूर से जाली मुद्रा का पकड़ा जाना	Recovery of counterfeit Currency from a Labourer of Security Press, Hoshangabad	43
8273	आवश्यक वस्तुओं के मूल्य	Prices of Essential Commodities .	44
8274	शाखा-विस्तार लागत का बैंकों की लाभप्रदता पर प्रभाव	Effect of Cost of Branch Expansion on the Profitability of Banks . .	45
8275	घटिया किस्म की पेटियों में चाय का निर्यात करने पर निर्यात लाइसेंस का रद्द किया जाना	Cancellation of Licence for Export of Tea in Sub-standard Chests . .	46
8276	कलकत्ता में चाय नीलाम करने वाले दलाल	Broking Firms conducting Tea Auction in Calcutta	46
8277	कटारिया ट्रांसपोर्ट, इंदौर के गोदामों से बरामद की गई अंग्रेजी शराब	English Wine Recovered from the Godown of Kataria Transport, Indore	47
8278	केन्द्रीय वित्तीय संस्थान द्वारा तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण	Techno Economic Survey by Central Financial Institutions . .	47
8279	दिल्ली में "जैम टैस्टिंग लैबोरेटरी"	Gem Testing Laboratory in Delhi	48
8280	बंगला देश को कोयले की सप्लाई	Coal Supplies in Bangladesh .	48
8281	कोचीन सीमा-शुल्क राजकोष में सरकारी धन का दुर्विनियोजन	Misappropriation of Government Money in Cochin Customs Treasury	49
8282	राजकोट के निकट तस्करी की वस्तुओं का पकड़ा जाना	Seizure of smuggled Goods near Rajkot	49
8283	बीस रुपये के एक नोट पर दो विभिन्न नम्बरों का पाया जाना	Twenty-Rupee Note found bearing two numbers	50
8284	पी० एल० 480 करार के अन्तर्गत अमरीका द्वारा की जाने वाली खरीद	Purchases by USA under PL 480 Agreement	50
8285	राष्ट्रीय कृषि-उद्योग निगम, दिल्ली के कार्यकारी निदेशक द्वारा कर-अपवंचन करने के बारे में शिकायत	Complaint regarding evasion of income tax by Executive Director of National AGRO Industrial Corporation, Delhi	50
8286	नई दिल्ली में हुई 'इकाफे' की बैठक	ECAFE Meeting held at New Delhi .	51
8287	फलों के निर्यात को बढावा देने के लिये योजना	Plan to boost export of fruits . .	51
8288	तूफान की चेतावनी देने की व्यवस्था तथा सामुद्रिक बचाव उपाय	Cyclone warning system and maritime rescue measures	52

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8289	लघु आयोजकों को सहायता देने के लिये सलाहकार परिषद्	Advisory Council to help small Planners	52
8290	यूरिया, जिंक, साधारण इस्पात बिलेट्स तथा एन्ट्रेसाइट मैगनेसिया क्लिंकर की सप्लाई के बारे में उत्तर कोरिया के साथ समझौता	Pact with North Korea for supply of Urea, Zinc and Mild Steel Billets and antracite Megnesia Clinker .	54
8291	नेपाल द्वारा विदेशी निर्यातकर्ताओं पर लगाये गये प्रतिबन्ध	Restrictions put on Foreign Exporters by Nepal	54
8292	पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में उत्पादन में गिरावट	Loss of production in public sector industries in West Bengal . . .	55
8293	तन्जानिया में संयंत्रों की स्थापना के लिये भारतीय फर्मों तथा तन्जानिया के बीच समझौता	Agreement between Indian Firms and Tanzania for setting up of Plants in Tanzania.	57
8294	भारत और गियाना के बीच कारखानों की स्थापना के बारे में समझौता	Agreement between India and Guyana for setting up factories . .	58
8295	राज्य व्यापार निगम द्वारा वर्ष 1972-73 के दौरान अदा किया गया विलम्ब शुल्क (डेमरेज)	Amount of Demurrage paid by STC . during 1972-73 . .	58
8296	कांच और शीशे के सामान के एककों के निर्यात लक्ष्य	Export target of Glass and Glassware units	59
8297	खालों और चमड़े पर निर्यात शुल्क	Export duty on hides and skins .	59
8299	धागे के संबंध में स्वैच्छिक मूल्य नियंत्रण और वितरण संबंधी योजना	Voluntary price control and distribution scheme for yarn . . .	60
8300	सरकारी क्षेत्र में रिक्त पदों को भरने के लिये बोर्ड	Board for filling up vacancies in Public sector	60
8301	उड़ीसा में कपड़ा उद्योग'	Textile Industries in Orissa .	60
8302	भारतीय पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों द्वारा विदेशों के दौरे	Foreign tours by ITDC officials	61
8303	भारतीय पर्यटन विकास निगम के मुख्यालय भवन का निर्माण	Construction of ITDC Headquarters building	61
8305	यूरोपीय आर्थिक समुदाय का आयात आर्डर	EEC Import order .	62
8306	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा हिमाचल प्रदेश में छोटे किसानों और उद्योगपतियों को दिये गये ऋण	Loan advanced by Nationalised Banks to small Farmers and Industrialists in Himachal Pradesh . . .	62

ग्रता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8307	संयुक्त उद्यमों की स्थापना के संबंध में भारत तथा मलयेशिया के बेकरों के बीच हुई वार्ता	Talks held between Indian and Malaysian Bankers regarding setting up of Joint Ventures . . .	63
8308	फ्लाइंग क्लब	Flying Clubs . . .	63
8309	अर्द्ध परिष्कृत चमड़े और खालों का निर्यात	Export of semi processed hides and skins	63
8310	राज्यों द्वारा जनता से ऋण लिया जाना	Market Borrowing of States ..	64
8311	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋण पर रोक के संबंध में केरल के मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	Statement made by Ministers of Kerala regarding Credit Squeeze imposed by RBI	64
8312	वरकाला और एझीमाला को नए पर्यटन केन्द्रों की सूची में शामिल करना	Inclusion of Varkala and Ezhimala in the List of New Tourist Centres .	65
8313	राज्य व्यापार निगम के माध्यम से चीनी का निर्यात	Export of Sugar through STC . .	65
8314	रूस से रुई का आयात	Import of Cotton from USSR . .	66
8315	राज्य व्यापार निगम द्वारा पश्चिम एशियाई देशों को निर्यात बढ़ाने संबंधी योजना	Plan to Boost Exports to West Asia Countries by STC	66
8316	बिहार में स्टेट बैंक ग्राफ इंडिया के कर्मचारियों की हड़ताल	Strike by Employees of SBI in Bihar .	67
8317	भारत के विदेश व्यापार को हानि	Set back to Foreign Trade of India .	67
8318	बचत खातों और सावधिक जमा राशि पर व्याज की दर में वृद्धि	Increase in Rates of Interest on Savings Accounts and Fixed Deposits .	68
8319	राष्ट्रीयकृत बैंकों के बीच बेकार की प्रतिस्पर्धा	Wasteful Competition among Nationalised Banks	69
8320	विदेशों में भारतीय बैंकों की शाखाएं	Branches of Indian Banks Abroad .	70
8321	केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के सर्किट हाउस, निरीक्षण बंगले और यात्री निवास	Circuit Houses, Inspection Bungalows and Travellers Lodges owned by Central and State Governments	71
8322	इंडियन एयरलाइंस द्वारा नई विमान सेवाएं आरम्भ करना	Introduction of New Services by Indian Airlines	72
8323	राज्यों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा दी गई सहायता	Assistance given by IDBI to States .	72

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8324	पाकिस्तानी शासन के दौरान छोड़ी गई सम्पत्ति के बारे में बंगलादेश द्वारा जारी किया गया अध्यादेश	Ordinance issued by Bangladesh regarding properties left over during Pakistan Regime	74
8325	करों की बकाया राशि	Arrears of Taxes	74
8326	व्यक्तियों/कंपनियों से 50 हजार रुपये से अधिक के आय-कर की वसूली	Realisation of Income Tax from individual Companies above Rs. 50 Thousand	75
8327	भारतीय विनियोजन केन्द्र द्वारा गोष्ठी का आयोजन	Seminar organised by Indian Investment Centre	76
8328	इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि	Increase in Export of Engineering Goods	77
8329	नेपाल द्वारा आयात/निर्यात	Import/Export by Nepal . . .	78
8330	राष्ट्रीयकृत बैंकों की कार्यक्षमता में सुधार	Improvement in efficiency in Nationalised Banks	79
8331	भारतीय रिजर्व बैंक के ऋण पर रोक संबंधी उपाय	Credit restraint measures of Reserve Bank of India . . .	79
8333	केरल तट पर तस्करी रोकने के लिये कार्यवाही	Steps to check smuggling on Kerala Coast	80
8334	राज्य व्यापार निगम द्वारा कनाडा में एक फर्म से अखबारी कागज सप्लाई करने हेतु करार	Contract for supply of newsprint with a firm in Canada by STC. . .	80
8335	अहमदाबाद के बीमा कर्मचारियों द्वारा सांकेतिक हड़ताल	Token strike by Insurance Employees of Ahmedabad .	81
8336	रुपये का मूल्य और इसका आय कर सीमा भविष्य निधि और बीमा पालिसियों पर प्रभाव	Value of rupee and its effect on Income Tax limit, Provident Fund and Insurance policies	82
8337	मारुति के डायरेक्टरों को जारी किये गये आयात लाइसेंस	Import Licences issued to Directors of Maruti Share-holders . .	82
8338	भारतीय रिजर्व बैंक की ऋण रोक नीति के संबंध में छोटे किसानों और व्यापारियों से प्राप्त अभ्यावेदन	Representation received from Small farmers and trades regarding credit squeeze policy of RBI . .	83
8339	श्रीलंका से इलायची की सप्लाई	Supply of Cardamom from Sri Lanka .	83
8340	इलायची का समेकित विपणन (पूल्ड मार्किटिंग)	Pooled marketing of Cardamom	84

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8341	आय-कर अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप	Charges of Corruption against Income Tax Officers	84
8342	वर्ष 1974 में राज्य व्यापार निगम द्वारा चावल का निर्यात	Export of Rice through STC during 1974	84
8343	आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को फ्रीज करना	Freezing of prices of essential commodities	85
8344	भारत और पोलैंड के बीच व्यापार साझेदारी	Trade Partnership between India and Poland	85
8345	केन्द्रीय और राज्य बिक्री कर की दरों में समानता	Uniformity in rates of Central and States Sales Tax	85
8346	भारत में चीता (टाईगर) रक्षित क्षेत्र	Tiger Sanctuaries in India .	86
8347	वर्ष 1974-75 में अखबारी कागज की सप्लाई के लिये समझौता	Agreement for supply of Newsprint in 1974-75.	87
8348	चौथी योजना के दौरान भारतीय पर्यटन विकास निगम की परियोजनाओं की क्रियान्विति	Implementation of ITDC Projects during Fourth Plan	87
8349	पश्चिम बंगाल में पर्यटन का विकास	Development of Tourism in West Bengal	88
8350	एयर इंडिया द्वारा आकर्षित विदेशी पर्यटक	Foreign Tourists Attracted by Air India	89
8351	कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली में विदेशी पर्यटकों के लिये सुविधायें	Amenities for foreign tourists at Calcutta, Bombay, Madras and Delhi .	89
8352	पाकिस्तान से और पाकिस्तान में वस्तुओं की तस्करी	Smuggling of Commodities to and from Pakistan	90
8353	केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित वस्तुओं के मूल्य	Prices of Commodities controlled by Central Government . . .	90
8355	मैंगनीज और मैंगनीज अयस्क का उत्पादन	Production of Manganese and Manganese Ore	91
8356	आयात/निर्यात का व्यापार संतुलन	Balance of Trade in Imports/Exports .	91
8357	विदेशी कम्पनियों द्वारा मुख्यालय-व्यय का बाहर भेजा जाना	Remittance of Head Office Expenses by Foreign Companies . . .	92
8358	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक से ऋण लिया जाना-	Borrowings of Scheduled Commercial Banks from Reserve Bank . .	93

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8359	तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिपूर्ति भत्ते का भुगतान	Payment of HRA And CCA to Central Government Employees in the Context of Recommendations of Third Pay Commission	94
8360	आयरलैण्ड से वित्तीय सहायता	Financial Assistance from Ireland	95
8361	आल इंडिया बैंक एम्पलाइज एसोसिएशन द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक-मंडलों में परिवर्तन के संबंध में निर्णय	Decision of All India Bank Employees Association regarding Change in the Boards of Directors of Nationalised Banks	95
8362	स्टेट बैंक आफ इंडिया की देहरादून शाखा को धोखा देना	Cheating of Dehradun Branch of State Bank of India	96
8363	आल इंडिया रिजर्व बैंक एम्पलाइज एसोसिएशन का सम्मेलन	Conference held by All India Reserve Bank Employees Association . .	96
8364	इंडियन ऐयरलाइंस द्वारा कार्य चालन व्ययों में कमी करने के लिए कार्यवाही	Steps to Reduce Operating Expenses by Indian Airlines	97
8365	दार्जिलिंग में काशीराम टी इण्डस्ट्रीज लि० को पुनः चालू करने के लिए सहायता	Assistance for Reopening of Kashiram Tea Industries Ltd. in Darjeeling	97
8366	सरकारी उपक्रमों में कारों के उपयोग संबंधी निदेश	Directives for use of Cars in Public Sector Undertakings	97
8367	निर्यात प्रोत्साहन योजना का पुनर्विलोकन	Review of Export Incentive Scheme .	98
8368	वर्ष 1974-75 के दौरान पर्यटन केन्द्र विकसित करने संबंधी योजना	Scheme to Develop Tourist Centres during 1974-75	98
8369	कताई कारखानों के आर्थिक ढांचे में परिवर्तन	Change in the Economic Size of Spinning Units	99
8370	कच्चे माल के लिए आयात लाइसेंसों में संशोधन	Modification in Import Licences for Raw Materials	99
8371	इंडियन एयरलाइंस देशीय सेवा का विश्लेषण	Analysis of Indian Airlines Domestic Service	99
8372	पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के हैलीपैड तथा हवाई पट्टियों का निर्माण	Construction of Helipads and Airstrips in Eastern and North Eastern Region States	100

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
8373	कलकत्ता-पुरुलिया और कलकत्ता-रूपसी-कूचबिहार-हाशिमारा मार्गों पर दैनिक हवाई सेवा	Daily Air Service from Calcutta Purulia and Calcutta-Rupsi-Cooch Behar-Hashimara	100
8374	पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रीय राज्यों में पर्यटन-केन्द्रों का विकास	Development of Tourist Centres in West Bengal and North Eastern Region States	100
8375	श्रीलंका से स्वर्ण की तस्करी	Smuggling of Gold from Sri Lanka .	101
8376	पांचवीं योजना में सूती कपड़ा उद्योग में प्रमुख परिवर्तन	Major changes in Cotton Textile Industry in Fifth Plan . . .	101
8377	मद्रास या विशाखापत्तनम को अंतिम (टर्मीनल) पत्तन बनाना	Madras or Visakhapatnam as Terminal Port	102
8378	सुगन्ध वाले पदार्थों का निर्यात	Export of Perfumery Goods .	102
8379	निर्यातोन्मुख आयात नीति	Export oriented Import Policy . .	103
8380	दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ संयुक्त उपक्रमों के लिए पूंजी निवेश	Investment for Joint Ventures with South East Asian Countries . .	104
8382	तेल संकट के कारण आयात/निर्यात आय में कमी	Decrease in Import/Export earning due to Oil crisis	104
8383	बिक्री कर के अपवंचन को रोकने के उपाय	Steps to check evasion of Sales Tax	104
8384	वर्तमान कराधान प्रणाली में परिवर्तन	Change in present Taxation system	105
8385	सेवामुक्त होने वाले सैनिक कर्मचारियों को जीवन बीमा एजेंसी में प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव	Proposal to train Retiring Service Personnel in Life Insurance Agency .	106
8386	कोल्हापुर में हवाई अड्डे का निर्माण-कार्य पूरा किया जाना	Completion of airport at Kolhapur	106
8387	विश्व बैंक के एक दल द्वारा भारतीय अर्थ-व्यवस्था का अध्ययन	Study of Indian Economy by World Bank Team	107
8388	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्र को दिये गये ऋण	Credit advanced by Nationalised Banks to Priority Sector . . .	107
8389	जैट विमानों द्वारा प्रयोग में आने वाले हवाई अड्डों पर उतार-प्रकाश (एप्रोच लाइट्स)	Approach lights at Airports for use by Jets	109
8390	संकटग्रस्त चाय बागानों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Sick Tea Gardens .	110

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8391	हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पश्चिम पर्यटन के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Development of Tourism in Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir . .	110
8392	मास्को से दिल्ली तक एयर इंडिया की उड़ानें	Air India Flights from Moscow to Delhi	110
8393	वर्ष 1974-75 के दौरान पर्यटन प्रचार अभियान के लिए स्वीकृत धनराशि	Amount sanctioned for Tourism Publicity Campaign during 1974-75 .	111
8394	आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि	Rise in Prices of Essential Commodities	112
8395	नगरों का वर्गीकरण	Classification of Cities . .	113
8396	निर्यात बढ़ाने के लिए रियायतें देना	Grant of Concessions to Boost Export .	113
8397	भारत में तस्कर व्यापारी	Smugglers in India . .	114
8398	पटसन की वस्तुओं के मूल्य कम करने तथा उन्हें स्थिर करने की सिफारिश	Recommendation for reducing and stabilising the prices of jute production	116
8399	बम्बई पत्तन पर से न उठाए गये ऊनी कपड़े	Woolen Rags remaining uncleared at Bombay Port	116
8400	घाटे की अर्थ व्यवस्था	Deficit Financing .	117
8401	बिजली की कमी के कारण कपड़ा मिलों में बड़े पैमाने पर जबरी छुट्टी	Large Scale lay off in Textile Mills due to Power Shortage . .	117
8402	डिघा को एक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने की वृहद् योजना	Master Plan for Development of Digha as a Tourist Centre . .	117
8403	देश में पर्यटन कार्यालय	Tourist offices in the country . .	118
8404	पर्यटकों की रुचि के पुरातत्वीय केन्द्रों के विकास की योजनाएं	Schemes for Development of Archaeological Complexes of Tourist Interest .	119
8405	डमडम हवाई अड्डे पर एयरपोर्ट होटल का निर्माण	Construction of Airport Hotel at Dum-Dum Airport	119
8407	मांस का निर्यात	Export of Meat .	119
8408	इंडियन एयरलाइंस द्वारा विमानों का क्रयादेश देना	Orders Placed for Aircraft by Indian Airlines	120
8409	मोटरगाड़ियों तथा सहायक पुर्जों का निर्यात	Export of Automobiles and Ancillaries	120

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8410	दिल्ली के समीप एक बड़े बन्दर-पालन फार्म की स्थापना	Setting up of a Big Monkey breeding farm Near Delhi. . . .	121
8411	बैंकों में सावधिक जमा-राशि में कमी होना	Contraction in Time Deposits with Banking System	122
8412	इलायची का निर्यात	Export of Cardamom . . .	123
8413	चौथी योजना में पर्यटन विकास के लिए प्रचार अभियान पर व्यय की गई राशि	Amount spent on publicity Campaign to Promote Tourism during Fourth Plan	124
8414	पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में पांचवीं योजना में होटल और बंगलों का निर्माण	Construction of Hotels and Bungalows during Fifth Plan in West Bengal and North Eastern Region . .	125
8415	पश्चिम बंगाल में भारतीय पर्यटक विकास निगम द्वारा शुरू की गई परियोजनाएं	Projects undertaken by ITDC in West Bengal	125
8416	एयर इंडिया में उड़ान कर्मचारी तैनात करने पर लागत	Cost of Posting Flight personnel in Air India	126
8417	तूफान की चेतावनी देने वाले राडारों की स्थापना	Setting up of Cyclone Warning Radars	126
8418	स्टीरियो फ्लोंग्स का आयात	Import of Sterio Flongs . . .	126
8419	सूखाराहत कार्यों में लगे मध्य प्रदेश कर्मचारियों को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Employees engaged in Drought Relief Work in M. P. .	127
8420	निर्यात नीति के अंतर्गत रुई निगम की स्थापना	Setting up of a Cotton Corporation as part of Export Strategy . . .	128
8421	भारतीय रंग-निर्माण उद्योग द्वारा निर्यात	Exports undertaken by Indian Dye Staff Industry	128
8422	भारतीय औद्योगिक पुनर्निमाण निगम द्वारा मंजूर किये गये मामले	Cases sanctioned by Industrial Reconstruction Corporation of India .	129
8423	राज्यों का वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध	Requests for Financial Assistance from States	130
8424	राज्य व्यापार निगम द्वारा खरीदे गये तथा निर्यात किये गये अरंडी के तेल की मात्रा तथा उसका मूल्य	Quantity and value of castor oil purchased and exported by STC. .	130

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8425	मछली पकड़ने के आयातित जहाज के उपकरणों पर सीमा-शुल्क की अदायगी न करना और उसका चोरी छिपे आना	Clandestine landing and non payment of customs duty on components for an Imported Fishing Vessel .	131
8426	कपड़े की सामान्य किस्मों के उत्पादन, मूल्यों तथा वितरण पर सांविधिक नियंत्रण	Statutory control on production, price and distribution of common item of cloth	131
8427	पोलियस्टर तथा मिश्रित वस्त्रों के प्रमुख निर्माताओं द्वारा मूल्यों में वृद्धि	Price increase by leading Manufacturers of Polyester and Blended Fabrics .	132
8428	कलचर्ड मोतियों का आयात	Import of Cultured Pearls . .	133
8429	गियाना सरकार के साथ सहयोग करार	Collaboration Agreement with Guyana Government	133
8430	जंजीबार में एक होटल खोलने संबंधी करार	Contract to set up a Hotel in Zanzibar	133
8431	पाकिस्तान में छोड़ी गई सम्पत्तियों के लिए अनुग्रहपूर्वक मुआवजा	Ex-gratia Compensation for properties left over in Pakistan . . .	134
8432	इस्पात के 'ट्रे' पर उत्पादन शुल्क	Excise duty on Steel Trays . .	134
8433	तम्बाकू के निर्यात के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित करना	Fixation of Minimum price for Tobacco Export	135
8434	लघु एककों को लाइसेंस देना	Issue of Licences to Small Scale Units	135
8435	विदेशों में भारतीय तौलियों की मांग	Demand of Indian Towels Abroad .	135
8436	स्वीडन में भारतीय वस्तुओं की मांग	Demand of Indian Garments in Sweden.	136
8437	दिल्ली में शुष्क पत्तन	Dry Port in Delhi	136
8438	वाणिज्य मंत्री की कुवैत की यात्रा	Visit by Commerce Minister to Kuwait	137
8439	अफीम का उत्पादन और सका निर्यात	Production and Export of Opium	137
8440	जीवन बीमा पालिसियों पर जीवन बीमा निगम द्वारा घोषित बोनस के बारे में शिकायतें	Complaints regarding Bonus declared by LIC on the Life Insurance policies	138
8441	मूल्य वृद्धि पर बैंक ऋण का प्रभाव	Impact of Bank Credit on price rise .	139
8442	रूस को चाय का निर्यात	Export of Tea to USSR .	139

अता० प्र० संख्या विषय U.S.Q. No.	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8443 मथुरा, वृन्दावन, हरिद्वार बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा करने के लिए विदेशी पर्यटकों को अनुमति	Permission to Foreign Tourists to visit Mathura, Vrindavan, Hardwar, Badrinath and Kedarnath . .	139
8444 ऊन के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange earned by Export of Wool	140
8445 गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों के चेयरमैन की नियुक्ति	Appointment of Chairman of Non-nationalised Banks	140
अविलंबीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Atention to Matter of Urgent Public Importance . . .	141
मलेरिया फैलने का समाचार	Reported spreading of malaria	141
श्री मुख्तियार सिंह मलिक	Shri Mukhtar Singh Malik	141
डा० कर्ण सिंह	Dr. Karan Singh . . .	141
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में (प्रश्न)	Re. Question of Privilege (Query)	144
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table . . .	145
गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों की प्रक्रिया के बारे में अध्यक्ष द्वारा घोषणा	Announcement by Speaker re. Procedure for Private Members Resolutions	146
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee . .	147
62वां और 55वां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश	Sixty-second and Fifty-fifth Reports and Minutes . .	147
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee . .	147
112वां 118वां, 126वां, 129वां और 130वां प्रतिवेदन	Hundred and Twelfth, Hundred and eighteenth, Hundred and twenty sixth, hundred and twenty ninth and hundred and thirtieth Report .	147
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	Committee on Public Undertaking	148
53वां प्रतिवेदन	Fifty third Report .	148
मोटर गाड़ियों के टायरों और ट्यूबों के बारे में वक्तव्य	Statementre. Automobile Tyres and Tubes . .	148
श्री सी० सुब्रमण्यम	Shri. C. Subramaniam	148
राष्ट्रीयकृत पुस्तकालय विधेयक—	National Library Bill	150
संयुक्त समिति के लिए सदस्यों की नियुक्ति	Appointment of Members to Joint Committee	150
सभा के कार्य के बारे में	Re. Business of the House .	151
नियम 377 के अन्तर्गत मामला	Matter under rule 377	151

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
महाराष्ट्र में माणिकगढ़ में आदिवासियों और हरिजनों पर अत्याचार के समाचार	Reported arrocities on Adivasis and Harijans in Manikgadh in Maharashtra	151
अनुदानों की मांगे, 1974-75	Demands for Grants, 1974-75 . .	153
रक्षा मंत्रालय	Ministry of Defence	153
श्री बी० वी० नायक	Shri B.V. Naik .	153
प्रो० नारायण चन्द पाराशर	Prof. Narain Chand Parashar .	154
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	155
श्री विक्रम महाजन	Shri Vikram Mahajan . . .	155
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee .	156
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी	Sardar Swaran Singh Sokhi	157
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	157
प्रो० एस० एल सक्सेना	Prof. S.L. Saksena .	158
श्री मूलचन्द डागा	Shri M.C. Daga .	158
श्री सैयद अहमद आगा	Shri Syed Ahmed Aga	158
श्री दरबारा सिंह	Shri Darbara Singh .	159
श्री जगजीवन राम	Shri Jagjivan Ram . .	159
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति	Committee on Private Members Bill and Resolutions . .	163
40वां प्रतिवेदन	Fortieth Report . . .	163
मूल्यों और कृषि उत्पादन के संबंध में नीति के बारे में संकल्प	Resolution re. Policy in respect of Prices and Agricultural Production . .	164
श्री बसंत साठे	Shri Vasant Sathe .	164
श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jagannathrao Joshi . .	165
श्री नरसिंह नारायण पाण्डे	Shri N. N. Pandey .	166
श्री मधु दंडवते	Shri Madhu Dandavate . .	166
श्री राम सहाय पाण्डे	Shri R.S. Pandey	168
श्री वाई० एस० महाजन	Shri Y.S. Mahajan .	169
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S.M. Banerjee	170
सभी डाकघरों में अन्तर्देशीय रजिस्ट्री पार्सलों और पैकेटों की बुकिंग स्थगित किये जाने के बारे में वक्तव्य	Statement re. Suspension of booking of Inland registered parcels and packets at all Post Offices . .	170
प्रो० शेर सिंह	Prof. Sher Singh	170

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री एस० एन० सिंह	Shri Shivnath Singh . . .	171
मिश्र के संसदीय शिष्ट मंडल का स्वागत	Welcome to Egyptian Parliamentry Delegation	172
कार्य मंत्रणा समिति–	Business Advisory Committee .	173
42वां प्रतिवेदन	Forty second Report. .	
श्री बी० वी० नायक	Shri B.V. Naik . .	173
श्री एम० कतामुतु	Shri M. Kathamuthu . . .	174
श्री हरि किशोर सिंह	Shri Hari Kishore Singh .	175
श्री जगन्नाथ मिश्र	Shri Jagannath Mishra .	176
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana .	176

लोक सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 26 अप्रैल, 1974/6 वैशाख, 1896 (शक)
Friday, April 26, 1974/Vaisakha 6, 1896 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को श्री वाई० गाडिलिंगन गौड और प्रो० रामधारी सिंह दिनकर की दुःखद मृत्यु का समाचार देना है।

श्री गौड वर्ष 1953-57 और 1967-70 के दौरान पहली और चौथी लोक-सभा के सदस्य रहे। उन्होंने कुरनूल निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वह वर्ष 1968-70 के दौरान सभापति तालिका के सदस्य थे। वह 1955-56 में लोक लेखा समिति, 1956-57 और 1967-68 के दौरान प्राक्कलन समिति और कई अन्य संसदीय समितियों के सदस्य रहे। वह एक किसान थे और उन्होंने अपने राज्य की जनता के कल्याण में बहुत रुचि ली। वह कई शिक्षा, सहकारी तथा अन्य कल्याण समितियों से सम्बद्ध रहे। उनका 18 अप्रैल, 1974 को मेम्मीगनूर में 66 वर्ष की आयु में देहांत हो गया।

हम सभी को 24 तारीख की रात को मद्रास में प्रो० रामधारी सिंह दिनकर के निधन का समाचार सुनकर अत्यन्त दुःख हुआ। महान कवि, शिक्षाशास्त्री और संस्कृति के प्रतीक के रूप में प्रो० दिनकर ने कई क्षेत्रों में राष्ट्र की सेवा की। उन्होंने अपना व्यावसायिक जीवन अध्यापक के रूप में आरंभ किया। बाद में वह सरकारी कर्मचारी रहे। वह 1952 से 1964 तक राज्य सभा के सदस्य रहे। संसदीय सेवा के पश्चात् वह भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति के रूप में पुनः शिक्षा के

क्षेत्र में चले गये। उन्होंने 1955 में वारसा में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया तथा 1957 में चीन की राइटर्स यूनियन के अतिथि के रूप में चीन का दौरा किया। उन्होंने 1961 में रूस को गये भारतीय लेखकों के एक शिष्टमण्डल का नेतृत्व किया। देश के प्रति उनकी सराहनीय सेवा के सम्मान में उनको कई पुरस्कार प्रदान किये गये। 1959 में उनको पद्म भूषण की उपाधि दी गई। बाद में उन्होंने दो उच्चतम पुरस्कार जीते--उनकी पुस्तक 'संस्कृति के चार अध्याय' पर साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा उर्वशी पर ज्ञान पीठ पुरस्कार। श्री दिनकर का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक तथा स्नेहपूर्ण था। उनके प्रशंसकों और मित्रों की संख्या बहुत अधिक थी।

अपने इन मित्रों के निधन पर हम गहन दुःख व्यक्त करते हैं तथा मुझे विश्वास है कि सदन इनके शोक संतप्त परिवारों को संवेदना संदेश भेजने में मेरे साथ शरीक होगा।

सदस्य गण उनके सम्मान में अपना दुःख व्यक्त करने के लिये थोड़ी देर के लिये मौन खड़े रहे।

तत्पश्चात् सदस्यगण कुछ देर मौन रहे।

The Members then stood in silence for a short while.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ब्रिटेन के साथ ऋण संबंधी करार

* †851. **श्री भान सिंह भौरा:**

श्री पी० गंगादेव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्रिटिश सरकार के साथ हाल ही में किसी ऋण संबंधी करार पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस ऋण संबंधी करार की मुख्य शर्तें क्या हैं; और

(ग) ऋण का उपयोग किस प्रकार किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां। 27 मार्च, 1974 को नयी दिल्ली में, कुल 75.87 करोड़ रुपये (400 लाख पौंड) के तीन ऋण-करारों पर ब्रिटेन की सरकार के साथ हस्ताक्षर किये गये थे।

(ख) ब्रिटेन द्वारा भारत को 1965 से दिये जाने वाले ऋणों की तरह ये तीनों ऋण भी ब्याज-प्रभार से मुक्त हैं और इन पर कोई अन्य सेवा-प्रभार नहीं देय होगा तथा इन ऋणों को 25 वर्षों की अवधि में वापस अदा किया जाना है जिसमें शुरू की 7 ऋणों की रियायती अवधि शामिल

(ग) प्रथम ऋण (ब्रिटेन/भारत अनुरक्षण ऋण, 1974 में संशोधन) की रकम अर्थात् 8.97 करोड़ रुपया (100 लाख पौंड) भारत सरकार द्वारा ब्रिटेन से परियोजना से भिन्न वस्तुएं मंगाने के लिए इस्तेमाल किया जायगा। इन वस्तुओं में गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्रों में भारत के कृषि और औद्योगिक उत्पादन को बनाये रखने के लिए आवश्यक कच्चे माल, फालतू पुर्जे और संघटक शामिल हैं।

दूसरा ऋण (ब्रिटेन/भारत संयुक्त परियोजना ऋण, 1974) अर्थात् 34.14 करोड़ रुपये (180 लाख पौंड) की रकम भारत सरकार द्वारा, दोनों देशों की परस्पर सहमति से चुनी गयी भारी लागत वाली परियोजनाओं की विदेशी मुद्रा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जायगी।

तीसरा ऋण (ब्रिटेन/भारत पूंजी निवेश ऋण, 1974) अर्थात् 22.76 करोड़ रुपये की रकम (120 लाख पौंड) भारत सरकार द्वारा, सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों की पूंजीगत माल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तथा कुछ रकम भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के लिए विदेशी मुद्रा संबंधी साधन जुटाने के लिए की जायेगी।

श्री भान सिंह भौरा : क्या उस करार में कोई ऐसी शर्त भी है कि इस ऋण का उपयोग एक निश्चित अनुपात में सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में किया जाएगा?

श्री के० आर० गणेश : मैंने विभिन्न प्रकार के ऋणों का उल्लेख किया है। ब्रिटन सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में कोई विभेद नहीं करता तथा प्राप्त ऋण को दोनों क्षेत्रों में बराबर-बराबर बांट दिया गया है।

श्री भान सिंह भौरा : देश के बेरोजगार युवकों में ज्यादा असंतोष को देखते हुए क्या सरकार भारत में रोजगार प्रधान परियोजनाओं के लिये इसमें से कुछ धनराशि खर्च करने पर विचार कर रही है?

श्री के० आर० गणेश : इन ऋणों का उपयोग उन परियोजनाओं के लिये किया जाना है जिनके लिये ब्रिटेन सरकार से प्रस्ताव किया गया था। ये परियोजनायें हैं: 200 एम० डब्ल्यू० बायलर के लिये सहायक उपकरण जिनका बांडेल तापीय विद्युत विस्तार योजना के लिय मैंसर्स ए० वी० वी० द्वारा उत्पादन किया जाएगा; कोचीन शिपयार्ड के लिये परामर्श सेवाएं; पश्चिमी बंगाल बिजली बोर्ड के लिये कोलाघाट तापीय बिजली घर के लिये सहायक उपकरणों का आयात, आदि। ब्रिटिश वित्तीय सहायता से वित्त-पोषण के लिये विचाराधीन अन्य परियोजनाएं हैं: कोचीन शिपयार्ड लि० के लिये अपेक्षित आयात; बोकारो इस्पात संयंत्र के लिये गैस सफाई संयंत्र; बदरपुर स्थित 200 एम० डब्ल्यू० बायलर के लिये सहायक उपकरण; गुजरात राज्य उर्वरक का स्टाइरीन/पोलीस्टाइरीन संयंत्र, श्रीराम फर्टिलाइजर्स कोटा विस्तार परियोजना।

श्री पी० गंगादेव : ब्रिटन से ऋण की प्राप्ति का हम स्वागत करते हैं तथा इसके लिये हम ब्रिटेन की सरकार के आभारी हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस मामले में निर्यात प्रधान ऋण लाभों को आरक्षित रखने के लिये किसी योजना या प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है जिससे वापस किये जाने वाले ऋण की राशि निर्यात मूल्य से अधिक न हो सके? यदि हां, तो ब्रिटेन के साथ किये गये इन ऋण करारों के मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

श्री के० आर० गणेश : पूर्व यूरोपीय देशों के साथ हमारी व्यापार संबंधी योजना जिस प्रकार की है उस प्रकार की पश्चिमी देशों के साथ नहीं है। जहां तक निर्यात का संबंध है, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा पृथक रूप से एक निर्यात अभियान चलाया गया है। इसके लियें निर्यात सम्बद्ध परिषदें भी हैं। हमारे देश का यह उद्देश्य है कि वर्तमान आर्थिक स्थिति और वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के अन्तर्गत अधिक से अधिक निर्यात किया जाये।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : सरकार को जो ऋण प्राप्त हो चुके हैं उनके ब्याज आदि पर कितना व्यय होगा ?

श्री के० आर० गणेश : मैंने अपने उत्तर में यह बताया था कि यह ऋण ब्याज तथा अन्य सभी शुल्कों से मुक्त हैं तथा उनका वापस भुगतान 25 वर्ष की अवधि में किया जाना है जिसमें सात वर्ष की रियायत भी दी जा सकती है।

Shri Bibhuti Mishra : According to the opinion of the economists expressed recently the Government of India has been taking loans from foreign Countries to the extent to which these countries are getting opportunity to exploit our country. May I know whether these loans could not be avoided? If we were able to produce these things without taking foreign loan why have these loans been taken ? May I know the step, proposed to be taken for the repayment of the loan ?

श्री के० आर० गणेश : मेरे विचार से इस प्रश्न का इससे कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह सामान्य टिप्पणी की है कि क्या इसको टाला नहीं जा सकता था।

श्री के० आर० गणेश : यदि ऋण लेने की आवश्यकता न होती तो ऋण नहीं लिया जाता। हमारे देश के आर्थिक विकास में इन ऋणों का यथाशीघ्र आत्मनिर्भरता प्राप्त किये जाने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है।

Payment of Overtime to Employees of Indian Airlines

*852. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government have discouraged overtime payment in Indian Airlines; and

(b) the names of the departments of the Indian Airlines whose employees were paid overtime allowance during the last three years ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) इंडियन एयरलाइन्स ने एक संशोधित शिफ्ट प्रणाली प्रचालित की है तथा अन्य कई उपाय किये हैं जिनके परिणामस्वरूप अन्य बातों के साथ-साथ समयोपरि भत्ते के व्यय में कमी आ जायेंगी।

(ख) अपेक्षित सूचना को दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

कार्यात्मक श्रेणी विभाग (फंक्शनल ग्रुप)	इसमें सम्मिलित कर्मचारी वर्ग	1970-71	1971-72 (लाख रुपयों में)	1972-73
(क) उड़ान परिचालन	विमान-चालकों, रेडियो अधिकारियों, उड़ान इंजीनियरों, केबिन कार्मिकों को अतिरिक्त उड़ान वेतन, तथा ग्रेड 1 से 9 तक के सामान्य वर्ग के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता।	24.68	21.91	23.66
(ख) उड़ान प्रशिक्षण	—	0.15	0.24	0.52
(ग) उड़ान उपस्कर संधारण एवं ओवरहाल	इंजीनियरों, तकनीशियनों, स्टोर कर्मचारियों तथा ग्रेड 1से 9 तक के सामान्य वर्ग के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता।	113.15	112.97	133.51
(घ) यातायात बिक्री एवं प्रचार	वाणिज्य विभाग के ग्रेड 1 से 9 तक के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता, तथा अधिकारियों को छुट्टी वेतन।	65.34	79.96	107.49
(ङ) यात्री एवं माल सेवायें	खान-पान विभाग के ग्रेड 1 से 9 तक के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता तथा अधिकारियों को छुट्टी वेतन।	13.96	16.97	21.59
(च) भू-परिवहन	परिवहन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी।	17.43	23.67	31.57
(छ) सामान्य प्रशासन	वित्त, कार्मिक तथा योजना आदि विभागों के कर्मचारी और अधिकारी।	32.39	42.30	43.07
(ज) कर्मचारी कल्याण	कल्याण कार्यों से संबंधित कर्मचारी।	0.70	0.95	1.05
	योग :	267.80	298.97	362.46

Shri M. C. Daga : Mr. Speaker, Sir, should I be satisfied with the reply or with the actual practice ? The Government has paid as overtime allowance Rs. 51 lakhs in 1963, Rs. 79 lakhs in 1965, Rs. 95 lakhs in 1966 and Rs. 111 lakhs in 1967. Now this amount has increased to Rs. 362 lakhs. According to the statement of Shri P. C. Lal, out of the 16,000 employees, 6000 imployees were surplus. On the other hand, the amount of overtime allowance has increased from Rs. 51 lakhs to Rs. 3½ crores. It has been stated in the Report of the Committee on Public undertakings that :

> "The Committee on Public undertakings have viewed with concern the rising trends of overtime payment."

Thus, may I know from the hon. Minister whether he has any control over the Air India and the remedial steps taken by him to reduce the expenditure on overtime allowance ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : Sir, the hon Member has expressed concern at the time when all the necessary steps have been taken I would like to remind him that I wanted to introduce the new shift system in implementation of the recommendations of the Committee on Public undertakings, as result of which we had to take recourse to lock out. I can only say that considerable improvement has been recorded in this regard. The amount of overtime allowance has declined from Rs. 362 lakhs to Rs. 21 lakhs in the month of November and Rs. 0.26 lakhs in the month of December. Later, in the month of January, this amount increased to Rs. 3.18 lakhs when all the employees had joined, but it again declined to Rs. 1.66 lakhs in the month of February. Earlier, the amount of monthly expenditure on overtime allowance had been ranging from Rs. 35 lakhs to Rs. 37 lakhs. There is considerable improvement. Several other steps have also been taken. This is not the point as to whether the Minister has any hold over the Air India and Indian Airlines or the Management or workers have any hold over them. The main objective is that this organisations should function properly.

Shri M. C. Daga : The Second Wage Board and the Third Wage Board stated that the overtime allowance would be eliminated. May I know the name of the machinery which examines the question of overtime allowance ?

Shri Raj Bahadur : It is the duty of the management and it has been done by them. The results of it are before us. The situation is improving.

श्री जगन्नाथ राव : लगभग 6 महीने पहले आरंभ की गई नई पारी प्रणाली से क्या समयोपरि भत्ते के भुगतान में महत्वपूर्ण कमी हुई है अथवा अब भी इसका भुगतान किया जाता है ?

श्री राज बहादुर : दिनांक 24 नवम्बर, 1973 को ताला बन्दी की घोषणा की गई थी। मैंने नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी और फरवरी के आंकड़े बता दिये हैं। नवम्बर के महीने में 21 लाख रुपया दिया गया था जबकि औसत मासिक राशि 32 लाख रुपये से 34 लाख रुपये थी। दिसम्बर में यह राशि 0.26 लाख रुपया थी, जनवरी में 3.18 लाख रुपया और फरवरी में 1.66 लाख रुपया। समयोपरि भत्ते को पूर्णतः समाप्त किया जाना संभव नहीं है क्योंकि कुछ मामलों में नये व्यक्तियों को नियुक्त करने की अपेक्षा समयोपरि भत्ता देना अधिक लाभ प्रद होता है।

श्री डी॰ बसुमतारी : क्या कोई ऐसी शिकायत मिली है कि कभी-कभी कर्मचारियों को इतना समयोपरि भत्ता दिया जाता है कि उनकी राशि उनके मूल वेतन से भी अधिक होता है और क्या यह भी सच है कि कुछ विशेष वर्ग के कर्मचारियों को ही समयोपरि भत्ता दिया जाता है ?

श्री राज बहादुर : यह एक कहानी है। ऐसा पहले कभी होता था, अब नहीं।

श्री ए॰ पी॰ शर्मा : समयोपरि भत्ता दिये जाने के क्या कारण हैं ? मैं यह मानता हूं कि यदि किसी श्रमिक को एक निश्चित समय सीमा के बाद कार्य करना पड़ता है तो उसे समयोपरि भत्ता दिया जाना है। अतिरिक्त समय में किन् कारणों से कार्य कराया जाता है ? क्या प्रबन्धकों ने इन कारणों का पता लगाया है और यदि हां, तो क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है जिनमें अतिरिक्त समय में कार्य न कराना पड़े ?

श्री राज बहादुर : मैं केवल एक या दो कारणों का उल्लेख करूंगा। विभिन्न पारी प्रणालियों के स्वरूप में असंतुलन था। अर्थात् जिस पारी में कार्य का भार अधिक था उसमें पर्याप्त संख्या में कर्मचारी नहीं थे तथा जिस पारी में कार्यभार कम था उसमें इतने अधिक कर्मचारी थे जो अधिकता कार्यभार संभाल सकते थे। अतः एक मुख्य कारण यह था कि सभी पारियों में एक प्रकार का कृत्रिम संतुलन था। इस दोष को दूर कर दिया गया तथा एक पारी में कर्मचारियों को संख्या उसमें निहित कार्य भार को देखकर निर्धारित की गई। इसमें सफलता मिली है। इसके अतिरिक्त, हमने अन्य कदम भी उठाये हैं।

†भारत मिस्र व्यापार वार्ता

*†853 **श्री बनमाली बाबू :**
श्री वीर भद्र सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और मिस्र के बीच व्यापार बढ़ाने के लिये काहिरा में दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री डी॰ पी॰ चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) मार्च, 1974 में मेरी काहिरा की यात्रा के दौरान हमने मिस्र के नेताओं के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा की जिनमें व्यापार संबंधी वार्ताएं भी शामिल हैं। चर्चा विशेषतः निम्नोक्त के बारे में थी :

(1) भारत-मिस्र व्यापार प्रवाह को और अधिक स्थायित्व प्रदान करने के लिये उपाय निकालने की आवश्यकता;

(2) व्यापार तथा वाणिज्यिक आदान-प्रदानों का विविधीकरण करना;

(3) मिस्र के पुनर्निर्माण-कार्यक्रम में भारत द्वारा भाग लिये जाने की संभाव्यता;

(4) व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में पारस्परिक आधार पर भाग लेना; और

(5) संयुक्त उद्यमों का संवर्धन करने की आवश्यकता।

श्री बनमाली बाबू : दोनों देशों के बीच व्यापार में अनेक बार बाधाएं पड़ी हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि वे बाधाएं कौन-सी थीं जिनके कारण व्यापार अस्तव्यस्त हुआ और हाल ही की वार्ता में कौन-से सुरक्षात्मक उपायों पर विचार किया गया है जिससे इस प्रकार की स्थिति दोबारा पैदा न हो ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : जैसा कि सर्वविदित है, मध्य-पूर्व एशिया में लड़ाई के कारण ही यह बाधा पैदा हुई थी। युद्ध तथा उसके परिणामस्वरूप अन्य बातों को वाणिज्यिक बातों की तुलना में तरजीह मिली और इसमें किसी का कोई दोष नहीं था। परन्तु अब व्यापार बढ़ाने के लिये हमने पहल की है और उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार कर लिया है। अतः बातचीत चल रही है।

श्री बनमाली बाबू : इस देश में तेल की कमी को देखते हुए क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या हाल ही की वार्ता में मिस्र से तेल के आयात के बारे में कोई चर्चा की गई थी और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

प्रो०डी० पी० चट्टोपाध्याय : मिस्र में एक विशेष प्रकार का अशोधित तेल निकाला जाता है वे इसे एल मौर्गन क्रूद कहते हैं जो बहुत भारी होता है। इस प्रकार का तेल हमारे देश के तेलशोधक कारखानों के लिये उपयुक्त नहीं है।

श्री एस० आर० दामाणी : हमारा देश मिश्र से भारी मात्रा में रूई का आयात करता था। अब आयात शुल्क और मूल्यों में वृद्धि के कारण रुई का आयात बहुत कम हो गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, मैं पूछना चाहता हूं कि इसका मिश्र को हमारे निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा और अपने निर्यात को बनाये रखने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यह सच है कि हमारे देश में रूई के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मिस्र से आयात की जाने वाली लम्बे रेशे वाली रूई की आवश्यकता वास्तव में कम हो गई है। एक तरीके से इसका लाभ हमारे रुई उत्पादकों को पहुंचा है। परन्तु यह सच है कि इससे मिश्र के साथ हमारे व्यापार में कमी हुई है। इसीलिये व्यापार के विविधीकरण के बारे में बात-चीत की जा रही है और हम कुछ अन्य वस्तुओं के आयात-निर्यात पर विचार कर रहे हैं।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या यह सच है कि हमारे उत्पादकों को आयातित रूई के मूल्य से आधा मूल्य भी नहीं मिलता और यदि हां, तो हमारे किसानों को लाभप्रद मूल्य देने के लिये क्या कारगर उपाय करने का विचार है ताकि मिस्र से लम्बे रेशे वाली रूई के आयात की बिल्कुल आवश्यकता न पड़े ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यह कहना उचित नहीं है कि सभी मामलों में हमारे रूई उत्पादकों को अच्छा मूल्य नहीं मिलता। यह अलग बात है कि उनको और अधिक मूल्य दिया जाना संभव है या नहीं। परन्तु सरकार निश्चय ही इस बात का प्रयत्न करती है कि रूई उत्पादकों को उचित मूल्य दिया जाये।

एयर इण्डिया और इंडियन एयरलाइन्स द्वारा प्रयुक्त वायुयान

*854 : **श्री राज देव सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल संकट उत्पन्न होने के पश्चात् बोइंग के अतिरिक्त अन्य सभी वायुयान अलाभप्रद हो गये हैं; और

(ख) एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा अन्य कौन से वायुयानों का प्रयोग किया जाता है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी,हां।

(ख) **एयर इण्डिया** : कोई नहीं।

इंडियन एयरलाइन्स : (1) कारवेल
(2) एच० एस०-748 (एवरो)
(3) एफ-27
(फोकर फ्रेण्डसिप)

यद्यपि वाइकाउन्ट विमानों को सेवा से निकाल दिया गया है, इन विमानों का कलकत्ता-पोर्टब्लेयर सेवा पर अस्थायी रूप से प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि इस मार्ग पर अन्य प्रकार के विमान प्रयोग में नहीं लाये जा सकते हैं।

श्री राजदेव सिंह : प्रश्न के भाग (क) के उत्तर के संदर्भ में, कि मुख्य मार्गों पर अन्य प्रकार के विमान चलाना लाभप्रद नहीं है, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या उनको फ़ीडर लाइनों पर चलाना लाभप्रद है या नहीं ?

श्री राज बहादुर : फ़ीडर लाइनों पर छोटे विमानों का प्रयोग करना होता है। दुर्भाग्य से वे पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं।

श्री राजदेव सिंह : क्या मंत्री महोदय को पता है कि एयर चीफ मार्शल पी० सी० लाल ने 23 अप्रैल, 1974 को एयरलाइन्स के 11वें वाणिज्यिक सम्मेलन में बोलते हुए कहा था :

> "कि बोइंग 737 को छोड़ कर, किसी भी अन्य विमान से एयरलाइन्स को कोई आय नहीं होती, कैराबिल विमान से भी हानि हो रही है और इसका भविष्य भी उज्जवल नहीं, यद्यपि उसका प्रयोग तुरन्त समाप्त नहीं किया जा रहा है।"

क्या मैं पूछ सकता हूं कि विमानों को बिना हानि के चलाने के लिये सरकार का क्या कार्यावाही करने का विचार है ?

श्री राज बहादुर : यह सच है कि बोइंग और कैराविल विमान को छोड़कर शेष सभी विमान लाभप्रद नहीं हैं। परन्तु हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा देश बहुत विशाल है और दूर दूर के स्थानों में परिवहन और संचार की व्यवस्था करनी होती है। अतः हानि के बावजूद हमें कुछ

उड़ानों की व्यवस्था करनी होती है। जहां तक उस हानि को पूरा करने के प्रश्न का संबंध है इण्डियन एयरलाइन्स इस बारे में पहले ही कार्यवाही कर रही है। ईंधन के मूल्यों में भारी वृद्धि के कारण यह स्थिति पैदा हुई है अन्यथा किरायों में 25 प्रतिशत वृद्धि कर देने से हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये कुछ लाभ कमा सकने की आशा थी।

डा० कर्ण सिंह : क्या इण्डियन एयरलाइन्स के उन विमानों का अधिकतम उपयोग किया जा रहा है जो कुछ हद तक लाभप्रद हैं ताकि उनसे हानि न होने पाये।

श्री राज बहादुर : केवल वाइकौंट विमानों का उपयोग कलकत्ता-पोर्ट ब्लेयर सर्विस के लिये किया जाता है और सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि उनका कितना उपयोग किया जा सकता है। मैं इस बात का दावा नहीं कर सकता कि इण्डियन एयरलाइन्स उनका अधिकतम उपयोग कर रहा है परन्तु इसके संबंध में अनवरत प्रयास किये जायेंगे और मुझे विश्वास है कि कुछ समय बाद हम स्थिति का समायोजन कर सकेंगे और हम अपनी हानि को पूरा कर लेंगे।

श्री बी० के० दास चौधरी : क्या मंत्री महोदय फीडर लाइन्स की सेवाओं को जिनको इण्डियन एयरलाइन्स में तालाबन्दी घोषित करने पर स्थगित कर दिया गया था विशेषकर कलकत्ता-कूच विहार सेवा को पुनः चलाने पर विचार करेंगे ?

श्री राज बहादुर : हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या वांछनीय है और क्या व्यावहार्य है। यह बहुत कठिन काम है। मैं माननीय सदस्य की चिन्ता को समझता हूं। परन्तु सच्ची बात यह है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र से काफ़ी यातायात होना चाहिये। ताकि वहां तक विमान की उड़ान को न्यायोचित ठहराया जा सके।

श्री वेकारिया : इस समय कितनी विमान सेवाएं अलाभप्रद हैं और क्या अलाभप्रद विमान सेवाएं बन्द करने के बारे में निर्णय करते समय महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों को प्राथमिकता दी जाती है ?

श्री राज बहादुर : मोटे तौर पर जिन मार्गों पर बोइंग विमान चलते हैं वे लाभप्रद हैं और शेष लाभप्रद नहीं हैं--संभव है कि कुछ हों।

श्री वेकारिया : पर्यटक केन्द्रों को प्राथमिकता देने के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री राज बहादुर : हम स्वयं चाहते हैं कि पर्यटन केन्द्रों तक विमान सेवा चालू रहनी चाहिये। यदि आवश्यक हो तो उनके लिये कुछ अतिरिक्त व्यवस्था की जानी चाहिये। इस पहलू पर मैं स्वयं विचार कर रहा हूं।

Shri Jagannathrao Joshi : There are some private operators in the Country who run there services and earn profit. May I know as to how they can earn profit while Indian Airlines cannot ?

Shri Raj Bahadur : Main reason is that their services are non-scheduled flights. Their flights will not materialise until their seats are full. Secondly, their overhead expenses are not on the high side. Besides they do not pay the amount of wages, that the Government has to pay. Therefore, they earn profit.

Shri Jyotirmoy Bosu : This is incorrect.

Shri Jagannathrao Joshi : May I know the type of aeroplanes used by them ?

Shri Raj Bahadur : Mostly Docotas.

अमरीका को मेंढक की टांगों का निर्यात

856. **श्री धामनकर :** †
डा० कर्णी सिंह :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने 4 करोड़ रुपये के मूल्य की मेंढ़क की टांगों की खेपों को इस आधार पर अस्वीकार कर के कि वे जीवाणुयुक्त हैं उस देश को मेंढक की टांगों के निर्यात के मामले में भारत के लिये नई बाधाएं उत्पन्न कर दी हैं;

(ख) क्या उक्त खेपों का किस्म नियंत्रण आदेश के अनुसार निरीक्षण नहीं किया गया था; और

(ग) सरकार स्थिति का कैसे समाधान करेगी जबकि कुछ खेप अमरीका के तट पर अड़ रही हैं और कुछ अन्य खेप समुद्री मार्ग में ही हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) भारत में निर्यात के लिए मेंढक की टांगों का अनिवार्य लदानपूर्व निरीक्षण होता रहा है। निरीक्षण की यह प्रक्रिया अभी तक सं० रा० अमरीका सरकार के खाद्य तथा औषधि प्रशासन के निरीक्षण के नियमों के अनुसार होती रही है। कुछ मास पूर्व सं० रा० अमरीका सरकार ने अपनी निरीक्षण प्रक्रिया बदल दी है तथा अपनी नई प्रक्रिया के आधार पर उन्होंने मेंढकों की टांगों की पर्याप्त मात्रा अस्वीकार कर दी है। जब तक भारत में निर्यात निरीक्षण नियम तथा सं० रा० अमरीका में खाद्य व औषधि प्रशासन के ये नियम समान रहे तब तक वस्तुतः कोई खेप रद्द नहीं की गई।

(ग) भारत सरकार सं० रा० अमरीका के खाद्य तथा औषधि प्रशासन के साथ इस समझौते पर पहुंच गई है कि अस्वीकृत खेपों की अमरीका में पुनः प्रोसेसिंग की जायगी तथा पुनः प्रोसेसिंग पश्चात् यदि ये खेमें खाद्य तथा औषधि प्रशासन की नई निरीक्षण प्रक्रिया के अनुरूप साबित होती हैं तो इन्हें उस देश में जाने की अनुमति दे दी जायगी।

श्री धामनकर : मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में बताया है कि काफी मात्रा रद्द कर दी गई है। उन्होंने राशि का उल्लेख नहीं किया परन्तु समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों से पता चला है कि 90 लाख रुपये की मेढ़क की टांगें रद्द कर दी गई हैं। फिर 4 करोड़ रुपये की मेंढक की और टांगें रद्द हो सकती हैं तथा दो करोड़ रुपये के मूल्य की टांगें जहाज़ों में लदी हुई जा रही हैं। यह पता चला है कि अमरीका द्वारा इस देश को धतूरे की मिलावट वाले भेजे गये गेहूं के बारे में इस सभा में चर्चा के बाद खाद्य तथा औषधि प्रशासन ने यह प्रक्रिया बदली है। उसके बाद यह प्रक्रिया अपनाई गई है और उन्होंने मेंढक की टांगों को जीवाणुयुक्त पाया है। इस नई नीति के कारण राज्य व्यापार निगम को 6-7 करोड़ रुपये का भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हम यह नहीं जानते कि क्या राज्य व्यापार निगम ने इस बात को सुनिश्चित किया था कि पहले वाली प्रक्रिया अभी चल रही है और क्या यह सोच कर माल भेजा गया था कि अभी नई प्रक्रिया लागू नहीं हुई हैं ? मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय स्थिति को स्पष्ट करें।

श्री० ए० सी० जार्ज : पहली बात यह है कि राज्य व्यापार निगम इससे सम्बद्ध नहीं हैं। विभिन्न निर्यातकर्त्ता इस काम को स्वयं करते हैं (**व्यवधान**) केवल केरल में ही 29 निर्यातकर्त्ता हैं। राज्य व्यापार निगम इस काम को नहीं करता।

दूसरी बात यह है कि समाचार-पत्रों में कई समाचार प्रकाशित हुए हैं कि कितना माल रद्द कर दिया गया है और कितना रास्ते में है। यह भी संभावना है कि कुछ माल को दोबारा देख कर स्वीकार कर लिया जाये। इसीलिये मैंने राशि का उल्लेख नहीं किया था और शायद सही धनराशि बताना भी ठीक न हो।

श्री धामनकर : साधारण बीमा निगम बीमें के रूप में 100 रुपये के मूल्य की मेंढक की टांगों के लिये 7 पैसे लेता है। उन्होंने अब इस प्रकार को 13 पैसे कर दिया है और माल को लगातार रद्द किये जाने के कारण अब उन्होंने बीमा करना बन्द कर दिया है। सरकार इस आकस्मिक स्थिति का मुकाबला करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री ए०सी०जार्ज : यह निर्यात निरीक्षण एजेंसी वर्ष 1956 से चल रही है और प्रक्रिया वही है जो अमरीका की है। हाल ही में, कुछ महीने पहले, अमरीका में उपभोक्ताओं के मत में संदेह पैदा हो गया कि इन में सालमन एलम नामक एक विशेष जीवाणु है। यह बात केवल अमरीका की है। अन्य उपभोक्ता देशों में ऐसी कोई बात नहीं है। हमने खाद्य तथा औषधि प्रशासन के निदेशक को भारत में आमंत्रित किया था और उन्होंने भारत के अनेक भागों का दौरा किया है। जहां तक बीमे का संबंध है, हम बीमा कम्पनी के साथ बातचीत कर रहे हैं कि इस मामले में क्या किया जा सकता है।

डा० कर्णी सिह : बम्बई नेचुरल हिस्टरी सोसायटी के श्री फतह अली के मूल्यवान विचार यह है कि मेंढकों को अन्धाधुन्ध मार देने से भूरे टिड्डों का ख़तरा बढ़ गया है। परन्तु सरकार ने विचार इसके प्रतिकूल हैं। अतः क्या सरकार ने इस संबंध में पुनः विचार किया है और क्या उनके विचारों में कोई परिवर्तन हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न और इस प्रश्न में थोड़ा-सा अन्तर है। यह प्रश्न मेंढक की टांगों के बारे में हैं और यदि भूरे टिड्डों के बारे में चर्चा की जानी है तो उस पर कुछ समय के लिये अलग से चर्चा करनी होगी।

डा० कर्णी सिंह : अमरीका ने इस माल को यह कह कर रद्द कर दिया है कि उसमें सालमन जीवाणु हैं। अतः, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या सरकार ने इस माल को बेचने के लिये यूरोप और विश्व के अन्य भागों में मंडियों का पता लगाया है ?

श्री ए० सी० जार्ज : अमरीका ने वर्ष 1966 से 73 तक कोई आपत्ति नहीं की। हाल ही में उन्होंने परीक्षण की प्रक्रिया बदली है। बेल्जियम, नीदरलैण्ड, फ्रांस, जापान आदि किसी भी अन्य देश ने कोई आपत्ति नहीं की है। हम इसका निर्यात कर रहे हैं और वे स्वीकार कर लेते हैं।

श्री ए० के० एम० इसहाक : क्या मंत्री महोदय हम बतायेंगे कि क्या प्रक्रिया में परिवर्तन सद्भावना-पूर्वक किया गया है या भारत से मेंढक की टांगों का आयात बन्द करने के लिये किया गया है ?

श्री ए० सी० जार्ज : उन्होंने अच्छे इरादे से प्रक्रिया को बदला है परन्तु निश्चय ही यह इकतरफा कार्यवाही थी। यह संभव है कि यह प्रक्रिया हमारी इच्छाओं के अनुसार न हो परन्तु इन चीजों के लिये वे अपने मानक बना सकते हैं।

श्री के० लकप्पा : मेंढक की टांगों की मांग समस्त विश्व में है। अमरीका को भी उनका भारी मात्रा में निर्यात किया जा रहा है।

यह स्पष्ट हो गया है कि पूंजीवादी देशों ने एक चाल चली है ताकि हमारा निर्यात न केवल अमरीका को बल्कि यूरोप को भी न बढ़ सके। क्या इस प्रकार की किसी चाल का पता सरकार को लगा है? यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है?

श्री ए० सी० जार्ज : हमें मालूम नहीं है कि किसी पूंजीवादी देश की ऐसी कोई मंशा है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सुधारों के बारे में बैठक :

*857. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1974 में होने वाली अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारत सरकार ने अपने देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से उक्त सुधारों को सफल करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार किया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० के० गणेश) : (क) और (ख) जी, नहीं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली और सम्बद्ध विषयों के सुधार के संबंध में गवर्नरों के बोर्ड को परामर्श देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि द्वारा स्थापित "बीस की समिति" के डिप्टियों की अगली बैठक 5 से 7, मई 1974 को होगी जिस के बाद 12-13 जून, 1974 को "बीस की समिति" की बैठक होगी।

(ग) "बीस की समिति" में प्रतिनिधित्व करने वाले भारत और अन्य विकासशील देशों ने हमेशा यह तर्क दिया है कि विकासशील देशों के विशेष हित की समस्याएं, विशेषकर, विशेष निकासी अधिकारों और विकास सहायता के बीच सम्पर्क स्थापित करना, विकासशील देशों के लिए अधिक रकमें देने की सुविधा दिया जाना, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा नीधि के कोटे और निर्णय संबंधी प्रक्रियाओं में विकासशील देशों का अधिक हाथ होना, सुधार के कार्य का अभिन्न अंग होना चाहिए।

Shri Nawal Kishore Sharma : The most important change which took place in the International monetary system after recent crisis is the creation of Special Drawing Rights. I would like to know whether the S.D.R. system has benefited the developing countries or the developed countries ? If it has benefited the developed countries, what steps have been taken by India in this regard ? May I know the policy of India, which is one of the members of the Committee of Twenty.

श्री के० आर० गणेश : भारत ने एस०डी०आर० सम्पर्क व्यवस्था का अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा के प्राथमिक रिजर्व के रूप में समर्थन किया है। भारत तथा अन्य विकासशील देशों का यह प्रयास होगा कि 'बीस की समिति' में इस पर निर्णय ले लिया जाये। हम इसे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यवस्था में आधारभूत सुधार मानते हैं और यह व्यवस्था विकासशील देशों के लिए लाभप्रद होगी।

श्री नवल किशोर शर्मा : मेरा प्रश्न यह है कि क्या स्पेशल ड्राइंग राइट्स का लाभ विकासशील देशों को हुआ है अथवा विकसित देशों को, और उन्हें कितना लाभ हुआ है?

श्री के० आर० गणेश : चूंकि इससे विकासशील देशों को लाभ होगा इसलिए हम इसका समर्थन कर रहे हैं ।

Shri Nawal Kishore Sharma : Developed countries have often taken advantage of the present International Monetary System. They cause political interference by some times devaluating and evaliuating the currency at other times. At present, gold is the basis of International Monetary System. I would like to know whether any drastic change will be brought in the present system and some notional currency will be created ?

श्री के० आर० गणेश : अन्य विकासशील देशों सहित भारत का यह विचार है कि एस०डी०आर० का मूल्यांकन मुद्राओं के मूल्य के आधार पर होना चाहिए और उसका संबंध सोने से तोड़ दिय जाना चाहिए। 'बीस की समिति' में और डिप्टीज की बैठक में भारत इस बात के लिए प्रयास करता रहा है कि एस० डी० आर० का मूल्यांकन, विशेषतया अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा की अस्थिर स्थिति में, मुद्राओं के संबंध में होना चाहिए ।

प्रो० मधु दंडवते : क्या यह सच है कि अमरीका के ट्रेजरी सेकरेटरी ने डालर को अन्य मुद्राओं में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव किया है ? इससे सभी देशों की मांगों में समानता रहेगी। इस दिशा में क्या ठोस कार्यवाही की जा रही है ?

श्री के० आर० गणेश : इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मुद्रा व्यवस्था संबंधीं सुधारों के बारे में है। आप इस प्रश्न का विस्तार करने जा रहे हैं। संगत और असंगत संदर्भ में अन्तर भी सूक्ष्म ही होता है।

श्री के० आर० गणेश : जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, मुझे यह मालूम नहीं है कि अमरीका के ट्रेजरी सेकरेटरी ने क्या कहा था। किन्तु सचाई यह है कि अधिकांश विकसित देश मुद्रा की विनिमय दरों के स्वयं निश्चित होने की व्यवस्था को त्यागना नहीं चाहते । इन परिस्थितियों में किसी व्यवस्था को लाने और देशों के व्यवहार के लिए निर्देशक सिद्धांत बनाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। आज स्थिति यह है कि विभिन्न देशों की मुद्राएं अस्थिर अवस्था में है ।

गेंहूं तथा नियंत्रण कपड़े के मूल्यों में वृद्धि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर प्रभाव ।

***858. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : †**
श्री मधु दंडवते :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं तथा नियमित किस्मों के कपड़े के मूल्यों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर काफी प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो कितना प्रभाव पड़ा है और मूल्य वृद्धि की इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संबंधित महीने के आखीर में 5 से 6 हफ्तों के बीच में उपलब्ध हो जाता है। अप्रैल, 1974 में मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के प्रभाव का पता जून के पहले हफ्ते तक नहीं चलेगा । नियंत्रित मल्यों में

वृद्धि उचित विचार करने के बाद और अन्य सभी संबद्ध बातों को ध्यान में रख कर की जाती है। रहन-सहन की लागत में होने वाली किसी भी प्रकार की वृद्धि के लिये अधिकृत श्रेणी के कर्मचारियों और श्रमिकों को, जिनकी आमदनी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंधित है, प्रतिपूर्ति की जाती है।

Shri Sukhdeo Prasad Verma : I wanted to know whether the increase in the prices of controlled cloth and wheat had considerably affected the consumer price index. But, in reply the hon. Minister has told nothing about it. He simply said that information about it would be received after five to six weeks. May I know whether this increase will have an impact on consumer price index and whether they have no means or programme to check this rise in prices ? I am not satisfied with the answer that all factors are taken into consideration while increasing the prices.

श्री के० आर० गणेश : गेहूं के निर्गम मूल्य और नियंत्रित कपड़े के मूल्य में क्रमशः पहली और 15 अप्रैल से वृद्धि की गई थी। इसका प्रभाव उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर कितना पड़ेगा यह जानकारी चार सप्ताह बाद प्राप्त हो सकेगी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लेबर ब्यूरो द्वारा तैयार किया जाता है और वास्तविक आंकड़े चार सप्ताह बाद प्राप्त होते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि वृद्धि का प्रभाव गेहूं के निर्गम मूल्य और नियंत्रित कपड़े के मूल्यों पर अवश्य ही पड़ेगा। मोटे अनुमान के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर यह प्रभाव लगभग 4.7 प्रतिशत होगा। दिल्ली जैसे स्थानों पर, जहां खाद्यान्नों और कपड़े को अधिक व्यावहारिक महत्ता है, यह प्रभाव और भी अधिक होगा। यह मैं मानता हूं कि आवश्यक वस्तुओं की लागत में हो रही वृद्धि की समस्या बहुत ही गंभीर है। यह राष्ट्रीय स्तर की समस्या है और सरकार से हल करने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है :

(क) गत वर्ष गैर-योजना खर्च में लगभग 400 करोड़ रुपये का नियंत्रण किया गया ; (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋण पर प्रतिबंध लगाया गया ; (ग) इस बजट में घाटे की अर्थ-व्यवस्था को 125 करोड़ रुपये तक ही सीमित रखा जाना तथा अनेक अन्य उपाय किये गये। मुझे आशा है कि कुछ समय बाद इन सभी उपायों का बढ़ते हुए मूल्यों पर थोड़ा-बहुत प्रभाव अवश्य होगा।

Shri Sukhdeo Prasad Verma : Sir, the black money in the country is mainly responsible for the increase in prices. I would like to know whether Government has formulated any scheme to put an end to the problem of black money ? Secondly, the hon. Minister has told that compensation for any rise in the cost of living resulting from price changes would be given to eligible categories of employees and workers. But what will be done in case of other employees, because price rise will have its impact on all the employees ?

श्री के० आर० गणेश : मुद्रा स्फीति संबंधी इस वृद्धि के विभिन्न आर्थिक कारणों में से काले धन का प्रयोग भी एक महत्वपूर्ण कारण है। माननीय सदस्यों को मालूम है कि कराधान विधि संशोधन विधेयक पर इस समय प्रवर समिति द्वारा विचार किया जा रहा है और उसमें काले धन और कर उपबंचन आदि की समस्या से निपटने के उपाय सुझाये गये हैं। इस समय राहत के हकदार कर्मचारियों और श्रमिकों को राहत दी जाती है। कुछ अन्य उपायों का उल्लेख मैं पहले ही कर चुका हूं जैसे ऋण पर नियंत्रण, घाटे की अर्थव्यवस्था को कम रखना, जन-वितरण व्यवस्था के माध्यम से समाज के दुर्बल वर्गों को वस्तुएं उपलब्ध कराना। सरकार ये उपाय कर रही है।

24 LSS/74—3

प्रो० मधु दंडवते : क्या मंत्री महोदय का विचार केन्द्रीय खाद्य राजसहायता में वृद्धि करने का है जिससे गेहूं के निर्गम मूल्य को कम किया जा सके और मूल्य-वृद्धि के प्रभाव को भी कम किया जा सके ? इसी प्रकार क्या सरकार का विचार इस समय बनाई जा रही कपड़े की 4000 किस्मों में से अधिकांश के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने का है जिससे कपड़े की केवल कुछ किस्मों का ही उत्पादन हो और इस प्रकार के कपड़े के मूल्य कम हों और नियंत्रित कपड़े के मूल्यों में की गई वृद्धि का प्रभाव भी कम हो ।

श्री के० आर० गणेश : माननीय सदस्य अर्थशास्त्री होने के नाते भली-भांति जानते हैं कि यदि अनाज के लिए केन्द्रीय सहायता बढ़ा दी गई तो उससे घाटे की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और घाटे की अर्थव्यवस्था से मुद्रास्फीति बढ़ेगी। इस दृष्टि से यह उचित नहीं है कि गेहूं के निर्णय निर्गम मूल्य में की गई वृद्धि का प्रभाव खाद्यान्न-राजसहायता देकर समाप्त किया जाये। जहां तक नियंत्रित कपड़े का संबंध है, इस कपड़े के मूल्य में यह वृद्धि करते समय यह लक्ष्य रखा गया है कि मिलों के कुल उत्पादन का 20 से 25 प्रतिशत उत्पादन नियंत्रित कपड़े का हो। इससे मानकीकृत कपड़े की उपलब्धता बढ़ जायेगी ।

प्रो० मधु दंडवते : मैंने कपड़े की 4000 किस्मों में से कुछ पर प्रतिबंध लगाने के बारे में प्रश्न पूछा था ।

श्री के० आर० गणेश : यह प्रश्न वाणिज्य मंत्री से पूछा जाना चाहिए। जहां तक नियंत्रित कपड़े का संबंध है, इस कपड़े के मूल्य में की गई वृद्धि के परिणामस्वरूप मिलों के लिए यह सम्भव होगा कि वे इस कपड़े का उत्पादन अधिक करें। यह निर्णय किया गया है कि प्रत्येक कपड़ा मिल अपने कुल उत्पादन का 20 से 25 प्रतिशत उत्पादन इस कपड़े का करेगी।

श्री के० मालन्ना : गेहूं और कपड़े के मूल्य में की गई वृद्धि से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कितनी वृद्धि हुई है और मुआवजा पाने के हकदार लोगों को कितने प्रतिशत मुआवजा दिया गया है ? क्या यह मूल्य-वृद्धि के अनुपात में है ?

श्री के० आर० गणेश : ठीक आंकड़े तो मेरे पास इस समय नहीं हैं। हां, मोटे अनुमान के अनुसार, यह अखिल भारतीय स्तर पर औसतन 4.7 बैठेगा और प्रतिपूर्ति मंगाई भत्ते तथा विद्यमान सूत्र के अन्तर्गत अन्य वस्तुओं के रूप में की जायेगी।

श्री के० मालन्ना : क्या प्रतिपूर्ति मूल्य-वृद्धि के अनुरूप है।

अध्यक्ष महोदय : वह इसका उत्तर पहले ही दे चुका हैं।

Shri Narsingh Narain Pandey : Mr. Speaker, Sir, may I know whether attention of the hon. Minister has been drawn to the news published in the 'National Herald' of 14th April, 1974, under the heading "Coarse cloth Racket in Kanpur Mills". It has been said in the news that 16 million square metre controlled cloth was producted in Kanpur Mills, which was to be distributed through cooperatives, but the whole of it did not reach the fair price shops and it was returned back to the Mills. In this racket, some big officers colluded with the excise officials. I would like to know whether he will order an enquiry into it ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक सामान्य प्रश्न है और इसके लिए माननीय सदस्य अलग से प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री के० आर० गणेश : यदि माननीय सदस्य इस संबंध में अलग से प्रश्न पूछेंगे तो मैं इसकी जांच कराऊंगा।

Shri Madhu Limaye : Sir, dearness allowance is given to only organised labour but the increase in prices affects all people, whether they are organised or not. In our country, the percentage of agricultural labour is 25 per cent, in Andhra Pradesh it is 37 per cent and in Bihar it is 38 per cent. In this context, I would like to know whether Government is going to introduce any public rationing system or any other system for unorganised labour ?

श्री के० आर० गणेश : धारिया समिति ने जो सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सुझाई थी, सरकार उस पर विचार कर रही है।

अल्प-सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

दिल्ली न्यायालयों में स्टाम्प पेपरों की कमी

+

अ० सू० प्र० संख्या 13. **श्री सतपाल कपूर :**
श्री पी० के० देव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली के न्यायालयों में स्टाम्प विक्रेताओं के पास कम मूल्य वाले जैसे 1 रुपया, 1.50 रुपये और 2 रुपये के स्टाम्प पेपरों की भारी कमी है ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप लोगों को अधिक मूल्य वाले स्टाम्प पेपर खरीदने पड़ते हैं या अवैध रूप से अधिक मूल्य देकर कम मूल्य वाले स्टाम्प पेपर खरीदने पड़ते हैं ; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है या करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन को स्टाम्प विक्रेताओं द्वारा स्टाम्पों की अवैध मूल्यों पर बिक्री किये जाने की कोई विशेष शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। फिर भी दिल्ली प्रशासन ने स्टाम्प परीक्षकों को ये निदेश जारी कर दिये हैं कि वे विभिन्न स्टाम्प विक्रेताओं की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें तथा उन पर अचानक छापे मारें ताकि ये लोग स्टाम्पों की अस्थाई कमी से अनुचित कार्यों से लाभ न उठा सकें और ऐसा कोई कदाचार न कर सकें।

(ग) नासिक से दिल्ली के लिए स्टाम्प भेजे गये हैं और अगले कुछ दिनों में स्थिति के सामान्य हो जाने की संभावना है।

Shri Sat Pal Kapur : Mr. speaker, Sir, illegal price is not fixed, it is the legal price which is a fixed one. Not only in Delhi but throughout the country small denominations of stamp paper are not available. It is our experience that stamp paper worth rupees 10 only is sold for rupees 20 and 30. It want to know as to why there is short supply of stamp paper and further why supply is not made in time ?

श्री के० आर० गणेश : जहां तक दिल्ली प्रशासन का संबंध है, इसके समक्ष 2 रुपये के मूल्य के नान-जुडिशियल स्टाम्प पेपरों की समस्या आई । दिल्ली प्रशासन ने दो रुपये के मूल्य वाले 3,94,000 स्टाम्प पेपरों का आदेश दिया था परन्तु उस समय नासिक प्रेस द्वारा केवल 12,000 पेपरों की ही सप्लाई की जा सकी । इसका करण यह था कि प्रैस को अपनी मुद्रण क्षमता का कुछ भाग डाक व तार बोर्ड के लिए अपेक्षित 'इण्डिपेक्स मिनियेचर शीट्स' के मुद्रण तथा बंगला देश के लिए अपेक्षित एन० जे० स्टाम्प के मुद्रण के लिए प्रयोग करना पड़ा । इसके साथ ही, 2 रुपये के मूल्य की 96,000 स्टाम्प पेपरों की जो एक खेप 1 मार्च को मालगाड़ी द्वारा भेजी गई वह किसी कारणवश रुकी रही और 22 अप्रैल को पहुंची । अगले कुछ ही दिनों में उन्हें सप्लाई पहुंचाने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

Shri Sat Pal Kapoor : The supply has not been made for the last 3 months. May I know if the hon. Minister or any of this Department has fixed responsibility for the same and any officer has been warned for non-performance of his duty in time ?

My second point is that whether Government is prepared to consider this alternative proposal that in case stamp paper is not available, the people should be allowed to deposit money in the treasury and that Treasury receipt should be considered to be valid ?

श्री के० आर० गणेश : दिल्ली प्रशासन द्वारा पहले ही स्टाम्प कलक्टर, दिल्ली को यह निदेश जारी किये जा चुके हैं तथा खजाना अधिकारी दिल्ली को भी कलक्टर द्वारा यह परामर्श दिया गया है कि वह मुद्रित/साइक्लोस्टाइल किये गये तथा टाइप हुये अनिष्पादित दस्तावेजों को खजाने में नकद भुगतान के पश्चात् अपेक्षित मूल्य के चिपकाने वाले विशेष स्टाम्प लगाये जाने के लिए स्वीकार कर लें । विकल्प के रूप में, दिल्ली प्रशासन द्वारा लोगों को परामर्श दिया गया है कि वे 'वाटरमार्क प्लेन पेपर' पर अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं और बाद में वही दस्तावेज, भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के उपबन्धों के अनुसार स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तीस हजारी, दिल्ली में अपेक्षित शुल्क का भुगतान करने के बाद कलक्टर को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है ।

Shri Sat Pal Kapur : It is good that my proposal has been accepted. But I asked about the fixation of responsibility also.

Mr. Speaker : Fixation of responsibility is a difficult task.

श्री बी० वी० नायक : यह प्रसन्नता की वात है कि केन्द्रीय वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ने एक ऐसे प्रश्न का उत्तर दिया है जो मुख्य रूप से राज्य सरकारों के विषय से सम्बद्ध है । इसके बावजूद यह विषय केन्द्रीय प्रशासन की सूची संख्या 2 के अन्तर्गत आता है । मैंने संविधान पढ़ा है। (**व्यवधान**) यह बहुत सार्थक बात है । अब सम्पूर्ण देश में कम मूल्य के स्टाम्प पेपरों की सप्लाई बहुत कम है । अतः क्या वित्त मंत्रालय द्वारा सम्पूर्ण देश तथा सारे राज्यों में इस बात का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया जायेगा जिससे कि स्टाम्प विक्रेताओं तथा स्टाम्प खरीदने वालों की कठिनाइयों का पता लगाया जा सके ?

श्री के० आर० गणेश : कार्यवाही के लिए यह अच्छा सुझाव है ।

अध्यक्ष महोदय : यह काफी अच्छा सुझाव है ।

Shri R. V. Bade : I would like to tell the hon. Minister that whenever there is shortage of stamp papers in the Courts and mostly the stamp papers of small denominations like Re 1.00, Rs. 1.50 and Rs. 2.00 are in short supply—a Register is placed there and after making an entry in the register, the amount is sent to the treasury. Why such an arrangement cannot be made here ?

श्री के० आर० गणेश : मुझे केवल दिल्ली के बारे में ही मालूम है ।

Shri R. V. Bade : That is why I am asking as to why such an arrangement is not made in Delhi. The amount should be collected in Court through a register and then it should be sent to treasury.

अध्यक्ष महोदय : वह कुछ सुझाव दे रहे हैं ।

श्री के० आर० गणेश : जी हां ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, what sort of reply has been given by the hon. Minister ? The Government is not capable of printing stamp paper which is not given free but in lieu of money. This Government is so worthless that it is not capable of printing stamp papers even. The difficulty in the way of printing stamp paper, such as shortage of paper, press or over work has not been explained. After all, what is the reason ?

Mr. Speaker : He explained the reason before your arrival.

Shri Atal Bihari Vajpayee : I am here since the beginning. The reason advanced by the hon. Minister is not such as cannot be removed but it is a matter of concern that stamp paper is not available in lieu of money.

Mr. Speaker : This question has been replied to at length...

Shri Atal Bihari Vajpayee : In case Government has got some difficulty, we can print the same in our own Press.

Shri Sat Pal Kapur : They want to run a Press also, they want to run the business also. The job of printing of notes should also be entrusted to them.

Shri Bhogendra Jha : May I know if one reason for the shortage of stamp paper is that stamp vendors indulge in hoarding of Stamp Paper. I am saying so on the basis of my experience. I got an opportunity to visit Parliament Street court. There are four stamp vendors and out of them only one was available. I did not pay any black money though I had to wait for one and a half hour. May I know if the Government will do away with this system of vendors and stamp-papers will be sold through Departmental Windows, like postage stamps ? That way there will not be any black...(*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखिये । उन्हें उत्तर देने दीजिये ।

श्री के० आर० गणेश : जब इस प्रकार के कम मूल्य के स्टाम्प पेपरों की नासिक प्रैस से न आने के कारण कुछ कमी होती है तो उस समय स्टाम्प विक्रेताओं द्वारा कुछ लाभ अर्जित कर लेना या उन्हे कुछ अवैध रूप से बेचना स्वाभाविक ही है और यही कारण है कि प्रश्न का उत्तर देते समय यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि दिल्ली प्रशासन ने स्टाम्प विक्रेताओं पर निगरानी रखने के लिए अपने कर्मचारियों को सतर्क कर दिया है ।

श्री भोगेन्द्र झा : प्राइवेट स्टाम्प विक्रेताओं की प्रथा को समाप्त कर, स्टाम्प पेपरों को दिल्ली प्रशासन के स्टाम्प विभाग द्वारा क्यों नहीं बेचा जाता ? (**व्यवधान**)

श्री के० आर० गणेश : माननीय सदस्य द्वारा जो सुझाव दिया गया है उस पर विचार किया जायेगा ।

Shri Lalji Bhai : Just now, the hon, Minister has stated that necessary action will be taken. So, I want to know that within the period of one year how many complaints have been received ?

श्री के० आर० गणेश : यह प्रश्न हमारे पास इस लिए आया क्योंकि विभिन्न राज्य सरकारों के लिए नासिक प्रैस से स्टाम्प पेपर सप्लाई करने का उत्तरदायित्व केन्द्र का है । यदि इनसे संबंद्ध कोई अवैध कार्य होता है तो उसकी जांच करना राज्य सरकारों का कार्य है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

छोटे रबड़ बागानों के मालिकों के लिए राज सहायता की अधिक दर

*855. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन छोटे रबड़ बागानों के मालिकों को पुनः बागान लगाने हेतु राज सहायता की अधिक दर देने का है जो रबड़ के बागान पुनः लगाने और रबड़ उत्पादिता में सुधार करने पर होने वाली लागत नहीं उठा सकते ; और

(ख) यदि हां, तो कब से ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी जार्ज) : (क) तथा (ख) रबड़ के पुनर्रोपण के लिये उत्पादन की वर्तमान दर को बढ़ाने पर विचार लागत संबंधी एक अध्ययन के आधार पर किया जायेगा । यह अध्ययन आरम्भ किया जा रहा है ।

श्रिम्पों के निर्यात से आय

*859. **श्री बी० बी० नायक** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान श्रिम्पों के निर्यात से कितनी आय हुई है ;

(ख) कृत्रिम ढंग से श्रिम्प पैदा करने के लिए क्या क्या प्रोत्साहन दिये गये हैं ; और

(ग) इस निर्यात आय का लाभ श्रिम्प-मछुओं को किस प्रकार पहुंचाया जाता है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) वर्ष 1971-72, 1972-73 तथा 1973-74 (अप्रैल-अक्तूबर, 1973) के दौरान श्रिम्पों के निर्यातों का कुल मूल्य क्रमशः 39.82 करोड़ रु०, 53.21 करोड़ रु० और 47.51 करोड़ रु० था ।

(ख) श्रिम्पों का कृत्रिम ढंग से संवर्धन करने के लिये कोई प्रोत्साहन नहीं दिये जाते हैं ।

(ग) मछुओं को इस निर्यात आय के लाभ श्रिम्पों की कीमतें बढ़ाने से प्राप्त हो जाते हैं।

हरियाणा के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बेंकों की नई शाखाएं खोलना

*860. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** :

श्री एस० एन० मिश्र : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हरियाणा के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की नयी शाखायें खोलने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार सभी वाणिज्यिक बैंक शाखा विस्तार के लिए तीन वर्षीय "रोलिंग" प्लान तैयार करते हैं । इस समय बैंक 1974-76 के तीन वर्षों के लिए अपनी योजनाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं । किन्तु रिजर्व बैंक ने बताया है कि जनवरी, 1974 के अन्त में, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में नई शाखाएं खोलने के लिए दस लाइसेंस/आवंटन थे । जिन जिलों/केन्द्रों से इन लाइसेंसों/आवंटनों का संबंध है, उनके नाम इस प्रकार हैं :—

जिले	**केन्द्र का नाम**
अम्बाला	चंडी मंदिर खिजराबाद
गुड़गांवा	बामिनर्करा
	छेंसा
	फतेहपुर बिलोच
	दयालपुर
	सराय ख्वाजा
हिसार	पाबड़ा
रोहतक	छारा
	मुरथल—जी० टी० रोड (अब सोनीपत जिले में हैं)

भारतीय रुपये की क्रय-शक्ति

*861. **श्री समर गुह : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी औद्योगिक कृषि तथा आयातित वस्तुओं के मूल्यों में सभी ओर से वृद्धि होने के परिणामस्वरूप भारतीय रुपये की क्रय शक्ति में और गिरावट आई है; और

(ख) यदि, हां तो क्रय शक्ति के संदर्भ में भारतीय रुपये का इस समय तुलनात्मक मूल्य कितना रह गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) जैसा कि पहली 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1457 के उत्तर में बताया गया था--1960 की तुलना में दिसम्बर 1973 में भारतीय रुपये का मूल्य 38.5 पैसा था। उसके बाद उसके बाद देसी और बाहर से मंगायी जाने वाली दोनों प्रकार की कई चीजों के मूल्य बढ़ जाने के कारण रुपये का मूल्य और घट कर फरवरी 1974 में 37.5 पैसे हो गया है।

बिहार में कंपनियों के नाम आयकर की बकाया राशि

*862 **श्री भोगेन्द्र झा : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कितनी विदेशी कंपनियों का कर निर्धारण होता है और उनके नाम आयकर की कितनी राशि बकाया है और उसको वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) बिहार चार्ज (पटना) की उन कंपनियों के नाम क्या है जिनके नाम 10 हजार रुपये से अधिक आयकर बकाया है और इसे यथाशीघ्र वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) गत डेढ़ वर्ष के दौरान कितने छापे मारे गये और उनके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) वर्ष 1973-74 में आयकर आयुक्त बिहार पटना के कार्यक्षेत्र में चार विदेशी कंपनियों पर आयकर लगाया गया। इन कंपनियों के नाम ये हैं :--

1. मैसर्स इंडियन कापर कारपोरेशन लिमिटेड (ग्रेट ब्रिटेन)
2. मैसर्स जान माइल्स एंड पार्टनर्स (लंदन) लि०
3. मैसर्स हेकेट इंजीनियरिंग कंपनी
4. मैसर्स योडोगावा स्टील वर्क्स लिमिटेड (जापान)।

31 मार्च, 1974 की स्थिति के अनुसार मैसर्स इंडियन कापर कारपोरेशन लिमिटेड और मैसर्स जान माइल्स एंड पार्टनर्स (लंदन) लि० की तरफ आयकर की रकम बकाया थी। बकाया रकम और उसे वसूल करने के लिये किये गये उपायों का ब्यौरा सदन की मेज पर रखे गये विवरण-पत्र 'क' में दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6836/74]

(ख) बिहार कार्यक्षेत्र (पटना) में जिन पार्टियों की तरफ दस हजार रुपये से अधिक की आयकर की रकम बकाया है उनके बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। तथापि, 31-12-1973 की स्थिति के अनुसार, जिन निर्धारितियों की तरफ एक लाख रुपये से अधिक की रकम बकाया थी उनके नाम तथा उन बकाया रकमों को वसूल करने के लिए किये गये उपायों का ब्यौरा सदन की मेज पर रखे गये विवरण-पत्र 'ख' में दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6836/74]

(ग) 1-10-1972 से 31-3-1974 तक की अवधि में आयकर आयुक्त, बिहार (पटना) के कार्यक्षेत्र में एक छापा मारा गया था। इस मामले में जांच-पड़ताल जारी है। इस जांच-पड़ताल के पूरा हो जाने के बाद कर-निर्धारण की कार्यवाही की जायेगी।

भारत ईरान व्यापार वार्ता

*863. **श्री वेकारिया :**

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में कोई नई भारत ईरान व्यापार वार्ता हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) : आर्थिक व्यापारिक तथा तकनीकी सहयोग हेतु भारत-ईरान संयुक्त आयोग का चतुर्थ सत्र जनवरी में नई दिल्ली में और फरवरी, 1974 में तेहरान में हुआ था। जो निष्कर्ष निकले उनकी मुख्य बातें 27 फरवरी, 1974 को सदन में विदेश कार्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य में दी गई हैं। वक्तव्य की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है।

विवरण

भारत-ईरान संयुक्त आयोग की चौथी बैठक के बारे में 22 फरवरी, 1974 को लोक सभा/राज्य सभा में विदेश मंत्री का वक्तव्य

आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग के लिए भारत-ईरान संयुक्त आयोग की चौथी बैठक में भाग लेने के लिए मैं 20 से 22 फरवरी तक ईरान में था। हमारी बैठक आज बहुत सुबह समाप्त हुई वहां से लौटकर संयुक्त आयोग में हमारे प्रतिपक्षी ईरान सरकार के अर्थमंत्री महामान्य डा० हुशांग अंसारी के साथ जो बातचीत हुई उसका निष्कर्ष मैं सदन के सामने रख रहा हूं।

2. ईरान भारत को कच्चा तेल सप्लाई करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण देश है मुझे माननीय सदस्यों को यह बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि उनके साथ हमारा एक समझौता हुआ है जिससे कि मद्रास तेल शोधनशाला की वार्षिक क्षमता को 28 लाख मे० टन से बढ़ा कर 35 लाख मे० टन किया जा सके। यह वृद्धि लगभग 25% होगी। इस वृद्धि के लिए ईरान कच्चा तेल देगा।

3. मद्रास तेल शोधन शाला के विस्तार के अलावा ईरान हमारी वर्तमान उपलभ्यता में वृद्धि के लिए पर्याप्त दीर्घावधि आधार पर अतिरिक्त कच्चा तेल देने को राजी हो गया है।

4. मुझे सदन को यह बताते हुए बहुत संतोष है कि ईरान मद्रास तेल शोधनशाला की कच्चे तेल की वर्तमान सप्लाई तथा अतिरिक्त सप्लाई के लिए वित्तीय सहायता देने को भी सहमत हो गया है ।

5. हमारे लिए अपना निर्यात बढ़ाना आवश्यक हो गया है ताकि कच्चे तेल के आयात के कारण विदेशी मुद्रा के बहुत बड़े व्यय को हम पूरा कर सके । यह तय किया गया है कि भारत ईरान को 25 लाख मी० टन प्रति वर्ष तक पेलेटन्फीड देगा । इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुद्रेमुख लौह खनिज भंडारों में खनन सुविधाओं का विकास करना आवश्यक होगा । इस परियोजना के अधीन स्लरी ले जाने के लिए एक पाइप लाइन का निर्माण किया जाना है । बड़े जहाजों के आवागमन के लिए मंगलौर बंदरगाह को विकसित करने का विचार है पेलेटाइज़ेशन की सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी ईरान लगभग 20 वर्ष तक यह सप्लाई लेता रहेगा और वह इस समस्त परियोजना के लिए 30 करोड़ अमरीकी डालर तक का ऋण देने के लिए भी तैयार हो गया है जिसकी अदायगी एक अवधि में की जाएगी और यह आशा की जाती है कि इस प्रकार जितनी विदेशी मुद्रा का अर्जन होगा उससे भारत न सिर्फ यह ऋण ही चुका देगा बल्कि निर्यात से उसे अतिरिक्त विदेशी मुद्रा की आमदनी भी होगी ।

6. इसके अतिरिक्त ईरान बाक्साइट पर आधारित अल्यूमिना के उत्पादन संबंधी परियोजना के लिए भी ऋण देने पर सहमत हो गया है । ईरान ने यह संकेत दिया है कि उसे आगामी 10 से 15 वर्षों तक हर वर्ष 100,000 टन अल्यूमिना की आवश्यकता होगी । प्रारंभिक अनुमानों से यह पता लगता है कि यह ऋण 7 करोड़ अमरीकी डालर तक का हो सकता है ।

7. मत्स्यपालन के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए एक समझौता हुआ है । यह निश्चय किया गया है कि इन प्रबंधों के अंतर्गत भारत मछली पकड़ने की नौकाएं एवं ईरानी कार्मिकों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करेगा । इस योजना के ब्यौरे भारतीय विशेषज्ञों के एक दल द्वारा जो आजकल ईरान में हैं तैयार किए जा रहे हैं ।

8. ईरान की विभिन्न वस्तुओं की तेजी से बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत की औद्योगिक क्षमता को और अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से विशेषज्ञों की एक संयुक्त समिति बनाने का निश्चय किया गया ताकि भारत के ऐसे उद्योगों का निरूपण किया जा सके जिनमें ईरान की रुचि हो सकती है और उत्पादन बढ़ाने में ईरान की सहायता का सबसे अच्छा तरीका निकाला जा सके ताकि ईरान को वस्तुओं की अतिरिक्त मात्रा उपलब्ध कराई जा सके ।

9. हम ईरान को 3 लाख टन सीमेंट और रेलों सहित 65,000 टन इस्पात उत्पाद देने को सहमत हो गए हैं । ईरान जिन अन्य वस्तुओं को लेने में रुचि रखता है, उनमें मशीनें और उपस्कर रेल के डिब्बे और अन्य इंजीनियरी सामान शामिल है इनकी उपलब्धि का शीघ्र ही पता लगाया जाएगा ।

10. अपने तेहरान प्रवास के दौरान मुझे महामहिम शहंशाह से भेंट करने का अवसर मिला तथा मैंने प्रधान मंत्री एवं वित्त मंत्री से भी विचार-विमर्श किया । मैं सदन का ध्यान विशेष कर इस ओर खींचना चाहूंगा कि शहंशाह ने भारत की वर्तमान समस्याओं के प्रति अपनी गहरी रुचि एवं समझ दारी की भावना दिखाई है । यह उनके अनवरत मार्ग-दर्शन का ही परिणाम है कि संयुक्त आयोग इन परस्पर लाभदायक एवं सफल परिणामों को प्राप्त कर सका । इन निर्णयों से दोनों ही देशों को अपने आपसी संबंधों को दृढ़ करने के अवसर मिले हैं ।

दीर्घावधि निर्यात नीति

*864. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**
श्री रघुनंदन लाल भाटिया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने सभी वस्तुओं के बारे में दीर्घावधि निर्यात नीति बनाने की वांछनीयता पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां तो क्या डालर और स्टर्लिंग क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) सरकार एक ऐसी दीर्घावधि निर्यात नीति तैयार करने की आवश्यकता के प्रति पूर्ण रूप से सजग है जिसमें सभी वस्तुओं तथा क्षेत्र आ जाएं। इस उद्देश्य को ध्यान में रख कर पांचवीं पंचवर्षीय योजना तथा उसके बाद के लिए निर्यात से संबंधित दीर्घावधि नीति तैयार करने हेतु प्रो० एस० चक्रावर्ती सदस्य योजना आयोग की अध्यक्षता में एक दल गठित किया गया है। दल अभी विमर्श कर रहा है तथा देश से सभी गंतव्य स्थानों को जिनमें डालर तथा स्टर्लिंग क्षेत्र भी शामिल है निर्यातों का विस्तार करने की वांछनीयता को तथा साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बदलती हुई अवस्थाओं को देखते हुए दल को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में कुछ और समय लगने की संभावना है।

दोहरी मूल्य नीति

*865. **श्री डी० डी० देसाई :**
श्री के० लकप्पा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चीनी तथा इस्पात की दोहरी मूल्य नीति कुछ अन्य वस्तुओं पर भी लागू करने का है;

(ख) क्या इससे चोर-बाजारी को रोकने में सहायता मिलेगी; और

(ग) यदि हां तो ऐसा निर्णय करने में विलम्ब किए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सरकार मानती है कि कुछ परिस्थितियों में दोहरी मूल्य नीति उपभोक्ता और उत्पादक दोनों के हित में होती है।

(ख) दोहरी मूल्य नीति से एक ओर तो उपभोक्ता अपनी आवश्यक जरूरतों के बड़े भाग को कम मूल्यों पर प्राप्त कर सकते हैं जबकि दूसरी ओर कम मूल्य की वस्तुओं के संबंध में उत्पादकों को होने वाला घाटा उत्पाद के उस भाग से पूरा किया जा सकता है जो खुले बाजार में बेचा जाता है। इन दोनों बातों से काले बाजार में बिक्री की गुंजाइश कम हो जायगी।

(ग) मूल्य निर्धारण के बारे में सरकार के निर्णय आमतौर पर, कृषि मूल्य आयोग, टेरिफ कमीशन औद्योगिक लागत तथा मूल्य कार्यालय अथवा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से नियुक्त समितियों जैसी विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों पर आधारित होते हैं। दोहरी मूल्य नीति के पक्ष में

दिये गये किसी भी सुझाव पर सरकार उचित रूप से ध्यान देगी। जहां तक बड़ी मात्रा में खपत वाली वस्तुओं का संबंध है, इस सवाल पर बड़ी मात्रा में खपत वाली आवश्यक वस्तुओं के बारें में नियुक्त समिति ने विचार किया होगा। इस समिति की रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

बिहार में अभावग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिये केन्द्रीय सहायता

866. **श्री एम० एम० पुरती : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य सरकार ने वर्ष 1973-74 के दौरान अभावग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिये दी गई वित्तीय सहायता को जारी रखने के लिये केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने बिहार सरकार को अब तक कुल कितनी सहायता दी और जन-जातीय क्षेत्रों में कितना राहत कार्य किया गया है?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, नहीं।

(ख) केन्द्रीय दल की सिफारिशों के आधार पर सारे राज्य में, 1973-74 में सूखा राहत कार्यों के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में 1.76 करोड़ रुपये के व्यय की अधिकतम सीमा की मंजूरी दी गयी है। फरवरी, 1974 में राज्य सरकार ने सूचना दी थी कि बाढ़ और सूखा राहत कार्यों पर 1.46 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है जिसका अलग अलग व्यौरा नहीं दिया गया था। 1973-74 में इसके बाद और कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। चूंकि जितने व्यय की सूचना दी गयी थी वह वित्त आयोग के 1.50 करोड़ रुपये के मार्जिन से कम थी इसलिये अभी तक कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी गयी है राज्य सरकार से 1973-74 में किये गये व्यय का पूरा व्यौरा प्राप्त होने के बाद केन्द्रीय सहायता निर्धारित की जायगी।

केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों द्वारा विदेशी दौरे

*867. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :**
श्री वयारल रवि :

क्या **वित्त** मंत्री केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के विदेशी दौरों के बारे में 21 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5766 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या इस बीच अपेक्षित जानकारी कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) 9 मंत्रालयों/विभागों को छोड़ कर बांकी सब मंत्रालयों/विभागों से सूचना प्राप्त हो चुकी है।

(ख) उपलब्ध सूचना के आधार पर एक विवरण सदन-पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) केन्द्र सरकार के मंत्रालयों के अवर सचिव के स्तर के ऊपर के कितने अधिकारियों ने गत तीन वर्षों में विदेशों के सरकारी दौरे किये और उन पर कुल कितना व्यय हुआ ;	अब तक उपलब्ध की गयी सूचना के अनुसार, केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों के अवर सचिव के स्तर से ऊपर के जिन अधिकारियों ने 21 दिसम्बर, 1970 से 20 दिसम्बर, 1973 के बीच की अवधि में विदेशों की यात्रा की उनकी संख्या 881 है और उन यात्राओं पर 73,10,995 रु० खर्च हुआ ।
(ख) उनमें से कितने अधिकारी एक से अधिक बार विदेश गये और प्रत्येक अधिकारी कितनी बार विदेश गया है ?	एक से अधिक बार विदेश जाने वाले अधिकारियों की संख्या नीचे दिये अनुसार 179 है :—

अधिकारियों की संख्या	वे कितनी बार विदेश गये
1	17
1	13
8	10
6	9
2	8
3	7
11	6
9	5
24	4
37	3
77	2
179	

टिप्पणी :— इन आंकड़ों में रक्षा, विदेश कार्य वाणिज्य औद्योगिक विकास, सूचना तथा प्रसारण और पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालयों, और खाद्य विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग तथा स्वस्थ्य विभाग सम्बन्धी सूचना शामिल नहीं है ।

अमरीकी सहायता पुनः आरम्भ करने के संबंध में वार्ता

***868. श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

श्री निहार लास्कर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सहायता पुनः आरम्भ करने के संबंध में भारत अमरीका वार्ता निकट भविष्य में आरम्भ होने की संभावना है ;

(ख) यदि हां तो वार्ता कब होने की सम्भावना है ; और

(ग) अमरीका इस वर्ष भारत को कितनी सहायता देने के लिये सहमत हो गया है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) सरकार इस मामले पर विचार कर रही है ।

Outstanding Amount of loan against Pakistan

*869. **Shri Jagannathrao Joshi :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the money due from Pakistan on account of pre-partition debts and since when it is due ;

(b) the amount of interest thereon and also the quantum of foreign exchange therein; and

(c) the broad features of the discussions held at the time of conclusion of the Simla Agreement and the Delhi talks for getting back the said dues from Pakistan and the promises made by Pakistan with a view to resolving the problem ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Pakistan's partition debt to India is of the order of Rs. 300 crores; the precise amount has not so far been agreed upon. Under the Partition arrangements, this debt was repayable by Pakistan in 50 annual equated instalments of principal and interest (at 2¾% per annum) commencing from the 15th August, 1952.

(b) Interest being payable by Pakistan till repayment of the debt, has been accumulating as that Government has not paid any instalment so far. The entire debt is repayable in Indian rupees.

(c) The Summit Talks at Simla in July, 1972 sought to lay down the framework for normalisation of relations between India and Pakistan. The recent Tripartite Talks between India, Pakistan and Bangla Desh at New Delhi were concerned mainly with the review of the three way repatriation process and the question of 195 Prisoners of War. It has not been possible to resume talks with Pakistan on the question of partition debt.

रूसी सहायता से औद्योगिक परियोजनाएं

*870. **श्री एन० शिवप्पा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत सहायता से नई औद्योगिक परियोजनाओं में 1974 से पूंजी लगाने का कोई विचार नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) 1974 के दौरान, सोवियत सहायता से औद्योगिक परियोजनाओं में निवेश किये जाने की परिकल्पणा की गयी है । यद्यपि, इस समय की स्थिति के अनुसार, सोवियत सहायता के मुख्य भाग का सम्बन्ध चालू योजनाओं से है तो भी नयी योजनाओं को हाथ में लिये जाने की सम्भावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता ।

ऐसी सभी परियोजनाओं के पूरे ब्यौरे कुछ देर बाद सोवियत अधिकारियों से बातचीत करने और सम्भव्यता रिपोर्टें, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, विशिष्ट मदों की सप्लाई के बारे में बातचीत करने और सम्बद्ध करारों के निष्पादन के बाद ही पता लगेगा।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पश्चिम बंगाल में पर्यटन स्थलों के विकास के लिये मंज़ूर की गई राशि

*871. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में पर्यटन स्थलों के विकास के लिये योजनावार चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कुल कितनी राशि मंज़ूर की गई थी ; और

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राज्य में पर्यटन केन्द्रों के विकास के लिये सरकार द्वारा मंज़ूर की गई योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजनी महिषी) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की जाने वाली स्कीमों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

विवरण

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में निम्नलिखित पर्यटन स्कीमें हाथ में ली गयी :—

(क): **पर्यटन विभाग :**

क्रम संख्या	स्कीम	प्रत्याशित व्यय
		रुपये
1.	दार्जिलिंग में युवा होस्टल . .	2,28,000
2.	दार्जिलिंग में वर्तमान पर्यटक लाज का विस्तार	1,49,282
3	जलदापाड़ा में फारेस्ट लाज . . .	1,06,384
4.	कलकत्ता उत्सव के आयोजन के लिये सहायतार्थ अनुदान	5,000
5.	दार्जिलिंग में दो मिन्नी बसों और जीपों की व्यवस्था	82,000
(ख) भारत पर्यटन विकास निगम		
6.	दमदम हवाई अड्डे पर एक 150 कमरों वाले होटल का निर्माण	1,47,00,000
7.	कलकत्ता में परिवहन यूनिट	7,00,000
8.	दमदम एयरपोर्ट पर शुल्क-मुक्त दुकान की स्थापना . .	65,000
	योग	1,60,35,666

क्रम संख्या 1, 2, 3, और 6 पर दी गयी स्कीमों के अंतर्गत निर्माणकार्य जारी हैं और चालू वर्ष में पूरा हो जायेगी। इनके अलावा भारत पर्यटन विकास निगम का एक व्यवहार्यता सर्वेक्षण कर लेने पर तथा धन की उपलब्धि की स्थिति में सिलीगुड़ी में एक मोटल के निर्माण का प्रस्ताव है।

सीमावर्ती क्षेत्रों में 2 रु० और 5 रु० के नोटों का प्रचलन

8246. **श्री हरिकिशोर सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-नेपाल सीमा से लगे हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में दो रुपये और पांच रुपये के जाली करेन्सी नोट प्रचलन में हैं ;

(ख) क्या सीतामढ़ी (बिहार) स्थित एक राष्ट्रीयकृत बैंक के कुछ कर्मचारी और कुछ व्यापारी इसमें अन्तर्ग्रस्त है ; और

(ग) यदि हां, तो अपराधी व्यक्तियों को दण्ड देने और स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) बिहार तथा उत्तर प्रदेश के भारत-नेपाल सीमा से लगे जिलों से पिछले तीन वर्षों के दौरान, 2 रुपये के मूल्य का एक जाली नोट और 5 रुपये के मूल्य के पांच जाली नोट चलन से पकड़े गये थे।

(ख) बिहार की राज्य सरकार से सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) जाली करेंसी ओर बैंक नोटों से सम्बन्धित अपराधों के लिए देश के कानून में पहले ही कड़ी सजा की व्यवस्था है। इन अपराधों के मामले में राज्य पुलिस के अधिकारी कार्रवाई करते हैं जो इस बारे में बराबर नजर रखते हैं और किसी भी व्यक्ति द्वारा जाली नोट छापने के सम्बन्ध में सूचना दिये जाने पर छापे मारते हैं।

Observatories in the Country

8247 **Shri Lambodar Baliyar** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the number of Observatories in the country;

(b) the locations of these Observatories and number of employees working in each of them; and

(c) how powerful these Observatories are as compared to other observatories in the world ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Dr. Sarojini Mahishi) : (a) The mumber of Observatories in the country in various disciplines is as follows :

Astronomy and Astrophysics	5
Geophysics	36
Meteorology	932

(b) The astronomical and astrophysical Observatories are located at Nainital (U.P.), Hyderabad (Andhra Pradesh), Kavalur (Tamil Nadu), Kodaikanal (Tamil Nadu), and Ootacamand (Tamil Nadu). The geophysical and meteorological observatories are distributed all over the country including some of the neighbouring islands.

The total number of staff employed in all the observatories is 1400. Besides, 677 meteorological observatories are manned by part-time staff, each employing 2 Observers and a messenger.

(c) The observatories in India are generally as powerful as other observatories in the world.

आयकर अधिकारियों के वेतन में असंगति

8248. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग में वरिष्ठ अधिकारियों को अपने से कनिष्ठ अधिकारियों की अपेक्षा कम वेतन मिलने संबंधी मामला निर्णय के लिए वित्त मंत्रालय की विभागीय परिषद् में विचाराधीन पड़ा है।

(ख) यदि हां, तो मामला कब से निर्णय के लिए विचाराधीन पड़ा है ; और

(ग) इस असंगति को दूर करने में कितना समय लगेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) वित्त मंत्रालय की विभागीय परिषद् में अक्टूबर, 1970 में यह प्रश्न उठाया गया था कि जब किसी उच्च श्रेणी लिपिक को सीधे ही आयकर निरीक्षक के रूप में पदोन्नत किया जाता है तो उसे उस व्यक्ति से कम वेतन मिलता है जो उच्च श्रेणी लिपिक ग्रेड में तो उससे कनिष्ट है किन्तु जो पहले प्रधान लिपिक के रूप में और फिर निरीक्षक के रूप में पदोन्नत किया जाता है।

(ग) इस प्रश्न की जांच करते समय कर्मचारी पक्ष ने कुछ आंकड़े पेश करने का वचन दिया था ताकि मामले पर आगे विचार हो सके। कर्मचारी पक्ष के उत्तर की अभी प्रतीक्षा है।

बंगलादेश को लुंगियों का निर्यात

8249. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग संस्था संघ ने लुंगियों के निर्यात के लिये बंगलादेश मे कोई करार किया था ;

(ख) क्या उक्त संघ ने बंगलादेश को कोई सप्लाई की है ; और

(ग) इस करार से कितनी आय हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) लुंगियों के निर्यात के लिये बंगलादेश के साथ लघु उद्योग संस्था द्वारा किये गये किसी करार की सरकार को जानकारी नहीं है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

मदन पार्क, दिल्ली में बैंक संबंधी सुविधायें प्रदान करना

8250. **श्री हरि सिंह** :
श्री पन्नालाल बारूपाल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली 110035 में रोहतक रोड पर स्थित मदन पार्क, चन्नामल पार्क, जयदेव पार्क, पंजाब गार्डन, भगवानदास नगर और अशोक पार्क एक्सटेंशन कालोनियों में किसी बैंक की कोई शाखा नहीं है यहां तक कि इन कालोनियों में कोई पोस्टल बैंक भी नहीं खोला गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार का विचार इस क्षेत्र के निवासियों की इस भारी असुविधा को कब तक दूर करने का है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) चूंकि मदन पार्क और उसके आस पास की बस्तियों में वाणिज्यिक बैंक की कोई शाखा नहीं है इसलिए उस क्षेत्र की बैंकिंग की आवश्यकताओं को राजौरी गार्डन में कार्य कर रही वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं द्वारा पूरा किया जाता है। राजौरी गार्डन मदन पार्क से दो किलोमीटर की दूरी पर है । डाक बचत बैंक सुविधाओं के लिए पावर हाउस, इन्द्रलोक और पंजाबी बाग में उप-डाक घर है ।

केरल को सहकारी क्षेत्र में कताई मिलों के लिये वित्तीय सहायता

8251. **श्री सी० जनार्दन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने सहकारी क्षेत्र में नई कताई मिलें स्थापित करने के लिये केन्द्रीय सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विद्युत करघा बुनकरों और सहकारी समितियों को ऋण

8252. **श्री मार्तन्ड सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से विद्युत करघा बुनकरों की सहकारी समितियों के लिये रिजर्व बैंक की योजना के अधीन ऋण देने का कोई अनुरोध किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) सामान्य प्रश्न विचाराधीन है ।

सरकारी कर्मचारियों को मकान बनाने के लिये ऋण देना

8253. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय कठिनाइयों के कारण गत कुछ महीनों से सरकारी कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए ऋण देना बन्द कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निर्णय से सरकारी कर्मचारियों को, विशेषकर जिन्होंने एक मुश्त कीमत देकर फ्लैट खरीदने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के पास धनराशि जमा करा रखी है, भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;

(ग) क्या सरकार ने वित्तीय वर्ष 1974-75 के आरम्भ से मकान बनाने के लिए ऋण देने पर प्रतिबंध हटा दिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या ऐसे सरकारी कर्मचारियों के संबंध में कोई छूट देने का विचार है जिनको दिल्ली विकास प्राधिकरण ने लाटरी के माध्यम से फ्लैट अलाट किए हैं और यदि निर्धारित अवधि से धनराशि जमा न करवाई गई तो उन्हें वह अवसर खोना पड़ जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) और (ख) सरकारी खर्च में किफायत करने के लिए पिछले कुछ महीनों के दौरान इस संबंध में नई वित्तीय स्वीकृतियां देना बन्द कर दिया गया था और हो सकता है कि इसके कारण सरकारी कर्मचारियों को कुछ असुविधा हुई हो।

(ग) और (घ) मकान बनाने के लिए दिए जाने वाले अग्रिम की मंजूरी पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है। पहले से जारी की गई स्वीकृतियों द्वारा दिए गए वचनों और पिछले वर्ष प्रतिबन्ध लगाते समय मंत्रालय के पास पड़े आवेदन-पत्रों को प्राथमिकता दी जायेगी। वर्ष के दौरान धनराशि के उपलब्ध होने पर नये आवेदन-पत्र मांगे जा सकते हैं। जिन सरकारी कर्मचारियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैट आंवटित किए गए हैं उनके मामले में निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा कोई अपवाद करने का प्रस्ताव नहीं है।

मध्य प्रदेश को वित्तीय सहायता

8254. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से यह अनुरोध प्राप्त हुआ है कि बाढ़ तथा सूखा राहत के लिए दी गई 55 लाख रुपये की राशि को उन जिलों पर भी व्यय करने की अनुमति दी जाए जिन जिलों में उक्त अनुदान के प्राप्त होने के बाद बाढ़ तथा सूखे की स्थिति बिगड़ी है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को वर्ष 1973 के मध्य प्रदेश के बाढ़ तथा सूखा प्रतिवेदन के अनुलग्नक सी 7 में सिंधी के जिलों तथा दस अन्य जिलों को शामिल करने की अनुमति दे दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) से (ग) मध्य प्रदेश की सरकार ने 1973-74 में सिधी तथा दस अन्य जिलों में बाढ़ राहत कार्यों से संबंधित व्यय के लिए निर्धारित की गयी 55 लाख रुपये की अधिकतम रकम का उपयोग करने के लिए केन्द्रीय सरकार से उसकी अनुमति मांगी है। इस संबंध में, केन्द्रीय दल की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

राज्य सरकारों के बजट में घाटे

8255. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1974-75 के लिए राज्य सरकारों के बजट में कुल कितना घाटा हुआ है; और

(ख) आय और व्यय के बीच के अन्तर को पूरा करने अथवा कम करने के बारे में केन्द्रीय सरकार के प्रस्तावों को प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा किस प्रकार तथा कितना लागू किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

(ख) भारत सरकार ने राज्य सरकारों को इस बारे में कोई विशेष सुझाव नहीं दिए हैं कि राज्य सरकारों के बजट किस प्रकार तैयार किये जायं। परन्तु भारत सरकार राज्य सरकारों पर इस बात के लिए जोर देती आ रही है कि वे अपने बजट में घाटा न दिखायें जो कि व्यय की वचनबद्धताओं और उपलब्ध साधनों के बीच असंतुलन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है।

विवरण

राज्यों के 1974-75 के बजटों में एक वर्ष के लेनदेन से होने वाला घाटा (—)/अधिशेष (+)

(करोड़ रुपयों में)

	घाटा (—) अधिशेष (+)
1. आन्ध्र प्रदेश .	—17.20*
2. असम .	+3.07
3. बिहार .	+18.48*
4. गुजरात .	+0.02*
5. हरियाणा .	—12.78
6. हिमाचल प्रदेश .	+0.90
7. जम्मू और कश्मीर	—8.76
8. कर्नाटक	—4.80*
9. केरल .	—1.98
10. मध्य प्रदेश	—33.84
11. महाराष्ट्र	—52.99
12. मणिपुर	+0.39*
13. मेघालय	उपलब्ध नहीं*
14. नागालैंड	+0.17*
15. उड़ीसा	—0.01*
16. पंजाब .	—19.64
17. राजस्थान	—3.77
18. तमिलनाडु	—22.97
19. त्रिपुरा .	—2.78
20. उत्तर प्रदेश	+3.94*
21. पश्चिम बंगाल	—11.76
जोड़ .	—166.31
	{ —193.28 +26.97

*लेखानुदान बजट।

टिप्पणी : उपर्युक्त आंकड़ों में अतिरिक्त जुटाये गये साधन/बजट भाषणों और बाद में घोषित किफायत संबंधी उपाय शामिल नहीं हैं।

पटसन पर निर्यात शुल्क में वृद्धि

8256. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जूट की कुछ वस्तुओं पर निर्यात शुल्क बढ़ा दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो जूट की उन वस्तुओं के नाम क्या हैं; कितना शुल्क बढ़ाया गया है; तथा किस तिथि से और इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) विदेशी बाजारों में इन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप मुख्यतः लाभ को समेट लेने के उद्देश्य से, 24 मार्च, 1974 से निम्नलिखित वस्तुओं पर निर्यात शुल्क में वृद्धि की गई थी :—

	बढ़ाया गया निर्यात शुल्क	
	से (रुपये प्रति मे० टन)	तक (रुपये प्रति मे० टन)
(क) प्रति वर्गगज $7\frac{1}{2}$ औंस अथवा उससे अधिक वजन वाला कालीन अस्तर . . .	200	650
(ख) (क) के अन्तर्गत आने वाला कालीन अस्तर	300	750
(ग) हैसियन .	200	600
(घ) बोरे	—	150

पाकिस्तान और भारत के बीच विमान सेवा

8257. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान इन्टरनेशनल एयरलाइन्स का पाकिस्तान और भारत के बीच विमान सेवा पुनः आरम्भ करने के लिए विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : **(क) और (ख)** अब तक पाकिस्तान सरकार ने दोनों देशों के बीच विमान सेवाओं का परिचालन पुनः प्रारम्भ करने के बारे में कोई संकेत नहीं दिया है।

पालम हवाई अड्डे पर सुरक्षित ढंग से विमान उतारने के लिये प्रबंध

8258. **श्री एम० कतामुत्तु** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालम हवाई अड्डे पर विमानों के सुरक्षित ढंग से उतरने की बात ध्यान में रखते हुए इन्टरनेशनल एयरपोर्टस आथोरिटि आफ इण्डिया का कोई प्रबन्ध करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मोटी रूपरेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और **(ख)** सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

ऊनी उद्योग का आधुनिकीकरण

8259. **श्री एम० कतामुत्तु** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऊनी उद्योग का आधुनिकीकरण करने के विचार से एक समिति का गठन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इसके प्रयोजन क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी. जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Implementation of development schemes chalked out under lead Bank Scheme in Madhya Pradesh

8260. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether development schemes chalked out under the Lead Bank Scheme for the selected districts of Madhya Pradesh since been implemented; and

(b) If so, the extent of progress achieved so far in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) & (b). Under the 'Lead Bank Scheme', banks having lead responsibility carry out surveys of the districts allotted to them so as to locate growth centres, identify credit gaps and secure a coordinated approach among the different financial institutions in extending banking facilities in the district. Surveys under this Scheme have already been carried out in respect of 42 out of 43 districts in Madhya Pradesh and District Level Consultative Committees have been set up in all the districts.

The Scheme has helped in the extension of banking services in rural areas and in increasing the flow of credit to small borrowers in the priority sectors. The total number of branches of all commercial banks in the State increased from 344 as on July, 1969 to 800 as at the end of Dec., 1973, while the public sector banks' outstanding credit to priority sectors in Madhya Pradesh increased from Rs. 13.6 crores as at the end of June, 1969 to Rs. 42.3 crores as at the end of June, 1973.

New Scheme by Japan for Sale of Goods by Developing Countries

8261. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether the Government of Japan have welcomed the new scheme regarding sale of foreign goods in Japan in order to encourage the developing countries including India in their efforts in this direction; and

(b) if so, the salient features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) & (b). Government are not aware of any new scheme for sale of foreign goods in Japan. However, under the Generalised Scheme of preferences, Japan has been according tariff preferences to specific products originating from developing countries including India with effect from 1st August, 1971.

Whole sale price Index for prices of cotton yarn

8262. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether according to the whole-sale price index of the Economic Adviser there is a decline in prices of cotton yarn in 1973 as compared to 1972 while the increase in the production of cotton yarn in the same period is only 2 per cent; and

(b) the reasons for the difference in the official index and the actual situation?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) The wholesale price index of Economic Adviser for cotton yarn is as under :

1972	1973	% increase
206.2	255.4	9.3

The Cotton Yarn production during same period is as under :

(Million Kgs).

1972	1973	% increase
972.3	998.2	2.6

(b) Does not arise.

Decline in Export of Leather Goods

8263. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether the export of leather goods had declined during the financial year 1972-73 as compared to that in 1971-72; and

(b) if so, the principal reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) No. Sir.

(b) Does not arise.

Arrears of Income Tax in Gujarat

8264. **Shri Hukum Chand Kachwai:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the amount of Income-tax at present due in Gujarat;

(b) the amount of Income-tax realised during the last two years; and

(c) the action proposed to be taken by Government to recover the remaining amount?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) The gross and net arrears of Income-tax, including corporation-tax, outstanding as on 31-12-1973 in the charges of Commissioners of Income-tax, Gujarat-I, II and III are as follows :—

(Rupees in crores)

Gross arrears	Net arrears
19.67	14.97

(b) The total amount of Income-tax (including Corporation-tax) realised in the charges of Commissioners of Income-tax, Gujarat, during the last two years is as under :

Financial Year	Net collection of Income-tax (In crores of rupees)
1972-73	72.91
1973-74	81.64 (Provisional)

(c) All steps provided in law, including the following, have been taken and are being taken depending upon the facts and circumstances of each case :—

(1) Levy of penalty under section 221 of the Income-tax Act, 1961 for non-payment of tax.

(2) Attachment of money due to the assessee under section 226(3).

(3) Attachment of money in courts under section 226(4).

(4) Distraint and sale of movable property under section 226(5).

(5) Issue of Recovery Certificates under section 222.

(6) Attachment/sale of movable/immovable property.

(7) Detention of assessee in Civil prison.

Items Imported from East Germany

8265. **Shri Hukum Chand Kachwari :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state the value of the goods proposed to be imported from East Germany during the financial year 1974-75 in Indian currency ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : Trade plans with East European countries are drawn up on calendar year basis. The value of goods proposed to be imported from East Germany envisaged in 1974 trade plan is of the order of Rs. 423 million.

Black Money Unearthed in Gujarat

8266. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the amount of black money recovered from Gujarat during the last two years;

(b) the number of persons against whom action was taken in this connection; and

(c) the number of persons prosecuted and of those punished during this period ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) and (b) During the years 1972-73 and 1973-74, the Commissioners of Income-tax, Gujarat authorised searches in 29 cases. As a result of these searches, unaccounted assets of the value of Rs. 14.62 lakhs were seized. Of the 29 cases, regular assessments have been completed in one case. In the remaining case, the assessment proceedings are in progress.

(c) During this period, the Commissioners of Income-tax at Gujarat launched prosecutions for concealment in 23 cases. During the same period, conviction was obtained in one case.

राजस्थान में बरामद तस्करी का माल

8267. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या **वित्त** मंत्री राजस्थान में बरामद तस्करी के माल के बारे में 30 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2904 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तस्करी के आरोप में वर्ष 1971, 1972 तथा 1973 में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में से कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया; और

(ख) कितने व्यक्तियों को न्यायालयों द्वारा दोषी ठहराया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) सूचना निम्नानुसार है :

तस्करी के आरोप में 1971, 1972 तथा 1973 में गिरफ्तार किये व्यक्तियों में से उन व्यक्तियों की संख्या जिन पर इस्तगासे की कार्यवाही की गयी :–

1971 .	6
1972 . . .	2
1973	2

न्यायालय द्वारा दण्डित किये गये व्यक्तियों की संख्या :–

1971	1
1972	–
1973	–

Invitation to Indian Traders to set up industries in Mauritius

8268. **Shri Chandulal Chandrakar :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether the Mauritius Government have made new offers to Indian traders inviting them to come to their country for doing business there;

(b) whether the Mauritius Government had made such offers in the past as well;

(c) if so, whether Government have formulated any scheme in the context of those offers; and

(d) if so, the outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) to (d) : Though no specific offers, either in the past or now, have been received from the Mauritius Government asking Indian Traders to do business there, that Government encourages setting up of joint ventures with foreign participation. Indian entrepreneurs have been availing of opportunities. Of the approved proposals for joint ventures as many as eight are being actively implemented. Requests for participation in joint ventures abroad including Mauritius are examined in accordance with the guidlines formulated by the Government. A copy of guidelines is enclosed (Annexure).

STATEMENT

General Guidelines Governing Indian Participation in Joint Overseas Industrial Ventures

(i) Normally minority participation only by Indian parties is allowed. The intention is that Indian parties should not insist on majority holdings abroad, but if the foreign party and the foreign Government are willing to accept majority Indian participation,

there would no objection. Government favours association of local parties in foreign countries; also local development banks, financial institutions and local Governments wherever feasible.

(ii) No cash remittance will be allowed except small amount required in connection with preliminary expenses fer setting up the Company abroad.

(iii) Indian participation should be in the form of Indigenous machinery, equipment, technical know-how etc. required for the new venture. Value of structurals, steel items, construction materials, components etc., are not allowed to be capitalised. However, where the vale of machinery etc. falls short to make up the necessary reasonable equity and there is need to retain Indian equity holding at a level higher than what is obtainable through export of capital goods alone, there will be no bar to consider such cases on merits for permission to include structurals, steel items and construction materials (but not components), to the extent these are required for the particular project against Indian equity.

(iv) Machinery etc. exported should be of Indian make; no second-hand or reconditioned machinery would be allowed for export against Indian investment.

(v) Normal import replenishments, as available to exporters under the import policy for registered exporters, will be allowed on exports against equity capital.

(vi) Cash assistance, if otherwise admissible, will also be allowed on exports of machinery and equipment against Indian equity subject, however, to a ceiling of 10% f.o.b. value.

(vii) Indian industrialists should as far as practicable propose a turn-key job, as this will lighten the responsibilities of the foreign investor.

(viii) Indian parties should as far as possible provide in their agreements with the foreign parties for training facilities in India to nationals of the country of investment.

स्टेट बैंक श्राफ इंडिया श्रौर रिर्जव बैंक श्राफ इंडिया के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता दिया जाना

8269. **श्री दलीप सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक श्राफ इंडिया श्रौर रिजर्व बैंक श्राफ इंडिया के कर्मचारियों को किस दर से मकान किराया भत्ता दिया जाता है;

(ख) क्या इन बैंकों के कर्मचारियों, जिन्हें बैंकों द्वारा श्रावास प्रदान नहीं किया गया है, को किराये की रसीद दिये बिना ही मकान किराया भत्ता दिया जाता है;

(ग) क्या ऐसे कर्मचारियों को श्रदा किये गये मकान किराया भत्ते को श्रायकर के प्रयोजन के लिए कुल श्राय में शामिल नहीं किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के सम्बन्ध में ऐसी ही प्रक्रिया का पालन किया जाता है; श्रौर

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों को दिये जाने वाले मकान किराये भत्ते की दरें इस प्रकार हैं:—

भारतीय स्टेट बैंक वर्कमैन कर्मचारी

	लिपिकीय और रोकड़ विभाग के कर्मचारी	अधीनस्थ कर्मचारी जहां वेतन 100 रु० मासिक से अधिक न हो	अधीनस्थ कर्मचारी जहां वेतन 100 रु० मासिक से अधिक हो
(i) विशेष स्थान . .	वेतन का 10 प्रतिशत किन्तु कम से कम 14 रु० और अधिक से अधिक 28 रु० मासिक	12 रु०	15 रु०
(ii) अर्ध विशेष स्थान	वेतन का 9 प्रतिशत किन्तु कम से कम 13 रु० और अधिक से अधिक 25 रु० मासिक	11 रु०	15 रु०
(iii) अन्य स्थान	वेतन का 8 प्रतिशत किन्तु कम से कम 12 रु० और अधिक से अधिक 22 रु० मासिक	10 रु०	12 रु०

(iv) परियोजना क्षेत्र	लिपिकीय और रोकड़ विभाग के कर्मचारी	अधीनस्थ कर्मचारी
समूह क	35 रु०	25 रु०
समूह ख	33 रु०	20 रु०
समूह ग	29 रु०	18 रु०
(v) जम्मू और कटक	10रु० मासिक की एक-समान दर पर	7रु० मासिक

पर्यवेक्षण कर्मचारी-वर्ग

मूल वेतन का 15 प्रतिशत किन्तु कम से कम 125 रुपये प्रति मास।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया

(i) श्रेणी IV (अधीनस्थ कर्मचारी) 24 रु० प्रति मास (समान दर से) सभी केन्द्रों में

(ii) श्रेणी II और III (लिपिकीय कर्मचारी)

(क) बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, नयी दिल्ली, कानपुर, अहमदाबाद, बंगलौर तथा हैदराबाद में: वेतन का 12 प्रतिशत किन्तु कम से कम 30 रु० और अधिक से अधिक 75 रु० प्रति मास;

(ख) (क) में उल्लिखित स्थानों के अतिरिक्त केन्द्रों में :

सेवा के प्रथम 9 वर्षों में 25 रु० प्रति मास (समान दर से) तथा 9 वर्ष की सेवा अवधि के पूरा होने पर 30 रु० प्रति मास (समान दर से) ।

(iii) श्रेणी I (अधिकारी) :

(क) स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के मामले में :

श्रेणी II तथा अन्य सभी अधिकारी—

(1) बम्बई, कलकत्ता, नयी दिल्ली, मद्रास : कुल वेतन का 20 प्रतिशत अगले पूरे रुपये तक किन्तु कम से कम 125 रु० और अधिक से अधिक 350 रु० प्रति मास;

(2) अन्य केन्द्रों में : वेतन का 15 प्रतिशत अगले पूरे रुपये तक। किन्तु कम से कम 125 रु० और अधिक से अधिक 350 रु० प्रति मास ।

(ख) गैर-स्थानान्तरणीय कर्मचारी—अधिकारी ग्रेड II :

वेतन का 15 प्रतिशत अगले पूरे रुपये तक किन्तु :

(i) बम्बई, कलकत्ता नयी दिल्ली और मद्रास में अधिक से अधिक 140 रुपये प्रति मास;

(ii) बंगलौर, हैदराबाद, अहमदाबाद और कानपुर में अधिक से अधिक 125 रु० प्रति मास;

(iii) अन्य केन्द्रों में अधिक से अधिक 115 रु० प्रति मास ।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) : आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (13क) तथा आयकर नियम, 1962 के नियम 2क के अनुसार सभी कर्मचारियों के मामलों में आयकर के नियमन के लिए मकान-किराये भत्ते को कुल आय में शामिल किया जाएगा।

राज्य व्यापार निगम द्वारा रबड़ की खरीद

8270. **श्री वयालार रवि :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम प्राइवेट व्यापारियों से रबड़ खरीद रहा है यद्यपि केरल रबड़ मार्केटिंग कोओपरेटिव फैडरेशन ने नियमित सप्लाई की पेशकश की थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत एक वर्ष में प्राइवेट व्यापारियों तथा फैडरेशन से कुल कितनी मात्रा में रबड़ खरीदा गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) चूंकि केरल राज्य सहकारी विपणन परिसंघ प्राकृतिक रबड़ की करारबद्ध मात्रा की सप्लाई करने में असफल रहा अतः विदेशी खरीदारों के प्रति संविदागत दायित्वों को पूरा करने के लिए।

(ग) 421 मे० टन गैर-सरकारी व्यापारियों से और 421.5 मे० टन केरल राज्य सहकारी विपणन परिसंघ से ।

हंगरी के साथ व्यापार करार

8271. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने हंगरी जनवादी गणतन्त्र के साथ हाल ही में पंचवर्षीय व्यापार करार किया है;

(ख) क्या इस व्यापार में लेन-देन रुपयों में होगा;

(ग) हंगरी से किन-किन वस्तुओं का आयात किया जायेगा तथा वहां किन-किन वस्तुओं का निर्यात किया जायेगा; और

(घ) करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : : (क) 1974 के लिए भारत-हंगरी व्यापार योजना दिसम्बर, 1973 में तैयार की गई थी। यह व्यापार योजना दोनों देशों के बीच दीर्घावधि व्यापार तथा भुगतान करार की, जो कि 1971--75 अवधि के लिये वैध है, शर्तों के अनुसार तैयार की गई थी।

(ख) जी हां।

(ग) तथा (घ) भारत से निर्यात की जाने वाली मुख्य मदें ये हैं: तेल रहित मूंगफली की खली, चाय, काफी तथा पटसन निर्मित माल जैसी परम्परागत वस्तुओं के अलावा, विभिन्न इंजीनियरी सामान, तैयार चमड़ा तथा चमड़े का सामान, वस्त्र मशीनरी, श्रृंगार तथा प्रसाधन सामग्री, रासायनिक उत्पाद तथा भेषजीय उत्पाद/हंगरी से आयात की जाने वाली मुख्य वस्तुएं ये हैं : इस्पात तथा इस्पात उत्पाद, रासायनिक पदार्थ, पूंजीगत माल तथा मशीनरी, इलैक्ट्रानिक तथा दूर संचार उद्योग के लिए कच्चा माल आदि, फोटोग्राफिक फिल्में वस्त्र मशीनरी आदि।

Recovery of counterfeit currency from a labourer of security press Hoshangabad

8272. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether counterfeit currency notes of 100-rupee denomination and currency paper were recovered from a labourer of Security Press at Hoshangabad (Madhya Pradesh) in February, 1974; and

(b) if so, the facts of the case?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh): (a) & (b) On 25th January, 1974, three counterfeit currency notes of 800-rupee denomination were seized, one from Laxmi Narayan Raikwar, a Junior Chargehand of Security Paper Mill, Hoshangabad while tendering it at a Cinema House counter and the other two from a lady in Hoshangabad town and from the Consumers Co-operative Store of the Mill each. Shri Raikwar and the lady were arrested. During investigation, police arrested one Jamnadas Chhalotre, another Chargehand of the Mill and, on interrogation, seized two such notes from the possession of one Shanti Bai on 7-2-1974. The case is still under investigation.

Prices of Essential Commodities

8273. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the monthly comparative statement in regard to the wholesale and retail price index of essential commodities for the last 12 months;

(b) the comparative figures for the last two years and the percentage increase in the present prices over the last two years;

(c) the reaction of the Reserve Bank of India thereto; and

(d) the measures being taken by the Ministry of Finance to check the price rise in order to provide relief to common man ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) & (b) Two statements are enclosed. [Pleaced in Library, See No. L. T. 6837/74].

(c) Announcing the busy season credit policy in November, 1973, the Governor, Reserve Bank of India expressed concern over the rise in prices and stated "with money supply and prices much higher than a year ago, the present outlook is one that calls for the maximum possible monetary restraint". Some of the policy measures adopted by Reserve Bank of India, in view of the unprecedented rise in prices are :

(i) The availability of bank credit has been restrained through a reduction in the loanable funds with commercial banks.

(ii) The minimum of cash balances required to be kept by banks with the Reserve Bank and the investments in assets that constitute the minimum liquidity ratio have both been increased.

(iii) Availability of Reserve Bank credit to commercial banks has been limited.

(iv) Special refinance facilities have been withdrawn and recourse to the Reserve Bank by banks is permitted on a discretionary basis, except for a small minimum quota related to the demand and time liabilities of each bank.

(v) The cost of commercial bank credit has also been increased through an increase in the minimum lending rate, except in the case of lending to certain priority categories.

(vi) Borrowings from the Reserve Bank, to the extent allowed, have been made more expensive than hitherto.

(vii) Revisions in selective credit control measures have also been made with a view to further restricting the use of bank credit for holding stocks of sensitive commodities.

(d) Apart from the above credit control measures, Government have been taking steps to reduce their expenditures, as also to resort to larger market borrowings, with a view to keep deficit financing to the minimum. Thus, a decision had been taken in August last to cut expenditures in 1973-74 by Rs. 400 crores, and a saving of Rs. 370 crores is estimated to have been effected. Market borrowings in 1973-74 came to Rs. 472 crores (net)

as against the budgeted figure of Rs. 326 crores. For 1974-75 market borrowings of Rs. 498 crores are envisaged. Deficit financing in 1974-75 is expected to be lower than last year's level of about Rs. 650 crores (RE), even after account is taken of some additional expenditure on dearness allowance to Central Government employees.

शाखा-विस्तार लागत का बैंकों की लाभप्रदता पर प्रभाव

8274. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई शाखाएं खोलने में बैंकों द्वारा आरम्भ में किये गये पूंजीगत व्यय का प्रभाव गत कुछ वर्षों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की लाभप्रदता पर पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गयी नयी शाखाओं तथा इन बैंकों के कम हो रहे लाभ की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) नयी शाखाएं खोलने के लिए बैंकों द्वारा शुरू में जो खर्च किया जाता है वह आमतौर पर फर्नीचर, फिक्स्चर और संयंत्र, आदि पर होता है और जब कभी किसी खास जगह पर बैंक को किराये पर कार्यालय के लिए भवन नहीं मिलता और बैंक नए भवन के निर्माण का फैसला कर लेता है तब इमारत बनाने पर भी खर्च होता है। ऐसी मदों पर होने वाले पूंजीगत व्यय को लाभ-हानि के खाते में जमा करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। इस पूंजीगत व्यय के अलावा बैंक प्रचार, उद्घाटन समारोहात्मक प्रोत्साहन कार्य के लिए कर्मचारियों की पहले से ही भर्ती आदि से संबंधित प्रारंभिक व्यय भी करते हैं। ये राजस्व पर प्रभारित होते हैं लेकिन ये खर्च कम से कम किये जाते हैं। देश में ऐसी जगहों पर जहां बैंक सुविधाएं नहीं हैं, और भीतरी भागों में स्थित ग्रामीण केन्द्रों तथा पिछड़े क्षेत्रों में ऋण सम्बन्धी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए नए कार्यालय खोलने का जो उद्देश्य सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सामने रखा गया है उसकी वजह से बैंकों के लिए समय-समय पर ऊपर बताया गया पूंजीगत और राजस्व व्यय करना आवश्यक होता है। बैंक की किसी भी नई शाखा को खोलने पर अधिशेष को बचाने के लिए कुछ समय लगाना आवश्यक होगा। इसलिए बैंकों के लाभ का अन्दाजा लगाने के लिए देश में शाखा विस्तार के कुल काम को ध्यान में रखना पड़ता है।

पिछले दो वर्षों अर्थात् 1972 और 1973 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा खोली गई शाखाओं जिनमें ऐसे स्थानों की शाखाएं जहां बैंक सुविधाएं नहीं हैं और ग्रामीण क्षेत्रों (अर्थात जिन क्षेत्रों की आबादी 10,000 से ज्यादा नहीं है) की शाखाएं शामिल हैं, की संख्या इस प्रकार है :—

	1972	1973
1. खोली गई शाखाओं की कुल संख्या	1392	1370
2. ऐसे क्षेत्रों में जहां बैंक सुविधाएं नहीं है, खोली गई शाखाएं .	655	485
3. ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गई शाखाएं	705	539

राष्ट्रीयकृत बैंकों के 1973 के कार्य परिणामों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इसलिए 1972 और 1973 के दो वर्षों के लिए इस अवधि में खोली गई नयी शाखाओं के लाभ की ठीक-ठीक तुलना सरकारी क्षेत्र के बैंकों में होने वालों लाभ के साथ अभी नहीं की जा सकती।

घटिया किस्म की पेटियों में चाय का निर्यात करने पर निर्यात लाइसेंस का रद्द किया जाना

8275. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड तथा केन्द्रीय सरकार ने भारतीय चाय संघ के भूतपूर्व अध्यक्ष के स्वामित्व वाली एक फर्म का निर्यात लाइसेंस आई०एस०आई० का कृत्रिम चिन्ह और बागान का जाली चिन्ह अंकित घटिया किस्म की पेटियों में चाय का निर्यात करने पर रद्द कर दिया है और यदि हां, तो तत्सम्बंधी व्यौरा क्या है ;

(ख) क्या किसी चाय संघ के अध्यक्ष के स्वामित्व वाले चाय बागान ने वर्ष 1972–73 के लिये कलकत्ता उच्च न्यायालय से केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध इस बात को दबा कर अन्तरिम नियम प्राप्त कर लिया है कि सम्बन्धित बागान ने अपने लाभ के लिये उत्पादन शुल्क जोन 3 का विकल्प किया था क्योंकि जोन 3 में मजूरी की दैनिक औसत दर प्रति श्रमिक तैंतीस पैसे कम थी और यदि हां, तो उक्त चाय बागान और इसके प्रधान मालिकों के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय चाय संघ की मान्यता समाप्त करने और चाय बोर्ड से उसका प्रतिनिधित्व समाप्त करने तथा उसे प्राप्त अन्य सुविधाएं समाप्त करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) अक्तूबर, 1971 में यह शिकायत प्राप्त होने पर कि मैसर्स के० के० आन्त्रेप्रेन्योर्स, 10 प्रिंसेस स्ट्रीट, कलकत्ता-13 द्वारा निर्यात की गई कतिपय प्रकार की चाय दूषित और बदबूदार थी । चाय बोर्ड के अध्यक्ष ने आवश्यक जांच पड़ताल के बाद चाय (वितरण तथा निर्यात) नियन्त्रण आदेश, 1957 के अधीन फर्म का निर्यात लाइसेंस रद्द कर दिया । केन्द्रीय सरकार को अपील की गई लेकिन उसने चाय बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा पास किये गये आदेश का समर्थन किया । श्री एस०के० कनोड़िया, जो के०के० आन्त्रेप्रेन्योर्स के एक साझीदार थे, वर्ष 1969–70 के लिए टी एसोसिएशन आफ इंडिया के अध्यक्ष थे ।

(ख) डागा एण्ड कं० प्राइवेट लि०, 16, हरे स्ट्रीट, कलकत्ता की एजेंसी के अन्तर्गत लांग व्यूटी एस्टेट के मालिक मैसर्स लांग व्यूटी कं० लि० ने, जिसके एक निदेशक श्री पी०के० डागा हैं जो टी एसोसिएशन आफ इंडिया के भूतपूर्व अध्यक्ष (1972–73) हैं, उत्पाद शुल्क सम्बन्धी क्षेत्रीय वर्गीकरण को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी और केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध व्यवस्था प्राप्त कर ली थी । याचिका दाताओं ने अपनी याचिका में यह नहीं बताया था कि उन्हें तराई ज़ोन से दार्जलिंग ज़ोन में उसके अपने अनुरोध पर ही स्थानान्तरित किया गया था ।

(ग) जी नहीं ।

कलकत्ता में चाय नीलाम करने वाले दलाल

8276. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता, कोचीन, गोहाटी और कुन्नूर में दलाली के आधार पर चाय नीलाम करने वाली फर्में कितनी हैं तथा उनके नाम, उनकी प्रदत्त पूंजी, गत तीन वर्षों में उनके द्वारा कमाई गई कुल दलाली, बैंक ओवरड्राफ्ट, कारोबार बढ़ाने के लिये चाय बागानों को दिये गये कुल ऋण, गैर दलाली वाले कारोबार से हुई आय और उनके द्वारा विदेशों में भेजे गये लाभ की शुद्ध राशि का व्यौरा क्या है ; और

(ख) चाय की दलाली करने वाली फर्मों के ऐसे कितने निदेशक हैं जिनका चाय बोर्ड तथा बड़े व्यावसायिक गृहों द्वारा नियंत्रित विभिन्न चाय कम्पनियों के निदेशक बोर्डों में प्रतिनिधित्व है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) चाय नीलामियां क्षेत्र के चाय व्यापारी संघ द्वारा की जाती हैं जिसकी दलाली का कार्य करने वाली फर्में भी सदस्य हैं। दलाली का कार्य करने वाली इन गैर-सरकारी फर्मों के बारे में अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है। चाय की दलाली करने वाले हितधारियों का विशेष रूप से चाय बोर्ड में प्रतिनिधित्व नहीं है।

English Wine recovered from the Godown of Kataria Transport, Indore

8277. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether the Central Government Excise Department has recovered imported whisky worth thousands of rupees from the godown of Messrs Kataria Transport at Bombay-Agra National highway at Indore (M.P.) ;

(b) if so, the number of persons arrested in this connection and the action taken in this regard so far;

(c) whether Indore city has become a smuggling centre for the last few months and Government have failed to apprehend the smugglers; and

(d) if so, the action proposed to be taken by Government to check smuggling in Indore ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) On 12th February, 1974 the godown of M/s. Kataria Transport Company at Indore situated on Bombay-Agra National highway was searched by Customs Officers of Central Excise Collectorate, Nagpur and as a result thereof 47 bottles of whisky of foreign origin valued at Rs. 8,000/- were seized. The goods were in transit from Bombay to Lucknow.

(b) No person has so far been arrested in this connection. A case has been booked against the consignor and the Transporter for contravention of the Customs Act. Further investigations in the matter are in progress.

(c) & (d) Although disposal of some smuggled goods taking place at Indore cannot be ruled out, it cannot be said that Indore has become a smuggling centre. However, preventive measures are being taken like check at Vulnerable points of higheways, railway stations and bus-stands and checking of suspected passengers and vehicles and dealers in the city.

केन्द्रीय वित्तीय संस्थान द्वारा तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण

8278. **श्री ए० के० एम० इसहाक:** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय वित्तीय संस्थान के प्रतिनिधियों के संयुक्त संस्थान अध्ययन दल ने सभी राज्यों का तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण पूरा कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण की रूपरेखा क्या है और क्या सर्वेक्षण की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) तथा (ख) : संयुक्त संस्थागत अध्ययन दलों ने, जिनमें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लि०, कृषि पुनर्वित्त निगम, भारतीय रिजर्व बैंक आदि के प्रतिनिधि शामिल थे, उन सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों का औद्योगिक सम्भावना संबंधी सर्वेक्षण किया था, जिन्हें पिछड़े क्षेत्र निर्धारित किया गया है । उनके नाम ये हैं :—आन्ध्रप्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोआ, दमन और दीव, दादर और नागर हवेली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप, मध्यप्रदेश मणिपुर, नागालैण्ड, उड़ीसा, पांडिचेरी, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ।

ये सर्वेक्षण कच्चे माल, आधारभूत सुविधाओं, विपणन सक्षमता आदि को ध्यान में रखते हुए परियोजना सम्बन्धी उन परिकल्पनाओं का, जो आने वाले 5 से 10 वर्षों में क्रियान्वित की जा सकती है पता लगाने के लिए किया गया था । अध्ययन दलों ने अब तक 245 परियोजनाएं निर्धारित की हैं जिन पर 1690 करोड़ रुपये का पूंजी परिव्यय होगा ।

अध्ययन दलों की रिपोर्ट आन्तरिक विभागीय प्रलेख हैं जो वित्तीय संस्थानों के प्रयोग के लिए होती हैं और सभा-पटल पर नहीं रखी जाती ।

दिल्ली में जैम टैस्टिग लैबोरेटरी

8279. **श्री पी० वेंकटसुब्बा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में एक जैम टैस्टिंग लेबोरेटरी स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बात क्या है ; और

(ग) इस समय मामला किस स्थिति में है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) से (ग) गत वर्ष रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद् ने दिल्ली में एक जैम टेस्टिंग लेबोरेटरी स्थापित करने के लिये एक प्रस्थापना भेजी थी परन्तु इस पर विचार किया जाना मितव्ययता के आधार पर स्थगित कर दिया गया ।

बंगलादेश को कोयले की सप्लाई

8280. **श्री राम भगत पासवान :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की कमी के कारण बंगलादेश के वायदे के अनुसार कोयले की सप्लाई में बाधा पड़ गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उपचारात्मक उपाय किये जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) न केवल देश के अन्दर कोयले की कमी के कारण बल्कि पिट-हैड से लदान के स्थानों तक ढुलाई में कठिनाइयों के कारण बंगलादेश को कोयले की सप्लाई वचनबद्धताओं की अपेक्षा कम होती रही है । कोयलें की सप्लाई बढ़ाने के विचार से नौकाओं, ट्रकों तथा रेल द्वारा ढुलाई करने के अतिरिक्त बंगलादेश द्वारा नामित जहाजों द्वारा भी कोयले की ढुलाई की व्यवस्था की जा रही है ।

कोचीन सीमा-शुल्क राजकोष में सरकारी धन का दुर्विनियोजन

8281. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोचीन सीमा-शुल्क राजकोष में सरकारी धन के गबन अथवा दुर्विनियोजन से संबंधित कोई मामला हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो सम्बद्ध खजांची के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है, उसे किस तारीख को नौकरी से मुअत्तिल किया गया, किस तारीख को आरोप-पत्र दिये गये, किस तारीख को जांच शुरू की गई और अब तक जांच समिति की कितनी बैठकें हुई हैं ;

(ग) क्या मामले पर अन्तिम निर्णय लेने में कुछ विलम्ब हुआ है और यदि हां ; तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस विलंब के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां ।

(ख) संबंधित खजांची को 23 अक्तूबर 1969 से निलंबित कर दिया गया, 4 अगस्त 1972 को आरोप पत्र जारी किया गया और उसे 18 मार्च 1974 को पुन: जारी करना पड़ा ; 25 अगस्त 1972 को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया । उसने तीन बार जांच की तारीख निर्धारित की ।

(ग) तथा (घ) मामले की जांच की जा रही है और सूचना यथासंभव शीघ्र सदन-पटल पर रखी जायेगी ।

राजकोट के निकट तस्करी की वस्तुओं का पकड़ा जाना

8282. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमाशुल्क अधिकारियों ने 19 फरवरी, 1974 को गुजरात में राजकोट के निकट भारी मात्रा में तस्करी की वस्तुओं का पता लगाया था ;

(ख) पकड़ी गई निषिद्ध वस्तुओं का व्यौरा क्या है ; और

(ग) अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) सीमाशुल्क प्रभाग के अधिकारियों ने 19 फरवरी, 1974 को राजकोट के नजदीक एक ट्रक पकड़ा जिसमें 3 लाख रु० मूल्य की देशी सूती छपी हुई साड़ियों की 47 गांठों के नीचे छिपी हुई 5 लाख रु० मूल्य के विदेशी मूल के संश्लिष्ट कपड़े की 31 गांठे पाई गयी । लगभग 55,000 रु० मूल्य के ट्रक सहित ये सारा माल जब्त कर लिया गया ।

(ग) इस संबंध में अभी तक 4 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं जिनको बाद में मजिस्ट्रेट ने जमानत पर छोड़ दिया । आगे जांच-पड़ताल चल रही है ।

Twenty Rupee Note found bearing two numbers

8283. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state ;

(a) whether Government are aware that a 20-rupee note bearing two numbers viz. B 272444 and B 271444 is in possession of a trader of Indore; and

(b) if so, the reasons for printing such notes ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) & (b) The information is being collected from the General Manager, India Security Press, Nasik Road, and will be laid on the table of the House as soon as possible.

पी० एल० 480 करार के अन्तर्गत अमरीका द्वारा की जाने वाली खरीद

8284. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका सरकार ने उन 30 वस्तुओं की एक सूची भेजी थी जिन्हें वह पी०एल० 480 करार के अन्तर्गत खरीदना चाहेगा ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) माननीय सदस्य का ध्यान 19-4-1974 को उनके द्वारा पूछे गये इसी प्रकार के प्रश्न संख्या 7480 के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है ।

राष्ट्रीय कृषि-उद्योग निगम, दिल्ली के कार्यकारी निदेशक द्वारा कर-अपवंचन करने के बारे में शिकायत

8285. **श्री पन्नालाल बारुपाल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि उद्योग निगम, दिल्ली के कार्यकारी निदेशक द्वारा आयकर का अपवंचन करने के बारे में प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष और आयकर आयुक्त, नई दिल्ली को शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि का अपवंचन करने का आरोप लगाया गया है और शिकायतों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) कर-अपवंचन का पता लगाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं और अगर कोई जांच-पड़ताल की गई है, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां ।

(ख) आरोपों का सारांश यह है कि श्री श्रीराम सूरी ने, जो राष्ट्रीय कृषि-उद्योग निगम के कार्यकारी अध्यक्ष थे, कुछ गुप्त लेन-देनों के माध्यम से बहुत अधिक लाभ कमाया था जिसे आयकर विभाग को प्रकट नहीं किया गया और यह कि उन्होंने अपने संबंधियों के नामों तथा बेनामियों से बहुत सी सम्पतियां तथा सावधिक जमा अर्जित की थी । शिकायत-कर्ता ने कुछ लेन-देनों के ब्यौरे दिये थे किन्तु कुल कितनी रकम पर कर की चोरी की गई, इस बारे में कोई विशिष्ट सूचना नहीं दी थी ।

(ग) श्री श्रीराम सूरी और साथ ही राष्ट्रीय कृषि-उद्योग निगम को, कर-निर्धारण वर्ष 1970–71 से 1973–74 तक की आय की विवरणी भरने और खाता-बहियों तथा दस्तावेजों को पेश करने के लिए आयकर अधिनियम के अन्तर्गत सांविधिक नोटिस जारी किये गये हैं । राष्ट्रीय कृषि-उद्योग निगम की खाता-बहियां तथा दस्तावेज केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कब्जे में हैं । आयकर विभाग, केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कब्जे में पड़े दस्तावेजों की जांच करने और आवश्यक जांच-पड़ताल करने के बाद कर-निर्धारणों को अन्तिम रूप देने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर रहा है । जांच-पड़ताल पूरी हो जाने के बाद, कानून सम्मत कार्यवाही की जायगी ।

नई दिल्ली में हुई इकाफे की बैठक

8286. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :**
श्री धामनकर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र के एशिया तथा सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग की बैठक 27 मार्च, 1974 को नई दिल्ली में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया ; और

(ग) उसमें क्या क्या निर्णय किये गये ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) एशिया तथा सुदूरपूर्व हेतु आर्थिक आयोग (इकाफे) का 30वां सत्र 27 मार्च से 6 अप्रैल, 1974 तक कोलम्बो (श्रीलंका) में आयोजित किया गया था ।

(ख) सत्र हेतु कार्य सूची संलग्न है (अनुबन्ध-1) । **[ग्रंथालय मे रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 6838/74]

(ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें संकल्पों तथा अधिक महत्वपूर्ण निष्कर्षों, विनिश्चयों तथा सिफारिशों में से कुछ के सारांश दिये गये हैं (अनुबन्ध–2) । **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 6838/74]

फलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये योजना

8287. **श्री धामनकर :**
श्री एम० कतामुतु :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केला, सेब, आम, नींबू फल और प्याज तथा अन्य वस्तुओं जैसे फलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये योजना बनाने हेतु दिल्ली में बागवानी विकास परिषद् की कोई बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस बैठक का क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) इस परिषद ने मुख्य रूप से निर्यात प्रयोजनों के लिये केन्द्र द्वारा प्रायोजित बागवानी विकास सम्बन्धी कुछ योजनाओं को पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वित करने की सिफारिश की है।

तूफान की चेतावनी देने की व्यवस्था तथा सामुद्रिक बचाव उपाय

8288. **श्री पी० गंगादेव** :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तूफान की चेतावनी देने की व्यवस्था और सामुद्रिक बचाव उपायों में सुधार करने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजनी महिषी) : (क) और (ख) जी, हां। पूर्वी तट पर कलकत्ता, परादीप, विशाखापत्तनम् और मद्रास में चार तूफान चेतावनी राडारों की स्थापना करके तूफान चेतावनी प्रणाली के सुधार के उपाय किये गये हैं। पूर्वी तट पर मसुलीपत्तनम् तथा कराइकल में, तथा पश्चिमी तट पर बम्बई और गोआ में चार और ऐसे राडारों की स्थापना का प्रस्ताव है। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास तूफान चेतावनी केन्द्रों पर उपग्रह मानीटरिंग स्टेशन स्थापित कर दिये गये हैं। इन आधुनिक वैज्ञानिक साधनों की सहायता से समुद्र में जलपोतों को तथा तटवर्तीय क्षेत्रों में जनता को अधिक सही चेतावनियां जारी करना संभव हो सकेगा।

तटवर्ती क्षेत्रों में समस्त हवाई/समुद्री खोज और बचाव अभियान वायुसेना के निदेश में उनके विमानों के द्वारा, नागर विमानन विभाग के नियंत्रणाधीन विमानों के द्वारा, आस-पास के क्षेत्र में मौजूद भारतीय नौसेना एवं वाणिज्यिक जलपोतों द्वारा किया जाता है।

लघु आयोजकों को सहायता देने के लिए सलाहकार परिषद्

8289. **श्री के० मालन्ना** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि पुनर्वित्त निगम ने लघु आयोजकों की सहायता करने के विचार से एक सलाहकार परिषद् का गठन करने का निर्णय किया था;

(ख) क्या चाय उद्योग के लिए वित्त विषयक कार्यकारी दल की सिफारिशें भी स्वीकार कर ली गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं और क्या उन्हें सभी बागान फैसलों पर लागू किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) सम्भवतः संकेत लघु पौधा उत्पादकों की ओर है।

जी हां, कृषि पुनर्वित्त निगम ने एक अनौपचारिक सलाहकार समिति की स्थापना की है जिसमें वस्तु बोर्डों, भारत सरकार, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकारों, वाणिज्यिक बैंक, भूमि विकास बैंक और यूनाइटेड प्लान्टर्स ऐसोसियेसन आफ सदर्न इण्डिया जैसे गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि हैं। अन्य क्षेत्रों के लिए भी निगम का ऐसे ही एकक स्थापित करने का विचार है।

(ख) और (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सितम्बर, 1971 में चाय उद्योग के लिए स्थापित कार्यकारी दल की कृषि पुनर्वित्त निगम से संबंधित प्रमुख सिफारिशें और उन पर की गयी कार्रवाई इस प्रकार है :—

(1) कार्यकारी दल ने यह सिफारिश की थी कि उन पार्टियों के लिए सहायता संघ की व्यवस्था की जाए जिन्हें विभिन्न प्रकार के ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं की प्रतिभूति संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में कठिनाई महसूस हो रही हो। चाय बागान सभी उधार देने वाली ऐसी संस्थाओं के लिए, जो सावधि वित्त देती हैं और समरूप आधार पर कार्यकारी वित्त प्रदान करती हैं, समुचित बंधक के रूप में सामूहिक प्रतिभूति हों। जहां भाग लेने वाली संस्थाओं में से एक पुनर्वित्त के लिए हकदार न हो वहां कृषि पुनर्वित्त निगम को उस संस्था के साथ प्रतिभूति देने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

कृषि पुनर्वित्त निगम ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है। इसने नीति के रूप में यह निश्चय किया है कि वह लाइसेंस शुदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को दिये गये पुनर्वित्त के लिए, प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर, किसी प्रतिभूति पर जोर नहीं देगा। यह रियायत चाय बागान को भी प्राप्त होगी।

(2) कृषि पुनर्वित्त निगम को उसके द्वारा दिये गये विकास ऋणों के 80 से 90 प्रतिशत तक और उचित मामलों में 100 प्रतिशत तक भी पुनर्वित्त प्रदान करना चाहिए। राज्य वित्त निगमों को भी कृषि पुनर्वित्त निगम से पुनर्वित्त सहायता पाने का हकदार बनाया जा ससता है।

हाल में ही, निगम ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में काम करने वाली सभी हकदार संस्थाओं को यह सूचित किया था कि वह बागान सहित सभी कृषि योजनाओं के संबंध में 90 प्रतिशत तक पुनर्वित्त सहायता प्रदान करेंगी।

जहां तक राज्य वित्त निगमों द्वारा कृषि पुनर्वित्त निगम से पुनर्वित्त प्राप्त करने की हकदारी का सम्बन्ध है, इन निगमों को कृषि पुनर्वित्त निगम से पुनर्वित्त प्राप्त करने के लिए हकदार बनाना, जैसा कि कार्यकारी दल ने सुझाव दिया था, जरूरी नहीं समझा गया।

(3) कृषि पुनर्वित्त निगम के बारे में दी गयी संबंधित अन्य सिफारिशों का सम्बन्ध उत्पादनपूर्व अवधि के लिए सावधि ऋण और मूल रकम की वापसी के लिए दी जाने वाली छूट की अवधियों से है।

निगम ने ये सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और वस्तुतः निगम योजना की जांच करके उसकी आर्थिक सम्भावनाओं के आधार पर वापसी अदायगी की अवधि निश्चित करता है और इसमें वह उत्पादन-पूर्व अवधि का उचित ध्यान रखता है।

जहां तक इन सिफारिशों को बागान की अन्य सभी फसलों पर लागू करने का सम्बन्ध है, निगम दूसरी बागान योजनाओं के सम्बन्ध में इसी प्रकार का रुख अपनाता रहा है किन्तु निगम द्वारा दी जाने वाली स्वीकृतियों की शर्तें अलग-अलग होती हैं और वे इस बात पर निर्भर करती हैं कि किस प्रकार के बागान विकसित करने का प्रस्ताव है और उसमें उत्पादन होने से पूर्व कितना समय लगेगा।

यूरिया, जिंक, साधारण इस्पात बिलेट्स तथा एन्ट्रेसाइट मेगनेसिया क्लिंकर की सप्लाई के बारे में उत्तर कोरिया के साथ समझौता

8290. **श्री के० मालन्ना :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर कोरिया ने चालू वर्ष में भारत को यूरिया, जिंक जैसी कुछ महत्वपूर्ण अलौह वस्तुओं, साधारण इस्पात बिलेट्स और एन्ट्रेसाइट मैगनेसिया क्लिंकर की सप्लाई करना स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं और कितना यूरिया आयात किया जायेगा तथा इसका मूल्य क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) ; (क) जी हां।

(ख) भारत और कोरिया लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य के बीच हुए वर्ष 1974 के व्यापार संलेख में 26 करोड़ रु० की राशि के वार्षिक व्यापार की व्यवस्था की गई है।

इस संलेख के अनुसार कोरिया लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य को होने वाले भारत के मुख्य निर्यातों में वस्त्र, पटसन-निर्मित माल, चमड़ा, मेंगनीज अयस्क, एच० पी० एस०, मूंगफली, गर्म मसाले, तार-रस्से वालबेयरिंग्स, टायर और ट्यूबें, रसायन सामग्री आदि शामिल हैं।

कोरिया लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य से आयात की जाने वाली प्रमुख मदें उर्वरक, इस्पात उत्पाद, अलौह धातुएं, विभिन्न रसायन-सामग्रियां, मैगनिशिया क्लिंलकर, ताप-सह इंटें आदि हैं।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा की गई संविदा के अनुसार कोरिया लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर 20,000 मे० टन यूरिया सप्लाई करेगा। सुपुर्दगी समय-सारणी के अनुसार 10,000 मे० टन जुलाई-सितम्बर, 1974 के दौरान सप्लाई किया जायेगा और शेष अक्तूबर-दिसम्बर, 1974 के दौरान सप्लाई किया जायेगा।

नेपाल द्वारा विदेशी निर्यातकर्ताओं पर लगाये गये प्रतिबन्ध

8291. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल सरकार के साथ नेपाल में विदेशी निर्यातकर्ताओं पर लगाये गये प्रतिबन्धों के बारे में कोई बातचीत हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) विदेशी फर्मों पर नेपाल सरकार द्वारा लगाई गई रोक से सम्बन्धित विषय पर 26 दिसम्बर, 1973 से 4 जनवरी, 1974 तक नई दिल्ली में हुई भारत-नेपाल संयुक्त पुनर्विलोकन समिति की बैठक में विचार-विमर्श हुआ था। नेपाली प्रतिनिधिमण्डल

ने बताया कि नेपाल की पांच की सरकार नेपाल के विदेश व्यापार को पुनः उन्नतशील बनाने तथा संस्थागत बनाने के उद्देश्य से नेशनल ट्रेडिंग लि० के माध्यम से कच्चे पटसन के निर्यात का मार्गीकरण करने तथा वस्तु विनिमय व्यापार को अपने हाथ में लेने जैसे कदम उठा रही है। तृतीय देशों के साथ व्यापार में विदेशी फर्मों द्वारा भाग लेने पर प्रतिबन्ध लगाने का मूल उद्देश्य नेपाल के औद्योगीकरण में विदेशी विनियोजन तथा सहयोग को और अधिक प्रोत्साहन देना था। नेपाली प्रतिनिधिमंडल ने पुनः पुष्टि की है कि नये विनियमों से भारत तथा नेपाल के बीच पारस्परिक व्यापार पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता।

पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में उत्पादन में गिरावट

8292. **श्री हाजी लुतफल हक : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष उत्पादन में हुई कमी के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो अनुमान का ब्यौरा क्या है और अब तक कारखाना-वार क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल स्थित केन्द्रीय सरकार के निर्माणकारी एककों का वर्ष 1970-71, 1971-72 और 1972-73 का उनकी क्षमता के मुकाबले वास्तविक उत्पादन विवरण में दिया गया है।

इन एककों के कार्यचालन में सुधार करने के लिए उठाये गये महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं:—

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड और हिन्दुस्तान कैबल्स लिमिटेड

सरकारी उद्यमों पर कार्रवाई समिति ने माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड और हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड की जांच की थी तथा और बातों के साथ साथ संगठन सबंधी परिवर्तन, मुख्य पदों को भरे जाने, उत्पादन संबंधी आयोजन और कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने, औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार करने की सिफारिश की थी। इन सिफारिशों को विभिन्न चरणों में क्रियान्वित किया जा रहा है। सरकारी उद्यमों पर कार्रवाई समिति द्वारा इसी प्रकार की जांच दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के सम्बन्ध में भी की गयी है और समिति की रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

नेशनल इंस्ट्रूमेण्ट्स लिमिटेड :

इस कम्पनी ने अपने विविधीकरण/विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत सुरक्षा सम्बन्धी अत्यंत आधुनिकतम उपकरणों का उत्पादन करना शुरू किया है। कम्पनी की आर्थिक सक्षमता में सुधार करने के लिये जिन अन्य मदों का उत्पादन शुरू किया गया है वे इस प्रकार हैं:—

(1) आप्टिक थियोडोलाइट, और

(2) पैसिव आई० आर० डिवाइसेज

गार्डनरीच वर्कशाप लिमिटेड

इस कम्पनी के उत्पादन के मूल्य में 1971-72 तक वृद्धि होती रही। 1972-73 में उच्च वर्ग की इस्पात की ढलवां वस्तुओं जैसी आयातित मदों की कमी मशीनी सुविधाओं और बिजली की कमी के कारण कम्पनी को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । कम्पनी ने रोड रोलर, समुद्री जहाजों के डीजल के इंजनों का निर्माण करने और ढलाई-घर स्थापित करने के लिए विभिन्न विविध कार्यक्रम शुरू किये हैं जिससे इसकी क्षमता का अधिक उपयोग हो सकेगा।

भारत आप्थाल्मिक ग्लास लिमिटेड :

इस एकक की जांच करने के लिए सरकार ने एक तकनीकी आर्थिक समिति बनायी थी ताकि इसे आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिये वह समिति उपायों का सुझाव दे सके। समिति ने दो पोट आ-चेंज स्थापित करने और ब्लैंक्स के उत्पादन में सुधार करने के लिये मतत प्रक्रिया प्रौद्योगिकी अपनाने की भी सिफारिश की थी। इन सिफारिशों को लागू करने के लिये कार्रवाई की जा रही है। जहां तक लैंस विभाग का सम्बन्ध है, समिति ने इसे बन्द करने की सिफारिश की थी। इस पर विचार किया जा रहा है।

विवरण

पश्चिम बंगाल में स्थित सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का एककों के अनुसार उत्पादन

क्रम संख्या	एकक का नाम	संस्थापित क्षमता	उत्पादन		
			1970-71	1971-72	1972-73
1	2	3	4	5	6
1.	**हिन्दुस्तान स्टील लि०**				
	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (हजार मैट्रिक टन)	1600	634	700	723
2.	**माईनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि० दुर्गापुर** .	45,000 मैट्रिक टन	7742	11991	15446
3.	**हिन्दुस्तान केबल्स लि० रूपनारायणपुर**				
	(i) ड्राई कोर केबल . .	8,00,000 सी० के० एम०	515335	389335	468754
	(ii) कोएक्सियल केबल . .	4,000 टी० के० एम०	973	1142	1949
	(iii) प्लास्टिक तार और केबल	1,25,000 सी० के० एम०	26309	33762	45463

1	2	3	4	5	6
4.	**नेशनल इंस्ट्रूमेण्ट्स लि०**				
	जादवपुर				
	(उत्पादन का कुल मूल्य लाख रुपयों में)	--	60.7	89.4	106.32
5.	**गार्डनरीच वर्कशाप लि० कलकत्ता**				
	(लाख रुपयों में)				
	(i) जहाज निर्माण	--	560	598	539
	(ii) जहाजों की मरम्मत	--	209	251	241
	(iii) सामान्य इंजीनियरी	--	491	649	694
	(iv) उत्पादन का कुल मूल्य	--	1473	1701	1883
6.	**इण्डियन आयल कारपोरेशन लि०**				
	स्थित तेल साफ करने का कारखाना				
	(दस लाख मैट्रिक टन)	2.5	(इसमें 1974 में उत्पादन शुरू होने की सम्भावना है)		
7.	**फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०**				
	दुर्गापुर एकक	--	(इसे परीक्षण के तौर पर चलाया जा रहा है।)		
8.	**भारत औप्थाल्मिक ग्लास लि०**				
	दुर्गापुर				
	(उत्पादन का मूल्य लाख रुपयों में)				
	(i) ब्लेक्स (मेट्रिक टन)	300.00	15.93	26.63	62.60
	(ii) लैंस (लाख में)	103.00	1.16	2.20	5.06
9.	**मोडर्न बैकरीज लि० कलकत्ता**				
	(संख्या दस लाख रोटियों में)	100	57	86	106

तन्जानिया में संयंत्रों की स्थापना के लिये भारतीय फर्मों तथा तन्जानिया के बीच समझौता

8293. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तन्जानियां की राष्ट्रीय विकास परिषद् ने वहां पर संयंत्रों की स्थापना करने के लिये एटलस साइकिल (सोनीपत) और मुकन्द आयरन एण्ड स्टील वर्क्स, बम्बई के साथ सहयोग समझौते किये हैं;

(ख) क्या सरकार ने एशियाई और अफ्रीकी देशों को सहयोग की सम्भावनाओं के क्षेत्रों का पता लगाने में सहायता देने हेतु कोई मशीनरी अथवा तन्त्र बनाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) एटलस साइकल्स (सोनीपत) ने बाइसिकल एकक स्थापित करने के लिये तकनीकी जानकारी तथा सेवाओं की सप्लाई करने हेतु तंजानिया के एक राज्य उपक्रम राष्ट्रीय विकास निगम के सहायक निगम के साथ एक करार किया है। मुकन्द आयरन एण्ड स्टील वर्क्स लि०, बम्बई ने राष्ट्रीय विकास निगम, तंजानिया के सहायक निगम के सहयोग से तंजानिया में एक मिनी-इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिये एक संयुक्त उद्यम का प्रस्ताव किया है जिसके लिये सहयोग पक्षों ने करार का मसौदा तैयार कर लिया है।

(ख) तथा (ग) सहयोग के क्षेत्र में व्यापारियों के प्रतिनिधिमण्डल के दौरों, निर्यात संवर्धन निकायों द्वारा किये जाने वाले बाजार अध्ययनों तथा व्यापार के अवसरों के बारे में विदेशों में भारतीय मिशनों से समय-समय पर प्राप्त रिपोर्टों के फलस्वरूप अभिज्ञान किये जाते हैं।

भारत और गियाना के बीच कारखानों की स्थापना के बारे में समझौता

8294. **श्री राजदेव सिंह : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और गुयाना में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के बीच सहयोग के साथ कैरबियन और लेटिन अमरीकी देशों में बेचने के लिये सामान का उत्पादन करने हेतु कारखानों की स्थापना करने के लिये अनेक समझौते किये गये हैं और बातचीत की गई है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं और इन समझौतों और बातचीत में गैर-सरकारी क्षेत्र के किन उद्योगपतियों ने भाग लिया;

(ग) क्या इन प्रबन्धों का हमारे विदेश व्यापार पर कोई प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) हालांकि अभी तक किसी औपचरित करार पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं लेकिन गुयाना में सीमेंट का कारखाना और मिश्रित वस्त्रों की कपड़ा मिल की स्थापना के सम्बन्ध में गुयाना सरकार तथा मैसर्स टाटा एक्सपोर्टस लिमिटेड के बीच बातचीत चल रही है। ऐसी संभावना है कि भारत उस कारखाने और मिल के लिए आस्थगित भुगतान के आधार पर मशीनरी तथा तकनीकी जानकारी देगा। गुयाना सरकार ने सीमेंट के कारखाने के बारे में संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए एसोसिएटिड सीमेंट कम्पनी आफ इन्डिया को नियुक्त किया है और उस संगठन का एक अध्ययन दल गुयाना सरकार के खर्चे पर गुयाना जा चुका है। कपड़े मिल के बारे में संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए मई के मध्य में वोल्टास द्वारा टीम भेजी जायेगी। गुयाना सरकार भारतीय सहयोग से चमड़ा उद्योग की स्थापना पर भी विचार कर रही है। इसके बारे में एक तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा संभाव्यता रिपोर्ट तैयार की गई है जिसे भारत सरकार ने भेजा था।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राज्य व्यापार निगम द्वारा वर्ष 1972-73 के दौरान अदा किया गया विलम्ब शुल्क (डेमरेज)

8295. **श्री आर० एन० बर्मन : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम को वर्ष 1972-73 में विभिन्न पत्तनों से विभिन्न वस्तुएं उठाने में विलम्ब के कारण कुल कितना विलम्ब-शुल्क (डेमरेज) अदा करना पड़ा; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 2.78 लाख रु०।

(ख) राज्य व्यापार निगम को, विदेशी संभरकों/बैंकों से देर से दस्तावेज़, मिलने, पत्तनों पर श्रमिक आन्दोलनों/हड़तालों तथा क्षतिग्रस्त वस्तुओं की पुनः पैकिंग तथा सर्वेक्षण करने के कारण विलम्ब शुल्क देना पड़ा।

Export target of Glass and Glassware units

8296. **Dr. Laxmi Narayan Pandeya :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether the export target of Glass and Glassware units for the year 1973-74 has fallen short of the estimated targets; and

(b) the export target of glass and glassware fixed for the year 1974-75 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) The exports of Glass and Glassware during 1973-74 (April-October, 1973 upto which the figures are available) have increased as compared with the corresponding period of the last year. It is expected that the target of Rs. 400 lakhs fixed for the year 1973-74 is likely to be achieved.

(b) The tentative export target for glass and glassware for the year 1974-75 has been suggested at Rs. 440 lakhs.

खालों और चमड़े पर निर्यात शुल्क

8297. **श्री जगननाथ मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खालों, चमड़े और चर्म परिष्कृत, अपरिष्कृत पर निर्यात शुल्क का संशोधन किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इसमें सांप की खालों और चर्म-निर्मित वस्तुओं को भी सम्मिलित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) अर्द्ध-प्रक्रियागत खालों तथा चर्म पर, जिनमें सांप का चर्म शामिल नहीं है, निर्यात शुल्क की दर 1 जनवरी, 1974 से 10 प्रतिशत मूल्यानुसार से बढ़ाकर 20 प्रतिशत मूल्यानुसार कर दी गई।

(ग) सांप के चर्म पर निर्यात शुल्क की प्रभावी दर 10 प्रतिशत मूल्यानुसार ही चल रही है। चमड़े के निर्माण पर कोई निर्यात शुल्क नहीं है।

धागे के संबंध में स्वेच्छिक मूल्य नियंत्रण और वितरण संबंधी योजना

8299. **श्री राम सहाय पांडे :**
श्री एम० सुदर्शनम :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने धागे के सम्बन्ध में "स्वैच्छिक मूल्य नियंत्रण और वितरण की योजना" तैयार की है जो मिलों और व्यापार द्वारा प्रवर्तित की जानी है; और

(ख) यदि हां तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) इंडियन काटन मिल्स फैडरेशन ने वस्त्र आयुक्त से परामर्श करके यार्न की कीमतों को बढ़ने से रोकने और अनुशासन बनाये रखने के लिये एक स्कीम तैयार की है। फैडरेशन द्वारा मिलों को हिदायतें दी गई हैं कि वे सभी काउन्टरों और रूपों के सम्बन्ध में 28 मार्च, 1974 को चल रही कीमतें मई, 1974 तक चलने दें। मिलें राज्य सरकारों के नामांकितों, शीर्ष सहकारी समितियों और हथकरघा/पावर करघा निगमों को सीधे यार्न देंगी। फैडरेशन ऐसे क्षेत्रों में समय-समय पर तत्काल माल भेजने की व्यवस्था करने के लिये भी सहमत हो गई है जहां माल की कमी पैदा हो जाती है। फैडरेशन इस बात के लिये भी सहमत है कि मिलें या मिलों के ग्रुप अकेले या अपनी क्षेत्रीय एसोसियेशनों के माध्यम से अधिसंख्य हथकरघों वाले महत्वपूर्ण केन्द्रों में डिपो खोलने की कोशिश करेंगी।

सरकारी क्षेत्र में रिक्त पदों को भरने के लिए बोर्ड

8300. **श्री प्रबोध चन्द्र :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उच्च-स्तर के रिक्त पदों को भरने के लिये उच्चस्तरीय चयन बोर्ड गठित किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बोर्ड के सदस्य कौन-कौन हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) विभिन्न श्रेणियों में उच्च पदों पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की सूची बनाने के काम 1970 से एक उच्चस्तरीय चयन बोर्ड कर रहा है। इस बोर्ड में 4 मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा भारत सरकार के 4 सचिव शामिल हैं। सरकार ने सूची बनाने के कार्य को अब बन्द कर देने तथा इस चयन बोर्ड का पुनर्गठन करने का निश्चय किया है। परन्तु नये बोर्ड का अभी गठन नहीं किया गया है। इस दौरान विशिष्ट उच्च पदों पर काम करने के लिये व्यक्तियों का चुनाव करने के लिये मौजूदा उच्चस्तरीय बोर्ड का उपयोग किया जाता रहेगा।

उड़ीसा में कपड़ा उद्योग

8301. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उड़ीसा में अधिक कपड़ा उद्योगों के लिये क्षमता है और यदि हां, तो किन-किन जिलों में नये कारखाने लगाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : किसी राज्य में नये वस्त्र एककों की स्थापना की संभाव्यता का आकलन संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। संघ सरकार उड़ीसा के मामले में इस प्रकार के किसी आकलन से अवगत नहीं है। हाल ही में कोरापुट जिले के रायगोडा में 25000 तकुओं के नये कताई एकक की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। उस राज्य में सूती वस्त्र मिल की स्थापना के लिये कोई अन्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों द्वारा विदेशों के दौरे

8302. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा अपने अधिकारियों को विदेशों में दौरों पर भेजने सम्बन्धी नीति क्या है;

(ख) क्या 1973 की अन्तिम तिमाही में अधिकारियों के एक दल को विदेश भेजा गया था और वे न केवल अपनी पत्नियों को अपितु अपने बच्चों को भी साथ ले गये थे;

(ग) यदि हां, तो अधिकारियों के साथ उनके परिवार तथा बच्चों के विदेशों में जाने से क्या सरकारी प्रयोजन सिद्ध हुआ और उनके दौरों की स्वीकृति किसने दी; और

(घ) सरकार का इस प्रकार के बेकार के खर्च को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम अपने अधिकारियों को विदेश यात्रा पर मुख्यतया निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये भेजता है:—

(i) यात्रा व्यवसाय, सम्मेलनों, बैठकों, गोष्ठियों, और परिसम्मेलनों में भाग लेने के लिये;

(ii) सरकारी यात्रा संगठनों के अन्तर्राष्ट्रीय संघ अथवा इसी प्रकार के किन्हीं अन्य अभिकरणों द्वारा आयोजित किये गये प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिये; और

(iii) अध्ययन/बिक्री वर्धन/वर्तमान होटलों अथवा नई प्रायोजनाओं के लिये उपस्कर के चुनाव के लिये।

(ख) से (घ) 1973 की अन्तिम तिमाही में दो अधिकारी विदेश भेजे गये थे। उनमें से किसी के साथ भी उनकी पत्नी अथवा बच्चे नहीं गये थे।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के मुख्यालय भवन का निर्माण

8303. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम ने अपने मुख्यालय के लिये दिल्ली में कई स्थानों पर अत्यधिक किराये पर बहुत से भवन ले रखे हैं;

(ख) क्या मुख्यालय के अनेक स्थानों पर बंटवारे के कारण कर्मचारियों में अदक्षता आती है और निगम के सुचारु कार्यकरण में रुकावट आती है;

(ग) यदि हां, तो भारतीय पर्यटन विकास निगम ने अब तक अपने मुख्यालय को दिल्ली में एक केन्द्रीय स्थान पर केंद्रित करने की दिशा में क्या कार्यवाही की है; और

(घ) भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा अपने मुख्यालय को एक केन्द्रीय स्थान पर और अपने स्वयं के भवन में कब तक केन्द्रित कर लिया जायेगा?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम ने अपने मुख्यालय के लिये दिल्ली में तीन भवनों में स्थान किराये पर लिया है। किराये की दरें अलग अलग 1.50 रुपये से ले कर 3.00 रुपये प्रति वर्ग फुट प्रति मास तक है।

(ख) से (घ) यह कार्यकुशलता के उपयुक्त नहीं है, अतः निगम ने तीन जगहों पर स्थान लेने की अपनी वर्तमान व्यवस्था को छोड़ कर एक ही जगह स्थान लेने की व्यवस्था के आर्थिक पक्ष का अध्ययन किया है, परन्तु इसे पता चला है कि इतना ही स्थान किराये पर लेने के लिये इसे कहीं अधिक किराया देना पड़ेगा। निगम ने अपना ही भवन बनाने के प्रश्न पर भी विचार किया है, परन्तु उपयुक्त भू-खंड मिलने में कठिनाई तथा साधनों की तंगी के कारण प्रस्ताव को क्रियान्वित नहीं किया जा सका।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय का आयात आर्डर

8305. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** :
श्री पी० गंगादेव :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने भारत के लौह अयस्क के लिये बड़ा आर्डर दिया है;

(ख) यदि हां, तो लौह अयस्क का सप्लायर बनने में भारत का भविष्य किस सीमा तक सुधारा गया है; और

(ग) कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किये जाने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों ने सितम्बर, 1973 से मई 1975 के दौरान लगभग 7.88 करोड़ रुपये के मूल्य के 16 लाख मी० टन लौह अयस्क के माल की सप्लाई के लिये खनिज तथा धातु व्यापार निगम को आदेश दिये हैं। इस नये उपलब्ध बाजार के फलस्वरूप इसको लौह अयस्क के सप्लायर्स के रूप में भारत की स्थिति काफी सुधर गई है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा हिमाचल प्रदेश में छोटे किसानों और उद्योगपतियों को दिये गए ऋण

8306. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीयकृत बैंकों ने हिमाचल प्रदेश राज्य में गत छः मास में छोटे किसानों एवं उद्योगपतियों को कितनी राशि के ऋण दिये?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : हिमाचल प्रदेश में 5 एकड़ तक की जोत वाले किसानों (अर्थात् छोटे किसानों) को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये कृषि सम्बन्धी अग्रिमों की रकम जो 1 मार्च, 1973† तक (हाल ही उपलब्ध सूचनानुसार) बकाया थी, 8.15 लाख रुपये थी।

†अनन्तिम

हिमाचल प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों को सितम्बर, 1973† (हाल की उपलब्ध सूचनानुसार) के अन्त तक 65.79 लाख रुपये के अग्रिम दिये गये थे।

संयुक्त उद्यमों की स्थापना के संबंध में भारत तथा मलयेशिया के बैंकरों के बीच हुई वार्ता

8307. **श्री वीरभद्र सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त उद्यमों की स्थापना की संभावनाओं का पता लगाने के लिये हाल ही में नई दिल्ली में भारत और मलयेशिया के बैंकरों के बीच कोई वार्ता हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) संभवत: माननीय सदस्य के मन में युनाइटिड एशियन बैंक, बरहाद कुआलालमपुर के अध्यक्ष द्वारा हाल में ही मार्च, 1974 में किये गये दौरे की बात है। उन्होंने कुछ भारतीय बैंकरों से पारस्परिक रुचि के विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में बातचीत की थी और साथ ही उन क्षेत्रों के सम्बन्ध में भी सामान्य चर्चा की थी जिनमें भारतीय उद्योग-पति मलयेशिया में उद्योगों की स्थापना करने में भाग ले सकेंगे।

फ्लाइंग क्लब

8308. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फ्लाइंग क्लब की वास्तविक लागत निर्धारित करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है;

(ख) क्या नागर विमानन के विस्तार के साथ-साथ फ्लाइंग क्लबों का महत्व भी बढ़ गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन फ्लाइंग क्लबों की कार्य कुशलता बढ़ाने का है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) फ्लाइंग तथा ग्लाइडिंग क्लबों के वर्तमान परिचालन लागतों का मूल्यांकन करने के लिये 12-12-1973 को नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा एक समिति नियुक्त की गई थी।

(ख) फ्लाइंग क्लबें निजी विमानचालक लाइसेंस स्तर तक उपदान प्राप्त आदित: प्रशिक्षण प्रदान करती हैं।

(ग) फ्लाइंग क्लबों की कार्यकुशलता की निरन्तर समीक्षा की जाती है तथा साधनों के अनुरूप सुधार के लिये उपाय किये जाते हैं।

अर्द्ध परिष्कृत चमड़े और खालों का निर्यात

8309. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्द्ध परिष्कृत चमड़े और खालों से इतनी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त नहीं होती जितनी कि उतनी ही मात्रा में किये गये परिष्कृत चमड़े के सामान के निर्यात से प्राप्त होती है; और

†अनन्तिम

(ख) यदि हां, तो क्या अर्द्ध परिष्कृत चमड़े और खालों का निर्यात बिल्कुल बन्द करने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) यह सत्य है कि तैयार चमड़े तथा चमड़े के माल से होने वाली निर्यात आय अर्ध तैयार चमड़े की उतनी ही मात्रा की अपेक्षा अधिक होती है।

(ख) सरकार ने अर्ध-साधित खालों तथा चमड़ियों के निर्यात पर मात्रा सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगा दिये हैं ताकि उन के निर्यात धीरे धीरे कम करके उनके स्थान पर तैयार चमड़े तथा चमड़े का माल निर्यात किया जा सके।

राज्यों द्वारा जनता से ऋण लिया जाना

8310. **श्री निम्बालकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों द्वारा जनता से ऋण लिये जाने के बारे में सरकार की कोई निर्धारित नीति है;

(ख) क्या इसका केन्द्रीय सरकार द्वारा जनता से ऋण लिये जाने के साथ कोई सम्बन्ध है; और

(ग) यदि हां, तो क्या?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) राज्यों के लिये, बाजार के लिये जाने वाले ऋणों का निर्धारण बाजार में विद्यमान स्थिति, राज्यों की जरुरतों और बकाया ऋणों की परिपक्वता को ध्यान में रखते हुये निर्धारित किये जाते हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋण पर रोक के संबंध में केरल के मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

8311. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केरल सरकार के मंत्रियों द्वारा दिये गये उस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में ऋण पर लगाई गई रोक का केरल के अनेक परम्परागत उद्योगों पर प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या सरकार ने केरल के परम्परागत क्षेत्र के सम्मुख आई कठिनाइयों पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) केरल के मुख्य मंत्री ने वित्त मंत्री के नाम एक पत्र भेजा था जिसमें उन्होंने और बातों के साथ साथ ऋण विषयक नीति की जांच करने का अनुरोध किया था ताकि केरल के लघु उद्योगों और निर्यात प्रधान उद्योगों के लिये पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने की सुनिश्चित व्यवस्था की जा सके। रिजर्व बैंक ने अन्य बैंकों को पहले ही यह सलाह दी है कि वे इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करें कि सभी लघु उद्योगों और निर्यातों सहित

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा किया जाये। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये रिजर्व बैंक ने ऋण गारन्टी योजना के अन्तर्गत आने वाले लघु उद्योगों को आवश्यक अतिरिक्त मार्जिन की शर्तों से मुक्त करा दिया है। उन छोटे एककों को भी न्यूनतम ब्याज दर की शर्तों से मुक्त कर दिया गया है जिनके लिये किसी बैंक ने कुल मिलाकर 2 लाख रुपये से तक की ऋण सीमायें निर्धारित की हों। इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करने के उद्देश्य से कि ऋण की तंगी के कारण निर्यात संवर्धन के काम को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे, रिजर्व बैंक ने अधिक काम काज के चालू मौसम में इस क्षेत्र की ऋण की अधिकतम सीमा से मुक्त कर दिया है तथा उन्हें पुनर्वित्त की कुछ अतिरिक्त सुविधायें भी दी हैं।

वरकाला और एझीमाला को नए पर्यटन केन्द्रों की सूची में शामिल करना

8312. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वरकाला और एझीमाला को केरल में मंजूर किये जाने वाले नय पर्यटन केन्द्रों की सूची में शामिल करने का है;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ग) क्या अधिकारियों ने वरकाला और एझीमाला में पर्यटन केन्द्रों की संभावनाओं के बारे में वहां कोई सर्वेक्षण किया था; और

(घ) क्या अधिकारियों ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) साधनों की परिसीमाओं एवं अन्य प्राथमिकताओं के कारण, केन्द्रीय क्षेत्र में वरकला और एझीमला में किसी योजना को हाथ में लेने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) पर्यटन विभाग द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया न ही किसी सर्वेक्षण को स्पौंसर किया गया।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से चीनी का निर्यात

8313. **श्री धामनकर** :
श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भविष्य में राज्य व्यापार निगम के माध्यम से चीनी का सब निर्यात करने का निर्णय लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम उक्त अतिरिक्त भार को वहन करने में पूर्णतया समर्थ है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) अब यह फैसला किया गया है कि चीनी के निर्यात राज्य व्यापार निगम द्वारा किये जायेंगे।

(ख) राज्य व्यापार निगम ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में विशेषज्ञ विकसित कर ली है और चीनी समेत निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के लिए अनुकूल कीमतें प्राप्त कर सकता है और अन्य वस्तुओं के साथ समन्वित ढंग से नौवहन (शिपमेंट) की व्यवस्था कर सकता है।

(ग) जी हां।

रूस से रुई का आयात

8314. **श्री धामनकर : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 में रूस से कितनी मात्रा में रुई का आयात किया गया तथा उसकी कीमत क्या थी ;

(ख) उसमें से कितनी मात्रा में रुई को देश में खरीदारों/उपभोक्ताओं को नहीं बेचा गया तथा उसकी कीमत कितनी थी ; और

(ग) क्या वर्ष 1974-75 में रूस तथा अन्य देशों से और अधिक मात्रा में रुई का आयात किया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) भारत-सोवियत संघ रुई रूपान्तरण सौदे के अनुसरण में 1-3-73 व 31-3-74 के बीच रूसी रुई की लगभग 38,000 गांठें बम्बई बन्दरगाह पर प्राप्त हुई। यह 20,000 मे० टन रुई के परेषण का भाग था जोकि रूपान्तरण तथा फैब्रिक्स के रूप में पुनर्निर्यात के लिए भारत भेजी जानी थी। इस रुई की अनुमानित लागत बीमा भाड़ा कीमत लगभग 40 करोड़ रू० थी।

(ख) इस रुई की लगभग 6600 गांठें बिना बिकी पड़ी हैं जिसका मूल्य प्रचलित कीमतों के अनुसार लगभग 1.42 करोड़ है।

(ग) रुई वर्ष 1973-74 हेतु आयात कार्यक्रम अभी तैयार किया जा रहा है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा पश्चिम एशियाई देशों को निर्यात बढ़ाने संबंधी योजना

8315. **श्री नवल किशोर शर्मा :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल के आयात के बढ़ते हुए खर्चे को पूरा करने के उद्देश्य से राज्य व्यापार निगम ने पश्चिम एशियाई देशों को निर्यात में वृद्धि करने के संबन्ध में कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो उन वस्तुओं के नाम क्या हैं और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के मूल्यों में कितनी वृद्धि होगी और उन देशों के नाम क्या हैं जिन्हें इन वस्तुओं का निर्यात किया जायेगा ; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) निर्यात की जाने वाली मदें हैं:— सीमेंट, बासमती चावल, चीनी, वस्त्र, पटसन का माल तथा मसाले।

इन मदों का निर्यात निम्नलिखित पश्चिम एशियाई देशों को किया जाएगा:—

ईरान, इराक, सीरिया, जोर्डन, लेबनान, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कत्तार, ओमन, मिश्र का अरब गणराज्य, यमन अरब गणराज्य, यमन का जनवादी लोकतंत्रीय गणराज्य।

विदेशी मुद्रा आय में पर्याप्त वृद्धि होने की आशा है यद्यपि फिलहाल निर्यातों के मूल्य में होने वाली वृद्धि की सीमा के बारे में बताना संभव नहीं है।

बिहार में स्टेट बैंक आफ इंडिया के कर्मचारियों की हड़ताल

8316. श्री नवल किशोर शर्मा :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में स्टेट बैंक आफ इंडिया के कर्मचारियों ने समूचे राज्य में 2 अप्रैल, 1974 को हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी हड़ताल के क्या कारण हैं ; और

(ग) हजारीबाग में पुलिस की गोली से दो कर्मचारियों की मृत्यु की न्यायिक जांच का क्या परिणाम रहा ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) स्टेट बैंक आफ इंडिया ने सूचना दी है कि 31 मार्च, 1974 को हजारीबाग शाखा के एक बैंक कर्मचारी को वहां पर नियुक्त सशस्त्र पुलिस के एक सन्तरी ने जब बगल के रास्ते से इमारत में घुसने से रोका था तो पुलिस के सन्तरी और कर्मचारियों के बीच कुछ झड़पें हो गयीं। इसके बाद, बताया जाता है कि पुलिस के सन्तरी ने गोली चला दी जिसके परिणाम स्वरूप बैंक के दो कर्मचारी मारे गये और एक अन्य को अस्पताल में दाखिल किया गया। बिहार में स्टेट बैंक आफ इंडिया की विभिन्न शाखाओं के अवार्ड कर्मचारियों ने गोली चलाये जाने के विरोध में 2 अप्रैल, 1974 को हड़ताल कर दी।

(ग) स्टेट बैंक आफ इंडिया ने सूचना दी है कि राज्य सरकार ने मामले की अदालती जांच का आदेश दे दिया है और जांच अभी शुरू नहीं की गयी है।

भारत के विदेश व्यापार को हानि

8317. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अस्थायी अनुमानों के अनुसार भारत के विदेश व्यापार को जनवरी, 1974 में समाप्त होने वाली अवधि में 119 करोड़ रुपये की हानि होगी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त हानि के क्या मुख्य कारण हैं जबकि 1972-73 की इसी अवधि में विदेश व्यापार में 184 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था ; और

(ग) सरकार विदेश व्यापार को प्रोत्साहन देने और इस संबन्ध में हुई हानि को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) निर्यातों की अपेक्षा आयातों में तेजी से वृद्धि होने के फलस्वरूप, अप्रैल, जनवरी 1973-74 के दौरान प्रतिकूल व्यापार संतुलन रहा। अधिक आयातों का मुख्य कारण, खाद्यान्न, कच्चे तेल तथा पैट्रोलियम, उत्पादों, अलौह धातुओं, मशीनरी तथा उपस्कर, उर्वरक आदि जैसी आवश्यक मदों के आयातों में हुई वृद्धि है। ऊंची आयात कीमतों में वृद्धि होने से भी आयात बिल बढ़ गया।

(ग) सरकार की बराबर यह कोशिश रहती है कि जितना अधिक संभव हो सके देश से निर्यात बढ़ाये जाएं और सभी अनावश्यक वस्तुओं के आयात रोके जाएं तथा उनसे मिलती जुलती वस्तुओं का अधिकाधिक घरेलू उत्पादन करके आयातित वस्तुओं की स्थानापन्न वस्तुओं को प्रोत्साहन दिया जाए तथा इस प्रकार प्रतिकूल व्यापार संतुलन को रोका/कम किया जाए।

बचत खातों और सावधिक जमा राशि पर ब्याज की दर में वृद्धि

8318. **श्री नवल किशोर शर्मा : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक ने देश में अनुसूचित बैंकों के बचत खातों और सावधिक जमा राशि पर ब्याज की दर में वृद्धि की है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रोत्साहन के परिणामस्वरूप बैंकों में जमा की जाने वाली राशि में कितनी वृद्धि होने की संभावना है;

(ग) उक्त प्रोत्साहन के परिणामस्वरूप देश में काले धन के पता लगाने में कितनी सहायता मिलेगी ; और

(घ) उक्त जमा की गयी राशि पर आयकर के मामले में कितनी राहत मिलेगी।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) जमा रकमों के ब्याज की दर बढ़ा देने के परिणामस्वरूप बैंकों में जमा रकमों में होने वाली सम्भावित वृद्धि का अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि जमा रकमों में होने वाली वृद्धि कई ऐसी बातों पर निर्भर करती है जैसे आमदनी में वृद्धि मूल्यों में स्थायित्व, अन्य वित्तीय परिसंपत्ति आदि से होने वाली प्राप्तियां आदि। लेकिन यह अनुमान है कि जमा रकमों से होने वाली आमदनी की वृद्धि और विशेष रूप से बचत की जमा रकमों पर ब्याज की दर की वृद्धि से बचत करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और जनता को भी इस बात के लिए प्रोत्साहन मिलेगा कि वे अपना धन अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में बचत खातों में और लम्बी अवधि की सावधिक जमा में लगायें।

(ग) काले धन और जमा रकमों से होने वाली आमदनी के बीच कोई संबन्ध स्थापित नहीं किया जा सकता। लेकिन एसा प्रतीत होता है कि वर्तमान व्यवस्था में वृद्धि कर देने से काले धन का पता लगाने पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा

(घ) बैंक में जमा रकमों से मिलने वाले ब्याज तथा संयुक्त पूंजी कम्पनियों के शेयरों के लाभांश और भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा बेचे गये यूनिटों से होने वाली आय को मिलाकर 3000 रुपये की रकम तक आयकर में छूट दी जाती है। इसके परिणामस्वरूप जहां तक बैंकों में जमा रकमों से प्राप्त होने वाले ब्याज की रकम उक्त कुल रकम की सीमा के भीतर रहती है, वहां तक जमाकर्ता को आयकर में राहत मिलती है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के बीच बेकार की प्रतिस्पर्धा

8319. **श्री बी० वी० नायक : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों के बीच बेकार की प्रतिस्पर्धा को रोकने और उनके बीच समन्वय स्थापित करने के संबन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) क्या सब राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए अधिकारियों का एक समान संवर्ग बनाने का कोई विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) राष्ट्रीयकृत बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा की केवल सीमित सी गुंजाइश है क्योंकि प्रथमतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये निदेशों के अनुसार विभिन्न प्रकार की जमा रकमों पर अदा किये जाने वाले ब्याज की दरें एक समान है और दूसरे वे बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज की न्यूनतम दरों से कम दरों पर उधार नहीं दे सकते। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित) को यह हिदायतें भी दे रखी हैं कि वे एक दूसरे से 25 लाख रुपये की या उसके ऊपर की कुल ऋण सीमाएं (ऋणों/ओवर ड्राफ्टों/नकद ऋणों/हुण्डियों के रूप में) अथवा सावधिक ऋण उस/उन बैंक/बैंकों के पूर्व परामर्श के बिना अपने हाथ में न ले जिन्होंने इस प्रकार की ऋण सीमाएं/सावधिक ऋण मंजूर की/किये हों। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक की भी पूर्व स्वीकृति लेना जरूरी है। सभी बैंकों के शाखा विस्तार कार्यक्रम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित अनुमोदन किये जाते हैं और ग्रामीण और अर्ध-शहरी केन्द्रों में जहां आमतौर पर राष्ट्रीयकृत बैंकों का एक से अधिक कार्यालय कार्य न कर रहा हो वहां बेकार की प्रतिस्पर्धा की कोई गुंजाइश नहीं है। अतः राष्ट्रीयकृत बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा मुख्यतः बैंक सेवाओं की किस्म, नयी प्रकार की सेवाओं के शुरू किये जाने और सेवा प्रभारों के मानों के क्षेत्र तक सीमित है।

भारतीय रिजर्व बैंक राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यचालन पर ध्यान रखता है ताकि अन्य बातों के साथ-साथ उनके क्रिया कलापों, विशेषकर ऋण देने की मान नीतियां अपनाने के मामले में और एक समान आधार पर कार्यकुशलता बढ़ाने के मामले में बैंकों की गति विधियों में समन्वय स्थापित किया जा सके और उनके बीच बेकार की प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने की सुनिश्चित व्यवस्था की जा सके। सम्बद्ध जिले के "नेता बैंक" (लीड बैंक) के नेतृत्व में गठित जिला सलाहकार समितियां, और प्रादेशिक सलाहकार समितियां जिनमें विभिन्न बैंकों, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि होते हैं, बैंकों के बीच परस्पर परामर्श, सूचना के आदान-प्रदान और समन्वय स्थापित के लाभकारी मंचों का कार्य करती है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की समय-समय पर वित्त मंत्री के साथ बैठकें होती रहती है जिसमें सामान्य हितो की बातों पर विचार-विमर्श किया जाता है ताकि लोक हित से संबन्धित नीति के विभिन्न मामलों में सामूहिक रूप से कार्यवाई करने की सुनिश्चित व्यवस्था की जा सके।

(ख) सरकार ने 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों में अधिकारियों के वेतनमानों, भत्तों और परिलब्धियों के मानकीकरण के लिए प्रोफेसर बी० आर० पिल्ले की अध्यक्षता में स्थापित एक समिति से और बातों के साथ-साथ, यह भी कहा गया है कि वह उन सिद्धान्तों के बारे में जांच करे तथा सुझाव दे जिनके आधार पर विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के बीच वरिष्ठ कर्मचारियों की बदलियों का नियमन किया जाना चाहिये। समिति की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

विदेशों में भारतीय बैंकों की शाखाएं

8320. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में उन क्षेत्रों और देशों में भारतीय बैंकों की कितनी शाखायें काम कर रही हैं जहां भारतीय मूलक लोगों की संख्या काफी अधिक है ; और

(ख) विदेशों में भारत मूलक लोगों और भारतीय राष्ट्रिकों की धनराशि जमा कराने के प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) 31-3-1974 को 13 विभिन्न देशों में भारतीय वाणिज्यिक बैंकों की 56 शाखाएं काम कर रही थीं, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्रम संख्या	देश का नाम	शाखाओं की संख्या
1.	फिजी	8
2.	गायना	2
3.	हांगकांग	4
4.	जापान	2
5.	केनिया	9
6.	मालदीव द्वीप समूह	1
7.	मारीशस	5
8.	सिक्किम	1
9.	सिंगापुर	6
10.	श्रीलंका	3
11.	थाइलैण्ड	1
12.	ब्रिटेन	13
13.	अमेरिका	1
	जोड़	56

(ख) चूंकि बैंक, राष्ट्रीयता के आधार पर, जमा की गयी रकमों के बारे में आंकड़े नहीं रखते, इसलिये यह सूचना देना संभव नहीं है।

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के सर्किट हाउस, निरीक्षण बंगले और यात्री निवास

8321. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने सर्किट हाउस, निरीक्षण बंगले और यात्री बंगले केन्द्रीय और राज्य सरकारों के हैं ;

(ख) इनमें से कितने केवल सरकारी कर्मचारियों और मंत्रियों आदि के प्रयोग के लिए हैं और कितने जनता के लिए हैं ; और

(ग) उपर्युक्त वर्गीकरण समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जायेंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) से (ग) भारत पर्यटन विकास निगम, जोकि इस मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन सरकारी क्षेत्र का एक उद्यम है, तथा पर्यटन विभाग के स्वामित्व में तथा इनके द्वारा संचालित होटलों, मोटलों, यात्री लाजों, आदि की एक सूची संलग्न है ये जनता के लिये खुले हैं और इन का उपयोग किसी विशेष वर्ग के लिये सीमित नहीं है ।

राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों के सर्किट हाउसों, निरीक्षण एवं यात्री बंगलों के बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

विवरण

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा परिचालित आवास प्रतिष्ठानों के नाम

स्थान	आवास का प्रकार
1. औरंगाबाद	औरंगाबाद होटल
2. बंगलौर	होटल अशोका
3. भरतपुर	यात्री लॉज
4. भुवनेश्वर	यात्री लॉज
5. बीजापुर	यात्री लॉज
6. बोधगया	यात्री लॉज
7. हस्सन	हस्सन मोटल
8. जम्मू	जम्मू मोटल
9. कांचीपुरम	यात्री लॉज
10. खजुराहो	खजुराहो मोटल
11. कोनार्क	यात्री लॉज
12. कोवालाम	कोवालाम पैलेस होटल कोवालाम कुंज कुटीरें
13. कुलू	यात्री लॉज
14. कुशीनगर	यात्री लॉज

स्थान	आवास का प्रकार
15. मदुरै	यात्री लॉज
16. महाबलिपुरम	यात्री लॉज तट कुटीरें
17. मनाली	यात्री लॉज
18. मांडू	यात्री लॉज
19. नई दिल्ली	अशोका होटल अकबर होटल कुतब होटल जनपथ होटल लोधी होटल रणजीत होटल
20. सांची	यात्री लॉज
21. थंजावर	यात्री लॉज
22. तिरुचिरापल्ली	यात्री लॉज
23. उदयपुर	लक्ष्मी विलास पैलेस होटल
24. वाराणसी	भारत पर्यटन विकास निगम का होटल

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा नई विमान सेवाएं आरम्भ करना

8322. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इंडियन एयरलाइन्स द्वारा नई विमान सेवायें आरम्भ करते समय उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जायेगी जिनका रेल द्वारा सम्पर्क नहीं है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : नयी सेवाओं की योजना बनाते समय जिन कसौटियों पर विचार किया जाता है उनमें मौजूदा स्थल संचार व्यवस्था भी एक है। परन्तु, विमानन ईंधन में हाल में हुई तीव्र वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए कार्पोरेशन के किसी निकट भविष्य में कोई विशेष नये स्टेशन खोलने की संभावना नहीं है।

राज्यों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा दी गई सहायता

8323. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1973-74 में प्रत्येक राज्य को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा कितनी राशि की सहायता दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : आवश्यक सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है ।

विवरण

1973-74 (अप्रैल-मार्च) के वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा स्वीकृत और वितरित वित्तीय सहायता का राज्यवार विवरण

(लाख रुपयों में)

राज्य	वित्तीय सहायता	
	स्वीकृत	वितरित
1. आन्ध्र प्रदेश	757*	640*
2. असम	853	645
3. बिहार	857	678
4. गुजरात	2186	2397
5. हरियाणा	399*	234*
6. हिमाचल प्रदेश	82*	40*
7. जम्मू और कश्मीर	20*	16*
8. कर्नाटक	1161*	1017*
9. केरल	313*	390*
10. मध्य प्रदेश	325	302
11. महाराष्ट्र	3835	2649
12. मणिपुर	—	—
13. मेघालय	13	5
14. नागालैंड	—	45
15. उड़ीसा	419	202
16. पंजाब	732*	409*
17. राजस्थान	474*	326*
18. तमिलनाडु	2093*	1805*
19. त्रिपुरा	—	—
20. उत्तर प्रदेश	1198*	867*
21. पश्चिम बंगाल	2921	742
22. संघ क्षेत्र	514	487
जोड़	19162	13896

नोट : 1. वित्तीय सहायता में प्रत्यक्ष ऋण, गारंटिया, हामीदारी, पुर्नवित्त, फिर से भुनाना, निर्यात के लिये प्रत्यक्ष ऋण और निर्यात ऋणों का पुर्नवित्त शामिल है ।

2. *कुल सहायता की रकम में शामिल पुर्नवित्त की सहायता की रकम का संबन्ध अप्रैल से फरवरी 1974 तक के केवल 11 महीनों से हैं।

3. वित्तीय संस्थाओं के शेयरों और बाण्डों में अभिदान की रकमें इन आंकड़ों में शामिल नहीं हैं ।

4. वितरणों का संबन्ध 1973-74 और पिछले वर्षों में दी गयी स्वीकृतियों से है ।

पाकिस्तानी शासन के दौरान छोड़ी गई सम्पत्ति के बारे में बंगलादेश द्वारा जारी किया गया अध्यादेश

8324. **श्री समर गुह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश सरकार ने पाकिस्तानी शासन के दौरान प्रत्यावर्तियों द्वारा बंगलादेश में छोड़ी गई संपत्तियों के बारे में दो अध्यादेश जारी किये हैं ;

(ख) क्या उनमें से एक अध्यादेश "शत्रु संपत्तियों" के रूप में घोषित संपत्तियों से संबंधित है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले पर बंगलादेश सरकार से बात की जायेगी ;

(घ) क्या इससे सरकार को भूतपूर्व पूर्व पाकिस्तानी शरणार्थियों को अनुग्रहपूर्वक मुआवजा देने के बारे में निर्णय लेने में सहायता मिलेगी; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) बंगला देश सरकार ने निम्नलिखित दो अध्यादेश जारी किये हैं :—

(1) शत्रु संपत्ति (आपातकालीन उपबन्धों का जारी रखना) (निरसन) अध्यादेश 1974/1974 का अध्यादेश सं० 4।

(2) निहित तथा अनिवासी संपत्ति (प्रशासन) अध्यादेश 1974/1974 का अध्यादेश संख्या 5।

(ख) जी हां।

(ग) से (ङ) ये मामले बंगला देश सरकार के साथ उपयुक्त समय पर उठाये जायेंगे ।

करों की बकाया राशि

8325. **श्री समर गुह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1973-74 में आयकर की बकाया राशि के नवीनतम आंकड़े क्या हैं ;

(ख) उसी अवधि में धनकर, सम्पदा शुल्क और उत्पादन-शुल्क जैसे अन्य करों की बकाया राशि के आंकड़े क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार को अदा किये जाने वाले विभिन्न करों की कुल बकाया राशि के बारे में कोई अनुमान लगाया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ङ) वर्ष 1973-74 में बकाया करों की वसूली के लिये कितने मामले चलाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (घ). प्रत्यक्ष करों की 31 दिसम्बर 1973 को सकल और शुद्ध बकाया रकमें नीचे दिये अनुसार थीं :—

(करोड़ रुपयों में)

	सकल बकाया	शुद्ध बकाया
आय-कर	714.10	527.43
धन-कर	28.17	19.89
संपदा-शुल्क	15.89	9.04
दान-कर	3.91	2.47
कुल	762.07	558.83

31 दिसम्बर 1973 को सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की बकाया रकमें इस प्रकार थीं :—

(करोड़ रुपयों में)

सीमा-शुल्क	0.57
केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क	78.68
कुल	79.25

(ङ) बकाया रकमों की वसूली के लिये संबंधित कानूनों में भिन्न-भिन्न व्यवस्थायें हैं, जैसे दण्ड लगाने की कार्यवाही करना, वसूली प्रमाणपत्र जारी करना, निकासी के लिये पड़े माल को रोकना, संपत्ति का अधिग्रहण तथा बिक्री, दीवानी जेल में रखना, निर्धारिती को देय रकमों में से बकाया रकम की कटौती कर लेना, वसूली प्रमाणपत्र की कार्यवाही, न्यायालय में इस्तगासे की कार्यवाही करना आदि।

करों की बकाया रकमों की वसूली के लिये उपर्युक्त कार्यवाहियों में से, प्रत्येक मामले की परिस्थिति के आधार पर आवश्यक कार्यवाही, शुरू की जा सकती है। ऐसी कार्यवाहियों की संख्या बहुत बड़ी होगी और ऐसे सभी मामलों के बारे में जानकारी इकट्ठी करने में काफी समय लगेगा। परन्तु यदि किसी विशेष वर्ग के मामलों के संबंध में सूचना मांगी जाये तो उसे एकत्र करके प्रस्तुत किया जा सकता है।

व्यक्तियों/कंपनियों से 50 हजार रुपये से अधिक के आयकर की वसूली

8326. **श्री समर गुह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972-73 और 1973-74 के दौरान कितने व्यक्तियों और कंपनियों के पचास हजार रुपये से अधिक का आय-कर वसूल किया गया था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : वर्ष 1972-73 और 1973-74 में जिन व्यक्तियों और कंपनियों से 50,000 रु० से अधिक आयकर की वसूली की गई थी, उनके बारे में आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं । इस सूचना को इकट्ठा करने के लिये बहुत बड़ी संख्या में कर-निर्धारितियों की अलग-अलग फाइलों को देखना आवश्यक होगा जिसमें काफी समय लगेगा । तथापि वर्ष 1971-72 तथा 1972-73 के दौरान जिन व्यक्तियों तथा कंपनियों का आयकर निर्धारण किया गया उनकी कुल संख्या निम्नानुसार है :—

वित्तीय वर्ष	कम्पनियों की संख्या	व्यक्तियों की संख्या
1971-72	30,128	25,68,947
1972-73	30,797	26,92,100

जो व्यक्ति प्रतिवर्ष एक लाख रुपये से अधिक आयकर देते हैं, उनकी संख्या मोटे अनुमान के अनुसार, 6,500 से काफी अधिक हो सकती है ।

भारतीय विनियोजन केन्द्र द्वारा गोष्ठी का आयोजन

8327. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर:**
श्री डी० डी० देसाई :
} क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विनियोजन केन्द्र ने 18 अप्रैल, 1974 को निर्यात संवर्धन संबंधी गोष्ठी का आयोजन किया था ;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन-किन विषयों पर चर्चा की गई ; और

(ग) चर्चा के क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) भारतीय निवेश केन्द्र ने 19 और 20 अप्रैल, 1974 को नई दिल्ली में निर्यात प्रोत्साहन के बारे में एक विचार गोष्ठी आयोजित की थी ।

(ख) जिन विषयों के संबंध में चर्चा की गयी थी वे निम्नलिखित तीन मुख्य शीर्षकों के अन्तर्गत आते हैं ।

(1) निर्यात-प्रधान उद्योगों के लिये नीति और प्रक्रिया;

(2) पांचवीं आयोजना की अवधि के दौरान निर्यात के लिये उत्पादों और सेवाओं को छांटना और उनका मूल्यांकन, और

(3) पांचवीं आयोजना की अवधि के दौरान निर्यात के लिये गतिशील नीति

(ग) निर्यात की गति तेज करने के लिये गोष्ठी में विभिन्न सिफारिशें की गई जिनमें निम्नलिखित सिफारिशें शामिल हैं ;

(क) पांचवीं आयोजना के दौरान निर्यात में वृद्धि करने के लक्ष्यों को दुगना करके 7.6 से 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष करना ;

(ख) सांता क्रुज जोन के ढंग पर निर्यात-आयात बैंक, निर्यात प्रोत्साहन आयोग, निर्यात क्षेत्रों की स्थापना और इस बात का पता लगाने के लिये एक अध्ययन दल की स्थापना कि दूसरे देशों में हमारे मौजूदा और नये एककों को अपने प्रतियोगियों की तुलना में क्या नुकसान उठाने पड़ते हैं ;

(ग) निर्यात प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत उत्पादन शुल्क मुक्त वस्तुएं देश में आने देना ;

(घ) मौजूदा नकद सहायता के बदले निर्यातकों को कर जमा प्रमाणपत्र देना ;

(ङ) उन वस्तुओं की खपत पर चयनात्मक आधार पर अंकुश रखना जिनका निर्यात किये जाने की संभावना है ;

(च) बाजार संबंधी सूचना एकत्र करना, उसे संकलित करना और उसे निर्यात करने वाले और निर्यात प्रधान उत्पादक एककों को पहुंचाना ; और

(छ) अन्य देशों की मुद्राओं के विनियम मूल्य में हुए प्रतिकूल परिवर्तनों के लिये निर्यातकों को सुरक्षा प्रदान करना ।

इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि

8328. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :
श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : } क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिये कोई उपाय किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई विशेष नीति अपनाई गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) इंजीनियरी माल के निर्यातों को बढ़ाने के लिये निरन्तर आधार पर निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं :—

1. पंजीकृत निर्यातकों को आयातित कच्चे माल की व्यवस्था ;

2. प्राथमिक आधार पर इस्पात व एल्यूमीनियम जैसे स्वदेशी कच्चे माल की सप्लाई ;

3. निर्यात उत्पादन के लिये सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों द्वारा कतिपय कच्चे माल के बल्क आयातों की व्यवस्था करना ;

4. व्यापार विकास प्राधिकरण को कतिपय चुनी हुई वस्तुओं के निर्यात उत्पादन तथा विदेशी विपणन के संवर्धन का कार्य सौंपा गया है ।

5. परियोजना तथा उपस्कर निगम इंजीनियरी माल के निर्यात को बढ़ाने के लिये अपनी गतिविधियों का विस्तार कर रहा है ।

6. विपणन क्षमता का विकास करने तथा देश के विकास की वर्तमान अवस्था में अन्तर्निहित प्रतिकूल परिस्थितियों को निष्प्रभावी बनाने के लिये चुने हुए उत्पादों के निर्यातों पर प्रतिपूरक समर्थन की अनुमति ;

7. अनेक निर्यात उत्पादों पर सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क वापसी तथा साथ ही रियायती रेल भाड़े की अनुमति।

8. उपर्युक्त के अलावा इंजीनियरी-निर्यात संवर्धन परिषद निरन्तर आधार पर निम्नलिखित कदम उठाती रही है:—

व्यापार प्रतिनिधिमण्डलों तथा अध्ययन दलों का बाहर भेजा जाना, विदेशों में बाजार सर्वेक्षण करना, निर्यातकों के बीच व्यापार हित की जानकारी का प्रसार, अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी तथा व्यापार मेलों में भाग लेना आदि ।

9. नौवहन की आवश्यकता का समन्वय करने के लिये क्षेत्रीय समितियां स्थापित की गई हैं जिनमें नौवहन निगम, इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् तथा वाणिज्य मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हैं।

(ख) जिन बातों पर विशेष बल दिया जाता है वे हैं : (1) निर्यातों की मूल्य वृद्धि और (2) इंजीनियरी उत्पादों हेतु जी० एम० पी० सुविधाओं का अनुकूलतम उपयोग और (3) उत्पादों तथा गन्तव्य स्थलों का विविधीकरण; और अल्पकालिक सुपुर्दगी वाली मदों तथा दीर्घकालिक सुपुर्दगी वाले परियोजना तथा टर्नकी उपपस्करों की व्यवस्था करते हुए एक नीति क्रियान्वित की जा रही है ।

नेपाल द्वारा आयात/निर्यात

8329. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**
श्री पी० गंगादेव :
क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल ने आवश्यक वस्तुओं के आयात और निर्यात के लिये भारत की सहायता मांगी है ;

(ख) क्या इस संबंध में दिल्ली में 27 दिसम्बर, 1973 को कोई बातचीत हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो किए गए समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : **(क) से (ग)** भारत नेपाल संयुक्त पुनरीक्षण समिति की तृतीय बैठक नई दिल्ली में 26 दिसम्बर, 1973 से 4 फरवरी, 1974 तक हुई । समिति ने नेपाल के तृतीय देशों के साथ व्यापार के लिये परिवहन सुविधाओं, कलकत्ता पत्तन पर मालगोदाम की सुविधाओं की व्यवस्था, नेपाल को भारतीय निर्यातों पर उत्पादन शुल्क की वापसी, नेपाल को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई, तृतीय देशों के साथ व्यापार करने वाली विदेशी फर्मों पर नेपाल द्वारा लगाई गई रोक, नेपाल के रास्ते तृतीय देशों को भारतीय माल का विपणन आदि संबंधित मामलों पर विचार विमर्श किया ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की कार्यक्षमता में सुधार

8330. **श्री डी० डी० देसाई :**
श्री एन० शिवप्पा : } क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों में प्रबन्धकों और कर्मचारियों के संबंधों में सुधार करने के प्रयास किये गये हैं जिससे उनकी कार्यक्षमता में सुधार किया जा सके ;

(ख) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबन्धकों ने कार्यक्षमता में सुधार करने के उद्देश्य से कार्मिक संघों से पहले ही विचार विमर्श करना आरम्भ कर दिया था; और

(ग) यदि हां, तो विचार विमर्श के क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों में यूनियनों और प्रबन्धकों के बीच के संबंधों की, इन बैंकों के प्रबन्धकों और यूनियनों के बीच समय-समय पर होने वाली बैठकों में निरन्तर समीक्षा की जाती है । इन चर्चाओं के दौरान, बैंकों की कार्य-कुशलता में वृद्धि करने के प्रश्न पर हमेशा ध्यान रखा जाता है और राष्ट्रीयकृत बैंकों का अनुभव सामान्यतः यह रहा है कि यूनियनों का रवैया उत्साहजनक रहा है ।

भारतीय रिजर्व बैंक के ऋण पर रोक संबंधी उपाय

8331. **श्री डी० डी० देसाई :**
श्री के० लकप्पा : } क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चालू व्यवस्त मौसम में लागू किये गये ऋण पर रोक संबंधी उपायों से निरन्त बढ़ा रहा धन का विस्तार रुका है ;

(ख) क्या सितम्बर, 1973 और फरवरी, 1974 के बीच वाणिज्यिक बैंक ऋण में 786 करोड़ रुपये का विस्तार हुआ ; और

(ग) इसमें से कितना सार्वजनिक खाद्य वसूली कार्यवाहियों के कारण और कितना निर्यात ऋण के कारण था ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सूचित किया कि अब तक के अधिक काम काज के मौसम (अक्टूबर, 1973 के अन्त से लेकर मार्च, 1974 के अन्त तक) में मुद्रा की सप्लाई में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 1972-73 की इसी अवधि में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी ।

(ख) और (ग) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सितम्बर, 1973 के अन्त से फरवरी, 1974 के अन्त के दौरान किये गये ऋणों में 786 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, जिसमें से अनाज की सरकारी वसूली के काम के लिये 110 करोड़ रुपये और निर्यात के लिये 127 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे ।

24 LSS/74—7

केरल तट पर तस्करी रोकने के लिये कार्यवाही

8333. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् :**
श्री रामचन्द्र कडनापल्ली :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल तट पर प्रभावशाली ढंग से तस्करी रोकने के लिये दी गई सुविधायें अपर्याप्त हैं ;

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) वहां गत तीन वर्षों में तस्करी के कितने मामले दर्ज किये गये और कितना सामान पकड़ा गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) कोचीन स्थित सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क समाहर्ता-कार्यालय को, जिसका केरल में तस्कर-व्यापार विरोधी कार्य से संबंध है, जब्त की गई लांच-वोट वाहन, शस्त्र तथा गोलाबारूद एवं अन्य उपस्कर दिये गये हैं ताकि उनको निवारक कार्य में सहायता मिल सके । स्थिति की सतत समीक्षा की जाती है । तस्कर-व्यापार विरोधी कार्य कर रहे कर्मचारियों की संख्या बढ़ायी जा रही है । तेज चलने वाली नौकाओं के लिये आर्डर भेज दिये गये हैं । बेतार संचार व्यवस्था का जाल बिछाया जा रहा है ।

(ग) कोचीन स्थित सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क समाहर्ता-कार्यालय में वर्ष 1971-1972 तथा 1973 के दौरान दर्ज किये गये तस्करी के मामलों की कुल संख्या तथा पकड़े गये माल का मूल्य नीचे दिये अनुसार है :—

वर्ष	दर्ज किये गये मामलों की संख्या	पकड़े गये माल का अनुमानित मूल्य
		लाख रु०
1971	456	77
1972	643	54
1973	754	63

राज्य व्यापार निगम द्वारा कनाडा में एक फर्म से अखबारी कागज सप्लाई करने हेतु करार

8334. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री वी० मायावन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के उत्तरार्द्ध में राज्य व्यापार निगम के माध्यम से अखबारी कागज की सप्लाई की स्थिति में काफी सुधार हो जाने की संभावना है ;

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम ने अखबारी कागज सप्लाई करने के बारे में कनाडा की एक फर्म से कोई नये करार किये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) राज्य व्यापार निगम के पास 1974 में सुपुर्दगी हेतु 146060 मे० टन अखबारी कागज के लिये निम्नोक्त क्रय संविदायें हैं :—

	मे० टन
1. कनाडा—नई संविदाएं	38,000
2. कनाडा—पुरानी संविदाएं	28,860
3. सोवियत संघ	45,000
4. बंगलादेश . . .	12,500
5. स्कैन्यूज—पुरानी संविदाएं .	11,000
6. फिनिश पेपर मिल्स—1973-74 संविदाएं	5,000
7. चैकोस्लोवाकिया—1973 संविदाएं	5,700
	1,46,060

इसके अलावा राज्य व्यापार निगम, 1974 के दौरान पोतलदान हेतु 5000 मे० टन अखबारी कागज (जिसकी मात्रा विक्रेता के विकल्प पर 15000 मे० टन तक बढ़ाई जा सकेगी) की सप्लाई के लिये मैसर्स डोमटर, कनाडा के साथ भी वार्ताएं कर रहा है। निगम ने, 500/700 मे० टन रोटो अखबारी कागज की सप्लाई के लिये इंटरनेशनल पेपर सेल्स के साथ भी संविदा की है जिसकी सुपुर्दगी अप्रैल-मई 1974 के दौरान की जायेगी।

अहमदाबाद के बीमा कर्मचारियों द्वारा सांकेतिक हड़ताल

8335. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद के बीमा कर्मचारियों ने अपनी वेतन और सेवा शर्तों संबंधी मांगों को मनवाने के लिये मार्च, 1974 में सांकेतिक हड़ताल की थी ;

(ख) क्या 2 अप्रैल को उन्होंने विरोध दिवस भी मनाया था ;

(ग) यदि हां, तो उनकी मांगों को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) उनकी मांगों को स्वीकार करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) विविध बीमा कर्मचारियों के राष्ट्रीय संघ ने आह्वान किया था कि 2 अप्रैल को विरोध दिवस के रूप में मनाया जाये, परन्तु बाद में इसे वापस ले लिया गया था।

(ग) और (घ) वेतन-मानों को युक्तिसंगत बनाने की योजना और इन कर्मचारियों की अन्य सेवा-शर्तों की ओर सरकार ध्यान दे रही है।

Value of Rupee and its effect on income tax limit, provident fund and insurance policies

8336. **Shri Jagannathrao Joshi :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the comparative value of rupee in Indian markets in 1950, 1960, 1970 and at present ;

(b) the extent and nature of proportionate effect of depreciation of rupee value on Income-tax limit, provident fund and insurance policies, separately; and

(c) the reaction of Government thereto and the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) The internal value of currencies with reference to specific points of time is usually measured in terms of the reciprocal of the indices of consumer prices. The purchasing power of the rupee, as computed on the basis of the Consumer Price Index with 1949 as base, was 99.0 paise in 1950, 80.6 paise in 1960, 44.6 paise in 1970 and 30.8 paise in February, 1974.

(b) & (c) Savings held in the form of general provident fund as also through insurance policy are usually for long periods and, as such fluctuations in the real value thereof are unavoidable. While the proportionate effect of depreciation of rupee value on the savings media cannot be estimated, the Government have, all the same, tried to offset in a number of ways the effect of the decline in the purchasing power of the rupee. The recent proposals contained in the Finance Bill, 1974, raising the exemption limit for incometax, and also the rationalisation of the rate structure resulting in tax relief is one such measure. Besides, there are other fiscal and financial measures in operation which include, among other, exemption of approved savings such as through provident funds and insurance policis from income tax upto specified amounts, enhancement of the rate of interest on the accumulated balances in the provident funds, and liberalisation of gratuity and pensionary benefits, etc.

Import Licences issued to Directors of Maruti Shareholders

8337. **Shri Jagannathrao Joshi :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the names of the Directors, top-most officers and the share holders having Rs. 1000 or more as share money in Maruti Limited; and

(b) the particulars of import licences given to each of them during each of the last three years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) Information regarding the names of Directors and share-holders having Rs. 1000 or more as share money in M/s. Maruti Limited, is being collected and will be laid on the Table of the House. Government are not aware of the names of top-most officers of M/s Maruti Limited.

(b) Particulars of import licences are published in the weekly Bulletins of Industrial licences, Import Licences & Export Licences issued by the Chief Controller of Imports & Exports. Copies of the Bulletin are available in the Parliament's library.

भारतीय रिजर्व बैंक की ऋण रोक नीति के सम्बन्ध में छोटे किसानों और व्यापारियों से प्राप्त अभ्यावेदन

8338. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक की ऋण रोक नीति के संबंध में उन्हें छोटे किसानों और व्यापारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतों के संबंध में कोई जांच की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) हालांकि रिजर्व बैंक की मौजूदा ऋण नीति में ऋण देने पर समूचे रूप से अंकुश लगाने पर बल दिया गया है फिर भी रिजर्व बैंक ने इसके साथ-साथ बैंकों के समक्ष इस बात पर भी जोर दिया है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण देने को, जिसमें किसानों और छोटे व्यापारियों जैसे श्रेणियों को ऋण देना भी शामिल है, उचित महत्व दिये जाने की आवश्यकता है इस के बावजूद कभी-कभी विभिन्न क्षेत्रों द्वारा यह कहा गया है कि ऋण नीति के कुछ पहलुओं से जैसे बढे हुए मार्जीन बढ़ी हुई व्याज दर आदि से समस्याएं उत्पन्न होती हैं । रिजर्व बैंक इस किस्म के मामलों का लगातार अध्ययन करता रहता है ताकि स्थिति में सुधार करने के लिये आवश्यक उपाय ढूंढे जायें ।

श्री लंका से इलायची की सप्लाई

8339. **श्री डी०बी० चन्द्र गोडा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका सरकार ने इलायची के बीज सप्लाई करने का अनुरोध किया है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि श्रीलंका इलायची के व्यापार में हमारा प्रतिद्वन्द्वी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबन्ध में सरकारी नीति क्या है और क्या बिना कोई व्यापार समझौता किए थे बीज सप्लाई किए जाएंगें ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) इलायची की पौदे सप्लाई करने के लिए श्रीलंका सरकार से हाल ही में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है । तथापि, इलायची बोर्ड द्वारा कोचीन के एक दलाल से श्रीलंका स्टेट प्लाटेशन कार्पोरेशन को सप्लाई किये जाने के लिए श्रीलंका को 1 किं० ग्रा० इलायची के बीज निर्यात करने के निमित लाइसेंस के लिये हाल ही में अनुरोध प्राप्त हुआ है ।

(ख) जी हां ।

(ग) इलायची की पौद को विदेशों में सप्लाई करने के व्यक्तिगत अनुरोधों पर अन्तर्ग्रस्त मात्रा तथा प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है ।

इलायची का समेकित विपणन पूल्ड मार्केटिंग

8340. **श्री डी० बी० चन्द्र गोडा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलायची बोर्ड ने इलायची के समेकित विपणन (पूल्ड मार्केटिंग) का प्रस्ताव पारित किया है ;

(ख) क्या सरकार ने उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है और यदि हां, तो तत्संबन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) जी नहीं। चूंकि पूल्ड मार्केटिंग की प्रस्थापना में नीति में आमूल परिवर्तन अन्तर्ग्रस्त है अतः सरकार प्राप्त हुए विभिन्न अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए इसके सभी पहलुओं पर विचार कर रही है।

Charges of Corruption against Income-tax Officers

8341. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the number of Income-tax officers found guilty of corruption charges during 1973; and

(b) the number of those against whom action was taken indicating the nature of action taken?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K.R. Ganesh) : (a) and (b) Two officers have been found guilty of corruption charges during 1973. They have been under suspension. One of them has been convicted and sentenced by the Special Judge, Delhi, to 3 years rigorous imprisonment and fine of Rs. 18,000. The other officer has been convicted and sentenced by the Additional Special Judge, Ahmedabad, to one year's rigorous imprisonment and fine of Rs. 2,000/- or in default to undergo a further imprisonment for 6 months. Both the officers have filed appeals against their conviction and sentences. Results of the appeals are awaited.

There are 2 other officers against whom departmental proceedings on charges of corruption were held to be proved by the Enquiry officers but final orders of the Disciplinary Authority were not passed.

Action against 12 other officers has been initiated, on similar charges, during the same year.

वर्ष 1974 में राज्य व्यापार निगम द्वारा चावल का निर्यात

8342. **श्री के० लकप्पा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने राज्यों से चावल का उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रम तैयार करने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1974 में कितना चावल निर्यात किये जाने की आशा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) निर्यात की जाने वाली मात्रा बाज़ार स्थितियों पर निर्भर रहेगी।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य को फ्रीज करना

8343. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**
श्री मधु दण्डवते :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली व्यापार संघ ने सभी आवश्यक और उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य फ्रीज करने का सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) क्या सरकार ने इस दिशा में कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनका संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर गणेश) : (क) से (ग) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि दिल्ली व्यापारी संघ नाम की कोई संस्था मौजूद है भी या नहीं। फिर भी मूल्य नीति के बारे में, सम्बन्धित पार्टियों से समय-समय पर सुझाव (मूल्यों को स्थिर करने के सुझाव समेत) मिलते रहते हैं। सरकार इस बात को समझती है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिये यह आवश्यक है कि मूल्यों में कम-से-कम वृद्धि होने दी जाय किन्तु मूल्यों को स्थिर करना सम्भव नहीं है क्योंकि उत्पादन और/अथवा वितरण खर्चे को भी ध्यान में रखना होगा।

भारत और पोलैंड के बीच व्यापार साझेदारी

8344. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलैंड पूर्वी यूरोप में हाल ही में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार रहा है; और

(ख) क्या दोनों देशों के प्रतिनिधियों की नई दिल्ली में दिसम्बर, 1973 में वार्ता हुई थी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) पूर्व यूरोपीय क्षेत्र में सोवियत संघ के बाद पोलैंड हमारा दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है।

(ख) वर्ष 1974 के लिये व्यापार योजना तैयार करने के लिये दिसम्बर, 1973 में एक पोलिश व्यापार प्रतिनिधिमण्डल ने भारत का दौरा किया। इस योजना में 1974 के दौरान दोनों देशों के बीच लगभग 200 करोड़ रुपये के कुल व्यापार की व्यवस्था है।

केन्द्रीय और राज्य बिक्री कर की दरों में समानता

8345. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारें अनाज और उर्वरकों पर बिक्री कर की छूट देने के विरुद्ध है;

(ख) क्या राज्यों ने राज्य और केन्द्रीय बिक्री कर की दरों में समानता के लिये अभ्यावेदन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) बिक्री कर की चारों क्षेत्रीय परिषदों की पहली और दूसरी जनवरी, 1974 को हुई संयुक्त बैठक में अनाज तथा उर्वरकों पर बिक्री कर लगाने के प्रश्न पर चर्चा हुई थी। अतिरिक्त धन जुटाने की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए और राज्य सरकारों के पास राजस्व प्राप्ति के लिये बिक्री कर ही लचीला साधन होने से, राज्य सरकारें अनाज को अन्तरराज्यकिय व्यापार अथवा वाणिज्य के लिये विशेष महत्त्व की वस्तुओं की सूची में शामिल करने के लिये अथवा उर्वरकों पर यह कर लगाने से छूट देने के लिये राजी नहीं हुई।

(ख) तथा (ग) जी, नहीं। केन्द्रीय बिक्री कर, वस्तुओं के अन्तरराज्यीय क्रय विक्रय पर लगाया जाता है और किसी राज्य के अन्दर वस्तुओं के क्रय-विक्रय पर लगने वाले कर का अनुपूरक है। इसलिये दोनों करों की दरों में एकरूपता लाने का प्रश्न नहीं उठता।

भारत में चीता (टाइगर) रक्षित क्षेत्र

8346. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ऐसे रक्षित क्षेत्रों की राज्यवार संख्या कितनी है जहां चीतों (टाईगर) को सुरक्षित रखा जाता है ; और

(ख) वर्ष 1973-74 में उक्त रक्षित क्षेत्रों में कितने पर्यटक गये ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) "प्राजेक्ट टाइगर" कार्यक्रम के अन्तर्गत व्याघ्रों (टाइगर) के प्रजनन, संरक्षण और परिरक्षण के लिये निम्न नौ पशुशरणस्थलों का चयन किया गया है :

पशु-शरणस्थान का नाम	राज्य
1. मेलघाट	महाराष्ट्र
2. पालमाऊ	बिहार
3. बांदीपुर	कर्णाटक
4. कान्हा राष्ट्रीय उद्यान	मध्य प्रदेश
5. शिमलीपद	उड़ीसा
6. रणथम्बोर	राजस्थान
7. सुन्दरबन	पश्चिम बंगाल
8. कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान	उत्तर प्रदेश
9. मानस वन्य जीव शरणस्थान	असम

उपर्युक्त शरणस्थानों के अतिरिक्त अन्य पशु-शरणस्थानों में भी, जहां व्याघ्र पाये जाते हैं, उनका परिरक्षण किया जाता है। वर्ष 1973-74 के दौरान इन पशु-शरणस्थानों को देखने वाले पर्यटकों की वास्तविक संख्या अभी उपलब्ध नहीं है।

वर्ष 1974-75 में अखबारी कागज को सप्लाई के लिए समझौता

8347. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**
श्री डी०पी० जदेजा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में भारत को अखबारी कागज की सप्लाई के लिए विदेशी कम्पनियों के साथ कोई समझौता हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1974-75 में मिलने वाली सप्लाई की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) राज्य व्यापार निगम के पास 1974 में सुपुर्दगी हेतु 146060 मे० टन अखबारी कागज के लिए निम्नोक्त क्रय संविदाएं हैं :

	मे० टन
1. कनाडा—नई संविदाएं	38,000
2. कनाडा—पुरानी संविदाएं	28,860
3. सोवियत संघ	45,000
4. बंगला देश .	12,500
5. स्कैन्डेनेवियन—पुरानी संविदाएं . .	11,000
6. फिनिश पेपर मिल्स 1973-74 संविदाएं	5,000
7. चेकोस्लोवाकिया—1973 संविदाएं . .	5,700
	1,46,060

इसके अलावा, राज्य व्यापार निगम ने जून, सितम्बर, 1974 के दौरान 7000 मे० टन अखबारी कागज की सप्लाई के लिए बंगलादेश के साथ तथा अप्रैल-मई 1974 के दौरान 500-700 मे० टन रोटो अखबारी कागज की सप्लाई के लिए इंटरनेशनल पेपर मिल्स, कनाडा के साथ संविदा को अन्तिम रूप दिया है। निगम, 1974 के दौरान पोत-लदान हेतु 5000 मे० टन अखबारी कागज (जिसकी मात्रा विक्रेता के विकल्प पर 15000 मे० टन तक बढ़ाई जा सकेगी) की सप्लाई के लिए मैसर्स डोमटर, कनाडा के साथ भी वार्ताएं कर रहा है।

चौथी योजना के दौरान भारतीय पर्यटन विकास निगम की परियोजनाओं की क्रियान्विति

8348. **श्री एस० एन० सिंह देव :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा आरम्भ की गई राज्यवार प्रमुख परियोजनाएं कौन-कौन सी थीं ;

(ख) अब तक कितनी परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा चुका है ; और

(ग) अभी कितनी परियोजनाओं का क्रियान्वित किया जाना शेष है तथा उसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) से (ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की गई भारत पर्यटन विकास निगम की प्रमुख परियोजनाओं और उनके क्रियान्वयन की स्थिति को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6839/74**]

पश्चिम बंगाल में पर्यटन का विकास

8349. **श्री एस० एन० सिंह देव** :
श्री ए० के० एम० इसहाक :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पर्यटन विकास की केन्द्र को भेजी गई योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं और इनमें से कितनी योजनाएं चौथी पंचवर्षीय योजना में मंजूर की गई ;

(ख) इनके लिए कुल कितने धन की मंजूरी दी गई और अब तक योजनावार कितना व्यय किया गया ; और

(ग) पश्चिम बंगाल में पांचवीं योजना अवधि में पर्यटन विकास के राज्य सरकार के प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं ; इनमें से कितने केन्द्रीय सरकार ने स्वीकार कर लिए हैं और इनके लिए योजनावार कितनी राशि मंजूर की गई हैं।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) राज्य सरकार ने चौथी योजना की अवधि के कार्यक्रम में इन स्कीमों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया था—दार्जिलिंग में एक युवा होस्टल, वहां के पर्यटक लॉज में 10 कमरों की वृद्धि फरक्का में एक शिविर स्थल, जलदापाड़ा में विश्राम गृह, कलकत्ता उत्सव के आयोजन के संबन्ध में सहायतार्थ अनुदान, दार्जिलिंग में दो मिनी बसों और दो जीपों की व्यवस्था, कुर्सिओंग में ईगल्स क्रेग पर प्रेक्षण मंडप, सिंगला में फिशिंग लॉज, जलदापाड़ा, बागडोगरा और सिलीगुड़ी में एक मिनी बस, मुर्गमान में पर्यटक लॉज तथा 1971 में आयोजित दार्जिलिंग कलिम्पंग उत्सव को प्रदर्शित करने वाली एक रंगीन फिल्म इन स्कीमों की अनुमानित लागत 20.49 लाख रुपये थी, अब तक 5,70,666 रुपये का व्यय किया जा चुका है। स्कीमवार व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है:--

क्रम संख्या	स्कीम	किया गया व्यय
		रुपये
1.	दार्जिलिंग में युवा होस्टल	2,28,000
2.	दार्जिलिंग में वर्तमान पर्यटक लॉज का विस्तार	1,49,282
3.	जलदापाड़ा में फारेस्ट लॉज	1,06,384
4.	कलकत्ता उत्सव के आयोजना के संबन्ध में सहायतार्थ अनुदान	5,000
5.	दार्जिलिंग में दो मिनी बसों और जीपों की व्यवस्था	82,000

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार की पांचवीं योजना में पर्यटन स्कीमों के लिये प्रस्तावित 7 करोड़ रुपये के परिव्यय के मुकाबले योजना आयोग ने 1.5 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमोदन किया। स्कीमों के विस्तृत ब्यौरों की राज्य सरकारों से प्रतीक्षा की जा रही है ।

एयर इंडिया द्वारा आकर्षित विदेशी पर्यटक

8350. **श्री एस० एन० सिंह देव** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एयर इंडिया द्वारा अधिक विदेशी पर्यटक आकर्षित न कर पाने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के निष्कर्ष क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) (क) और (ख) 1972 के दौरान विभिन्न एयरलाइनों द्वारा भारत की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों के अध्ययन से पता चला कि भारत के लिये कुल पर्यटक यातायात के वहन में एयर इंडिया का अंश सब एयरलाइनों से अधिक था ।

कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली में विदेशी पर्यटकों के लिए सुविधाएं

8351. **श्री एस० एन० सिंह देव** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कितने विदेशी पर्यटक कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली आएं ; और

(ख) इन स्थानों पर उन्हें क्या सुविधाएं दी गई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) विदेशी पर्यटकों के आगमन संबन्धी आंकड़े अखिल-भारतीय आधार पर रखे जाते हैं । गत तीन वर्षों में भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या इस प्रकार थी :

1971-72	3,00,995
1972-73	3,42,950
1973-74	7,09,895

वर्ष 1972-73 में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली आने वाले पर्यटकों का प्रतिशत इस प्रकार था :

कलकत्ता .	20.9
बम्बई	39.2
मद्रास . . .	23.6
दिल्ली	64.7

(ग) इन स्थानों पर अनुमोदित होटल, यात्रा अभिकर्ता, कार परिचालक, भारत पर्यटन विकास निगम के परिवहन यूनिट और अनुमोदित गाइड उपलब्ध हैं। भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के पर्यटन कार्यालय पर्यटकों को होटल बुकिंग व परिवहन आदि के बारे में सूचना प्रदान करते हैं वह इस संबन्ध में उनकी सहायता करते हैं ।

पाकिस्तान से और पाकिस्तान में वस्तुओं की तस्करी

8352. **श्री शंकरराव सावन्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान से भारत में और भारत से पाकिस्तान में कौन-कौन सी वस्तुओं की तस्करी की जा रही है ;

(ख) वर्ष 1971-72 1972-73 तथा 1973-74 के दौरान बरामद की गई तस्करी की वस्तुओं की कीमत कितनी है; और

(ग) तस्कर-व्यापारी किस प्रकार तस्करी करते हैं;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) जिन वस्तुओं को सामान्यतः पाकिस्तान से चोरी छिपे भारत लाया जाता है वे लौंग, दालचीनी, मेंथाल/थाइमाल, बाल बियरिंग, सोना, चरस, अफीम तथा मेवे हैं। जो वस्तुएं भारत से सामान्यतः चोरी छिपे पाकिस्तान ले जाई जाती हैं वे बीड़ी, बीड़ी की पत्तियां, पान के पत्ते, इलायची (छोटी तथा बड़ी) और जरी की वस्तुएं हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों में भारत-पाकिस्तान सीमा पर पकड़े गए माल का मूल्य नीचे दिये अनुसार है :

1971-72	5 लाख रुपये
1972-73	10 लाख रुपये
1973-74	8.5 लाख रुपये

(ग) कुछ पट्टियों को छोड़कर, प्राकृतिक अवरोधों के नहीं होने के कारण, दोनों में से किसी भी देश के राष्ट्रिक सीमा पार कर सकते हैं। कुछ स्थानों में, दोनों ओर, ठीक सीमा तक खेतों में काश्त की जाती है और जिन वस्तुओं का तस्कर-आयात-निर्यात किया जाना होता है, उन्हें खेतों में रखा जाता है ताकि उन्हें बाद में हटाया जा सके। सीमा के आर-पार बड़े पैमाने पर तस्कर-व्यापार होने की कोई रिपोर्ट नहीं है और सामान्यतः तस्कर-व्यापार व्यक्तिगत आधार पर किया जाता है, संगठित गिरोहों द्वारा नहीं।

केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित वस्तुओं के मूल्य

8353. **श्री शंकरराव सावन्त : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा किन-किन वस्तुओं के मूल्य नियंत्रित हैं ;

(ख) इस समय उनके नियंत्रित मूल्य और खुले बाजार भाव क्या है; और

(ग) इन वस्तुओं की चोर-बाजारी रोकने के लिए क्या प्रयास किए जाते हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) कानूनी नियंत्रण के अधीन ये वस्तुएं हैं: राशन प्रणाली के माध्यम से वितरित खाद्यान्न तथा चीनी, वनस्पति, औषधियां तथा दवाइयां, मोटा तथा निम्न मध्यम किस्मों का सूती कपड़ा, सीमेंट, मिट्टी का तेल, पैट्रोल, डीजल (एच एस डी), एविएशन टर्बाइन फ्यूल, भट्टी का तेल, अल्यूमीनियम, प्राकृतिक रबड़, एस० बी० आर०, संश्लिष्ट रबड़, मोटर कार, ट्रैक्टर, उर्वरक अमोनियम सल्फेट, यूरिया, कैलिशियम अमोनियम नाइट्रेट (20.5

प्रतिशत एन), अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट नियंत्रित कीमतें सरकार द्वारा-समय समय पर संशोधित की जाती हैं जोकि उत्पादन लागत तथा वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त मुख्य उपादानों जैसी कतिपय बातों पर निर्भर करती हैं।

(ग) जमाखोरों, मुनाफाखोरों तथा काला बाजार का धंधा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने की व्यवस्था पहले से ही आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में मौजूद है तथा अधिनियम के अधीन शक्तियां राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी सौंपी गई हैं। और अधिक शक्तियां भारतीय सुरक्षा नियमों के अधीन भी उपलब्ध हैं।

Production of Manganese and Manganese Ore.

8355. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the production of Manganese and Manganese Ore in the country during each of the last three years;

(b) the names of the countries to which Manganese is mainly exported;

(c) the amount of foreign exchange earned from its export during each of the last three years; and

(d) what percentage of Manganese Ore produced in the country is utilised?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George): (a) to (d) Manganese Ore is exported mainly to Japan, USA, France, Belgium and Czechoslovakia. Statistics of production and export of manganese ore are avilable for complete years upto 1972 and are as under for the last three years :-

Qty: "000" Tonnes
Value : lakh Rupees

Year	Production		Exports	
	Qty.	Value	Qty.	Value
1970	1702	783.50	1614	1361.09
1971	1841	840.18	1243	1174.31
1972	1629	724.49	862	924.35

At present about 55% of the total production is being utilised within the country.

Balance of Trade in Imports/Exports

8356. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether the prices of the commodities being imported in India have gone up by two to four times;

(b) whether the prices of the commodities being exported by India have increased only marginally; and

(c) if so, the steps taken with a view to maintaining the balance in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) & (b) As a result of world wide inflation and certain other developments commodity prices have increased sharply in the last few months. The increase in prices varies from commodity to commodity. Among the items of imports whose prices have increased substantially include foodgrains, crude oil, petroleum products, non-ferrous metals, steel machinary, equipment, fertiliser etc. Amongst the export items prices have arisen in respect of sugar, leather and leather manufactures, fish and fish preparation, cashew kernals etc.

(c) While all possible efforts are made to increase exports to the maximum extent possible, simultaneously attempts are directed to do away with all inessential imports and undertake subsitution of imported goods by larger production of identical items at home through higher capacity utilisation/commissioning of new projects head of time.

विदेशी कंपनियों द्वारा मुख्यालय-व्यय का बाहर भेजा जाना

8357. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में काम कर रही विदेशी कम्पनियों या उनकी सहायक कम्पनियां विदेशों में स्थित अपने मुख्यालयों को 'मुख्यालय व्यय' तथा 'क्षेत्रीय कार्यालय व्यय' शीर्षक से विदेशों को धनराशि भेजती है;

(ख) यदि हां, तो मुख्यालय व्यय तथा क्षेत्रीय कार्यालय व्यय में परस्पर क्या अन्तर है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन कम्पनियों द्वारा प्रतिवर्ष कितनी इन शीर्षकों के अधीन धनराशि बाहर भेजी गई और क्या प्रतिवर्ष यह राशि बढ़ती जा रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या आयकर विभाग ने इन शीर्षकों के अधीन दिखाये गए व्ययों में इतनी अधिक वृद्धि पर कभी सन्देह व्यक्त किया है और यदि हां तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) जी, हां। विदेशी कम्पनियों की कुछ भारतीय शाखाएं तथा उनकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियां, जो भारत में काम कर रही हैं, प्रधान कार्यालय के खर्चों के संबंध में रकमें बाहर भेजने की मांग करती है। भारतीय रिजर्व बैंक, आयकर अधिकारियों से आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, ऐसी रकमें बाहर भेजने

की अनुमति दे देता है। एक विदेशी कम्पनी की एक शाखा के मामले में, प्रधान कार्यालय के खर्च के बारे में रकम भेजने के अलावा, क्षेत्रीय कार्यालयों के खर्च की रकम भी इस आधार पर भेजने की अनुमति दी जाती है कि निगम ने विश्व के विभिन्न भागों में बहुत से क्षेत्रीय कार्यालय खोले हैं जिनमें लन्दन स्थित कार्यालय भी शामिल है। ये कार्यालय अपने प्रधान कार्यालय के अधीनस्थ कार्यालयों के रूप में काम करते हैं और निर्यात बाजारों में वृद्धि करने, निर्यात करने और तकनीकी परामर्श देने तथा ऐसे ही अन्य कार्यों में सहायता करते हैं जो उनके प्रधान कार्यालय क्षेत्रीय कार्यालयों को सौंपते हैं।

(ग) बैंकों को छोड़कर विदेशी कम्पनियों की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियों/शाखाओं द्वारा 1970–71 से 1972–73 के दौरान इन दो शीर्षों के अधीन भेजी गयी रकमों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

(क) प्रधान कार्यालय का खर्च

1970–71	1971–72	1972–73
134.7	150.8	232.5

(ख) क्षेत्रीय कार्यालय का खर्च

1970–71	1971–72	1972–73
सूचना इक्कट्ठी की जा रही है।		

प्रधान कार्यालय के खर्चों में वृद्धि का कारण हो सकता है कि इन कार्यालय के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि हो गयी हो तथा इन शाखाओं और सहायक कम्पनियों की गतिविधियां बढ़ गयी हों।

(घ) जिन आधारों पर, आम तौर पर विदेशी कम्पनियों द्वारा प्रधान कार्यालय के खर्चों की रकमें भेजने का दावा किया जाता है और प्रधान कार्यालय के खर्चों की रकम किस मात्रा तक बाहर भेजी जा सकती है, इसके मापदण्ड के बारे में लोक सभा के 19 अप्रैल, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7494 के उत्तर में विस्तार से बताया गया था। ऐसी रकमें बाहर भेजने की अनुमति दिये जाने से पहले आयकर अधिकारी उन दावों की जांच पड़ताल करता है और कई मामलों में तो ऐसी रकमें भेजने की अनुमति ही नहीं दी गयी या उनके दावों की रकम को कम कर दिया गया है। फिर भी ऐसे खर्चों की अनुमति दिये जाने के सवाल पर इस समय प्रत्यक्ष कर केन्द्रीय बोर्ड विचार कर रहा है।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक से ऋण लिया जाना

8358. **श्री महेन्द्र सिंह गिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ महीनों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक से लिए जाने वाले ऋण में भारी वृद्धि हुई है और दूसरी ओर इन बैंकों की रिजर्व बैंक आफ इण्डिया में जमा राशि में भारी कमी हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इन ऋणों के भुगतान के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) सितम्बर, 1973 से 12 अप्रैल, 1974 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने रिजर्व बैंक से जो उधार लिये और रिजर्व बैंक के पास जो बाकी जमा रकम है वह इस प्रकार है :—

(करोड़ों रुपये में)

	रिजर्व बैंक से उधार ली गई रकम	रिजर्व बैंक के पास शेष रकम (जमा)
28, सितम्बर, 1973	39	745
26 अक्तूबर, 1973	84	740
30 नवम्बर, 1973	98	761
26 दिसम्बर, 1973	211	662
25 जनवरी, 1974	229	754
22 फरवरी, 1974	310	704
29 मार्च, 1974	409	610
12 अप्रैल, 1974 . .	337	661

बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक से ली गयी उधार की रकमों में वृद्धि और रिजर्व बैंक में उनकी जमा रकम में घट बढ़ के मुख्य कारण ये हैं :—

(1) काम के चालू मौसम में बैंको के जमा खाते के स्रोतों की वृद्धि की दर में काफी कमी; और

(2) ऋण की मांग में वृद्धि।

(ग) काम चालू मौसम के लिये ऋण नीति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सितम्बर, 1973 के अन्त में अपनी सावधि और मांग संबंधी कुल देनदारियों के समानुपात में उधार लेने के हकदार हैं। रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि निर्धारित कोटे से अधिक सीमा की स्वीकृति केवल अलग-अलग बैंक के साथ विस्तृत बातचीत करके और आवश्यकता के अनुसार के आधार पर दी गयी थी। उसकी वापसी अदायगी का समय जून, 1974 तक बढ़ाया गया था।

तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के सन्दर्भ में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिपूर्ति भत्ते का भुगतान

8359. **श्री महेन्द्र सिंह गिल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीसरे वेतन आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के संदर्भ में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते तथा नगर प्रतिपूर्ति भत्तों के भुगतान के बारे में आदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन भत्तों का भुगतान किस निधि से किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) तृतीय वेतन आयोग ने मकान किराया भत्ता और नगर निवास प्रतिपूर्ति भत्ते के बारे में जो सिफारिशें की हैं उनके संबंध में सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों को लागू करने वाले आदेश अभी जारी नहीं किये गये हैं। क्योंकि कुछ कर्मचारी संघों से लागू करने की तारीख और कार्यविधि संबंधी कुछ अन्य परिवर्तन करने के बारे में दरख्वास्तें प्राप्त हुई थीं। संयुक्त परामर्शदाता तंत्र के अन्तर्गत स्थापित राष्ट्रीय परिषद् में भी कर्मचारी पक्ष की ओर से यह मामला उठाया गया था और कर्मचारी पक्ष के निवेदन पर इस मामले को विचारार्थ राष्ट्रीय परिषद् की एक समिति को सौंप दिया गया था। समिति में हुई चर्चाओं को दृष्टि में रखते हुए विभिन्न प्रश्नों की जांच की जा रही है।

आयरलैंड से वित्तीय सहायता

8360. **श्री तरुण भोगोई** :
श्री निहार लास्कर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयरलैण्ड ने पहली बार भारत को आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित सहायता की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या किसी करार पर हस्ताक्षर हो गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) जी हां। आयरलैंड द्वारा दी गयी सहायता, 150,000 पौंड की मुक्त रूप से रूपान्तरणीय विदेशी मुद्रा के अनुदान के रूप में है। यह पूर्णतः अनाबद्ध है और इसका पूर्णतः अथवा आंशिक उपयोग आयरलैंड या भारत या अन्य किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। परस्पर रूप से यह तय किया गया है कि इस राशि का उपयोग विज्ञान और प्रौद्योगिक विज्ञान विभाग जल्दी ही आई० आई० टी० मद्रास में स्थापित किये जाने वाले प्रादेशिक सूक्ष्म यंत्रनिर्माण केन्द्र (रीजनल सेफिस्टिकैडेट इंस्ट्रूमण्टेशन सेंटर) की आयात सम्बन्धी आवश्यकताओं की विदेशी मुद्रा के रूप में आने वाली लागत को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

(ग) इस सम्बन्ध में 30 मार्च, 1974 को नई दिल्ली में आयरलैण्ड सरकार और भारत सरकार के बीच पत्रों का आवेदन किया गया था।

आल इंडिया बैंक एम्पलाइज एसोसिएशन द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक-मंडलों में परिवर्तन के संबंध में निर्णय

8361. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आल इण्डिया बैंक एम्पलाइज एसोसियेशन ने राष्ट्रीयकृत बैंकों की ऋण नीति में परिवर्तन करने के लिए उनके निदेशक मंडल में 'निरन्तर संदर्भ' करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किस प्रकार के परिवर्तनों की मांग की है और सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) (क) सम्भवतः माननीय सदस्य उस संकल्प का उल्लेख कर रहे हैं जिसे अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ से सम्बद्ध मजदूर संघों के श्रमिक निदेशकों द्वारा कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में पेश किया गया था जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि गैर-सरकारी वितरण एजेन्सियों को कुछ वस्तुओं के एवज में बैंक ऋण नहीं दिया जाए।

(ख) ऋण नीति को अमल में लाते समय या रिजर्व बैंक संवेदनशील वस्तुओं की सप्लाई, मांग और मूल्य की स्थिति जैसी बातों पर यथोचित ध्यान देता है और इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करता है कि बैंक ऋण सम्बन्धी सुविधाओं का कोई दुरुपयोग न किया जाए।

स्टेट बैंक आफ इंडिया को देहरादून शाखा को धोखा देना

8362. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ फर्मों ने जाली हुंडियों तथा जाली प्रतिभूतियों के द्वारा स्टेट बैंक आफ इंडिया की देहरादून शाखा को धोखा देकर 15 लाख रुपये की ठगी की है और उन लोगों से धनराशि वापस मिलने की कोई आशा नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो मामले के तथ्य में क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) स्टेट बैंक आफ इंडिया ने रिपोर्ट दी है कि उसकी देहरादून शाखा में, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की श्रेणी के अधीन 18 खातों में लगभग 15 लाख रुपये की बकाया रकम फंसी पड़ी है। बैंक को उम्मीद है कि इस रकम में से, केवल 4.5 लाख रुपये की रकम की वसूली संदिग्ध है। बैंक ने 18-खाताधारियों में से 12 के विरुद्ध दीवानी मुकदमा दायर कर दिये हैं और बाकी खाताधारियों के सम्बन्ध में उनसे बकाया रकम को वसूल करने के लिए कानूनी कार्यवाई शुरू की जा रही है।

Conference held by all India Reserve Bank Employees Association

8363. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether the 24th Conference of the All India Reserve Bank Employees Association was held in Delhi from the 2nd to 6th April, 1974;

(b) whether any charter of demands has been presented to him on their behalf;

(c) if so, broad outlines thereof; and

(d) the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) The All India Reserve Bank Employees Association is reported to have held their 24th Conference in the 1st week of April, 1974.

(b) No, Sir.

(c) & (d) Do not arise.

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा कार्य चालन व्ययों में कमी करने के लिए कार्यवाही

8364. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा कार्य चालन व्ययों में वर्ष 1974-75 में 1.5 करोड़ रुपये की कमी करने की आशा है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) इण्डियन एयरलाइंस ने कुछ ऐसे विभिन्न उपाय किये हैं जैसे कि संशोधित शिफ्ट प्रणाली का प्रचालन कतिपय अपव्ययी कार्य-विधियों की समाप्ति इत्यादि, जिनसे इसे अपने व्ययों में लगभग 1.9 करोड़ रुपये की कमी करने की आशा है।

दार्जिलिंग में काशीराम टी इंडस्ट्रीज लि० को पुनः चालू करने के लिये सहायता

8365. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दार्जिलिंग जिले में काशीराम टी इंडस्ट्रीज लि० के अधीन सामावियोग और अपर फागू चाय बागानों के प्रबन्धकों ने सरकार से सहायता मांगी है जिससे वे 1968 से बंद पड़े इन बागानों को पुनः चालू कर सकें;

(ख) यदि हां, तो क्या सहायता मांगी है; और

(ग) इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) काशीराम टी इन्डस्ट्रीज लि० ने पश्चिम बंगाल सरकार को उनके बंद पड़े हुए दो चाय बागानों अर्थात् सामावियोग तथा अपर फागू के लिए 6 लाख रु० की वित्तीय सहायता के लिए अभ्यावेदन दिया है। इसकी एक प्रतिलिपि केन्द्रीय सरकार को भी प्राप्त हुई है।

(ग) बंद तथा संकटग्रस्त चाय बागानों का प्रबंध तथा पुनःस्थापन अपने हाथ में लेने का सामान्य प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

सरकारी उपक्रमों में कारों के उपयोग संबंधी निदेश

8366. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उद्यमों के ब्यूरो ने सरकारी उपक्रमों के प्रबन्धकों को निदेश दिये हैं कि वे अपने अधिकारियों को सरकारी अथवा निजी उपयोग के लिए कारों का आवंटन कतिपय विशिष्ट शर्तों पर ही करें;

(ख) यदि हां, तो उक्त निदेशों संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या उक्त निदेशों का अनेक मामलों में उल्लंघन किया जा रहा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) सरकारी उद्यम कार्यालय ने सरकारी उपक्रमों को अपने प्रबन्धकों को कारें आवंटित करने के बारे में मार्ग-दर्शक हिदायतें जारी की हैं।

सरकारी उपक्रमों के अधिकारी सरकारी यात्रा के लिए कम्पनी की स्टाफ कार का उपयोग कर सकते हैं।

सामान्यतः गैर-सरकारी प्रयोजनों के लिए केवल मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और अन्य उच्च पदाधिकारियों को ही स्टाफ-कार का इस्तेमाल करने की अनुमति है। इन मामलों में कारों के आकार के आधार पर निर्धारित दरों पर वसूली की जाती है। आमतौर पर गैर-सरकारी सफर के लिए 500 किलोमीटर की उच्चतम सीमा लागू होती है, इससे अधिक सफर करने पर सामान्य किलोमीटर दर से वसूली की जाती है। गैर-सरकारी सफर करने की सीमा को मुख्य महानगरों में निदेशक मण्डल की स्वीकृति से बढ़ाया जा सकता है। स्टाफ कारों के संबंध में रोजनामचा (कार-लाग) रखा जाता है जिसमें सरकारी और गैर-सरकारी उपयोग का ब्यौरा दिया जाता है।

उपर्युक्त मार्गदर्शक हिदायतें यद्यपि निदेशों के रूप में नहीं हैं परन्तु उन पर सामान्यतः अमल किया जाता है।

निर्यात प्रोत्साहन योजना का पुनर्विलोकन

8367. **श्री एस० एन० मिश्र**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निर्यात प्रोत्साहन योजना का पुनर्विलोकन करने के लिए संसद् सदस्यों की एक समिति बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) संसद् की सलाहकार समिति की एक उप-समिति पहले ही और आगे सुधारों के बारे में सुझाव देने के उद्देश्य से निर्यात संवर्धन तथा प्रोत्साहन योजनाओं के कुछ पहलुओं का पुनरीक्षण कर रही है।

(ख) समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित प्रकार से है : नकद सहायता तथा आयात प्रतिपूर्ति योजनाओं के वर्तमान आधार का पुनरीक्षण तथा भविष्य के लिए सिफारिशें करना। इसी प्रकार समिति अनिवार्य निर्यातों के संबंध में वर्तमान नीति का पुनरीक्षण करेगी तथा भविष्य के लिए सिफारिशें करेगी।

वर्ष 1974-75 के दौरान पर्यटन केन्द्र विकसित करने संबंधी योजना

8368. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974-75 में देश में पर्यटक केन्द्रों के विकास के लिए सरकार ने कोई नई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) साधनों की कमी के कारण 1974-75 में केवल वही स्कीमें हाथ में ली जायेंगी जो चौथी योजना के दौरान प्रारम्भ की गयी थीं। पांचवीं योजना में प्रारम्भ की जाने वाली नई स्कीमों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

कताई कारखानों के आर्थिक ढांचे में परिवर्तन

8369. **श्री के० मालन्ना :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कताई कारखानों के आर्थिक ढांचे में परिवर्तन करने का जोरदार समर्थन किया है; और

(ख) यदि हां, तो धागे के उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित कराने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में अपनाई गई नई नीति का ब्यौरा क्या है।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) चौथी योजना की नीति में कताई एककों की क्षमता बढ़ाकर 25,000 तकुओं के लाभकारी स्तर पर लाने की व्यवस्था की गई थी। हालांकि लाभकारी आकार में परिवर्तन का कोई विचार नहीं है, लेकिन ज्यादा यार्न उत्पादन और अपेक्षाकृत कम इकाई लागत के लिए पांचवीं योजना की नीति के तौर पर तकुआ क्षमता की 25,000 तकुओं से भी आगे बढ़ाने की अनुमति देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

(ख) चौथी योजना की अवधि के दौरान 25 लाख अतिरिक्त करघों तक सूती वस्त्र उद्योग की नई तकुआ क्षमता लगाने के संबंध में सिफारिशें की गई थीं। पांचवीं योजना की अवधि के दौरान कताई क्षमता में और भी विस्तार किये जाने का विचार है।

कच्चे माल के लिए आयात लाइसेंसों में संशोधन

8370. **श्री के० मालन्ना :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्वाध विदेशी मुद्रा तथा रुपयों में भुगतान के आधार पर कच्चे माल, उपकरणों तथा पूंजीगत वस्तुओं के लिए जारी किये गये आयात लाइसेंसों में सरकार ने हाल ही में कुछ संशोधन किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन एयरलाइन्स देशीय सेवा का विश्लेषण

8371. **श्री देवेन्द्र नाथ महाता:** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इण्डियन एयरलाइन्स देशीय सेवा का कोई मार्गवार विश्लेषण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस ने अपनी सेवाओं का मार्गवार विश्लेषण 1971-72 में तथा दुबारा 1974 में किया था। 1971-72 में किये गये अध्ययनों के परिणामस्वरूप किरायों का औचित्यकरण किया गया था; तथा जनवरी, 1974 में किये गये अध्ययनों के परिणामस्वरूप कुछ नितांत अलाभप्रद मार्गों को कार्पोरेशन के मार्ग जाल में से निकाल दिया गया था।

पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में हैलीपैंड तथा हवाई पट्टियों का निर्माण

8372. **श्री देवेन्द्रनाथ महाता** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना काल के दौरान किन-किन पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में हैलीपैड तथा हवाई पट्टियां बनाई गईं; और

(ख) इन हैलीपैंड तथा हवाई पट्टियों पर अब तक कितनी धनराशि आवंटित तथा व्यय की गई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) चौथी योजनावधि के दौरान पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी प्रदेश के राज्यों में नागर विमानन के महानिदेशक अथवा भारत के अन्तर्राष्ट्रीय विमानन पत्तन प्राधिकरण द्वारा कोई हैलीपैड नहीं बनाये गये हैं। मेघालय में बारापनी (शिलांग) पर नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा एक हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। 31 मार्च, 1974 तक आवंटित तथा खर्च की गयी धनराशि 79.45 लाख रुपये है। प्रायोजना की कुल लागत का अनुमान 133.61 लाख रुपये लगाया गया है।

कलकत्ता-पुरुलिया और कलकत्ता-रूपसी-कूचबिहार-हाशिमारा मार्गों पर दैनिक हवाई सेवा

8373. **श्री देवेन्द्र नाथ महाता** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता-पुरुलिया और कलकत्ता-रूपसी-कूचबिहार-हाशिमारा मार्गों पर दैनिक हवाई सेवा चलाने के प्रश्न पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) इण्डियन एयरलाइंस द्वारा किये गये परिचालन के मार्गवार आर्थिक अध्ययन से पता चला है कि कलकत्ता/कूच बिहार सेवा नितांत अलाभप्रद है। तदनुसार, 18 मार्च, 1974 से चालू की गयी नयी समयावली में कूच बिहार के लिए विमान सेवा पुनः परिचालित नहीं की गयी। जब ईंधन लागत में असाधारण वृद्धि के कारण उत्पन्न हुई समस्या का समाधान हो जायेगा तो स्थिति का पुनर्विलोकन कर लिया जायेगा।

पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रीय राज्यों में पर्यटन-केन्द्रों का विकास

8374. **श्री देवेन्द्र नाथ महाता** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रीय राज्यों में उन स्थानों के नाम क्या हैं जिनको पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन-केन्द्रों, तीर्थ स्थलों तथा मेलों के लिए स्थानों के रूप में विकसित करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : पांचवीं योजना के दौरान, चौथी योजना की अवधि में प्रारम्भ किया गया दार्जिलिंग में वर्तमान पर्यटन बंगले का विस्तार-कार्य, गौहाटी में एक पर्यटक बंगले का निर्माण कार्य, दार्जिलिंग में एक युवा होस्टल और जलदापाड़ा और काजीरंगा के यात्री लॉजों का निर्माण कार्य पूरा कर दिया जायेगा।

पांचवीं योजना के दौरान दमदम एयरपोर्ट पर एक ट्रांजिट होटल का निर्माण तथा शुल्क-मुक्त दुकान का विस्तार एवं कलकत्ता में भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा परिवहन यूनिट की स्थापना का काय भी पूरा कर दिया जायेगा।

भारत पर्यटन विकास निगम का सिलीगुड़ी और गौहाटी में व्यवहार्यता अध्ययन कर लेने पर तथा साधनों की उपलब्धि की स्थिति में मोटलों के निर्माण का भी प्रस्ताव है।

यात्रियों के लिए तथा मेलों पर सुविधाओं का विकास राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है।

श्रीलंका से स्वर्ण की तस्करी

8375. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका से भारत में प्रति सप्ताह 10 लाख रुपये के मूल्य के स्वर्ण की तस्करी होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इसे रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) यद्यपि सरकार को प्राप्त हुई गुप्त सूचना संबंधी रिपोर्टों और पकड़े गये माल से पता चलता है कि श्रीलंका से भारत में सोने का तस्कर आयात किया जा रहा है, तथापि इस प्रकार के तस्कर आयात की मात्रा का विश्वसनीय अनुमान लगाना संभव नहीं है। परन्तु सीमाशुल्क विभाग के अधिकारी तथा राजस्व गुप्तचर्या निदेशालय के अधिकारी श्रीलंका से भारत में माल के तस्कर आयात किये जाने की समस्या के प्रति सतर्क हैं और सोने को पकड़ने के प्रयत्न तेज कर दिये गये हैं। गुप्त सूचना एकत्र की जाती है। मुख्य मार्गों पर नाकेबन्दी की जाती है। तस्कर व्यापार को रोकने और पता लगाने की दृष्टि से दोनों सरकारों के सरकारी अधिकारियों के बीच समय समय पर सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है।

मदुरै में एक अलग समाहर्ता-कार्यालय की स्थापना की गई ताकि समाहर्ता के स्तर का एक वरिष्ठ अधिकारी इस ओर अपना ध्यान केन्द्रित कर सके। तस्कर व्यापार विरोधी कर्मचारियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि की जा रही है। बेतार संचार व्यवस्था का जाल बिछाया जा रहा है।

पांचवीं योजना में सूती कपड़ा उद्योग में प्रमुख परिवर्तन

8376. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी पंचवर्षीय योजना में सूती कपड़ा उद्योग में कुछ प्रमुख परिवर्तन किये जायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) टैक्सटाईल उद्योग संबंधी कार्य दल द्वारा लगाये गये अनुमानों के अनुसार सूती वस्त्र उद्योग को स्वदेशी तथा निर्यात आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पांचवीं योजना के दौरान कताई, बुनाई और सोधित करने की क्षमता का काफी विस्तार करने की जरूरत पड़ेगी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए पांचवीं योजना के लिए विकास कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है।

मद्रास या विशाखापत्तनम को अन्तिम (टर्मीनल) पत्तन बनाना

8377. **श्री एस० ए० मुरूगनन्तम** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास या विशाखापत्तनम को अंतिम पत्तन बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) नौवहन कम्पनियों को इस बात को पूरी छूट है कि वे किसी भी पत्तन का प्रयोग अंतिम (टर्मीनल) पत्तन के रूप में कर सकती हैं जो माल की कुल उपलब्धि और विभिन्न पत्तनों पर कार्य करने की आवश्यकता पर निर्भर करता है, सरकार को किसी भी पोर्ट को अंतिम (टर्मीनल) पत्तन घोषित नहीं करना होता। इस संबंध में कोई प्रस्थापना इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

सुगंध वाले पदार्थों का निर्यात

8378. **श्री वसन्त साठे** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुगंध वाले पदार्थों का बड़ी मात्रा में निर्यात किये जाने की गुंजाइश है ;

(ख) सुगंध वाले पदार्थों के निर्यात से गत तीन वर्षों में (वर्षवार) कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ;

(ग) क्या सुगंध वाले पदार्थों के लिये विदेशी मांग का लाभ उठाने के लिये उनकी निर्यात क्षमता के बारे में कोई योजनाबद्ध सर्वेक्षण किया गया है अथवा करने का विचार है ; और

(घ) सुगंध वाले पदार्थों के निर्माताओं को कच्चा माल तथा अन्य प्रोत्साहन देकर उनके उत्पादन को बढ़ाने में सहायता देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ;

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) समाक्षारीय रसायन, भेषजीय पदार्थ तथा साबुन निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई, जो कि इत्रादि माल के निर्यात संवर्धन के लिए उत्तरदायी है, इस उत्पाद सहित अपनी मदों की निर्यात संभाव्यता का पता लगाने के लिए विश्व के विभिन्न देशों को बिक्री-सह-अध्ययन दल प्रायोजित करती रही है।

(घ) कच्चे माल के आयात की व्यवस्था पंजीकृत निर्यातकों हेतु आयात व्यापार नियंत्रण नीति में की जाती है। इत्रादि यौगिकों के लिए आयात प्रतिपूर्ति की दर को 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है जिससे निर्यात उत्पादन में मदद मिलने की संभावना है।

मुख्य देशों को इत्रादि माल के निर्यात

लाख रु०

देश	1970-71	1971-72	1972-73	अप्रैल-अक्तूबर 1973
1. बहरीन द्वीप समूह	3	3	3	3
2. पोलैंड	—	—	7	—
3. दुबई	5	4	9	8
4. कुवैत .	6	4	7	4
5. साऊदी अरबिया	9	8	14	17
6. ब्रिटेन .	7	9	11	10
7. संयुक्त राज्य अमरीका	45	44	41	25
8. सोवियत संघ	12	82	143	31
9. बंगलादेश .	—	—	11	2
10. नेपाल	9	20	17	6
11. इथोपिया	18	15	17	4
12. नाइजीरिया	4	10	18	नगण्य
13. सिंगापुर . .	15	16	17	9
14. मिस्र का अरब गणराज्य . .	16	1	1	2
15. मलयेशिया	15	9	8	4
अन्यों सहित योग .	237	319	417	203

निर्यातोन्मुख आयात नीति

8379. **श्री एम०एम० जोजफ:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में सरकार को चालू वित्तीय वर्ष में निर्यात से विदेशी मुद्रा की कितनी आय की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज): वर्ष 1974-75 के दौरान निर्यात कन्जर्वेटिव आधार पर 2360 करोड़ रु० तक, यथार्थ आधार पर 2574 करोड़ रु० तक पहुंचने का अनुमान है लेकिन ऐसी संभावना है कि ये 2771 करोड़ रु० तक पहुंच जायेंगे।

दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ संयुक्त उपक्रमों के लिए पूंजी निवेश

8380. **श्री एम०एस० पुरती :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की पेशकशों तथा स्वदेश प्रत्यावर्तन की गारन्टियों सहित विदेशी पूंजी निवेशकों के लिए आकर्षक सुविधाओं के बारे में उनके मंत्रालय द्वारा कोई अध्ययन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत द्वारा संयुक्त उपक्रमों के लिये पूंजी निवेश हेतु कौन-कौन से देश आकर्षक हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बारे में पूंजी-निवेश के अवसरों, विदेशी निवेशकों को दी जाने वाली सुविधाओं, वर्तमान कराधान आदि के संबंध में जानकारी सतत आधार पर प्राप्त की जाती है । इस प्रकार की जानकारी भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा प्रसारित किये जाने के लिए देश-वार प्रोफीलों में संकलित व अद्यतन की जाती है । ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय उद्योगियों को मलयेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड निवेश के लिए आकर्षक लगते हैं ।

तेल संकट के कारण आयात/निर्यात आय में कमी

8382. **श्री श्रीकिशन मोदी :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल संकट से आयात तथा निर्यात आय को आघात पहुंचा है ;

(ख) यदि हां, तो कितना ; और

(ग) क्या तेल के आयात पर निर्यात आय का 80 प्रतिशत भाग खर्च होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) वाणिज्यिक जानकारी तथा अंकसंकलन महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा संकलित तथा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 73-जनवरी, 1974 अवधि के दौरान देश में आयातों तथा देश से निर्यातों के संबंध में अंतिम आंकड़ों से पता चलता है कि जबकि 1972-73 की इसी अवधि की तुलना में आयात 47 प्रतिशत अधिक हुए, निर्यातों में 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

(ग) तेल की कीमतों में हाल में हुई वृद्धि को देखते हुए तेल के आयातों का मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में 1973-74 के दौरान काफी अधिक होगा । फिर भी इनका मूल्य कुल निर्यात आय का 80 प्रतिशत नहीं होगा ।

बिक्री-कर के अपवंचन को रोकने के उपाय

8383. **श्री श्रीकिशन मोदी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने बिक्री-कर के अपवंचन को रोकने के संबंध में जनवरी 1974 के प्रथम सप्ताह में राज्यों के वित्त सचिवों की एक बैठक बुलाई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या सुझाव दिये गये ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार स्थापित बिक्री-कर की चार क्षेत्रीय परिषदों की एक संयुक्त बैठक 1 और 2 जनवरी 1974 को की गयी थी जिसमें अन्य बातों के साथ साथ बिक्री-कर अपवंचन के प्रश्न पर भी चर्चा की गयी थी।

(ख) इस बैठक ने यह बात नोट की कि अंतर्राज्यीय लेन-देनों की और तत्संबंधी अन्य अनुषंगी बातों की जांच करने के लिए बिक्री-कर नाके स्थापित करने के प्रश्न की विधि आयोग द्वारा जांच की जा रही है ।

बिक्री-कर के अपवंचन को रोकने के लिए निम्नलिखित सिफारिशें भी की गयीं :—

(i) बिक्री-कर विभाग के अफसरों और केन्द्रीय सरकार के कर विभागों के बीच सूचना का सम्यक आदान-प्रदान होना चाहिए ; इसके लिए, स्थापित की गयी क्षेत्रीय समितियों पर राज्य के बिक्री-कर अधिकारियों का प्रतिनिधित्व रहना चाहिए।

(ii) रेल प्रशासन, वित्त मंत्रालय और कुछ राज्य सरकारों के अधिकारियों की एक समिति इस बात की जांच करे कि रेल अधिकारियों और बिक्री-कर अधिकारियों के बीच अधिकतम समन्वय की व्यवस्था किस प्रकार की जा सकती है, जिससे बिक्री-कर अधिकारी बिक्री-कर की उगाही कर सकें ।

(iii) जहां तक संभव हो, बिक्री-कर आयद करने के मामले में राज्यों की एक समान नीति रहे, और उच्चतर दरों से कर लगने वाली जिन्सों पर लगने वाले कर की दर में अंतर, जिन्स के अनुसार, दो प्रतिशत से अधिक नहीं हो, तथा इसी प्रकार निम्नतर दरों से कर लगने वाली जिन्सों पर लगने वाले कर की दर में अंतर एक प्रतिशत से अधिक नहीं हो। केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह योजना आयोग के साथ परामर्श करके उन जिन्सों की एक सूची बनावे, जिनके लिए राज्य सरकारें, उपयुक्त सीमांत अंतर की गुंजाइश रखती हुई, एक समान दरें बनाने का विचार कर सकें ।

वर्तमान कराधान प्रणाली में परिवर्तन

8384. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**
श्री एन० राम गोपाल रेड्डी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विकास मंत्री ने सरकार की वर्तमान कराधान प्रणाली में परिवर्तन का आह्वान किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) औद्योगिक विकास मंत्री ने 21 फरवरी 1974 को भारतीय निर्यात संगठन संघ के समक्ष अपने वक्तव्य में इस बात पर जोर दिया था कि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य इस तरह निर्धारित किये जायं की प्रभावित खरीदारों की नजर में प्रतियोगी जान पड़ें । उन्होंने यह सुझाव भी दिया था कि प्रोत्साहन देने की हमारी प्रणाली की समय समय पर जांच करना इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारी वित्तीय प्रणाली अथवा उत्पादन प्रणाली

में परिवर्तन किये जाने से हमारे निर्यातों की प्रतियोगिता पर कोई बुरा असर न पड़े और इसके साथ ही आकस्मिक और असंगत बातों के कारण निर्यातकों को अप्रत्याशित भारी लाभ न हो। मंत्री ने अपने भाषण में वर्तमान कराधान प्रणाली में कोई परिवर्तन करने का सुझाव नहीं दिया था।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

सेवामुक्त होने वाले सैनिक कर्मचारियों को जीवन बीमा एजेंसी में प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव

8385. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवामुक्त होने वाले सैनिक कर्मचारियों को जीवन बीमा एजेन्सी के कार्य का प्रशिक्षण देने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रशिक्षण के इच्छुक सेवामुक्त होने वाले अन्य सरकारी कर्मचारियों को ऐसा प्रशिक्षण न देने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) सेवानिवृत्त सैनिक कर्मचारियों को ऐजेंटों के रूप में काम करने का प्रशिक्षण देने की एक योजना पहले ही चल रही है।

(ख) सरकारी (सिविल) कर्मचारी, सैनिक कर्मचारियों के मुकाबले अधिक उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं, इसलिए उनके लिए सक्रिय काम करने की अवधि सीमित है।

कोल्हापुर में हवाई अड्डे का निर्माण-कार्य पूरा किया जाना

8386. **श्री निम्बालकर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में कोल्हापुर में प्रस्तावित हवाई अड्डे को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था ;

(ख) हवाई अड्डे की अनुमानित लागत क्या है ; और

(ग) इसका निर्माण-कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) कोल्हापुर स्थित वर्तमान हवाई अड्डे के विकास के लिए एक प्रस्ताव चौथी योजना में सम्मिलित किया गया था।

(ख) इसे 1973 में एच० एस०-748 परिचालनों के उपयुक्त बनाने के लिए 73.62 लाख रुपये के परिव्यय का अनुमान लगाया गया था।

(ग) प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी गयी है क्योंकि इंडियन एयरलाइन्स ने कोल्हापुर के लिए विमान सेवाएं परिचालित करने का निर्णय नहीं किया है, विशेषकर वर्तमान ईंधन संकट को दृष्टि में रखते हुए ।

विश्व बैंक के एक दल द्वारा भारतीय अर्थ-व्यवस्था का अध्ययन

8387. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश का दौरा करने वाले विश्व बैंक के एक दल ने हमारी अर्थ-व्यवस्था के सभी पहलुओं का अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त दल के निष्कर्ष तथा सुझाव क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्र को दिए गए ऋण

8388. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विभिन्न राज्यों के प्राथमिकता वाले क्षेत्र को कितनी-कितनी धन-राशि के ऋण दिये गये ;

(ख) इसी अवधि में खाद्यान्न व्यापारियों को कितनी धन-राशि के ऋण दिये गये ; और

(ग) गत तीन वर्षों में लघु उद्योगों को कितनी धनराशि के ऋण दिये गये ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को जून, 1973 के अन्त तक दिए गए अग्रिमों के बारे में राज्यवार सूचना विवरण में दी गयी है।

(ख) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जून, 1973 के अंत तक अनाज पर (ऐसे अनाज को छोड़ कर जिनका कारोबार अनाज वसूली एजेंसियों द्वारा किया जाता है) दिये गये अग्रिमों की बकाया रकम 42.1 करोड़ रुपये थी । इस राशि में केवल अनाज के व्यापारियों को दिये गये अग्रिम ही शामिल नहीं हैं बल्कि चावल मिलों, आटा मिलों आदि जैसे अनाज को बनाने संवारने वाले एकक और फैक्टरियों, सहकारी संस्थाओं और किसानों को दिये गये अग्रिम भी शामिल हैं ।

(ग) छोटे पैमाने के उद्योगों को, दिसम्बर, 1971, दिसम्बर, 1972 और जून, 1973 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सरकारी बैंकों द्वारा दिय गये अग्रिमों की बकाया रकमें इस प्रकार थीं :

(करोड़ रुपयों में)

दिसम्बर, 1971 . .	482.81
दिसम्बर, 1972	571.32
जून, 1973	641.64

विवरण

जून 1973 के अन्त में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये अग्रिमों का राज्यवार ब्यौरा

राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	जून, 1973 के अंत में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम	
	खातों की संख्या*	बकाया रकम (करोड़ रु० में)
(1)	(2)	(3)
1. आन्ध्र प्रदेश	2,00,507	89.5
2. असम . .	13,111	11.6
3. बिहार . . .	61,615	40.3
4. गुजरात .	1,33,057	128.6
5. हरियाणा .	44,798	36.4
6. हिमाचल प्रदेश .	3,240	1.5
7. जम्मू और कश्मीर . .	4,348	3.8
8. केरल .	1,45,304	66.1
9. कर्नाटक	2,26,871	102.1
10. मध्य प्रदेश	83,717	42.3
11. महाराष्ट्र	2,14,502	255.6
12. मणिपुर	1,501	0.6
13. मेघालय	2,479	1.0
14. नागालैंड	157	0.2
15. उड़ीसा	26,093	9.8
16. पंजाब	31,830	66.0
17. राजस्थान	56,330	28.5
18. तमिलनाडू	4,07,457	153.3
19. त्रिपुरा	1,291	0.6
20. उत्तर प्रदेश .	1,33,600	17.3
21. पश्चिम बंगाल	96,169	89.4
संघ राज्य क्षेत्र		
22. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	298	0.1
23. अरूणाचल प्रदेश . .	6	नगण्य
24. चण्डीगढ़ . . .	616	2.8
25. दादर और नगर हवेली . . .	414	0.2

(1)	(2)	(3)
26. दिल्ली .	12,152	33.4
27. गोश्रा, दमन और दीव	6,480	5.9
28. लक्षद्वीप	98	नगण्य
29. मिजोराम .	—	—
30. पांडीचेरी . .	11,877	2.3
31. बैंकों द्वारा अनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र	4,042	6.2
जोड़	19,23,960	1295.4

*स्वीकृत और चालू सीमाओं से संबंधित

टिप्पणी : 1. आंकड़े अंनतिम हैं 2. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र से संबंधित आंकड़ों में इलाहाबाद बैंक द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों को दी गयी सहायता शामिल नहीं है। 3. खातों की कुल संख्या और बकाया रकमों के क्षेत्रों, क्षेत्रवार जोड़ों में राज्यवार जोड़ में आंकड़े एकत्रित करने की समस्याओं के कारण थोड़ा अन्तर है ।

जैट विमानों द्वारा प्रयोग में आने वाले हवाई अड्डों पर उतार-प्रकाश (एप्रोच-लाइट्स)

8389. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैट विमानों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले कुछ हावई अड्डों पर बहुत तेज उतार-प्रकाश (एप्रोच लाइट्स) व्यवस्था नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे हवाई अड्डों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) विभिन्न विमान क्षेत्रों पर विमान परिचालकों की आवश्यकताओं तथा साधनों की उपलब्धि के अनुरूप विभिन्न प्रकार की एप्रोच और रनवे लाइटों की व्यवस्था की जाती है । क्योंकि एप्रोच लाइटों से परिचालनों की सुरक्षा, कार्यकुशलता और निर्मितता में वृद्धि होती है : जहां कहीं रात्रि परिचालनों के लिये रनवे लाइटिंग की आवश्यकता होती है, एक आवश्यक सेवा होने के कारण इसकी व्यवस्था कर दी जाती है।

(ख) जेट विमानों द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे विमान क्षेत्रों में से जयपुर, आगरा (भारतीय वायुसेना विमान क्षेत्र), खजुराहो, वाराणसी, लखनऊ, अमृतसर, त्रिवेंद्रम, बंगलौर (एच० ए० एल० विमान क्षेत्र), गौहाटी, पानागढ (जिसका प्रयोग विकल्प के रूप में किया जाता है), पटना, बागडोगरा, मंगलौर के पास अत्यधिक तीव्र प्रकार की एप्रोच लाइटों की व्यवस्था नहीं है । उनमें से जयपुर, आगरा (भारतीय वायुसेना विमान क्षेत्र), वाराणसी, लखनऊ और बंगलौर (एच० ए० एल० विमान क्षेत्र) ही ऐसे विमान क्षेत्र हैं जहां अंधेरे के समय अनुसूचित विमान परिचालन किये जाते हैं ।

(ग) जयपुर और लखनऊ हवाई अड्डों पर इन लाइटों की व्यवस्था करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

संकटग्रस्त चाय बागानों का राष्ट्रीयकरण

8390. **श्री रानेन सेन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संकटग्रस्त चाय बागानों का राष्ट्रीयकरण करना नहीं चाहती, परन्तु उनके प्रबंध को पांच वर्ष के लिये अपने अधिकार में लेना चाहती है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) चाय उद्योग के विकास तथा चाय के संवर्धन के लिये जीवन क्षम तथा दीर्घकालिक नीति विकसित करने के प्रयोजनार्थ गत वर्ष स्थापित किये गए चाय संबंधी टास्क फोर्स ने पूरे देश में बंद पड़े तथा संकटग्रस्त चाय बागानों के पुर्न-स्थापन हेतु सिफारिशें की हैं जो कि अभी सरकार के विचाराधीन हैं ।

हिमाचल प्रदेश और जम्मू तथा काश्मीर में पर्यटन के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता

8391. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू-कश्मीर राज्यों को चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन-विकास के लिये केन्द्रीय सरकार तथा भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा वित्तीय सहायता दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना काल के दौरान इनमें से प्रत्येक राज्य को कुल कितनी सहायता दी गई ; और

(ग) हिमाचल प्रदेश को कम धनराशि आवंटित किये जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) पर्यटन योजना के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा सहायता प्राप्त स्कीमों की प्रथा को समाप्त कर देने के निर्णय को दृष्टि में रखते हुए किसी भी राज्य सरकार को चौथी पंचवर्षीय योजना में कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी जा सकी।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

मास्को से दिल्ली तक एयर इंडिया की उड़ानें

8392. **श्री नरायण चंद पराशर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया की मास्को से दिल्ली तक विमान सेवा सप्ताह के कौन-कौन से दिन चलती है ;

(ख) क्या सोमवार और मंगलवार को मास्को से दिल्ली के लिये विमान-सेवा नहीं होती जबकि कुछ दिन एयरो फ्लोट विमान-सेवा के अतिरिक्त एयर इंडिया की विमान सेवा भी उपलब्ध होती है ;

(ग) यदि हां, तो क्या एयर इंडिया का विचार अपनी विमान-सेवा को इस प्रकार युक्ति-युक्त बनाने का है कि वह उस दिन भी उपलब्ध हो सके जिस दिन अब उपलब्ध नहीं होती है ; और

(घ) जनवरी और फरवरी, 1974 के दौरान एयर इंडिया के मास्को से दिल्ली के विभिन्न ट्रिपों में, ट्रिप-वार, कुल कितने यात्रियों ने यात्रा की ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) एयर इंडिया अपनी मास्को से दिल्ली की सेवाएं बुध और इतवार को परिचालित करती है ।

(ख) एयर फ्लोट मास्को-दिल्ली, सेवाएं मंगल, बुध, शुक्र और इतवार को परिचालित करती है । बुध और इतवार को दोहरी सेवाओं का परिचालन एयरो फ्लोट द्वारा अतिरिक्त सेवाएं परिचालित कर देने से प्रारम्भ हुआ ।

(ग) अपनी मास्को से दिल्ली की सेवाओं के परिचालन दिवसों में परिवर्तन के लिये एयर इंडिया को बोइंग-707 मार्गों पर अपने परिचालन के समस्त ढांचे को बदल देना पड़ेगा । तथापि, एयर इंडिया द्वारा पहले ही इसकी विस्तारपूर्वक जांच की जा रही है ।

(घ) जनवरी और फरवरी, 1974 के महीनों में एयर इंडिया की विभिन्न उड़ानों पर मास्को से यात्रा करने वाले यात्रियों की कुल संख्या निम्नलिखित है :--

	यात्रियों की संख्या		उड़ानों की संख्या	
	जनवरी	फरवरी	जनवरी	फरवरी
उड़ान ए आई 502				
बुधवार .	43	55	2	3
उड़ान ए आई 510,				
इतवार	108	45	4	4
योग	151	100	6	7

वर्ष 1974-75 के दौरान पर्यटन प्रचार अभियान के लिए स्वीकृत धनराशि

8393. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में पर्यटन विकास को बढावा देने के लिये विदेशों में प्रचार अभियान शुरू करने हेतु वर्ष 1974-75 के दौरान कुल कितनी धनराशि स्वीकृत करने का प्रस्ताव है; और

(ख) विदेशी मुद्रा के अर्जन में यह किस प्रकार सहायक होगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) विदेशों में प्रचार अभियान के लिये चालू वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये 113.61 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

(ख) अनुमान लगाया गया है कि भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों से 1973 के दौरान अर्जित की गयी अनुमानतः 67.50 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा के मुकाबले में 1974 में लगभग 75.70 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा उपार्जित की जायेगी।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

8394. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों और खाद्य तेलों जैसी अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वर्ष 1974 की पहली तिमाही में और आगे वृद्धि हुई है ; और

(ख) मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिये सरकार किन नये उपायों पर विचार कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) 29 दिसम्बर, 1973 और 30 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले सप्ताहों में चुनी हुई उपभोक्ता वस्तुओं की थोक कीमतों के सूचकांक संलगन विवरण में दिये गये हैं।

(ख) कीमतों में वृद्धि का कारण स्फीतिकारी दबाओं का बना रहना है जो मूलतः दो कृषि मौसमों को खराब होने के कारण पैदा हो गये थे। सरकार पूर्ति में वृद्धि करने और अत्यावश्यक वस्तुओं के वितरण में सुधार करने और इसके साथ-साथ राजस्व और मुद्रा संबंधी उपायों के जरिये कुल मांग को कम करने के लिये कदम उठाती रही है। इसके परिणामस्वरूप, 1973-74 में मुद्रा पूर्ति की वृद्धि की दर में कमी हुई है ; अक्टूबर 1973 के बाद, बैंकों पर सरकार की निर्भरता भी स्थिर हो गयी है।

थोक मूल्यों के सूचकांक

विवरण

(आधार : 1961-62=100)

	सूचकांक		
	29-12-73	30-3-74	29-12-73 के मुकाबले में 30-3-74 को प्रतिशत परिवर्तन
1	2	3	4
सभी वस्तुयें	265.8	282.9	+6.4
खाद्य वस्तुएं . .	307.0	321.8	+4.8
खाद्यान्न . . .	307.3	336.2	+9.4
दालों से भिन्न अनाज	279.8	309.8	+10.7
दालें .	431.5	455.3	+5.5
खाने के तेल . .	360.9	379.3	+5.1
चीनी और उससे संबंधित उत्पाद	294.0	269.7	−8.3
विविध खाद्यान्न वस्तुएं	206.7	237.5	+14.9

1	2	3	4
ईंधन, शक्ति, बिजली और चिकनाने वाले तेल			
कोयला .	268.4	268.4	जैसा पहले था
मिट्टी का तेल	267.2	320.6	+20.0
निर्मित वस्तुएं			
कपड़ा उद्योग	191.3	199.8	+4.4
साबुन .	167.2	167.2	जैसा पहले था
औषध और दवाइयां	148.7	148.7	--तदेव--
कागज और कागज उत्पाद	151.8	170.9	+12.6

नगरों का वर्गीकरण

8395. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में 'डी' और 'ई' श्रेणी के नगरों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं; और

(ख) विभिन्न श्रेणी के नगरों में सरकारी कर्मचारियों को दिये जाने वाले भत्तों तथा अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को नगर निवास प्रतिपूर्ति भत्ता और मकान किराया भत्ता देने के प्रयोजन से नगरों/महानगरों का 'ए', 'बी-I' 'बी-II' और 'सी' श्रेणी के रूप में वर्गीकरण किया गया है। इस निमित्त नगर/महानगर का 'डी' और 'ई' श्रेणी का कोई वर्गीकरण नहीं है। 'ए', 'बी-I' और 'बी-II' श्रेणी के नगरों में नगर निवास प्रतिपूर्ति भत्ता और मकान किराया भत्ता दोनों मिलते हैं, तथा 'सी' श्रेणी के नगरों में केवल मकान किराया भत्ता मिलता है।

निर्यात बढ़ाने के लिये रियायतें देना

8396. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिये हाल ही में कोई रियायतें दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इससे निर्यात का कौन सा क्षेत्र लाभान्वित होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) वर्ष अप्रैल, 1974—मार्च, 1975 के लिये आयात नीति की निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं हैं जो निर्यातों को बढ़ायेंगी :—

(1) उन निर्यात उत्पादों के संबंध में जिनकी आयात प्रतिपूर्ति की दर 50 प्रतिशत से कम है, निर्यातकों को सामान्य प्रतिपूर्ति के 10 प्रतिशत के बराबर राशि के लिये अतिरिक्त आवंटन की अनुमति दी गयी है।

(2) अपनी आवश्यकताओं के आयातों की समय पर व्यवस्था करने तथा उसके अनुसार अपने आयातों की योजना बनाने के लिये विनिर्माताओं-निर्यातकों की सहायता करने के उद्देश्य से ऐसे निर्यातकों को अपने निर्यातों पर 1973-74 के दौरान उनके द्वारा प्राप्त आयात प्रतिपूर्ति हकदारी "पुनरावृति आधार" पर विशिष्ट अवधि में सामान्य निर्यात हकदारी के आधार पर समंजित किये जाने वाले अग्रिम आवंटन के रूप में प्रयोग करने की अनुमति दी गई है। छोटे पैमाने के औद्योगिक एककों के संबंध में 1973-74 के लिये जारी किये गये कच्चे माल, संघटकों तथा फालतू पुर्जों के लिये आयात लाइसेंसों की भी उनके मूल्य के 50 प्रतिशत की सीमा तक "पुनरावृति कार्यवाही" के लिये अनुमति दी गई है।

(3) लघु क्षेत्र में निर्यातकों को उनके पास मौजूद वैध लाइसेंसों के बदले मौजूद आयातित कच्चे माल की सप्लाई करने के लिये राज्य सरकारों के निर्यात निगमों को सुविधायें प्रदान की गई हैं। इस प्रयोजन के लिये निगमों को उपयुक्त मूल्य के इम्प्रैस्ट लाइसेंस जारी किये जायेंगे।

(4) निर्यातकों को स्वदेशी कच्चे माल की सप्लाइयों के संबंध में वर्तमान योजनाओं के अलावा एक नई योजना शुरू की गई है जिसके अन्तर्गत कतिपय चुने हुए उद्योगों में लगे हुए वास्तविक उपभोक्ताओं को दिये गये कच्चे माल के लिये आयात लाइसेंस इस शर्त के अधीन होंगे कि उत्पादन का 10 प्रतिशत निर्यातकों की निर्यात हकदारी के बदले उन के लिये अलग रखा जायेगा।

(5) परिवर्तित सौदों को सुकर बनाने के लिये एक योजना शुरू की गई है। इसके अन्तर्गत साधित करने के पश्चात् पुनर्निर्यात के लिये कच्चे माल के आयात की अनुमति दी जाएगी।

(6) परियोजना निर्यात करने वाली भारतीय फर्मों तथा संगठनों के लिये सुविधायें प्रदान की गई हैं। निर्यात सदनों से योजना में संशोधन किया गया है ताकि वह और अधिक निर्यातोन्मुख बन सके।

(7) गैर-प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में लगे एककों को प्राथमिकता व्यवहार प्राप्त होगा यदि वे अपने उत्पादन का कम से कम 20 प्रतिशत निर्यात करेंगे। औद्योगिक एकक जो अपने उत्पादन का कम से कम 10 प्रतिशत निर्यात करेंगे वे वित्त व्यवस्था के अधिमान्य संसाधनों के पात्र होंगे।

(8) रत्न तथा आभूषणों के निर्यातकों के लिये इम्प्रैस्ट लाइसेंसिंग की एक विशेष योजना शुरु की गई है जिससे निर्यातों के लिये प्रयुक्त होने वाले अपरिष्कृत हीरों के समय पर आयात करने में सुविधा होगी।

(9) पूंजीगत माल के आयात की प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है। आयात की जाने वाली अनेक मशीनों के संबंध में अलग-अलग उद्यमियों के लिये यह आवश्यक नहीं होगा कि आयात के लिये आवेदन देने से पूर्व वे स्वदेशी विनिर्माताओं को नोटिस देकर पृथक्क विज्ञापन जारी करें।

भारत में तस्कर व्यापारी

8397. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**

श्री डी० के० पंडा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बंबई में एक आदमी ने केवल एक 'छोटे तस्कर गिरोह' के रूप में 4 करोड़ रुपये की राशि का तस्कर व्यापार किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि इस देश में 400 करोड़ रुपये के मूल्य की वस्तुओं की तस्करी चल रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इसे रोकने के क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) सरकार जानती है कि बंबई में तथा उसके आस-पास बहुत से तस्कर व्यापारी क्रियाशील हैं। परन्तु, किसी एक ऐसे तस्कर व्यापारी के बारे में कोई सूचना नहीं है जिसने केवल एक 'लघु तस्कर-व्यापारी सरदार' के रूप में 4 करोड़ रु० के जाल-चक्र का नेतृत्व किया हो।

(ग) तथा (घ) देश में तस्कर आयात किये गये माल के मूल्य का, निषिद्ध माल के पकड़े जाने संबंधी आंकड़ों के आधार पर अथवा किसी अन्य आधार पर, विश्वसनीय अनुमान लगाना व्यवहार्य नहीं है। परन्तु, बीजक में हेरफेर के जरिये विदेशी मुद्रा की हानि के संबंध में गठित अध्ययन दल ने जून, 1971 में अनुमान लगाया था कि उस समय तस्कर व्यापार के संबंध में धन की व्यवस्था करने के लिये अवैध विदेशी मुद्रा की वार्षिक खपत 160 करोड़ रु० से 170 करोड़ रु० तक थी।

तस्कर व्यापार के विरुद्ध सरकार द्वारा किये गये उपायों के परिणामस्वरूप, पूर्ववर्ती तीन वर्षों में पकड़े गये माल का मूल्य नीचे दिये अनुसार है :—

वर्ष	पकड़े गये माल का मूल्य (लाख रुपयों में)
1971	2083
1972	2541
1973	3352

माल के तस्कर व्यापार को रोकने के लिये सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :—

व्यवस्थित ढंग से सूचना एकत्रित करना और उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करना, जिन तस्कर व्यापारियों पर संदेह हो उन पर निगरानी रखना, जिन जलयानों अथवा वायुयानों पर संदेह हो उनकी तलाशी लेना तथा समुद्रतट और स्थल सीमाओं के सुगमता से पार किये जा सकने योग्य क्षेत्रों की निगरानी करना। ऐसे माल को कारगर तरीके से मार्ग में रोकने, उसकी रोक-थाम आदि के लिये समय-समय पर अतिरिक्त लांच-नौकाओं और वाहनों की व्यवस्था की जा रही है। तस्कर व्यापार विरोधी कार्य की अनन्य रूप से देखभाल करने के लिये सुगमता से पार किये जा सकने योग्य क्षेत्रों में सीमाशुल्क के समाहर्ताओं, अपर समाहर्ताओं तथा सहायक समाहर्ताओं के ओहदे के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात किया गया है। 1969 में सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 का संशोधन किया गया जिसमें कतिपय वस्तुओं के अवैध आयात को रोकने और उनका पता लगाने में सुविधा देने के प्रयोजन के लिये विशेष व्यवस्था करने के

अतिरिक्त उपबन्ध बनाये गये हैं । तस्कर व्यापार संबंधी अपराधों के लिये और अधिक कठोर दण्ड देने तथा खामियों को दूर करने के लिये सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में, हाल ही में और संशोधन किया गया है ।

तस्कर व्यापार विरोधी कर्मचारियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि की जा रही है । तेज चलने वाली नौकाओं के लिय आर्डर भेज दिये गये हैं । बेतार संचार व्यवस्था का जाल बिछाया जा रहा है।

Recommendation for reducing and stabilising the Prices of Jute Products

8398. **Shri Mahadeepak Singh Shakya:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether a delegation consisting of representatives of the Jute industry and Government had visited the U.S.A. Canada, Britain and other countries for exchange of views on problems connected with the jute products and cn their solution;

(b) whether a recommendation had been made for reducing and stabilising the prices of jute products; and

(c) if so, the action taken in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A.C. George): (a) & (b): Yes, Sir in June 1972. The delegation in its report had recommended, among other things, reduction and stabilisation of prices and uninterrupted supply of jute goods.

(c) the steps taken by the Government include, among other things, fixation of an export price for carpet backing re-adjustment of export duty and intensification of research activities for cost reduction, diversification and product development. The situation in this regard is under constant review by Government and measures as and when warranted are taken.

बम्बई पत्तन पर से न उठाये गये ऊनी चीथड़े

8399. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्य मंत्रालय तथा सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा परस्पर विरोधी अनुदेशों के कारण बम्बई पत्तन पर से ऊनी चीथड़ों की 5000 गांठें उठाई नहीं गयी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस संकट को हल करने तथा ऊनी चीथड़ों की इस खेप को उठवाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) यद्यपि बम्बई पत्तन पर रोकी गई ऊनी चीथड़ों की गांठों की अद्यतन संख्या ज्ञात नहीं है, यह सच है कि अनेक गांठें रोकी गई हैं क्योंकि आयात किया गया माल आयात लाइसेंस में उल्लिखित माल के विवरण से पूरी तरह मेल नहीं खाता, तथापि वाणिज्य मंत्रालय तथा सीमा शुल्क प्राधिकारियों के अनुदेशों में कोई विरोध नहीं था ।

(ख) इस संबंध में वाणिज्य मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के बीच उच्चतम स्तर पर विचार विमर्श हुआ है और संभावना है कि समस्या शीघ्र ही हल हो जाएगी।

घाटे की अर्थ व्यवस्था

8400. **श्री मधु दंडवते** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चौथी योजना के प्रथम चार वर्षों में घाटे की अर्थ व्यवस्था 2000 करोड़ रुपये की राशि तक पहुँच गयी है क्या इस वर्ष 1974-75 में 125 करोड़ रुपये की राशि तक घाटे की अर्थ-व्यवस्था को सीमित रखना, जैसा कि बजट में अनुमान लगाया गया है, संभव हो सकेगा ; और

(ख) घाटे की अर्थ व्यवस्था इतने नीचे स्तर पर रखने के लिये क्या ठोस कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) चौथी आयोजना के पहले दो वर्षों में घाटे की वित्त व्यवस्था मामूली थी ; परन्तु उसके बाद के दो वर्षों में भारी संख्या में शरणार्थियों के आ जाने, सूखा सहायता तथा रक्षा संबंधी आवश्यकताओं से उत्पन्न हुई अप्रत्याशित तथा अनिवार्य वित्त व्यवस्था की आवश्यकता के कारण इसमें बहुत तेजी से वृद्धि हुई हालांकि सरकार ने केन्द्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर पर्याप्त अतिरिक्त कराधान तथा बाजार ऋणों के माध्यम से इसे कम करने का प्रयत्न किया ।

1974-75 के केन्द्रीय बजट में इस मान्यता के आधार पर 125 करोड़ रुपये की घाटे की वित्त व्यवस्था की गयी है कि देश को उन असामान्य परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा जो पिछले दो या तीन वर्षों में सामने आयीं और सरकार उन उपायों द्वारा जिनसे मुद्रा स्फीतिकारी प्रभाव न पड़े, अधिक से अधिक साधन जुटा कर घाटे की वित्त व्यवस्था को कम से कम रखने का प्रयास करेगी ।

बिजली की कमी के कारण कपड़ा मिलों में बड़े पैमाने पर जबरी छुट्टी

8401. **श्री मधु दण्डवते** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली की भारी कमी के कारण बम्बई की कपड़ा मिलों में बड़े पैमाने पर जबरी छुट्टी का खतरा है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) बिजली में कटौती की स्थिति की राज्य सरकार द्वारा समीक्षा की जा रही है और ऐसा ख्याल किया जाता है कि कटौतियों में पर्याप्त रूप में कमी हो जायेगी । अतः इस समय बड़े पैमाने पर जबरी छुट्टी का कोई खतरा प्रतीत नहीं होता।

डिघा को एक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने की बृहद योजना

8402. **श्री ए० के० एम० इसहाक** :
श्री समर गुह का :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री ने पश्चिम बंगाल में डिघा के अपने हाल ही के दौरे पर डिघा को युवकों तथा भारत के पूर्वी क्षेत्र से कम आय वाले लोगों के लिये एक आकर्षक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने की संभाव्वता की जांच की थी;

(ख) क्या उन्होंने एक प्रैस इन्टरव्यू के दौरान, डिघा के विकास के लिये एक बृहत् योजना तैयार करने तथा वहां के रेल सम्पर्क सहित संचार सुविधाओं का विकास करने की आवश्यकता पर बल दिया था; और यदि हां तो, तत्संबंधी विवरण क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार राज्य सरकार के साथ मिलकर डिघा को पर्यटकों के लिये और अधिक आकर्षक बनाने हेतु आवश्यक सहायता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री ने 23/24 मार्च, 1974 को डिघा की यात्रा की थी। उन्होंने मत व्यक्त किया है कि डिघा के सागरतट के विकास की संभावनायें हैं।

(ग) और (घ) साधनों की परिसीमाओं और अन्य प्राथमिकताओं के कारण, फिलहाल केन्द्रीय क्षेत्र में डिघा में सुविधाओं के विकास के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

देश में पर्यटन-कार्यालय

8403. **हाजी लुतफुल हक** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार सरकारी पर्यटन कार्यालय कितने हैं; और

(ख) 1974-75 में राज्यवार खोले जाने वाले नये पर्यटन कार्यालयों की मुख्य बातें क्या हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) 11 कार्यालय, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:--

क्रम सं०	राज्य का नाम	भारत सरकार के पर्यटन कार्यालयों की संख्या	स्थिति
1	2	3	4
1.	जम्मू और काश्मीर .	1	जम्मू
2.	केरल	1	कोचीन
3.	मध्य प्रदेश .	1	खजुराहो
4.	महाराष्ट्र	2	औरंगाबाद और बम्बई
5.	राजस्थान	1	जयपुर
6.	तमिलनाडु	1	मद्रास
7.	उत्तर प्रदेश .	2	आगरा और वाराणसी
8.	पश्चिमी बंगाल .	1	कलकत्ता
9.	संघ शासित क्षेत्र दिल्ली	1	नई दिल्ली
	योग	11	

(ख) 1974-75 में देश में नये पर्यटन कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पर्यटकों की रुचि के पुरातत्वीय केन्द्रों के विकास की योजनाएं

8404. **हाजी लुतफुल हक** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा अब तक पर्यटकों की रुचि के दस पुरातत्वीय केन्द्रों का विकास करने के लिये बनायी गयी योजनाओं की मोटी रूप रेखा क्या है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : दस पुरातत्विक केन्द्रों के विकास की प्रकृति एवं क्षेत्र को निर्धारित कर लिया गया है। योजनाओं के ब्यौरे इन केन्द्रों के मास्टर प्लानों के अनुसार, जो कि तैयार किये जा रहे हैं, तथा भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से निर्धारित किये जायेंगे । इनमें विकसित किये जाने वाले क्षेत्रों की भौतिक आयोजना, इन क्षेत्रों में प्रदान की जाने वाली पर्यटनक सुविधाओं के लिये स्थल निर्धारण, आधारभूत उपादनों का विकास, प्राकृतिक दृश्य योजना, तथा स्मारकों एवं उनके आस-पास के क्षेत्रों के वातावरण में सुधार करना सम्मिलित है ।

डमडम हवाई अड्डे पर एयरपोर्ट होटल का निर्माण

8405. **हाजी लुतफुल हक** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डमडम हवाई अड्डे पर एयरपोर्ट होटल के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषि) : भारत पर्यटन विकास निगम के डमडम (कलकत्ता) के 156 कमरों के 'एयरपोर्ट होटल' के पहले और दूसरे फ्लोर की आंतरिक सज्जा का काम प्रारम्भ हो चुका है और इस 10 मंजिले होटल भवन के पांचवे व छठे फ्लोर का फिनिशिंग कार्य प्रगति पर है । होटल के दो फ्लोर वर्ष 1974-75 की प्रथम तिमाही में और शेष फ्लोर तदुपरान्त वर्ष के दौरान पूरी तरह तैयार हो जायेंगे ।

Export of Meat

8407. **Shri Lalji Bhai**: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the names of the countries to which meat is being exported by Government of India and the animals whose meat is exported;

(b) whether Government are also exporting beef to a large number of countries: and

(c) if so, the names of these countries?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A.C. George): (a) Meat of buffalo, goat and sheep is being exported to Baharain Islands, Dubai, Japan, Kuwait, Muscat and Qatar.

(b) & (c): No, Sir.

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा विमानों का क्रयादेश देना

8408. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने भिन्न प्रकार के 16 विमानों के लिये क्रयादेश दिया है और ये विमान शीघ्र ही देश में चलाए जाएंगे; और

(ख) यदि हां, तो इन पर कुल कितना व्यय आएगा ?

पर्यटन और न.[illegible] विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) :(क) जी, नहीं । इंडियन एयरलाइन्स ने केवल दो प्रकार के विमानों के लिये आदेश दिये हैं;. अर्थात् बोइंग-737 और एच०एस०-748 ।

(ख) चार बोइंग-737 विमानों की कुल लागत 214.22 लाख डालर होगी । एच०एस०-748 विमानों की कीमत अभी अन्तिम रूप से निर्धारित नहीं की गयी है ।

मोटर गाड़ियों तथा सहायक पुर्जों का निर्यात

8409. **श्री राम सहाय पांडे** :क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1972-73 तथा वर्ष 1973-74 के दौरान मोटरगाड़ियों का कितना निर्यात हुआ; और

(ख) किन-किन देशों को मोटरगाड़ियों तथा सहायक पुर्जे निर्यात किये जाते हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) मोटरगाड़ियों के निर्यात इस प्रकार रहे हैं :—

1972-73—6.64 करोड़ रु० ।

1973-74—5.00 करोड़ रु० (अनुमानित) ।

(स्रोत ई०ई०पी०सी०)

(ख) भारत से मोटरगाड़ियों तथा उनके पुर्जों का आयात करने वाले मुख्य देश ये हैं :—

श्री लंका

दुबाई

कुवैत

कतार

मिश्र का अरब गणराज्य

नाइजीरिया

जोर्डन

यूगोस्लाविया

बंगलादेश

जर्मनी (संघीय लोकतंत्रीय गणराज्य) आदि

सिंगापुर

आस्ट्रेलिया

फिलीपीन

चैकोस्लोवाकिया

ब्राज़ील

अफगानिस्तान

सऊदी अरब

टर्की

केन्या

सूडान

बल्गारिया

यूनान

संयुक्त राज्य अमरीका

बहरीन

इराक

मस्कत

दक्षिणी यमन (अदन)

लीबिया

आबू धाबी

उगन्डा

मौरिशश

मलयेशिया

ब्रिटेन

थाइलैंड

ईरान

फ्रांस

इटली

इंडोनेशिया

लैबनान

सीरिया

इथोपिया

तंजानियां

पोलैंड

कनाडा

दिल्ली के समीप एक बड़े बन्दर-पालन फार्म की स्थापना

8410. **डा० कर्णी सिंह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बन्दरों का निर्यात करने वाली एक फर्म का विचार बन्दरों के निर्यात में वृद्धि करने के उद्देश्य से दिल्ली के समीप एक बड़ा बन्दर-पालन फार्म स्थापित करने का है;

(ख) इस समय भारत से प्रति वर्ष कितने बन्दरों का निर्यात किया जाता है और उससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय होती है तथा उपरोक्त बन्दर-पालन फार्म द्वारा अधिक बन्दरों का निर्यात आरम्भ कर दिये जाने पर निर्यात किये जाने वाले बन्दरों की संख्या तथा विदेशी मुद्रा की आय कितनी होगी;

(ग) इन बन्दरों का किन देशों को निर्यात किया जाता है और वहां पर उनका क्या उपयोग होता है ; और

(घ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि इन बन्दरों के निर्यात के दौरान अथवा उसके बाद उन पर कोई अत्याचार नहीं किया जाता जैसा कि पशुओं के प्रति अत्याचार निरोधक संस्था के नियमों में व्यवस्था है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :(क) तथा (ख) ऐसी कोई प्रस्थापना प्राप्त नहीं हुई है । वर्ष 1971-72, 1972-73 तथा 1973-74 (अक्तूबर, 73 तक) के दौरान बन्दरों का निर्यात निम्नोक्त प्रकार से था :—

मात्रा अददों में
(मूल्य लाख रुपयों में)

1971-72		1972-73		1973-74 (अक्तूबर '73 तक)	
मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
53170	37.96	34724	35.28	10627	12.53

(ग) बन्दरों का निर्यात चिकित्सीय अनुसंधान प्रयोजनों के लिये कनाडा, चैकोस्लोवाकिया, जर्मन संघीय गणराज्य, हंगरी, इटली, जापान, नीदरलैंड, ब्रिटेन, सं० रा० अमेरिका, सोवियत संघ, यूगोस्लाविया तथा अन्य देशों को किया जाता है ।

(घ) जी हां ।

बैंकों में सावधिक जमा-राशि में कमी होना

8411. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंकों में सावधिक जमा राशि में कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और बैंकों में इस प्रकार का अधिक धन जमा करने को प्रोत्साहित करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) (क) और (ख) यद्यपि सावधिक जमा राशियों में कोई कमी नहीं हुई है, तथापि कामकाज के चालू मौसम में वृद्धि की दर पिछले वर्ष की इसी अवधि की वृद्धि की दर से कम रही है । सम्बद्ध आंकड़े नीचे दिये गये हैं ;

अक्तूबर के अन्त से अप्रैल के दूसरे शुक्रवार की अवधि में सावधिक जमा की रकमों में हुई वृद्धि

कामकाज का मौसम	सावधिक जमा रकमें (करोड़ रुपयों में)	प्रतिशत वृद्धि
1972-73 (अक्तूबर, 1972 के अन्त से अप्रैल के 1973 के दूसरे शुक्रवार तक)	424	9.3
1973-74 (अक्तूबर, 1973 के अन्त से अप्रैल 1974 के दूसरे शुक्रवार तक)	200	3.5

सावधिक जमा की वृद्धि की दर में हाल में जो कमी हुई है उस का मुख्य कारण आमतौर से मुद्रा की स्थिति कठिन बने रहना और रहन सहन की लागत में हुई वृद्धि से बचतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैंकों में रकमें जमा करके बचत को प्रोत्साहन देने के लिये रिजर्व बैंक ने पहली अप्रैल, 1974 से जमा रकमों पर देय ब्याज बढ़ा दिया है। सावधिक जमा रकमों की विभिन्न श्रेणियों पर 1/4 प्रतिशत से लेकर 1 प्रतिशत तक की वृद्धि की गयी है और बचत जमा रकमों के मामले में यह वृद्धि 1 प्रतिशत की गयी है।

इलायची का निर्यात

8412. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत इस समय कितने देशों को इलायची का निर्यात कर रहा है;

(ख) क्या वर्ष 1972-73 में इलायची के निर्यात में कमी आयी है; और

(ग) यदि हां, कितनी और इस उद्योग का व्यापार बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) लगभग साठ।

(ख) तथा (ग) 1970-71 से भारत से इलायची के निर्यातों के आंकड़े निम्नलिखित हैं :–

वर्ष	निर्यात	
	मात्रा (मे० टन)	मूल्य (लाख रु०)
1	2	3
1970-71	2105	1122
1971-72	2147	808
1972-73	1384	685
1973-74 (अप्रैल-फरवरी)	1363	839

निर्यात में कमी 1972-73 के दौरान उत्पादन में भारी कमी के कारण रही है जोकि केवल 2510 मे० टन था जबकि 1970-71 तथा 1971-72 के दौरान क्रमश: 3170 मे० टन तथा 8785 मे० टन था । 1972 के ग्रीष्मकाल के दौरान विकट तथा लम्बा शुष्क मौसम उत्पादन में इस गिरावट का मुख्य कारण था ।

उत्पादन में वृद्धि और उसके परिणामस्वरूप हमारे निर्यात योग्य अधिशेष में वृद्धि करने के उद्देश्य से निम्नलिखित विभागीय योजनायें चल रही हैं :—

(क) कट्टे नियंत्रण।

(ख) विभागीय नर्सरी ।

(ग) पुनरोपण वित्त ।

(घ) छिड़काव, सिंचाई तथा अन्य उपस्करों की सप्लाई हेतु किराया खरीद ।

चौथी योजना में पर्यटन विकास के लिए प्रचार अभियान पर व्यय की गई राशि

8413. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पर्यटन विकास के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में, वर्षवार विदेशों में चलाये गये प्रचार अभियान पर कुल कितनी राशि खर्च की गई; और

(ख) इस अवधि में विदेशी मुद्रा कमाने में इससे कितनी सहायता मिली है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० श्रीमती सरोजिनी महिषी) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान भारत सरकार के पर्यटन कार्यालयों द्वारा विदेशों में पर्यटन प्रचार तथा प्रोत्साही आयोजनों के लिये कुल 461.50 लाख रुपये की राशि खर्च की गई थी । वर्ष-वार खर्च का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	(लाख रुपयों में)
1969-70.	84.67
1970-71.	86.46
1971-72	90.45
1972-73.	98.60
1973-74.	101.32
योग	461.50

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान पर्यटन से अनुमानतः 227.30 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आय हुई । विदेशों में पर्यटन प्रचार से हमें विदेशी-मुद्रा के अर्जन में सहायता प्राप्त हुई है ।

पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में पांचवीं योजना में होटल और बंगलों का निर्माण

8414. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में सरकार का पर्यटकों के लिए कहां-कहां होटल और बंगले बनाने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीमती सरोजिनी महिषी) : पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम की, जो कि सरकारी क्षेत्र का एक उद्यम है, सिलीगुड़ी व गौहाटी में 50–50 कमरों के एक-एक मोटल के निर्माण की योजना है। इस का दमदम (कलकत्ता) में 150 कमरों वाले 'एयरपोर्ट होटल' का निर्माण कार्य पहले से ही चल रहा है।

पर्यटन विभाग दार्जिलिंग में एक युवा होटल, दार्जिलिंग और गोहाटी में एक-एक पर्यटन बंगले, तथा जलदापाड़ा और काज़ीरंगा में एक-एक वन लाज का निर्माण भी कर रहा है।

निजी क्षेत्र में, विदेशी पर्यटकों के लिये उपयोगिता की दृष्टि से, पर्यटन विभाग ने कलकत्ता, गोहाटी, जोरहाट, सिलीगुड़ी और सिलचर में एक-एक होटल परियोजना का अनुमोदन किया है।

पश्चिम बंगाल में भारतीय पर्यटक विकास निगम द्वारा शुरू की गई परियोजनाएं

8415. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में भारतीय पर्यटक विकास निगम द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कौन सी परियोजनाएं शुरू की गई ;

(ख) अब तक कितनी धनराशि मंजूर की गई तथा कितनी व्यय की गई; और

(ग) कौन-कौन सी परियोजनाएं अभी पूरी होनी बाकी हैं और इनमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम ने कलकत्ता एयरपोर्ट पर एक ट्रांज़िट होटल का निर्माण तथा शुल्क-मुक्त दुकान का नवीकरण हाथ में लिया था और कलकत्ता में एक परिवहन यूनिट भी स्थापित की थी।

(ख) इन स्कीमों के लिये 258 लाख रुपये की अनुमानित लागत के मुकाबले में इन पर चौथी योजना के दौरान 154.65 लाख रुपये व्यय किये जाने की संभावना है।

(ग) दम दम ट्रांज़िट होटल का संरचना संबंधी निर्माण कार्य पूरा हो चुका है । आंतरिक सज्जा और उपस्कर स्थापन तथा बिजली और सैनीटरी फिटिंग का काम चालू है। उपस्कर तथा निर्माण-सामग्री मिलने में विलम्ब के कारण होटल को इससे पहले चालू नहीं किया जा सका । इसे 1974 में चालू करने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है।

एयर इण्डिया में उड़ान कर्मचारी तैनात करने पर लागत

8416. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री डी० डी० देसाई :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया शीघ्र ही स्लिप क्रिया प्रणाली आरम्भ करेगी; और

(ख) यदि हां, तो इससे विदेशों में उड़ान कर्मचारी तैनात करने पर आने वाली लागत में कितनी कमी होगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) (क) और (ख) एयर इण्डिया का प्रबन्धकवर्ग भारत-यू०के०/यू०एस०ए० तथा भारत-जापान मार्गों पर अपने उड़ान कार्मिकों के लिए 'स्लिप प्रणाली' प्रारम्भ करने की व्यवहार्यता की जांच कर रहा है इसे प्रारम्भ करने के परिणाम स्वरूप काफी बचत होने की आशा है।

तूफान की चेतावनी देने वाले राडारों की स्थापना

8417. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 में देश के विभिन्न भागों में आए तूफानों से फसलों, रेल मार्गों और सड़कों की कुल कितनी क्षति हुई; और

(ख) क्या उनका मंत्रालय तूफान की चेतावनी देने वाले राडारों की स्थापना करने की योजना बना रहा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) खेद है कि अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ख) कलकत्ता, पाराद्वीप, विशाखापत्तनम और मद्रास में चार चक्रवात चेतावनी राडार पहले ही स्थापित किये जा चुके हैं। पांचवीं योजना के दौरान दो और राडार पूर्वी तट पर मसूलीपत्तनम और कराइकल में, तथा दो पश्चिमी तट पर बम्बई और गोआ में स्थापित करने का प्रस्ताव है।

स्टीरियो फ्लोंग्स का आयात

8418. **श्री जी० भुवाराहन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाचार पत्रों का विज्ञापन एजेन्सियों के उपयोग के लिए गत तीन वर्षों के दौरान वस्तुतः कितनी स्टीरियों फ्लोंग्स का देश में आयात किया गया तथा उनका कितना मूल्य बकाया है ;

(ख) क्या इन फ्लोंग्स का देश में निर्माण करने के लिये किसी कम्पनी को लाइसेंस दिये गये हैं, यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) गैर सरकारी क्षेत्र में इन फ्लोंग्स के निर्माण की कोई पेशकश न आने के कारण क्या सरकार के पास इनका सरकारी क्षेत्र में निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) गत तीन पूरे वर्षों के दौरान तथा वर्ष 1973-74 के लिए (अक्तूबर, 1973 तक) आयात किये गये मैट्रिक्स बोर्ड (स्टीरियो-टाइपिंग ड्राई फ्लोंग्स) की मात्रा तथा मूल्य निम्नोक्त प्रकार हैं:--

वर्ष	मात्रा (मै० टन में)	मूल्य (हजार रु० में)
1970-71	178	1896
1971-72	167	1449
1972-73	165	1404
1973-74 (अक्तूबर, 73 तक)	97	982

(ख) मै० पेपर तथा पल्प कन्वर्शन लि० ने लाइसेंस-रहित अवधि के दौरान प्रतिवर्ष 300 मै० टन स्टीरियो फ्लोंग्स के विनिर्माण के लिए आवेदन-पत्र दिया था। फर्म को उपरोक्त के लिए सी० ओ० वी० लाइसेंस मिल गया है। उनका सी० जी० आवेदन पत्र सरकार ने अनुमोदित कर दिया था। फर्म को संयंत्र तथा मशीनरी के लिए आयात लाइसेंस अभी तक नहीं दिया गया है।

मै० वी० के० पेपर मिल्स को 450 मै० टन प्रतिवर्ष की क्षमता के स्टीरियो फ्लोंग्स के निर्माण के लिए तकनीकी विकास महानिदेशालय के पास पंजीकृत किया गया है। फर्म ने सूचित किया है कि उन्होंने परीक्षण उत्पादन शुरू कर दिया है।

मै० सेनापति विटंल को 500 मै० टन प्रतिवर्ष की क्षमता के साथ स्टीरियों फ्लोंग्स के विनिर्माण की अनुमति दे दी गई है। उन्होंने अभी तक कोई सी० जी० आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Central Assistance to Employees Engaged in Drought Relief work in M.P.

8419. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether the Central Government have agreed to continue giving assistance to Madhya Pradesh Government in respect of the employees engaged in relief work in the drought affected areas of that State;

(b) if so, whether Central Government have asked the State Government to continue relief work in most of the drought affected areas even after the monsoon has set in and whether the additional expenditure thereon will be borne by the Central Government; and

(c) whether a proposal is under consideration of the Central Government to give some other assistance to the State Government to help the drought affected persons and if no other assistance is proposed to be given, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh): (a) to (c) The Government of India had agreed to provide Central assistance towards drought relief expenditure incurred to the end of September, 1973 on drought relief measures continuing

24 LSS/74—10

from 1972-73. On the basis of the recommendations of the Central team, an expenditure of Rs. 871.89 lakhs in 1972-73 and 1973-74 up to September, 1973 has been approved as qualifying for Central assistance. A sum of Rs. 517 lakhs has been released to the State Government subject to final adjustment on the basis of the audited figures of expenditure. There has been no request from the State Government for any other assistance to help the drought affected persons.

निर्यात नीति के अन्तर्गत नई निगम की स्थापना

8420. **श्री गजाधर मांझी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपनी निर्यात नीति के अन्तर्गत एक निगम स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या सूती कपड़े के निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से एक सरकारी क्षेत्रीय संगठन गठित करने का विचार छोड़ दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) से (ग) देश के वस्त्रों के निर्यातों को देखने के चरम उद्देश्य से एक राष्ट्रीय वस्त्र निर्यात निगम स्थापित करने के लिए 1973 में विनिश्चय किया गया था। उद्योग के अच्छे निर्यात निष्पादन को देखते हुए तथा इस इच्छा को देखते हुए कि सम्बद्ध निर्यात संवर्धन परिषद् जो कार्य कर रही हैं उनमें अनावश्यक गड़बड़ी पैदा न हो, निगम की अभी तक स्थापना नहीं की गई है। सरकार वस्त्र क्षेत्र में देश के निर्यात निष्पादन का ध्यानपूर्वक गौर कर रही है। यदि किसी समय यह अनुभव किया गया कि वर्तमान अभिकरण वस्त्रों के निर्यातों का प्रभावशाली रूप से प्रबन्ध नहीं कर सकते तो राष्ट्रीय वस्त्र निर्यात निगम स्थापित करने के प्रश्न पर पुनः विचार किया जाएगा।

भारतीय रंग-निर्माण उद्योग द्वारा निर्यात

8421. **श्री गजाधर मांझी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रंग-निर्माण उद्योग और आर्थिक निर्यात का दायित्व लेने को तैयार है बशर्ते सरकार उसे कच्चे माल की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित कर दे; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग द्वारा मांगी गई सुविधाओं सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) उद्योग द्वारा मांगी गई सुविधाओं में रंजक तथा रंजक मध्यवर्ती पदार्थों के सम्बन्ध में उत्पादन क्षमता बढ़ाना, कच्चे माल की पर्याप्त सप्लाई, प्रौद्योगिकी तथा उपस्कर का आयात आदि शामिल हैं। इस समय ये, पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय द्वारा गठित कार्यकारी दल के विचाराधीन है।

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम द्वारा मंजूर किये गये मामले

8422. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम द्वारा मंजूर किए गए मामलों की संख्या 1971-72 में 48 से घटकर 1973-74 में 5 रह गयी;

(ख) क्या 72 औद्योगिक एककों को मंजूर की गयी कुल 1755 करोड़ रुपयों की राशि में से भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम द्वारा वास्तव में केवल 9 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा क्या मंजूर की गयी राशि तथा भुगतान की गयी राशि में इतने अधिक अन्तर के बारे में कोई जांच कराई गई है तथा इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम ने 1971-72 (अप्रैल—जून 1972) में 48 एककों के लिये और 1973-74 जुलाई 73 से फरवरी, 1974 तक में 7 एककों के लिये सहायता मंजूर की थी।

(ख) निगम ने 72 एककों के लिये जो 1987.55 लाख रुपये की रकम मंजूर की थी उसमें से उसने फरवरी 1974 के अन्त तक 1084.95 लाख रुपये की रकम का भुगतान कर दिया था।

(ग) निगम द्वारा दी जाने वाली सहायता की रकम का भुगतान पुनर्निर्माण की आवश्यकताओं के आधार पर विभिन्न दौरों में किया जाता है। इसके अलावा, रकम मंजूर किये जाने और रकम भुगतान किये जाने के बीच अनिवार्यतः समय लग जाता है, जिसके ये कारण हैं :—

(i) कार्यकर पूंजी वित्त की व्यवस्था समेत पुनर्निर्माण सहायता देने के काम में बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा सहयोग करने के सम्बन्ध में व्यवस्था।

(ii) एककों को दोबारा चालू किये जाने के बाद मजदूरों के साथ सन्तोषजनक करार करना जिसमें यह बात भी तय की जायेगी कि वे कितना कार्यभार वहन करेंगे।

(iii) सांविधिक ऋणकर्ताओं के साथ सन्तोषजनक करार और सहायता प्राप्त करने वाले एककों की अतिदेय रकमों की वापस अदायगी करने की योजना के बारे में यदि सर्टिफिकेट जारी करने की कोई कार्रवाई की जाती हो तो उसके बारे में भी सन्तोषजनक करार।

(iv) बाहर से व्यक्तियों का चयन करके तकनीकी और प्रशासनिक कर्मचारियों की व्यवस्था और जहां आवश्यक हो वहां प्रबन्ध बोर्ड का पुनर्गठन और;

(v) कानूनी औपचारिकताओं समेत प्रलेख तैयार करने का काम पूरा करना।

निदेशक बोर्ड, जिसमें भारत सरकार का भी प्रतिनिधि होता है, सहायता की मंजूरी और सहायोग के भुगतान की स्थिति की बराबर जांच करता है और वह इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करता है कि सहायता प्राप्त करने वाले एककों को दोबारा चालू किये जाने में अनावश्यक देर न हो।

राज्यों का वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध

8423. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहले ही पेश किये जा चुके राज्यों के अधिकांश बजटों में काफी घाटा दिखाया गया है;

(ख) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार को ऐसी राज्य सरकारों से स्थिति का सामना करने के लिये वित्तीय सहायता के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो किन राज्य सरकारों ने ऐसे अनुरोध किये हैं तथा कितनी धनराशि मांगी गयी हैं; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

राज्य व्यापार निगम द्वारा खरीदे गये तथा निर्यात किये गये अरण्डी के तेल की मात्रा तथा उसका मूल्य

8424. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम द्वारा वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 में (31 जनवरी, 1974 तक) कुल कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के अरण्डी के तेल का क्रय तथा निर्यात किया गया;

(ख) तेल की कितनी मात्रा का निर्यात नहीं किया जा सका और उसे स्थानीय मण्डी में बेच देना पड़ा;

(ग) इस स्थानीय बिक्री के फलस्वरूप कितनी हानि उठानी पड़ी; और

(घ) क्या राज्य व्यापार निगम के कुछ अधिकारी इस व्यापार में अकुशलता के लिये उत्तरदायी थे; और यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1972-73 तथा 1973-74 (31 जनवरी, 1974 तक) में राज्य व्यापार निगम द्वारा खरीदे गए तथा निर्यात किए गए अरण्डी के तेल की मात्रा तथा मूल्य निम्नोक्त प्रकार रहा :—

वर्ष	मात्रा (मै० टन)	मूल्य (लाख में)
1972-73	39439	1437.59 रु०
1973-74	18424	1557.64 रु०

(ख) कुछ नहीं

(ग) तथा (घ) प्रश्न नहीं उठते।

मछली पकड़ने के आयातित जहाज के उपकरणों पर सीमा-शुल्क की अदायगी करना और उसका चोरी छिपे आना

8425. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात किये गये मछली पकड़ने के एक जहाज के चोरी छिपे आने और उसके उपकरणों तथा फालतू पुर्जों पर शुल्क अदा किये बगैर ही उन्हें हटाये जाने के बारे में, जबकि जहाज सीमा शुल्क कार्यालय के कब्जे में था, कोचीन सीमा शुल्क कार्यालय ने कोई जुर्माना वसूल किया है;

(ख) अगर इस मामले का पता नहीं चलता, तो सरकार को कितने राजस्व की हानि होती;

(ग) क्या इस मामले से वर्तमान प्रतिरोधात्मक नियंत्रण प्रणाली में त्रुटियों और प्रतिरोधात्मक कार्रवाही के प्रभारी सहायक सीमाशुल्क कलेक्टर और संबंधित अपराधियों के बीच सांठ-गांठ का पता चलता है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) कोचीन सीमाशुल्क गृह ने एक 'कारण बताओ ज्ञापन' जारी किया है जिसमें एक पार्टी के विरुद्ध मूल्य की गलत घोषणा करने तथा चोरी छिपे समुद्रतट पर उतरने के और मछली पकड़ने की नौकाओं के फालतू पुर्जों, उपकरणों और सहायक यंत्रों को अन्यत्र ले जाने के कारण कोई, 3.8 लाख रुपयों के शुल्क का अपवंचन करने का अभियोग लगाया गया है।

(ग) तथा (घ) इस बात का इत्मीनान करने के लिए जांच की जा रही है कि क्या इस मामले से, कोचीन पत्तन में जहाजों पर निवारक नियंत्रण की विद्यमान प्रणाली में कोई खामियां जाहिर होती हैं। सीमाशुल्क समाहर्ता, कोचीन ने बताया है कि अब तक की गई जाँच से किसी भी सीमाशुल्क अधिकारी तथा अपराधियों के बीच सांठ-गांठ का पता नहीं चला है।

कपड़े के सामान्य किस्मों के उत्पादन, मूल्यों तथा वितरण पर सांविधिक नियंत्रण

8426. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल होने वाले मीडियम काउन्ट के धागे से बने कपड़े की पांच सामान्य किस्मों के उत्पादन मूल्य, तथा वितरण पर सांविधिक नियंत्रण लागू करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) मिलों के अन्दर बनने वाले कुल कपड़े में से मध्यम श्रेणी का कपड़ा कितना होता है;

(घ) मध्यम श्रेणी के कुल उत्पादन में से कितने भाग को नियंत्रणाधीन लाने का विचार है; और

(ङ) क्या उसके लिये निर्धारित की जाने वाली दरें वर्तमान दरों से अधिक होंगी।

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) 1 अप्रैल, 1974 से प्रवृत्त की गई नियंत्रित कपड़े संबंधी संशोधित योजना के अनुसार मोटे तथा मध्यम श्रेणियों के मिल निर्मित सूती कपड़े की पांच सामान्य किस्मों अर्थात् धोती, साड़ी, लट्ठा, शर्टिंग तथा दुसूती के उत्पादन, मूल्य तथा वितरण पर कानूनी नियंत्रण है। इस योजना की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) सूती वस्त्र मिल उद्योग से यह अपेक्षित होगा कि वह प्रति वर्ष 80 करोड़ वर्ग मीटर नियंत्रित कपड़े का उत्पादन करे।

(2) मोटे तथा मध्यम किस्मों में सामान्य तौर पर प्रयोग की जाने वाली किस्में मूल्य नियंत्रण के अधीन होंगी। मोटे तथा मध्यम 'बी' किस्मों के सम्बन्ध में कीमतें मई 1968 में निर्धारित कीमतों की अपेक्षा 30 प्रतिशत बढ़ाई जाएंगी। मध्यम 'ए' श्रेणी के कपड़े की कीमत अब नियंत्रणाधीन कर दी गई है भी तदनुसार नियत कर दी गई है।

(3) संशोधित योजना के अन्तर्गत तीनों श्रेणियों अर्थात् मध्यम 'ए' मध्यम 'बी' तथा मोटे कपड़े में से प्रत्येक में नियंत्रित कपड़े की प्रत्येक किस्म के कपड़े के समुचित उत्पादन की व्यवस्था है।

(4) दायित्व के पूरा न किये जाने की दशा में 2.50 रु० प्रति मीटर के जुर्माना निर्धारित किया गया है। तथापि निमंत्रित कपड़ा उत्पादित करने के लिए दायित्वों के अन्तःमिल अन्तरण की अनुमति है।

(5) मिल के 15 प्रतिशत के निर्यात दायित्व तथा उनके नियंत्रित कपड़े के दायित्व के अलावा निर्यातित कपड़े के प्रत्येक तीन मीटर के लिए नियंत्रित कपड़े के संबंध में 1 मीटर की छूट की अनुमति होगी।

(6) नियंत्रित कपड़े के प्रत्येक मीटर पर अनिवार्य रूप से किनारे पर मूल्य अंकन को उत्तरोत्तर रूप में लागू किया जाएगा।

(ग) 1973 में मिल क्षेत्र में कुल कपड़े के उत्पादन में मध्यम किस्मों का अंश लगभग 68.06 प्रतिशत था।

(घ) 31 मार्च, 1974 के बाद मोटे मध्यम, 'ए' तथा मध्यम 'बी' किस्मों के नियंत्रित कपड़े की जिस मात्रा का उत्पादन किया जाना है, मोटे तौर पर वर्ष 1973 के दौरान उत्पादित मोटे मध्यम 'बी' तथा मध्यम 'ए' किस्मों के कपड़े की कुल मात्रा के अनुरूप ही होगी।

(ङ) मोटे तथा लोवर मध्यम किस्मों के कपड़े की मिल से निकलते समय की कीमत मई, 1968 में निर्धारित कीमतों की अपेक्षा 30 प्रतिशत अधिक होगी। 1 अप्रैल, 1974 से नियंत्रणाधीन किये गए हायर मध्यम कपड़े की कीमतें इस तारीख से पूर्व प्रचलित बाजार कीमत की अपेक्षा काफी कम होगी।

पोलियस्टर तथा मिश्रित वस्त्रों के प्रमुख निर्माताओं द्वारा मूल्यों में वृद्धि

8427. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलियस्टर तथा मिश्रित वस्त्रों के प्रमुख निर्माताओं ने मूल्य बढ़ाना शुरू कर दिया है ;

(ख) क्या एक समूह ने सूट के लिये मिश्रित कपड़े में 4 रुपये से 5 रुपये प्रति मीटर तथा कमीजों के कपड़े में दो रुपये से तीन रुपये प्रति मीटर की वृद्धि की घोषणा की है; और

(ग) यदि हां, तो इस नई मूल्य-वृद्धि के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) विभिन्न मिलों द्वारा निर्मित इस प्रकार के कपड़े की विभिन्न किस्मों की कीमतों से सम्बन्धित आंकड़े एकत्र करने की कोई प्रणाली नहीं है।

(ग) इस क्षेत्र में चल रही कीमतों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का सरकार का विचार नहीं है विशेषतः इसलिए कि ये वस्त्र समाज के अपेक्षाकृत सम्पन्न वर्ग की जरूरतों को पूरा करते हैं।

कल्चर्ड मोतियों का आयात

8428. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत जवाहारात बनाने के लिये जापान से कल्चर्ड मोतियों का आयात करता है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) कच्चे कल्चर्ड मोतियों का आयात पंजीकृत निर्यातक नीति के अन्तर्गत किया जाता है और परिष्कृत तथा पालिश किये जाने के बाद मोतियों अथवा मोती जड़ित आभूषणों के रूप में उनका पुन-र्नियात किया जाता है।

गियाना सरकार के साथ सहयोग करार

8429. **श्री वीरभद्र सिंह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गियाना सरकार के सहयोग से गियाना में एक कागज् मिल स्थापित किया जा रहा है ;

(ख) क्या इस संबंध में सहयोग संबंधी किसी करार को अन्तिम रूप दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार को एक भारतीय संयुक्त उद्यम के रूप में गियाना में एक कागज मिल की स्थापना के लिए अभी तक कोई प्रस्थापना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

जंजीबार में एक होटल खोलने संबंधी करार

8430. **श्री बनमाली बाबू :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जंजीबार में एक होटल खोलने के उद्देश्य से भारतीय होटलों के कुछ मालिकों ने एक करार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) ईस्ट इंडिया होटल्स लि०, कलकत्ता ने दस वर्षों की अवधि के लिए जंजीबार में एक होटल के निर्माण तथा प्रबंध के लिए 8-1-74 को एक संविदा प्राप्त की है । सभी लागतें तथा खर्चे जंजीबार पार्टी होटली या बागवानी द्वारा वहन किये जायेंगे ।

पाकिस्तान में छोड़ी गई सम्पत्तियों के लिए अनुग्रहपूर्वक मुआवज़ा

8431. **श्री समर गुह : क्या वाणिज्य** मंत्री दिनांक 30 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5221 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) पत्राकोला टी कंपनी, (दो) लक्कातूराह टी कंपनी, (तीन) नाथ बंगाल शुगर मिल्ज कंपनी, (चार) मोहिनी मिल्ज कंपनी, (पांच) राकेचन एंड कंपनी, (छः) बालमुर लारी एंड कंपनी, (सात) विज एंड कंपनी, (आठ) इंडियन टी एसोसियेशन, (नौ) प्रबरताह कर्मशियल कारपोरेशन, (दस) इन्डो-वर्मा पेट्रोलियम कंपनी, (ग्यारह) मिदनापुर कर्मशियल कंपनी, (बारह) जियालाल कुशल चन्द, (तेरह) कुटैया टी कंपनी, (चौदह) एच० पी० शराफ, (पन्द्रह) प्रेमरतन्स मूलचानी, (सोलह) ताराकुअथ की ओर से किन-किन व्यक्तियों को अनुग्रहपूर्वक मुआवज़ा मिला है ;

(ख) उन्होंने भारत में अप्रवास कब किया और उनके द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों के बारे में क्या तथ्य हैं ; और

(ग) क्या 1965 से पहले उनकी संपत्तियों की पाकिस्तान ने मांग की थी या उन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया था और उन्हें अपने अधिकार में ले लिया था ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) उपर्युक्त (क) में सूचीबद्ध कंपनियों के नामों पर अनुग्रह पूर्व अनुदान दिए गए थे न कि अलग अलग व्यक्तियों को ।

(ख) तथा (ग) : सभी कंपनियों के अपने-अपने पंजीकृत कार्यालय भारत में हैं तथा फैक्टरियों, चाय बागान, शाखाएं पूर्व पाकिस्तान में हैं जो कि पाकिस्तान रक्षा नियमों के अंतर्गत, 1965 में, शत्रु संपत्ति अभिरक्षक में निहित हो गई थी । इसलिए उनके देशांतरण का प्रश्न नहीं उठता ।

Excise duty on Steel Trays

8432. **Shri Mahadeepak Singh Shakya:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether excise duty has not been imposed on small steel trays; and

(b) the number of manufacturers of such trays and the steps taken to put a check on their profits ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Sh. K. R. Ganesh): (a) Small steel trays which are neither placed on the ground, nor even on the table, and used for carrying food/beverages in households or in clubs and restaurants, do not come under the purview of Central Excise levy since they are not classified as "steel furniture" which is a dutiable item under the Central Excise Tariff.

(b) In view of (a) above, no information is available as regards the number of such manufacturers nor is there any provision to put a check on their profits.

तम्बाकू के निर्यात के लिये न्यूनतम मूल्य निर्धारित करना

8433. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तम्बाकू विकास परिषद् ने इस वर्ष तम्बाकू के निर्यात के लिये न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने की कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार ने तम्बाकू निर्यात संवर्धन परिषद् की सिफारिशों पर विचार करने के बाद इस वर्ष भी विभिन्न ग्रेड़ों के अनीमत तम्बाकू की न्यूनतम निर्यात कीमतें संशोधित कर दी हैं ।

(ख) वर्ष 1974 की फसल के लिए अनिर्मित तम्बाकू की न्यूनतम निर्यात कीमतें पिछले वर्ष निर्धारित की गई कीमतों से 20 प्रतिशत से लेकर 25 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई हैं । वर्ष 1972 और 1973 की फसलों के अनबिके माल की कीमतें भी पिछले वर्ष निर्धारित की गई कीमतों से क्रमशः लग-भग 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत बढ़ा दी गई हैं ।

लघु एककों को लाइसेंस देना

8434. **श्री जी वाई० कृष्णन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार का विचार लघु एककों को प्रोत्साहन देने हेतु उन्हें प्रतिबंधित वस्तुओं के लिये लाइसेंस प्रदान करके अपनी आयात नीति का पुनर्विलोकन करने का है ;

(ख) क्या वर्तमान नीति के अंतर्गत, लघु एककों को प्रतिबंधित वस्तुओं के लिये लाइसेंस प्रदान किये जाते हैं ; और

(ग) क्या सरकार आयात लाइसेंसों के मामले में प्राथमिकता देने के लिये प्राथमिकता उद्योगों के सहायक एककों पर विचार करेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख): लघु एककों को प्रति-बंधित मदों के लिए आयात लाइसेंस आयात नीति (रैड बुक—भाग 1) में उल्लिखित विशिष्ट मूल्य सीमा तक के लिए ही दिये जाते हैं । अनेक मदों के संबंध में अंकित मूल्य प्रतिबन्ध 1974-75 की अवधि की आयात नीति में शिथिल कर दिये गये है ।

(ग) कुछ अनुषंगी उद्योगों को प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की सूची में शामिल कर लिया गया है । अन्य अनुषंगी उद्योगों को प्राथमिकता व्यवहार किये जाने की कोई प्रस्थापना नहीं है ।

विदेशों में भारतीय तौलियों की मांग

8435. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में भारतीय तौलियों की अत्याधिक मांग है ;

(ख) क्या भारत के तौलिया निर्माता विदेशों की तौलियों की मांग पूरी करने की स्थिति में नहीं है ; और

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जिनको भारत तौलिये निर्यात करता है और देश में तौलियों का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । हमारे तौलियों के विनिर्माताओं को भारी मात्रा में क्रयादेश मिले हुए हैं तथा वे उनके लिए बढ़ती हुई मांग को पूरा करना कठिन है ।

(ग) भारत कनाडा, डेनमार्क, पश्चिम जर्मनी, पूर्व जर्मनी, पोलैंड, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, अमरीका, सोवियत संघ, जापान तथा अनेक अन्य देशों को तौलियों का निर्यात कर रहा है । मुख्य रूप से निर्यात बाजार की आवश्यकता को पूरी करने के लिए सरकार टैरी-तौलियों के करघे लगाने के लिए प्रोत्साहन दे रही है । इस संबंध में कुछ लाइसेंस उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत जारी किये गये हैं तथा और आवेदनों पर अनुकूलता से विचार किया जाएगा ।

स्वेडन में भारतीय वस्त्रों की मांग

8436. **श्री आर० एन० वर्मन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वडैन में भारतीय वस्त्रों की बहुत मांग है ;

(ख) वर्ष 1972 में स्वेडन को कुल कितने मूल्य के भारतीय वस्त्रों का निर्यात किया गया ; और

(ग) भारतीय वस्त्रों के निर्यात के बदले में स्वेडन से किन वस्तुओं का आयात किया जाता हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) 1972 के दौरान स्वीडन को निर्यातित भारतीय परिधानों का मूल्य 5.29 करोड़ रु० था ।

(ग) स्वीडन को निर्यातित भारतीय परिधानों के बदले उस देश से आयात किये जाने के लिए कोई विशिष्ट मदें नहीं हैं ।

दिल्ली में शुष्क पत्तन

8437. **श्री धामनकर** :

श्री शंकर नारायण सिंह देव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने इस आधार पर दिल्ली में शुष्क पत्तन स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव को रद्द कर दिया है कि इस पर जितनी पूंजी लगाई जायेगी शायद उस अनुपात से वहां पर यातायात न हो ; और

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली में शुष्क पत्तन स्थापित न करने के बारे में अंतिम रूप से निर्णय कर लिया गया है बावजूद इसके कि कुछ अन्य संबंधित मंत्रालयों और प्राधिकारियों ने इस परियोजना को स्वीकृति दे दी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रस्थापना पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

Visit by Commerce Minister to Kuwait

8434. **Shri Bhagirath Bhanwar:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether any agreement was reached during his visit to Kuwait in regard to export of some commodities from India to that country and if so, the names of the commodities to be exported;

(b) the percentage by which export to be made during the current year will be more as compared to that in the past;

(c) whether the main purpose for increasing this export is only to import oil in lieu thereof; and

(d) whether the commodities have been exported at a lower price as compared to previous years?

The Deputy Minister in the Ministry of commerce (Shri A. C. George): (a) to (c) : During the recent visit of the Minister of Commerce to Kuwait, a Trade and Economic Agreement was concluded with the Government of the State of Kuwait on 13th February, 1974. The Agreement is general in nature and does not specify the commodities to be exported by each of the two countries to the other.

The Agreement does not prescribe the level of exports by either country.

The Agreement has been entered into to strengthen economic and trade relations between the two countries. Stepping up of exports to Kuwait is part of our world wide drive to maximise exports and is not envisaged merely as a means of importing oil from Kuwait.

(d) The Agreement does not prescribe prices chargeable for exports. However, the exports are made at the ruling international prices.

Production and Export of Opium

8439. **Shri Bhagirath Bhanwar:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the quantity of opium produced in the country;

(b) the quantity thereof exported to various countries during the last three years indicating the names of those countries; and

(c) the amount of foreign exchange earned therefrom?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh): (a) to (c): The quantity of opium produced, exported and the amount of foreign exchange earned therefrom during the last three years *viz.* 1971 to 1973 are given below:—

Year	Production at 90°C	Quantity exported	Foreign Exchange earned therefrom (Rs. in thousands).
	(in tonnes)	(in tonnes)	
1971	883	894	12,06,20
1972	991	886	17,22,07
1973	866	866	16,35,38

Statement showing the names of countries to whom opium was exported during the last three years is annexed.

STATEMENT

Statement showing the quantity of opium exported to various countries during last three years is as under:

Sl. No.	Name of the Country	Quantity exported at 90° consistence to various countries during		
		1971 (Tonnes)	1972 (Tonnes)	1973 (Tonnes)
1.	Argentina	7	6	9.5
2.	Belgium	7.5	27.3	25.0
3.	Bulgaria	5.0	5.0	5.5
4.	France	100.0	110.0	95.0
5.	Holland	7.0	26.0	6.0
6.	Italy	46.0	33.5	49.5
7.	Japan	35.0	20.0	50.0
8.	Poland	..	4.9	8.0
9.	Spain	18.0	18.0	12.0
10.	Switzerland	14.5	26.1	16.0
11.	Taiwan	..	1.0	3.0
12.	U.K.	260.2	243.0	241.5
13.	U.S.A.	191.6	202.0	197.0
14.	U.S.S.R.	110.0	105.0	90.0
15.	West Germany	89.0	58.1	58.0
16.	Czechoslovakia	3.0	..	..
	TOTAL	893.8(or) (894)	885.9(or) (886)	866.0

Complaints regarding bonus declared by L.I.C. on the life Insurance Policies.

8440. **Shri Bhagirath Bhanwar:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government have received complaints that the bonus declared on the life insurance policies by the L.I.C. for the current year is not adequate; and

(b) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) A few complaints that the rates of bonus delcared by the L.I.C. are low, have been received.

(b) The rates of bonus depend on the quantum of surplus disclosed by the biennial actuarial valuations. Increase in administrative expenditure, consequent upon inflation, has acted as a constraint on increasing the rates of bonus. The Life Insurance Corporation is, however, alive to the need for improving the profitability of the business and is taking various steps in this direction.

मूल्य वृद्धि पर बैंक ऋण का प्रभाग

8441. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत एक वर्ष में वित्तीय प्रणाली में 1300 करोड़ रुपये का बैंकऋण सम्मिलित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें घाटे की अर्थव्यवस्था में कितनी सहायता मिली है तथा विभिन्न वस्तुओं के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है ; और

(ग) क्या चालू वित्तीय वर्ष में मल्य वृद्धि का एक मुख्य कारण यह भी था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) 1973-74 में सरकार की और वाणिज्य क्षेत्र को दिये गये निवल बैंक ऋणों में क्रमशः 870 करोड़ रुपये और 323 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई ।

(ख) और (ग) : वित्त वर्ष 1973-74 के घाटे की अर्थ-व्यवस्था के आंकड़ों का संकलन किया जा रहा है क्योंकि इन्हें वर्ष के अन्त में समयोजित किया जायेगा । यद्यपि यह सच है कि बड़े पैमाने पर की गयी घाटे की अर्थ-व्यवस्था का प्रभाव निःसन्देह मूल्यों पर पड़ता है, तथापि यह कहना कठिन है कि घाटे की अर्थ-व्यवस्था का मल्य वृद्धि के स्तर पर कितना प्रभाव पड़ता है क्योंकि अन्य बातों का भी मूल्यों के स्तर पर प्रभाव पड़ता है जैसे कि आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं का उपलब्ध होना, आयातित कच्चे माल और अन्य वस्तुओं आदि के मूल्य भी इसके साथ ही साथ अर्थ-व्यवस्था पर प्रभाव डालते हैं।

रूस को चाय का निर्यात

8442. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूस जो, 12 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव पर दार्जिलिंग में उत्पादित एक करोड़ किलोग्राम चाय से लगभग 99 प्रतिशत चाय खरीदता है, के साथ करार अलाभप्रद है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Permission to Foreign Tourists to Visit Mathura, Vrindavan, Hardwar, Badrinath and Kedarnath

8443. Shri B. S. Chowhan: Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state ;

(a) the reasons for which foriegn tourists are not allowed to visit Mathura, Vrindavan, Hardwar, Badrinath and Kedarnath; and

(b) the future plan of Government in regard to extending this opportunity?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Dr. Sarojini Mahishi) (a) and (b): There is no restriction on foreigners visiting Mathura, Vrindavan and Hardwar.

Special permits, however, are required by foriegn nationals for visiting Badrinath and Kedarnath since they have been declared protected areas under the Foreigners (Protected Areas) Order 1958. Requests for permits from foreigners, for visiting Badrinath and Kedarnath are considered on merits.

Foreign Exchange earned by Export of Wool

8444. **Dr. Laxminarayan Pandeya : ** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state ;

(a) the amount of foreign exchange earned by export of wool and woollens during 1972-73 and first part of 1973-74;

(b) whether Shoddy Wool Industry has played a prominent part among the principal manufacturers of the woollens exported; and

(c) whether this industry has certain difficulties, and if so, the steps taken by Government to remove them?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A.C. George): (a) The amount of foreign exchange earned by export of wool and woollens during 1972-73 and the first part of 1973-74 (*viz.* April—Sept., 1973) was Rs. 48.20 crores and Rs. 26.74 crores, respectively.

(b) This sector of the woollen industry accounted for exports worth Rs. 1.66 crores out of the total of Rs. 48.20 crores for 1972-73.

(c) Yes, Sir, the Shoddy Wool Industry has certain difficulties in regard to raw materials. These are being looked into and remedial action taken.

गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों के चेयरमैन की नियुक्ति

8445. **श्री अन्ना साहिब गोटखिंडे :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इन्डिया को सभी गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों के चैयरमैनों की नियुक्ति का अनुमोदन करने का अधिकार है;

(ख) रिजर्व बैंक आफ इन्डिया के उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं जिनको इन बैंकों के चैयरमैन बनने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है;

(ग) इन कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति की सामान्य आयु कितनी है; और

(घ) प्रत्येक मामले में अलग अलग इनकी आयु सीमा बढ़ाने का औचित्य क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ख (1) (ख) में अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबन्ध है कि किसी भी बैंकिंग कम्पनी के अध्यक्ष की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि यह नियुक्ति पुनर्नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से न की जाये।

(ख) रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इस समय उनके पांच अधिकारी राष्ट्रीयकृत बैंकों से भिन्न बैंकों में अध्यक्ष के रूप में प्रतिनियुक्ति पर हैं ब्यौरा नीचे दिया गया है :

उन अधिकारियों के नाम जो अध्यक्ष के रूप में प्रतिनियुक्त हैं	उस बैंक का नाम जिसके वे अध्यक्ष हैं
1	2
श्री एल० कृष्णन (52)	बैंक आफ मदुरा लिमिटेड, मदुराई
श्री बी० के० जैन (54)	बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड, वाराणसी
श्री एम० आर० कामथ (51)	कारपोरेशन बैंक लिमिटेड, मंगलौर
श्री एस० सी० जैन (48)	हिन्दुस्तान कमर्शल बैंक लिमिटेड, कानपुर
श्री एम० एल० इनासु (46)	पूर्वांचल बैंक लिमिटेड, गौहाटी ।

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये अंक, पहली मार्च, 1974 को अधिकारी की आयु के द्योतक हैं।

(ग) रिजर्व बैंक के इन अधिकारियों की सेवा-निवृत्ति की सामान्य आयु 58 वर्ष है।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

मलेरिया फैलने का समाचार

श्री मुख्तियार सिंह मलिक (रोहतक) : मैं **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री का ध्यान लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं तथा उनसे निवेदन करता हूं कि वह इस संबंध में एक वक्तव्य दें :

"मलेरिया फैलने का कथित समाचार"

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम ने जिसे सरकार ने, 1953 में एक नियंत्रण कार्यक्रम के रूप में आरम्भ किया था और 1958 में उन्मूलन कार्यक्रम के रूप में बदल दिया था, महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की हैं। 1953 से पहले हर साल अनुमानतः जो 7.5 करोड़ व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित होते थे 1961 में उनकी संख्या घटकर 49151 हो गई। अलबत्ते, यह एक दुर्भाण्यपूर्ण बात है कि मलेरिया की घटनाओं में आकस्मिक कमी होने के बाद 1964 से उनमें धीरे-धीरे वृद्धि हो गई है। इस वृद्धि ने 1971 के बाद विशेषकर भयानक रूप ले लिया है। 1973 में पोजिटिब रोगियों की संख्या बढ़कर करीब-करीब 15 लाख हो गई है।

कुछ क्षेत्रों में मच्छरों के अन्दर कीटनाशकों को सहने की शक्ति का विकास होना, इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार राज्यों द्वारा अपर्याप्त निगरानी करना और कीट-नाशकों को प्राप्त करने में कठिनाई और वित्तीय अड़चनों के कारण उनकी असंतोषजनक सप्लाई

होना इस भयानक स्थिति के मुख्य कारण हैं। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए दिल्ली में इस महीने के शुरू में हुई अपनी बैठक में केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् ने जिसमें सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्र के मंत्री सम्मिलित थे, मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में एक विशेष प्रस्ताव पारित किया जिसमें क्रियान्वित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये थे। इस राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के सभी संबंधित पहलुओं का गहराई से अध्ययन करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक समिति का भी गठन किया है। इस समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट पेश की जिस पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

पांचवीं योजना में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए 84.92 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। विशेषकर जब बाहर से आने वाले कीटनाशकों तथा मच्छर लार्वानाशी तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, इस रकम से काम चलने वाला नहीं है। इस मामले में मेरा वित्त मंत्रालय और योजना आयोग से बात करने का विचार है।

Shri Mukhtiar Singh Malik: It is apparent from the statement of the Hon. Minister that spread of Malaria in the country is alarming. The progress in this regard till 1964 was very good. Since 1964 there has been steady rise in Malaria cases and the condition has become alarming.

The Public Accounts Committee has complained against unsatisfactory spraying, poor service and inadequate laboratory facilities, defective blood smeering and delayed examination and lack of epidemiological investigations.

May I know the hon. Minister that what action the Government took after the receipt of P.A.C. report for 1969? What money the Government has so far spend on eradication programme and what is the contribution of W.H.O. ?

From 1958 to 1967-68 Rs. 154 crores were spent on Malaria Eradication Programme. The epidemic could not be checked even by spending so much amount. It is, therefore, not wrong to say that your administration has been a failure. The hon. Minister has stated that the Committee appointed has submitted its report. What action the Government has taken in the matter ever since the report was submitted.

Mr. Speaker : The rules committee has repeatedly expressed that no one would take more than 5-7 minutes.

Dr. Karan Singh : Till the end of last year Rs. 274 crores and 5 lakhs were spent on the programme. There is no doubt that during the past 10 years and specially during 3-4 years the number of Malaria cases has been on the increase.

The work actually to be done concerns the State Governments. We have discussed the matter with the States. I have personally talked with the Health Ministers of the States, and hope that if funds are made available we would be able to destroy mosquitoes.

Shri Nawal Kishore Sharma (Dausa): Due to success of Malaria Eradication Programme the people get certain relief. Malaria was totally eradicated in cities and villages. But the situation has again changed now and we are required to seriously think over the problem again. What amount would be needed to continue the spray programme?

In what respect you seek cooperation from the States, and may I know whether financial or merely administrative support is needed?

Please do not restrict your Malaria Eradication Programme to cities alone. The villagers are affected more due to this epidemic than the people of urban areas.

Dr. Karan Singh : The amount required for the purpose is Rs. 85 crores which has been provided for in the 5th Plan. From the States we want merely administrative cooperation.

So far as the report is concerned we have just received it and we are considering it.

We have to take continuous steps both in respect of cities and villages.

श्री श्याम सुन्दर महापात्र (बालासौर) : मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में स्वीकार किया है कि मलेरिया फैल रहा है। 1973 में 15 लाख व्यक्ति इससे पीड़ित हुए थे।

मेरा सरकार से आग्रह है कि इस कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जाये। उड़ीसा में अब बहुत मच्छर हो गये हैं। हमें इस रोग की रोकथाम के लिए सही औषधियां खोजनी हैं।

मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वह इस मामले पर पुनर्विचार करें और इसे प्राथमिकता दें। इस बारे में आकड़े तैयार करते समय यह ध्यान दिया जाये कि आकड़े अखिल भारतीय दृष्टि से एकत्र किये गये हैं तथा उनमें शहरों और गावों का समान महत्व दिया गया है।

डा० कर्ण सिंह : यह सच है कि इसकी जिम्मेदारी सीधे राज्यों पर है। कई राज्यों में कार्यक्रमों की क्रियान्विति संतोषजनक नही रहीं है। इसी लिए मैंने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा था।

अधिक कीटनाशी दवाईयां बहुत महंगी होती जा रही हैं। मलेरिया रोग न केवल भारतवर्ष में बल्कि बंगला देश और बर्मा में दी बुरी तरह फैला हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इस समस्या के निदान में लगा हुआ है। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है स्वास्थ्य मंत्रालय के बजट में से मलेरिया के निदान के लिए काफी धनराशि आवंटित की गई है और हम प्रयत्न करेंगे कि यह धनराशि इसी उद्देश्य के लिए व्यय की जाये।

आदिवासियों की समस्या से सरकार पूरी तरह अवगत है और हम इस ओर विशेष ध्यान देने का प्रयत्न करेंगे।

डा० हरिकिशोर सिंह : ऐसा लगता है कि सरकार समस्याओं को हल करने के लिए गम्भीरता पूर्वक कार्यवाही नहीं कर रही है। यदि सरकार ने ऐसा किया होता तो समस्या पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दिया गया होता। नागरिकों को बहुत अधिक कष्ट सहने पड़ रहे हैं, चाहे वे राज्य सरकारों की लापरवाही तथा अकुशलता के कारण हों अथवा संवैधानिक कठिनाइयों के कारण हों। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लोग मलेरिया से मर रहे हैं और नीम हकीम अपनी जेबें भर रहे हैं परन्तु सरकार का ध्यान कभी इस ओर नहीं गया। वर्ष 1950 से पूर्व 7 करोड़ 50 लाख व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित थे। आज कल न जाने यह संख्या बढ़ कर कितनी हो गई होगी। श्री भगत ने मुझे बताया कि उनको चार बार मलेरिया हुआ और इलाज के बावजद भी उन्हें कोई राहत नही मिली। जब महत्वपूर्ण व्यक्तियों का यह हाल है तब सामान्य जनता क्या का हाल होगा ?

24 LSS/74—11

जब भी ग्रामीण लोगों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए एन० एच० एस० योजना बनाई जाती है तो सरकार उसको अमत्हवपूर्ण करार दे देती है। 150 करोड़ रुपये की ग्रामीण स्वास्थ्य योजना और 10 लाख रुपये की परीक्षणार्थ योजना का क्या हुआ ? क्या उसे त्याग दिया गया है।

पता चला है कि बड़े डाक्टरों के दबाव में आकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने ग्रामीण लोगों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना छोड़ दिया है । यदि ग्राम लोगों को चिकित्सा जैसी सुविधाओं से वंचित रक्खा जायेगा, तो यह कहां तक संगत कहा जा सकता है। क्या सरकार सहकारी स्वास्थ्य योजना विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी योजना शुरू करने पर विचार करेगी क्योंकि इससे कुछ हद तक बेरोजगारी की समस्या भी हल हो सकेगी ?

डा० कर्ण सिह : यह कहना सही नहीं है कि सरकार गम्भीर नहीं है। सरकार पूर्णतया गम्भीर है। यह सच है कि वर्ष 1951 में मलेरिया पीड़ित लोगों की संख्या 7 करोड़ 50 लाख थी परन्तु वर्ष 1961 में यही संख्या कम होकर 50 हजार हो गई। हमने सोचा था कि शीघ्र ही मलेरिया उन्मूलन हो जायेगा प्ररन्तु दुर्भाग्यवश मलेरिया का प्रकोप फिर हुआ और यह संख्या अब 15 लाख हो गई है।

जहां तक श्री भगत का सम्बन्ध है, मैं उनकी चिकित्सा के लिए प्रबन्ध करूंगा और यथासम्भव सहायता करूंगा ।

जहां तक ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा का सम्बन्ध है, उसका वर्तमान समस्या के साथ कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिकता स्वास्थ्य केन्द्र और उप-केन्द्र खोले जायेंगे।

स्वयंसेवी संस्थानों को सहायता देने के लिए अलग योजना बनाई गई है और इसके लिए वित्त मंत्रालय स्वीकृति देने वाली है। मैं इस बात से सहमत हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

Re. Question of Privilege

(प्रश्न)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने श्री सुब्रह्मण्यम के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न का नोटिस दिया था क्योंकि उन्होंने सदन में झूठी और गलत बात कही थी। ब्रिटानिया बिस्कुट कम्पनी लिमिटेड का लाइसेंसप्राप्त उत्पादन 1,200 टन प्रतिवर्ष है जबकि मंत्री महोदय ने बाताया है कि उनको तीन पारियों में 3,000 टन उत्पादन करने का लाइसेंस दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला विशेषाधिकार के अन्तर्गत नहीं आता। मैं इसको निदेश संख्या 115 के अन्तर्गत उन्हें भेज रहा हूं। मंत्री महोदय ने कहा है कि तीन पारियों में इतना उत्पादन हुआ और उसके बाद बताया कि वह उसकी जांच करेंगे। आप प्रतिदिन विशेषाधिकार का प्रश्न न उठाएं। ऐसा करना उपहास मात्र होगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : निदेश संख्या 115 के अन्तर्गत जानकारी मांगी जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : यदि जानकारी सही नहीं है तो मुझे बताइए, मैं मंत्री महोदय को भेज दूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कागज़ात के अनुसार ब्रिटानिया बिस्कुट, मद्रास का लाइसेंसप्राप्त उत्पादन 1,200 टन है जबकि मंत्री महोदय का कहना है कि तीन पारियों में उत्पादन 3,000 टन है।

अध्यक्ष महोदय : आप छोटे-छोटे मामलों पर विशेषाधिकार का प्रश्न न उठाएं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम असत्य बातें सुनने के लिए उपस्थित नहीं हुए। यह सदन के विशेषाधिकार का प्रश्न है और यह मामला सदन पर छोड़ देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस की अनुमती नहीं दे सकता ।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

Papers Laid on the Table

भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली आदि का वार्षिक प्रतिवेदन तथा वायुयान (संशोधन) नियम, 1974

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—6833/74]

(2) (एक) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अन्तर्गत वायुयान (संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 9 मार्च, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 265 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—6834/74)

विभिन्न आश्वासनों, वचनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण

संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के निम्नलिखित विवरण सभा-पटल पर रखता हूं।

चौथी लोक सभा

(1)	विवरण संख्या 34	7वां सत्र, 1969
(2)	विवरण संख्या 34	8वां सत्र, 1969
(3)	विवरण संख्या 34	9वां सत्र 1969
(4)	विवरण संख्या 36	10वां सत्र, 1970
(5)	विवरण संख्या 26	12वां सत्र, 1970

पांचवीं लोक सभा

(6)	विवरण संख्या 14	पहला सत्र, 1971
(7)	विवरण संख्या 28	दूसरा सत्र, 1971
(8)	विवरण संख्या 19	तीसरा सत्र, 1971
(9)	विवरण संख्या 19	चौथा सत्र, 1972
(10)	विवरण संख्या 13	पांचवां सत्र, 1972
(11)	विवरण संख्या 11	छठा सत्र, 1972
(12)	विवरण संख्या 12	सातवां सत्र, 1973

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—6835/74]

गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों की प्रक्रिया के बारे में अध्यक्ष द्वारा घोषणा

Announcement by Speaker *Re.* Procedure for Private Member's Resolutions

अध्यक्ष महोदय : मैं सदन को यह सूचित करना चाहता हूं कि नियम समिति ने 25 अप्रैल, 1974 को हुई अपनी बैठक में यह सिफारिश की थी कि यदि किसी दिन की कार्यसूची में दर्ज ऐसे संकल्प पर, जिस पर कि आंशिक रूप से चर्चा हो चुकी है, चर्चा के लिए निर्धारित समय सभा द्वारा अथवा अध्यक्ष द्वारा बढ़ाया जाता है और उसके परिणामस्वरूप बैलट में प्राप्त प्रथम प्राथमिकता के आधार पर कार्यसूची में दर्ज अगला संकल्प उस दिन पेश नहीं किया जाता है तो उस संकल्प को आंशिक रूप से चर्चा किये गये संकल्प, यदि कोई हो, के पश्चात् गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिए उसी सत्र के दौरान नियत अगले दिन के कार्य की पहली मद के रूप में रखा जाना चाहिए।

यदि सदन को स्वीकार हो तो यह प्रक्रिया आज से अपनाई जा सकती है। मुझे आशा है आप इसे स्वीकार करेंगे।

कई माननीय सदस्य : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

प्राक्कलन समिति

Estimate Committee

62वां तथा 55वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश :

श्री धामनकर (भिवंडी) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

(1) (एक) वित्त मंत्रालय (बैंककारी विभाग)-समाज के कमजोर वर्गों को तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए ऋण सुविधाओं के विस्तार के सम्बन्ध में 62वां प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन के सम्बन्ध में समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

(2) पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय-पर्यटन के सम्बन्ध में समिति के 42वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 55वां प्रतिवेदन।

लोक लेखा समिति

Public Accounts Committee

112वां, 118वां, 126वां, 129वां तथा 130वां प्रतिवेदन

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं लोक सभा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन पेश करता हूं:--

(1) लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (रक्षा सेवाएं), 1970 तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक के वर्ष 1969-70 के प्रतिवेदन, केन्द्रीय सरकार (रक्षा सेवाएं) में दिये गये पैराग्राफों के बारे में समिति के 82वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में 112वां प्रतिवेदन।

(2) अन्य प्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1970-71 के प्रतिवेदन--केन्द्रीय सरकार (सिविल)--राजस्व प्राप्तियां के अध्याय 5 के बारे में समिति के 88वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में 118वां प्रतिवेदन।

(3) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1971-72 के प्रतिवेदन—संघ सरकार (रेल) में सम्मिलित रेल संचालन तथा व्यय सम्बन्धी पैराग्राफों पर 126वां प्रतिवेदन।

(4) शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1971-72 के प्रतिवेदन--संघ सरकार (सिविल) पर 19वां प्रतिवेदन।

(5) काफी बोर्ड के वर्ष 1965-66 से 1971-72 के लेखे सम्बन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर 130वां प्रतिवेदन।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

Committee on Public Undertakings

53वां प्रतिवेदन

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : मैं इंडियन एयरलाइंस के सम्बन्ध में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के 28वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिश पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 53वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

मोटर गाड़ियों के टायरों और ट्यूबों के बारे में वक्तव्य

Statement *Re*: Automobile Tyres and Tubes

औद्योगिक विकास, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : सरकार हाल के महीनों में टायरों तथा ट्यूबों की उपलब्धता संबंधी स्थिति तथा उनकी कीमतों के विषय में विशेष निगरानी रखती रही है। पिछले कुछ महीनों तक उद्योग द्वारा टायरों की कीमत का विनियमन किया जाता रहा था। किन्तु ऐसा सरकार के साथ किए गए अनौपचारिक समझौते के आधार पर किया गया था। जब यह पाया गया कि उद्योग ने एकतरफ ही ऊंचे कीमतें लागू करने का प्रयत्न किया है तो कम संख्या में मिलने वाले कुछ प्रकार के टायरों की कीमतें स्थिर करते हुए एक नवम्बर, 1973 में आदेश जारी किया गया था।

इस विषय में अब और विचार किया गया है। कच्चे माल के वर्तमान मूल्य तथा औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो द्वारा सुझाए गए फार्मूले के अनुसार, जिन्होंने इस उद्योग के मूल्य ढांचे की जांच की थी, विभिन्न श्रेणियों के टायरों की कीमतें नवम्बर, 1973 की कीमतों की तुलना में 1 (एक) और 52 (बावन) प्रतिशत के बीच बढ़ानी पड़ेगी। न केवल हाल के कुछ महीनों में अनेक कच्चे माल के मूल्य ही तेजी से बढ़े हैं, अपितु उनके मिलने में भी पर्याप्त अनिश्चितता तथा कीमतों में काफी अस्थिरता आ गयी है। टायरों का निर्माण अब अनिवार्य रूप से नॉयलोन तथा रेयन टायर कोर्डों पर निर्भर करता है। टायर कोर्डस बनाने का कच्चा माल दुर्लभ हो गया है तथा उनकी कीमतें भी तेजी से बढ़ती रही हैं। एक ऐसे समय में जब उत्पाद की कीमतें और अनावश्यक कच्चे माल की उपलब्धता में व्यापक रूप से उतार-चढ़ाव है अन्तिम उत्पाद पर मूल्य नियन्त्रण लागू करने की कठिनाइयों सर्व-विदित हैं। इन परिस्थितियों में सरकार ने यह निश्चय किया है कि कुछ किस्म के टायरों और ट्यूबों पर नवम्बर 1973 में लागू किया गया कानूनी मूल्य नियन्त्रण तथा सरकार द्वारा अन्य प्रकार कें टायरों और ट्यूबों पर अब तक लागू किए जा रहे अनौपचारिक मूल्य नियन्त्रण को वापस ले लिया जाये तथा कच्चे माल के मूल्यों में थोड़े थोड़े समय बाद होने वाले परिवर्तनों के संदर्भ में अब मूल्य का पुनर्निर्धारण और संशोधन करने की बजाय उत्पादन में वृद्धि करने के लिए परिस्थितियां तैयार की जानी चाहिए। इसके साथ ही कमी वाले टायरों कें किस्म की वितरण व्यवस्था को सुप्रवाही बनाया जा रहा है। उद्योग ने सरकार के परामर्श से एक वितरण योजना तैयार की है जिसमें वितरकों और डीलरों के विभिन्न स्तरों पर मिलकर कार्य संचालन करने की व्यवस्था की गई है। सम्भरण सम्बन्धी सभी

प्राथमिकताओं और सिद्धान्तों को सुनिश्चित करने के लिए सरकार के अधीन एक केन्द्रीय समन्वय समिति की भी व्यवस्था की गई है। नियन्त्रण हटा लिए जाने के बाद की स्थिति तथा वितरण व्यवस्था के कार्य पर बराबर निगरानी रखी जायेगी तथा आगे होने वाले परिवर्तनों और परिस्थितियों में अग्रतर कार्यवाही की जायगी।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Mr. Speaker, Sir, I want to raise certain matters relating to Procedure and rights of the House. There was a news that Government is going to change the policy regarding price and distribution of tyres. But House has not been taken into Confidence so far. News was published in 'Economic Times' that "tyre price rise on the Cards" but while repaying to my unstarred question yesterday, hon. Minister has not mentioned that Government is considering policy matters in this regard.

Blackmarket price of tyres has increased. Blackmarket price of pair of Dunlop Tyre was 5,600 Rs. three months ago but now it is 10,000 Rs.

I request you that directions be issued by you that newspapers should not be taken into Confidence first. You should allow debate under Rule 193 because this is a matter of urgent public importance.

अध्यक्ष महोदय : नियम संख्या 193 क अन्तर्गत चर्चा की अनुमति देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : क्या यह उचित नहीं था कि यह वक्तव्य देने से पूर्व मंत्री महोदय इस विषय पर विचार करते और अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान वक्तव्य देते ? मंत्री महोदय आसानी से वक्तव्य दे सकते थे। सरकार चोर बाजारी करने वालों के दबाव में काम करती है।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : जिस समय अनुदानों की मांगों पर चर्चा हो रही थी उस समय निर्णय नहीं किया गया था। चर्चा समाप्त होने के बाद ही मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय किया गया और इसीलिए मैं सदन को यह सूचित कर रहा हूं।

माननीय सदस्यों ने स्वयं यह बताया है कि काले बाजार में टायर का मूल्य 10 हज़ार रुपये तक है जबकि फैक्टरी मूल्य केवल 1500 या 2000 रुपये है। काले बाजार में लिया गया धन उत्पादक के लेखे में नहीं जाता। कच्चे माल के बढ़े हुए वर्तमान मूल्य को ध्यान में रखकर इस मूल्य से उत्पादकों को भी हानि उठानी पड़ रही है। **(व्यवधान)**

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय को गुमराह करने की आदत है।

श्री सुब्रह्मण्यम् : मुझे इन शब्दों पर आपत्ति है **(व्यवधान)** मैं बता रहा था कि उत्पादकों ने पहले लाभ कमाया होगा परन्तु यदि कच्चे माल, विशेषकर नायलोन धागों के मूल्यों को ध्यान में रखा जाए तो पता चलेगा कि चोर बाजारी का कारण यही हैं। ट्रकों के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले नायलोन धागों की कीमत बहुत अधिक है। अतः अब हम इस पर नियन्त्रण समाप्त कर रहे हैं और ऐसी वितरण प्रणाली बना रहे हैं जिसमें फैक्टरी के सूचीबद्ध मूल्य को ध्यान में रखा जाएगा और उपभोक्ताओं

से 5 अथवा 7 प्रतिशत लाभ लिया जाएगा। यह बात सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ताओं को सही मूल्य पर टायर मिले, हमने नई वितरण प्रणाली बनाई है। और उद्योगों पर यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे पूरी निगरानी रखें।

हमने इस विषय पर पूरी तरह ध्यान दिया है। चूंकि यह मामला थोड़ा जटिल था और हमें मंत्रिमंडल में इस पर चर्चा करनी थी, इसीलिए मैं यह संकेत नहीं दे सका कि इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब कुछ नहीं। मैं चर्चा की अनुमति पहले ही दे चुका हूं।

राष्ट्रीय पुस्तकालय विधेयक

NATIONAL LIBRARY BILL

संयुक्त समिति के लिए सदस्यों की नियुक्ति

श्री अमरनाथ विद्यालंकार (चण्डीगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा सर्वश्री महावीर दास, रतन लाल जैन, श्यामधर मिश्र, और पाटिल पुटप्पा की राज्य सभा से निवृत्ति के कारण राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रशासन तथा कतिपय अन्य संगत मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में रिक्त हुए स्थानों पर राज्य सभा के चार सदस्य नियुक्त करें और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में इस प्रकार नियुक्त सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा सर्वश्री महावीर दास, रतन लाल जैन, श्यामधर मिश्र, और पाटिल पुटप्पा की राज्य सभा से निवृत्ति के कारण राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रशासन तथा कतिपय अन्य संगत मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में रिक्त हुए स्थानों पर राज्य सभा के चार सदस्य नियुक्त करें और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में इस प्रकार नियुक्त सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभा के कार्य के बारे में

Re. BUSINESS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय: रक्षा मंत्रालय की मांगों पर विचार आरम्भ करने से पूर्व मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय काफी महत्वपूर्ण है और उस पर हम सोमवार को चर्चा आरम्भ करेंगे। रक्षा मंत्रालय से सम्बद्ध मांगों को हम सोमवार तक नहीं चलाना चाहते क्योंकि उस दिन शाम को गिलोटिन भी है। अतः हम चाहते हैं कि गृह मंत्रालय की मांगों के लिए भी कुछ समय बच जाये। अतः आज रक्षा मंत्रालय की मांगों सम्बन्धी चर्चा समाप्त हो जायेगी। मंत्री महोदय आज 2.45 मिनट पर चर्चा का उत्तर देंगे।

नियम ३७७ के अन्तर्गत मामला

Matter under Rule 377

महाराष्ट्र में मानिकगढ़ में आदिवासियों और हरिजनों पर अत्याचार के समाचार

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर): आप की अनुमति से मैं चन्द्रपुर जिले के मानिकगढ़ क्षेत्र में आदिवासियों पर किये गये अत्याचारों का मामला उठा रहा हूं। चूंकि हरिजनों और आदिवासियों के रक्षण का कार्यभार केन्द्र सरकार का है, इसीलिए मैं यह मामला यहां उठा रहा हूं।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

Mr. Deputy Speaker in the Chair

मणिकगढ़ क्षेत्र के आदिवासियों पर अनेक अकथनीय अत्याचार किये गये। यह क्षेत्र वनभूमि क्षेत्र है और इसे खाली करवाने के लिए बन अधिकारी द्वारा वहां के हरिजनों तथा आदिवासियों पर अनेक अत्याचार किये जा रहे है। वहां के लोगों की लगभग 100 झोंपड़ियों को जला दिया गया है। इतना ही नहीं वन अधिकारी द्वारा महिलाओं को झोंपड़ियों में से बाहर घसीटा गया। एक गर्भवती स्त्री को जिसे केवल आधे ही घंटे के बाद बच्चा जनना था, झोंपड़ी से बाहर घसीटा गया। बच्चा पैदा होते ही उस स्त्री तथा उसके बच्चे की मौत हो गई।

वहां कई अदिवासियों को ट्रक में बिठाकर आन्ध्रप्रदेश की सीमा पर छोड़ दिया गया। एक बच्चा वहां पानी की खोज में तीन घंटे तक इधर उधर भटकता रहा तथा तीन घंटे बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। इतना ही नहीं जहां आदिवासी लोगों से स्थान खाली करवाया जा रहा था वहां एक बच्चे को मैदान में रख दिया गया। वन अधिकारी ट्रक में से उस बच्चे पर कूदा और इस प्रकार उस बच्चे की भी मृत्यु हो गई।

यह मामला राज्य विधान सभा में उठाया गया था और वन विभाग से सम्बद्ध मंत्री महोदय ने बताया कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। मैंने 20 अप्रैल को स्वयं उस क्षेत्र का दौरा करके जब तथ्यों की जांच की तो पता चला कि यह सब कुछ वहां हुआ है। बाद में कांग्रेस के एक स्थानीय विधानसभा सदस्य द्वारा भी इस घटना का अनुमोदन किया गया।

हमारी यह मांग है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को चन्द्र पुर जिले के मनिकगढ़ क्षेत्र में जाकर घटना स्थल पर ही इस मामले की जांच करनी चाहिये। इतना ही नहीं हमतो यह भी चाहते हैं कि अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति तथा सरकार को भी इस मामले की जांच करनी चाहिये तथा तथ्यात्मक ब्यौरा सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : इसी प्रकार का बम्बई से सम्बद्ध एक मामला श्री अटल बिहारी बाजपेयी द्वारा भी उठाया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : उसे सदन में उठाने दिया गया था।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (ग्वालियर) : गृहमंत्री से इस सम्बन्ध में वक्तव्य देने को कहा गया था।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : अध्यक्ष महोदय द्वारा मंत्री महोदय को वक्तव्य देने के लिए कहा गया था। आज इस बात को 10 दिन हो गये हैं परन्तु अभी तक वक्तव्य नही दिया गया है... (व्यवधान)

श्री धामनकर (भिवंडी) : प्रो० दण्डवते द्वारा जो कुछ कहा गया है मैं उसका समर्थन करते हुये सरकार से मामले की जांच करने का अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने इस मामले को ओर अधिक वल प्रदान कर दिया है। मुझे आशा है कि सरकार इस ओर उचित ध्यान देगी... (व्यवधान)

श्री एस० एम० बनर्जी : उन्हें वक्तव्य देना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे आशा है कि सरकार इस ओर उचित ध्यान देगी। आये दिन इस प्रकार के अत्याचार होते रहते हैं। गत सप्ताह भी इस मामले पर काफी चर्चा हुई थी। इसके बाद भी यदि सरकार द्वारा कुछ नहीं किया जाता, तो सदन द्वारा इस पर निर्णय लिया जायेगा। . . . (व्यवधान)

अध्यक्षपीठ से जो भी निदेश दिया जाता है, उसको उचित महत्व दिया जाना चाहिये। यदि मंत्री महोदय द्वारा सदन को कोई आश्वासन दिया जाता है, तो उसका पालन भी किया जाना चाहिये। प्रो० दण्डवते द्वारा काफी अच्छा सुझाव दिया गया है कि इस सम्पूर्ण मामले की जांच अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त द्वारा करवाई जानी चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमान जी, अभी एक ऐसा परिपत्र हमारे देखने में आया है जिसमें कहा गया है कि परामर्श समिति की बैठकों के बारे में समाचार पत्रों को नहीं बताया जाना चाहिये... (व्यवधान) कुछ लोगों के साथ इस बारे में विचार-विमर्श किया गया था...विरोधी दलों के साथ हुई बातचीत में मेरा दल शामिल नहीं था। वर्ष 1965 से चली आ रही इस प्रथा को एक दम समाप्त कैसे कर दिया गया। श्री रघुरामैया अचानक यह कैसे समझने लगे कि इससे सरकार को नुकसान होता है।

श्री रघुरमैया : मैंने सभी विरोधी दलों को पत्र लिखा था। जो लोग आये उनके साथ विचार-विमर्श किया गया। अगर वह चाहते हैं तो हम एक और बैठक बुला लेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : तब तक इस परिपत्र का परिचालन रोक दिया जाना चाहिये।

श्री रघुरमैया : श्री वाजपेयी के दल के लोग उस बैठक में थे। जो परिपत्र सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ निर्णय करके जारी किया गया था, उसे मैं वापिस कैसे ले सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया है कि सोमवार या मंगलवार को पुनः इसके बारे में विचार किया जायेगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : एक संसद सदस्य के नाते मैं अपने पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं। मैं प्रैस वालों से बातचीत करता रहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइये। अब हमें यह मामला यहीं समाप्त कर देना चाहिये।

अनुदानों की मांगें, 1974-75

Demands for Grants, 1974-75

रक्षा मंत्रालय

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : हमारे समक्ष इस समय जो चुनौतियां है उन्हें वर्ष 1974 की चुनौतियां कहा जा सकता है। वर्ष 1971 के अंत में जब हमने बंगला देश पर विजय प्राप्त की, उस समय हमारी रक्षा सेना की स्थिति काफी अच्छी थी। इसके बाद स्थिति में कुछ परिवर्तन हुआ। हमने कश्मीर में अपनी स्थिति सुदृढ़ करनी आरम्भ कर दी। अभी तक भारत तथा चीन की सीमा अर्थात् भारत की उत्तरी सीमा पर स्थिति वैसी ही बनी हुई है।

आपको याद होगा कि 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध आरम्भ हुआ था तो रूस और अमरीका के बेड़े 10 दिसम्बर से ही सक्रिय हो गये थे। युद्ध का आरम्भ 3 दिसम्बर को हुआ। अमरीकी बेड़े 'एन्टरप्राइज' को टोंकिनद की खाड़ी से निकाल कर हिन्द महासागर की ओर बढ़ा दिया गया परन्तु इससे पूर्व ही रूसी बेड़ा 'ब्लाडीवास्टक' से हिन्द महासागर के लिए चल पड़ा था।

आज "डियागो गार्शिया" की चर्चा चल रही है। ऐसा लगता है कि हिन्द महासागर एक शीत युद्ध का विषय बन गया है। लोग समकालीन इतिहास का अध्ययन बहुत कम करते हैं। वास्तव में हिन्द महासागर से सम्बद्ध यह शीत युद्ध तो 3 दिसम्बर से ही आरम्भ हो गया था जब कि बंगला देश युद्ध का आरम्भ हुआ था।

आज स्थिति यह है कि विदेशी सैनिक तथा नौसैनिक शक्ति का मुकाबला करने के लिए हमें हिन्द महासागर में अपनी नौसेना को और अधिक मजबूत करना होगा। भारत का 3500 मील का तट हिन्द महासागर के साथ लगता है। इस दृष्टि से यदि देखा जाये तो हमने बजट में नौसेना के लिए जो व्यवस्था की है वह बहुत कम है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि हमें अपनी नौसेना में कमानों की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 कर देनी चाहिये। इतना स्थान तो उनके लिए उपलब्ध ही है।

आज अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में रोज़ नये परिवर्तन हो रहे हैं परन्तु यह आश्चर्य की बात है कि हमारे बजट प्रस्तावों पर उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। आज भी हम अपनी प्रतिरक्षा और सुरक्षा सम्बन्धी समस्याओं की ओर अफसरशाही दृष्टिकोण अपना रहे हैं जिसमें अब परिवर्तन करना अनिवार्य है।

मेरे विचार से अब समय आ गया है जब कि भारत को एशियाई सामूहिक सुरक्षा के लिए पहल करनी होगी। हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र को महाशक्तियों के चंगुल से दूर रखा जाये। इस विषय पर चर्चा करने तथा एक व्यापक प्रस्थापना प्रस्तुत करने का प्रमुख दायित्व हमारा ही है। प्रतिरक्षा मंत्रालय को योजना बनाकर इस मामले के बारे में बातचीत आरम्भ करनी चाहिये। इस मामले में बिना और अधिक समय खोये अब हमें पहल करनी चाहिये। हमें ऐसी योजना बनानी चाहिये जो सभी को स्वीकार हो तथा जिसके लिए हमें अधिक से अधिक प्रोत्साहन प्राप्त हो सके।

प्रो० नारायण चन्द पाराशर (हमीरपुर) : मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। मैं अपने रक्षा मंत्री को हाल ही के युद्ध में प्राप्त विजय के लिए बधाई देना चाहता हूं परन्तु इसके साथ ही मेरा निवेदन यह भी है कि कल जिन लोगों ने हमें विजय दिलाई उन्हें हमें आज भूल नहीं जाना चाहिये। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयत्न करना चाहिये कि उनके राष्ट्रीय सम्मान के प्रति उनकी भावना में किसी प्रकार की कमी न हो। उन्हें संतुष्ट रखने के लिए हमें हर संभव प्रयत्न करना चाहिये। इस संबंध में मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि जिन राज्यों में अन्य उद्योग नहीं हैं वहां प्रतिरक्षा कार्यों से सम्बद्ध उद्योग चालू किये जाने चाहियें। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां अन्य उद्योग 'नहीं' के बराबर हैं। वहां प्रतिरक्षा तथा उसके सहायक उद्योगों की स्थापना की जा सकती है।

भूतपूर्व सैनिकों की सहायता तथा औद्योगिक विकास के लिए एक वित्त निगम की स्थापना का प्रश्न भी उठाया जा रहा है। इस संबंध में मैंने यह सुझाव दिया था कि जिन गांवों के लोगों ने रणभूमि में अपनी वीरता के जौहर दिखाये थे, उन्हें इस कार्य में प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिये। उनके गांवों को आदर्श गांव के रूप में मान्यता दी जानी चाहिये। मुझे ऐसा बताया गया है कि इस संबंध में बातचीत हो रही है परन्तु अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। सरकार को इसके बारे में शीघ्र ही निर्णय करना चाहिये।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान एक अन्य विवादास्पद मामले की ओर दिलाना चाहता हूं। हमें ऐसा पता चला है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय 1971 की जनगणना के आधार पर अपनी भर्ती नीति का निर्धारण कर रहा है। कुछ राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा अपने राज्यों के लिए सेना में अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की गई है। मेरे विचार से सेना किसी एक राज्य की नहीं होती, अपितु सम्पूर्ण राष्ट्र की संपत्ति है। इसे हमें संविधान के अनुच्छेद 16 के अन्तर्गत लाना चाहिये। और सेना में भर्ती के समय किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता जाना चाहिये। आज स्थिति यह है कि हमारे भूतपूर्व सैनिकों में काफी आक्रोष एवं निराशा देखने को मिल रही है। सरकार को उनकी आशंकाओं को दूर करने के लिए भरसक प्रयत्न करना चाहिये।

हमारी सेनाओं ने रणक्षेत्र में ही नहीं अपितु आवश्यकता पड़ने पर असैनिक कर्मचारियों को भी कानून व्यवस्था बनाये रखने में अपना सहयोग दिया है। इस संबंध में गुजरात तथा बिहार में किया गया उनका कार्य और भी सराहनीय है। इसके आधार पर यह धारणा बनाई जा सकती है कि आगे भी हमारे असैनिक तथा सैनिक प्राधिकारियों के संबंध इसी प्रकार मधुर बने रहेंगे। दोनों ही देश के हित के लिए मिल कर कार्य करते रहेंगे।

अमरीका द्वारा 'डीयागो गार्शिया' में जो सैनिक अड्डा बनाया जा रहा है, उससे हमारे देश को भारी खतरा है इस प्रश्न को लेकर सम्पूर्ण एशियाई देशों में जनमत संगठित किया जाना चाहिये। हमें प्रयत्न करना चाहिये कि हिन्दमहासागर शांति का क्षेत्र ही बना रहे। विदेशी शक्तियों को इसके बारे में सचेत किया जाना चाहिये। हिंद महासागर के शांति क्षेत्र में कोई अन्य देश अपना किसी तरह का अड्डा न बना पाये, इसके लिए हमें अन्तर्राष्ट्रीय जनमत संग्रह करना चाहिये।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि हमीरपुर जिले के सुजानपुर में इसी वर्ष स्कूल स्थापित किया जाना चाहिये जिससे कि विदेश के लिए शहीद होने वाले पुत्रों को लाभ प्राप्त हो सके।

भूतपूर्व सैनिकों के लिये सहकारी कैंटीन और स्टोर खोले जाने चाहियें जहां कि वे दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं को खरीद सकें। इस कार्य के लिये कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। इससे इन लोगों का सेवानिवृत्ति के पश्चात का जीवन सुखद हो जायेगा।

इन शब्दों के साथ मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Sir, I have been informed that the Manager of I.O.C. has intimated the Managing Director that Viscosity in fuel oil can be increased by 80 to 100 CS. There is no legal basis for it. The result is that our Naval Headquarters have to intimate I.O.C. and the Petroleum Minister about the difficulties our ships have to face due to the supply of inferior fuel oil with increased viscosity. It is also learnt that the use of this oil emitted excessive smoke which facilitated Pakistanis to locate the Destroyer Kukri which was later on sunk by them. The Minister of Defence should make a probe in this regard and bring all the facts before the House.

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा): रक्षा सेवाओं ने गत 25 वर्षों में बहुत सराहनीय कार्य किया है। मुझे आशा है सरकार इन सेवाओं को पूरी सहायता देती रहेगी। रक्षा सेवाओं में नियुक्तियों के विषय में गुणों को ध्यान में रखा जाना जाहिये। इस बात से मेरा कोई विवाद नहीं कि सेना में भर्ती के संबंध में जनसंख्या तथा क्षेत्र को भी ध्यान में रखा जाये। कोई ऐसा समाधान निकाला जा सकता है जिससे की जनसंख्या की बात को भी ध्यान में रखा जा सकता है। यदि एक सौ स्थानों पर नियुक्तियां की जानी है तो 50 प्रतिशत स्थान जनसंख्या के आधार पर नियुक्ति करने के लिये रखें जा सकते हैं और 50 प्रतिशत गुणों के आधार पर नियुक्तियों के लिये।

जहां तक सशस्त्र सेनाओं का संबंध है राजकोष पर बहुत भार पड़ रहा है किन्तु उसका विरोध नहीं किया जाता क्योंकि यह आवश्यक है कि हमारी सेना मजबूत हो। मेरा सुझाव यह है कि हम अपने देश के छात्र बल से कई लाभ उठा सकते हैं। यदि अनिवार्य सैनिक शिक्षा प्रणाली अपनाई जाये तो जो छात्र स्कूलों तथा कालेजों से अपनी शिक्षा पूरी करके निकलते हैं उन्हें सीमाओं की सुरक्षा के लिये दो वर्ष सेना में भर्ती किया जा सकता है। इससे उनमें देशभक्ति और अनुशासन की भावना जागेगी। साथ ही इससे सेना का भार भी कम हो जायेगा। आपात स्थिति में हमारे पास सुरक्षा की दूसरी पंक्ति भी तैयार हो जायेगी। इस प्रकार उनकी शक्ति को, जो इस समय तोड़-फोड़ के कार्यों में लगी हुई है, देश के लाभार्थ उपयोग में लाया जा सकता है।

रक्षा कर्मचारी कुछ कम आयु में ही सेना से निवृत्त कर दिये जाते हैं। उनमें से बहुतसों को सेनानिवृत्ति के पश्चात कोई और रोजगार नहीं मिलता। अतः सिविल में उनके लिये कुछ स्थान आरक्षित रखे जाने चाहियें। इससे सिविल सेवाओं में सुधार तो होगा ही, साथ ही उन लोगों को रोजगार भी मिल जायेगा जिन्होंने अपना यौवन सेना में सेवा करते व्यतीत किया है।

जब किसी सैनिक की मृत्यु होती है तो उसकी विधवा को पेंशन संबंधी सुविधा नहीं दी जाती। इसके फलस्वरूप अधिकांश विधवाओं को भूतपूर्व सैनिक कल्याण निधि के सहारे अपना जीवन-यापन करना पड़ता है, जोकि पर्याप्त नहीं होता। किसी भी सैनिक की विधवा को तब तक पेंशन अवश्य दी जानी चाहिये जब तक जीवन-यापन का कोई दूसरा साधन नहीं मिल जाता। चाहे कोई सैनिक बीमारी में अथवा युद्ध में मरे, उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिये।

जहां तक समुद्र की गश्त का संबंध है वायुसेना और नौसेना में विवाद चल रहा है। इस मामले को शीघ्र सुलझाया जाना चाहिये। सैनिक स्कूलों में कार्य कर रहे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाना चाहिये। उनका वेतन राज्य सरकार के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन के समान होना चाहिये।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : National Security is a subject which has to be given top priority. It has been admitted in the Report of the Ministry that China and Pakistan are coming closer. It is quite evident that both these countries together may pose a danger to the integrity and freedom of our country. Our object, should therefore be to make ourselves strong enough to enable us to face a joint aggression by China and Pakistan. In the matter of defence of the Country, our dependence on any other country should not extend to a limit where our policies are interfered and influenced by that nation.

We are committed to U.S.S.R. with a treaty of friendship but we must draw lessons from the experience of President Anwar Sadat of Egypt. We should not entirely depend upon U.S.S.R. for the supply of arms.

After the independence, there should have been radical changes in the set-up of our armed forces, in their traditions, uniforms and their outlook. But no such change is noticeable anywhere. It appeared that our armed forces are still following the same old British pattern. Our regiments still celebrate the victories achieved under the leadership of British Generals. It is, therefore, desirable that the structure of our Army should be moulded to suit our national character and traditions. It should be absolutely indianized.

Then, it also appears that there is good deal of disparity between army officers and jawans, because their uniforms, their means of recreation and entertainment are altogether different. The gap between them should not be allowed to widen because it may give rise to discontent and bitterness among jawans. Steps should, therefore, be taken to narrow down that gap well in time.

It has been said that Government's policy is that the nuclear power should only be used for peaceful purposes. I do not appreciate this policy. If nuclear power is to be used for peaceful purposes, what is the justification in maintaining so much secrecy about it. Peace and secrecy cannot go together. Parliament and the country should be taken into confidence by explaining as to what is being done in this field. Pakistan is trying to get more and more arms aid from U.S.A. on the ground that India has potential to manufacture atom bombs. So, we should be vigilant against the fact that we may not have to suffer any kind of set-back due to the policy we are following at present.

श्री स्वर्ण सिंह सोखी (जमशेदपुर) : हमें हवाई हमले से रक्षा के लिये देश में अधिक प्रक्षेपास्त्र केन्द्र बनाने चाहियें। हमें अधिक से अधिक नवीनतम बमवर्षक विमान रखने चाहियें और आधुनिकतम तथा आणविक हथियार भी रखने चाहियें जो हमारे सैनिकों को अधिक प्रोत्साहन और विश्वास प्रदान कर सकें।

वायुसेना बाढ़ के दौरान बाढ़ में फंसे ग्रामीणों को निकालने और उनके लिये खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराने संबंधी प्रशंसनीय कार्य करती है। शांति के समय सेना का उपयोग सीमावर्ती सड़कों, बांधों और पुल निर्माण कार्यों के लिये किया जाना चाहिये।

सेना में भर्ती के संबंध में अकाली दल की धमकी एक राजनीतिक चाल के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वे कतिपय वर्गों में गड़बड़ी पैदा करना चाहते हैं। मंत्रालय द्वारा जवानों की भर्ती के लिये अपनायी गई नीति बहुत अच्छी है और यह भविष्य में भी जारी रहनी चाहिये।

आयुध कारखाने असैनिक लोगों के प्रयोग के लिये बंदूकें तथा राइफलें बना रहे हैं। उन्हें असैनिक लोगों के लिये पिस्तौलें और रिवाल्वरें बनानी चाहिये। इस समय ऊंची कीमतों के कारण छोटे शस्त्रास्त्र भारी मात्रा में देश में चोरी छिपे भेजे जा रहे हैं।

दिल्ली छावनी में केन्द्रीय वाहन डिपों में बड़ा भ्रष्टाचार व्याप्त है। यह मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर कह रहा हूं। वहां पर व्याप्त कदाचार रोका जाना चाहिये। हमें अपने लड़ाकू सेनाओं की समुचित देखभाल करनी चाहिये। हमें सैनिकों को अच्छा वेतन देना चाहिये। उनके जो परिवार गांवों में रहते हैं उनकी रक्षा विभाग को समुचित देखभाल करनी चाहिये और प्रत्येक सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिये।

श्री वयालार रवि (चिरचिकल) : मैं श्री बाजपेयी की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि बड़े अधिकारियों तथा जवानों के बीच बहुत असमानता है। मंत्री महोदय इस बात पर ध्यान दें और इस असमानता को यथासंभव दूर करने का प्रयास करें।

सैनिक स्कूलों के बारे में मैं स्वयं मंत्री महोदय से बातचीत कर चुका हूं। यह विषय रक्षा-मंत्रालय के अन्तर्गत आता है। मुझे इन स्कूलों के उद्देश्य पर आपत्ति है। इन स्कूलों के छात्रों के केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से छात्रवृत्तियां मिलती हैं। जो छात्र इन स्कूलों से निकलते हैं उन्हें डिफेंस अकादमी में दाखिल नहीं किया जाता है। इसके लिये उन्हें परीक्षा देनी होती है जो अनुत्तीर्ण रह जाते हैं उन्हें अपने अध्ययन के लिये अन्यत्र कालेज खोजने पड़ते हैं। मंत्रालय को इस बात पर विचार करना चाहिये कि क्या सैनिक स्कूलों को चलाया जाये और क्या इन्हें केन्द्रीय स्कूल संगठन को नहीं सौंप दिया जाना चाहिये।

इन स्कूलों में अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं और उन्हें सरकार से छात्र वृत्तियां मिलती हैं। इन स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की स्थिति बड़ी ही दयनीय है। इन स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को 130 रुपये मासिक मिलते हैं जबकि केन्द्रीय सरकार के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को 196 रुपये मिलते हैं। इनकी सेवा की कोई सुरक्षा नहीं है। सैनिक स्कूल की व्यवस्था के अनुसार प्रिन्सीपल सर्वोच्च शक्ति सम्पन्न है, उसके कार्य अंतिम हैं उसके कार्यों के लिये कहीं कोई याचिका दायर नहीं की जा सकती। अतः कोई अच्छी व्यवस्था की जानी चाहिए।

कोचीन युद्ध सामग्री डिपो के कर्मचारियों की मांगों में से एक मांग केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले कोचीन नगर भत्ते के बारे में है। यह मांग बहुत दिन से विचाराधीन पड़ी है। रक्षा मंत्री द्वारा इस मांग पर विचार किया जाना चाहिये।

प्रो० एस० एल० सक्सेना (महाराजगंज) : आणविक शस्त्रों का निर्माण न करना उचित नह है। चीन हमारा बड़ा शत्रु है और उन्होंने उद्जन बम बड़ी तेजी से बनाया है। आणविक हथियारों के बिना रहना भ्रांतिपूर्ण है। हम ये हथियार बना सकते हैं परन्तु बनाते नहीं हैं।

हमारी सेना भारतीय परम्पराओं से प्रेरित होनी चाहिये। अधिकारियों और जवानों के बीच असमानता दूर की जानी चाहिये। उनमें आपस में भ्रातृभावना पैदा की जानी चाहिये।

बहुत से सैनिक अधिकारियों को, जिनमें युद्ध के दौरान शारिरिक दोष आ गया था, क्षेत्रीय सेना में ले आया गया और वे क्षेत्रीय सेना के अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्हें पेंशन नहीं मिलती। यह उचित नहीं है। उन्हें भी सेना अधिकारियों की तरह पेंशन दी जानी चाहिये। उनके पुनर्वास के लिये भी सहायता दी जानी चाहिये। उन्हें ऐसी सहायता भी दी जानी चाहिये की वे अपना कोई कारोबार चला सकें। भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों की तरह ही प्रादेशिक क्षेत्र के अधिकारियों को भी सुविधायें दी जानी चाहियें।

हमारे शत्रु बड़े जोर शोर से तैयारी में लगे हैं। पाकिस्तान ने सभी प्रकार के शस्त्रास्त्र जुटा लिये हैं। चीन आणविक-शस्त्र बना रहा है। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय को इन बातों का पता है। हमें इतना शक्तिशाली होना चाहिये कि हम चीन और पाकिस्तान को एक साथ ही हरा सकें।

हमारी नौसेना, वायुसेना और थल सेना को किसी भी मामले में धन की कमी नहीं होनी चाहिए। यदि हमारा देश मजबूत नहीं है और यदि हमारी सेनाएं पूरी तरह लैस नहीं हैं तो हमारा सारा अन्य कार्य बेकार होगा।

Shri M.C. Dage (Pali): A high power committee was appointed to examine the working of National Cadet Core and to suggest improvements. What action the Government has taken on it's suggestions?

In 1948 the number of boys in its Senior Division was six cadets and in Junior Division was 5 cadets. Today a lot of money is being spent on it but no action has been taken to revitalize it. The purpose of National Cadet Core is to build the character of our youth, to develop qualities of leaders Life in them and to impart them military education or building a second Force. What is necessary these days is that we introduce compulsory military training among our youth. I wish that N.C.C. may be made compulsory for every University and College and more money be spent on it.

श्री सैयद अहमद आगा (बारामूला) : इस उपमहाद्वीप में 9 अप्रेल को तीन देशों ने शान्ति के नये युग में प्रवेश करने का प्रयास किया है। इस बारे में अधिक आशावान नहीं हो सकते। सिकियांग में चीन की बड़ी सेना जमा है। इसके अतिरिक्त चीन पाकिस्तान को अनुचित तरीके से अस्त्र शस्त्र दे रहा है। इसलिए चीन से सुरक्षा के लिए हमें सुदृढ़ बनना चाहिए। दक्षिण में अमरीका डियगो गार्शिया द्वीप में अपनी सेना भेज रहा है। इसके साथ ही कुछ अरब देशों में विशेष रूप से, मिश्र में

दक्षिणपंथी विचारधारा की ओर झुकाव हो रहा है । हिन्द महासागर के साथ लगे सभी देशों पर अमरीका प्रभाव डाल रहा है । ताकि यह हिन्द महासागर में एक अड्डा बना सके । अमरीका ने पहले भी सातवां बेड़ा इधर भेजा था । इस प्रकार भारतीयों के मन में सन्देह बना है ।

इन कारणों से उत्तर तथा दक्षिण में हमें अपनी सुरक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : आज असामान्य परिस्थिति है जबकि सभा में वक्ताओं की कमी है ।

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur) : Our endeavour in the direction of Defence needs no debate. The jobs performed by the Prime Minister and Defence Minister are praiseworthy.

We wish that the borders of the country be properly guarded. According to previous procedure the military service was largely hereditary. But as per revised policy, it is 50% on the basis of class and 50 % on the basis of population. I request that he people of border states be given same preference as these people are very backward.

One Sanik School may please be opened in Punjab.

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) माननीय सदस्यों ने हमारे सैनिक अधिकारियों एवं जवानों के प्रति सम्मानजनक शब्दों का उपयोग किया है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं । इस उपमहाद्वीप में तनाव और टकराव के कारणों को कम करने का प्रयास किया गया है । युद्धबन्दियों को, भारत पाकिस्तान भेजने, बंगलादेश के नागरिकों को पाकिस्तान से भेजने और पाकिस्तान के नागरिकों को बंगलादेश से भेजने के लिये आपसी बातचीत के अच्छे परिणाम निकले हैं । मुझे आशा है कि उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई भावना स्थायी होगी और यदि यह शान्तिमय सहयोग की नीति बनी रही तो तीनों देशों के संसाधन विकास कार्य में लगाये जायेंगे और वे अपने अपने लोगों का जीवन स्तर उंचा कर सकेगें ।

अरब इजराइल युद्ध और उसके परिणामो का हमारे अधिकारियों ने अध्ययन किया है जिसके सम्बन्ध में डाक प्रतिवेदन सदस्यों को भेजा गया है ।

अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि अरब देश तेल के स्रोतों में सम्पन्नता के कारण सारे विश्व की आर्थिक परिस्थिति को विषय बना देते हैं । इस प्रकार किसी भी देश की सुरक्षा केवल उस देश की आंतरिक व्यवस्था पर ही निर्भर करती परन्तु बाह्य परिस्थितियों पर भी बहुत कुछ निर्भर करती है ।

गत युद्ध के बाद से पाकिस्तान ने जो शक्ति बढ़ाई है उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । अरब देशों ने जो सैनिक सामान लिया है हिन्द महासागर में जो परिवर्तन आये हैं, उत्तरी सीमा की जो हालत बन रही है, देश की रक्षा व्यवस्था करते समय इन सभी बातों पर ध्यान देना आवश्यक है ।

डियगो गार्शिया न केवल भारत के लिए अपितु इस उपमहाद्वीप के इस सभी देशों के लिए एक समस्या बन गया है । विश्व के सभी विचारशील देशों ने इस बारे में अमरीका की नीति का विरोध किया है । अमरीका में भी यह जनमत बनता जा रहा है कि उस देश को इस प्रकार की नीति नहीं अपनानी चाहिए । मुझे आशा है कि अमरीका का जनमत अपनी सरकार को मजबूर कर देगा कि डियगो गार्शिया सम्बन्धी अपनी योजना त्याग दे । अमरीका के इस प्रस्ताव से इस क्षेत्र की शान्ति भंग होगी ।

24 LSS/74—12

हमारा यह प्रयास होगा कि भारत और पाकिस्तान के संबन्ध अच्छे हों और हम शान्तिपूर्वक अच्छे पड़ोसियों की तरह रह सकें । परन्तु हमें सीमा पार होने वाली घटनाओं पर ध्यान देना होगा और सीमा पर उत्पन्न होने वाली सभी परिस्थितियों के लिये तैयार रहना होगा । हमने अपनी सशस्त्र सेनाओं को इस प्रकार से आधुनिक बनाने का प्रयास किया है कि हम थल सेना, नौसेना और वायुसेना तथा सभी तरह से तैयार हों ।

जहां तक भारत के रक्षा बजट की बात है, शायद यह विश्व के देशों में रक्षा पर होने वाले व्यय की तुलना में बहुत कम है । पिछले वर्ष यह कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 3.9 प्रतिशत था । सशस्त्र सेनाओं पर होने वाला काफी व्यय विकास के लिये होता है । समृद्धि के लिये सुरक्षा आवश्यक है । आर्थिक विकास शान्ति में ही सम्भव है ।

सेना को सीमा की रक्षा करनी होती है और आक्रमण को पछाड़ना होता है और साथ ही यदि कोई आपात स्थिति या देश में स्थायित्व को खतरा उत्पन्न होता है जिसमें हमारे मूल्यों को नष्ट किया जाता है और जब असैनिक अधिकारी सेना को बुलाते हैं तो सेना भेज दी जाती है।

जब प्राकृतिक विपत्तियां आती हैं, जब बाढ़ महामारी फैलती है तब ऐसे क्षेत्रों में सेना सहायता के लिए भेज दी जाती है । मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि कार्मिकों के आन्दोलन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिये सेना का उपयोग नहीं किया जायेगा । परन्तु आवश्यक सेवाओं को बनाये रखना होता है क्योंकि ऐसा न करने से समाज का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है । सेना का उपयोग हड़ताल को विफल करने के लिये नहीं, अपितु समाज के जीवन को बनाये रखने के लिये किया जाता है ।

हमारी सेना एक मिली जुली सेना है । इसमें देश के सभी भागों का प्रतिनिधित्व है । मैं इसे और भी व्यापक बनाने की चेष्टा कर रहा हूं ताकि सभी क्षेत्रों के लोग समझें कि मातृभूमि की गरिमा और सम्मान के लिए सभी को समान अवसर मिलता है । इस समय रेजिमेंटों के तीन वर्ग हैं । एक में सिख और गोरखा रेजिमेंट हैं । इसमें इन लोगों के अलावा किसी की भर्ती नहीं होती । यह नियत वर्ग कहलाता है फिर दूसरा मिलाजुला वर्ग है जैसे पंजाब रेजिमेंट । इसमें 50% सिख और 50% पंजाब के अन्य लोग हैं । तीसरे सभी लोगों वाला वर्ग है । इसमें सभी क्षेत्रों और सभी समुदायों के लोग होते हैं ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1953 में यह निर्णय किया गया था कि नियत वर्ग और मिलेजुले वर्ग में अंतर नहीं किया जायेगा परन्तु सभी लोगों वाले वर्ग सम्बन्धित क्षेत्रों में जनसंख्या के विभिन्न लोगों के अनुपात के अनुसार भर्ती की जाएगी ।

इस प्रश्न पर मंत्री मंडल की सेवा में समिति में 1963 में पुनः विचार किया गया । इसने 1953 के निर्णय का समर्थन किया और कहा कि इस पर इस प्रकार अमल किया जाए कि कोई रुकावट खड़ी न हो । समिति ने यह निर्णय भी किया कि भारतीय सेना में किसी विशेष वर्ग की अधिक संख्या न हो ताकि यह सभी क्षेत्रों को तथा सभी समुदायों की प्रतिनिधि बन सके ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : रेजिमेंन्टों का कितना अनुपात नियत वर्ग वाली सेना का है और कितना सभी वर्गों की रेजिमेंन्टों का है ।

श्री जगजीवन राम : भारतीय सेना में लगभग 40% आरक्षित आधार पर है जबकि 60% सभी वर्गों के आधार पर है। अभी हमारा इरादा नियत वर्ग वाली रेजिमेंटों को समाप्त करने का नहीं है। इस नीति के फलस्वरूप नियत वर्ग या मिले-जुले वर्ग में भर्ती आरक्षित रूप से होती रही। सभी लोगों वाले वर्ग में जनसंख्या के आधार पर अनुपात से भर्ती हो रही है।

श्री समर गुहा (**कन्टाई**) : क्या नियत वर्ग तथा मिश्रित वर्ग का अनुपात जारी रहेगा ? हम एक-राष्ट्रीय सेना चाहते हैं।

श्री जगजीवन राम : सभी राज्य सुरक्षा सेनाओं में अपने भाग की मांग कर रहे हैं। सभी इस राष्ट्रीय कार्य में योग देना चाहते हैं। अब युद्धप्रिय जातियों का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इस लिये सेना में प्रतिनिधित्व अधिकाधिक व्यापक आधार पर हो गया है। यह परिवर्तन सेनाओं की युद्ध प्रवीणता को हानि पहुंचाये बिना किया जाना चाहिए।

जहां तक अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सेना में भर्ती की बात है, हमने कुछ कार्यवाही की है और भर्ती के लिए आदिवासी क्षेत्रों में दल भेजे ताकि वे लोग अधिक से अधिक संख्या में भर्ती हों। 1970 से 1973 की अवधि में सेनाओं में कुल भर्ती का $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत अनुसूचित जातियों और जनजातियों में से है।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिये पृथक रेजिमेंटों की स्थापना की क्या स्थिति है ?

श्री जगजीवन राम : हम ऐसी रेजिमेंट नहीं बनाना चाहते। मेरा प्रयास मिलीजुली भारतीय सेना तैयार करने का है।

यह प्रयास किया जा रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिन रेजिमेंन्टों ने बहादुरी दिखाई है उन्हें ख्याति दी जाये। यदि कुछ पुराने सम्मानों को बनाये रखना है तो उनको ही रखा जायेगा जो हमारी राष्ट्रीय मान के अनुसार हैं। स्वतंत्रता के पश्चात् कई रेजिमेंन्टो ने नये सम्मान प्राप्त किये हैं। पुराने सम्मानों का अब कोई प्रश्न ही नहीं हैं।

हम चाहते है कि सेना के अधिकारियों और जवानों के प्रति वेतन के मामले में भेदभाव न हो। जवानों के सम्बन्ध में वेतन आयोग ने कुछ सिफारिशें की हैं। मैंने निर्णय किया है कि विषमताओं को समाप्त करके सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाये।

मैं माननीय सदस्यों के प्रति जवानों तथा अधिकारियों के प्रति व्यक्त किये गये प्रोत्साहन आदि के लिये आभारी हूं। पिछले युद्ध में इन लोगों ने हमारे गौरव को ऊंचा उठाया विजय श्री प्राप्त की। जवानों की यह गौरव गाथा भारतीय इतिहास में सदा अमर रहेगी। इसी युद्ध के दौरान मैंने निर्णय किया था कि हताहत सैनिकों और उनके आश्रितों को उनके समाज के रहम पर नहीं छोड़ा जायेगा।

हम विधवाओं तथा युद्ध के दौरान मृत व्यक्तियों के आश्रितों के लिये पैंशन स्वीकृति करने में सफल हुये हैं। इस प्रकार की पेंशन स्वतंत्रता के बाद के सभी युद्धों में भाग लेने वालों के लिये कर दी गयी है।

जो लोग सेवा के दौरान मरे उनकी विधवाओं को, सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुये, पैंशन दी जाती है।

जवानों और अधिकारियों की युवा विधवाओं को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की गई है। हम उनको लाभप्रद पदों पर नियुक्त करने के लिए यह प्रशिक्षण दे रहे हैं।

भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास की समस्या एक बड़ी समस्या है। हर वर्ष लगभग 50,000 व्यक्ति सेवा निवृत्त होते हैं। उनमें से 50 प्रतिशत के लिये पुनर्वास सुविधाओं की आवश्यकता होती है। पहले हम उन्हें भूमि देते थे। अब हम ऐसी स्थिति में हैं कि भूमि नहीं दे सकते। हमारी योजना यह है कि सेवा से जाने से छः महीने पूर्व उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाये, जैसे मैकेनिक फिटर आदि ताकि बाद में वे लाभप्रद रोजगार पा सकें।

राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार की तथा अन्य उपक्रमों की सेवाओं के लिये हमने कुछ प्रतिशत स्थान उनके लिये सुरक्षित किये हैं।

हमारी सेना एक राष्ट्रीय सेना है इससे पूरा राष्ट्र सम्बद्ध है। भारतीय सेना इस बात को समझती है कि यह जनता की सेना है और उन्हीं के लिये लड़ती है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि नौसेना की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। हमारी नौसेना ने पहली बार सिद्ध किया है कि अवसर आने पर यह बहुत सफलताएं प्राप्त कर सकती है। हमने अपने सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए उसके लिये परिव्यय में वृद्धि की है। अनुसंधान और विकास कार्य को सरकार बहुत महत्व देती है और इस सम्बन्ध में धन के अभाव में कोई कार्य रोका नहीं जायेगा।

अनिवार्य सैनिक शिक्षा का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। राष्ट्रीय कैडेट कोर, स्वयंसेवी संस्था है इसका प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

सैनिक स्कूलों के प्रश्न की भी चर्चा की गई है। ये स्कूल राज्य सरकारों की मांग पर बनाए गये थे। राज्य सरकारें इनका अधिकांश व्यय सहन करती हैं। इन स्कूलों के कार्य, उपयोगिता और इनमें सुधार करने का काम शिक्षाविदों की एक समिति को सौंपा गया है। जब इस समिति की रिपोर्ट मिल जायेगी तब हम इन के बारे में, अर्थात् इन्हें कैसे चलाया जाये, निर्णय करेंगे।

Shri Bibhuti Mishra : A national army will come up in military training is made Compulsory in Colleges.

श्री जगजीवन राम : इसकी अधिविशेष आवश्यकता नहीं है।

Shri Madhu Limaye: I had raised the question of inferior fuel oil supply.

श्री जगजीवन राम : मैं इस पर विचार करूंगा और परिणाम की सूचना माननीय सदस्य को दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अनेक कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

All the cut motions were put, and negatived :

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा रक्षा मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गयीं तथा स्वीकृत हुईं

The following Demands in respect of Ministry of Defence were put and adopted

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व	पूंजी
		रुपये	रुपये
18.	रक्षा मंत्रालय	1,24,39,000	20,94,35,000
19.	रक्षा सेवाएं-थल सेना	10,32,02,18,000	—
20.	रक्षा सेवाएं-जल सेना	91,17,01,000	—
21.	रक्षा सेवाएं-वायु सेना	3,19,08,31,000	—
22.	रक्षा सेवाएं-पेंशन आदि	63,75,83,000	—
23.	रक्षा सम्बन्धी पूंजी परिव्यय	—	1,97,39,41,000

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

40 वां प्रतिवेदन

श्री बनमाली बाबू (सम्बलपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 40 वें प्रतिवेदन से, जो 24 अप्रैल, 1974 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 40वें प्रतिवेदन से, जो 24 अप्रैल, 1974 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

मूल्यों और कृषि उत्पादन संबंधी नीति के बारे में संकल्प

Resolution way-polices reg: in respect of Prices of Agricultural Production

श्री बसन्त साठे (अकोला) : देश की समूची अर्थ-व्यवस्था को प्रभावित करने वाले इस संकल्प को प्रस्तुत करने के लिये मैं श्री मधु लिमये को बधाई देता हूं। देश का वर्तमान संकट मुख्यतः बड़े मूल्यों का है और यदि हम इन पर नियंत्रण करना चाहते हैं और अधिक वेतन की मांग को रोकना चाहते हैं तो हमें सब से पहले मूल्य ढांचे, विशेषकर देश में अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में तर्कसंगतता लानी होगी।

कुछ माननीय सदस्यों का विचार है कि सब समस्याओं का राष्ट्रीयकरण करने और उद्योगों को सरकार के नियंत्रण में लाने से समाधान हो जायेगा। परन्तु हमारे देश के मामले में राष्ट्रीकरण वास्तव में अफसरशाही बनकर रह जाता है। साम्यवादी समाज में पार्टी ही कार्यक्रमों को लागू करती है। वहां पर हमारे देश की भान्ति सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र के कारण उस तरह की अर्थव्यस्था नहीं हो सकती।

हमें अपने सरकारी क्षेत्र जिसमें रेलवे भी है, को कर्मचारियों को बताना है कि उनके प्रतिनिधि प्रबन्ध बोर्ड के सदस्य होंगे और हम देश में एकदम परिवर्तन लाना चाहते हैं। कर्मचारियों को पूरी लगन से कार्य करके लक्ष्य प्राप्त करने चाहियें। इस प्रकार सभी प्रकार के उत्पादन में वृद्धि होगी। मूल्यों पर उस समय नियंत्रण हो सकेगा जब जीवन के लिये अत्यावश्यक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होगी। जो लोग उत्पादन में लगे हैं उन्हें इससे सम्बद्ध होने का आभास होना चाहिये और उनकी बात को महत्व दिया जाना चाहिए। एक तर्कसंगत नीति के लिये यह बात सब से अधिक महत्व की है।

एक प्रस्ताव यह कि है भी समूची अर्थव्यवस्था सरकार अपने हाथ में ले ले। परन्तु मुश्किल यह है कि देश में दो तरह की दुकानें हैं--एक उचित मूल्य वाली और दूसरे खुले बाजार वाली। उचित मूल्य वाली दुकानों से माल का बड़ा भाग काले बाजार में चला जाता है। अतः हमें सर्वत्र इमानदारी का वातावरण बनाना होगा। हमें योजना मंत्रालय के अधीन एक बोर्ड बनाना चाहिए जिसमें अनेक प्रतिनिधि हों और जो वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करें और मूल्यों को स्थायी बनाये रखें। इसी प्रकार विश्वविद्यालयों के छात्रों की पंचायत हो सकती है जिसमें महिलाएं भी सदस्य हो सकती हैं। यह एक प्रकार की सतर्कता समितियों का कार्य कर सकती है। उनके साथ एक मजिस्ट्रेट सम्बद्ध किया जा सकता है। यदि छोटा या बड़ा कोई व्यापारी गड़बड़ करता है --चाहे वह मूल्य या माल की किस्म के बारे में हो--उस पर वह पंचायत विचार करेगी और उसे पांच से दस वर्ष के कारावास का दंड देने का अधिकार होगा। यदि इस प्रकार की योजना बनायी जाये और साथ में कर्मचारियों द्वारा लगन से कार्य हो तब हमारा मूल्य ढांचा स्थायी बनाया जा सकता है और इस प्रकार उत्पादन बढ़ेगा। सरकार को इस विषय पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

यह बात खेदजनक है कि कार्यान्वियन का पूरा काम नौकरशाही के हाथ में है और उसे इतनी अधिक शक्ति प्राप्त है कि निहित स्वार्थ बन जाते हैं। बड़े अफसर लोग अपने आप को स्थायी मालिक समझने लगते हैं और यदि मंत्री दबाव डालें तो ये उनका बने रहना असम्भव कर देते हैं। गेहूं के मामले में यही हुआ है।

सरकार ने अब नीति बदल ली है जो अच्छा नहीं है क्योंकि थोक व्यापारियों के साथ समझौता किया गया है। यह दोहरी मूल्य नीति हानि पहुंचायेगी। मैं समझ नहीं पाता कि एक राष्ट्रीय नीति क्यों नहीं बनाई जाती जो समूचे देश पर लागू हो। उसमें गैर-आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन को रोका जा सकता है और सभी संसाधनों को कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में लगाया जा सकता है। योजना मंत्री इस पर गम्भीरता से विचार करें। अब इस पर अमल करने का समय है अन्यथा यह देश एक ज्वालामुखी के मुंह पर है और इस देश में लोकतंत्र के साथ इसकी अखंडता को भी खतरा है।

सभापति महोदय : हम इस संकल्प पर चर्चा करने के लिये 3½ घंटे लगा चुके हैं। अब सदन की क्या इच्छा है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : चर्चा 4 बजकर 35 मिनट तक चलनी चाहिये जिसके बाद इसे दो घंटे और बढ़ाया जाये।

सभापति महोदय : सदन की यदि यही इच्छा है तो समय बढ़ा दिया जाता है।

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : The resolution moved by Shri Madhu Limaye is very important and we should seriously consider it. The various suggestions which he has made in regard to prices and agricultural production are really commendable. At the same time, the basic question is that this Government has no clear--cut policy and do not know what action to take in this direction. In fact, they do not know the way in which to govern the Country. There is also no discipline. They have, however, been changing the economic discipline every now and then.

Last year Government took over wholesale trade of wheat but within a short period of one year that policy has been abandoned. Government has not given sufficient reasons for reversing this policy. These reasons should be explained by the Government.

The idea of taking over wholesale trade in rice has been abandoned by Government. If the rice had been taken over on the basis of experience of wheat trade then, why the states of Assam and Kerala have been made exceptions ? Why should there not be a national policy in all these matters?

We have been expressing concern about price rise for a number of years but Government have paid no need and did nothing to control the prices. How than Government has taken the plea that price-rise is a world wide phenomenan ? Does it mean that no action is necessary for checking price-rise?

The price of Kerosene oil was increased by Government very recently. The argument given by the Government for this increase is that this step has been taken with a view to prevent its adulteration with diesal. This is something very strange. Why should the consumer suffer if Government has not been able to stop adulteration?

The price of petrol per litre is Rs. 3.14 out of which Rs. 2.36 is excise duty. Is there any justification for such heavy excise duty?

It is high time that Government should give up the doctrinairo approach. The present crisis is mainly due to political instability and delay in taking policy decisions. It is high time for Government to pay attention towards this and try to remedy the situation.

Shri Narsingh Narain Pandey (Gorakhpur) : I support the spirit of this resolution. The present state of our economy is indeed very worse and we must seriously think over it.

There had been a rise of 26 points during the months of March and April in the prices of articles of daily use. Therefore, it is necessary to take some measures to check this inflationery trend.

Ours is a agriculturist country. The Planning Minister will have to see that the agricultural inputs are made available to the farmers who are 73 percent of our population. If we cannot strike a balance between industrial and agricultural production, we will have to face dire consequences.

According to the 'National Herald' of 14th April, 1974, 16 lakh sq. metres of coarse cloth was produced by the Kanpur mills and it is to be distributed to the poor-people through the cooperatives, but the mill owners managed to get back the cloth by bribing the officers of the cooperative Department. The incident showed that such people in the country want to frustrate the progressive policies of Government.

Sugar industry should not be nationalised but the price of sugarcane should be so fixed that its production could increase and we could produce more sugar and earn foreign exchange by exporting it.

It is very strange that although the representatives of all state Government have fixed the cane prices at Rs. 13.25 and Rs. 12.25 but from April 5, these prices are reduced by two rupees. Even then this price has not been paid to the farmers and there are arrears to the extent of Rs. 54 crores.

It is mentioned in the Bhargava Commission Report that consumption of sugar in our country is 37.5 lakh tonnes but the mill-owners talk of distribution of 40 lakh tons. Therefore, Government must take over the distribution and also take steps to create a buffer stock of sugar.

It is also necessary that powers of the bureaucracy are curtailed and decentralised at the district level. So long as this is not done, whatever economic measures we might take, things are not going to improve.

In so far as this resolution is concerned, there is no doubt that it has provided us with an opportunity to discuss an important subject. We should not make it a party issue. Shri Limaye should not press it and discuss the matter with the representatives of all parties and evolve an agreed solution.

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं संकल्प का समर्थन करता हूं । इसमें कुछ ठोस प्रक्रियाओं का स्पष्ट उल्लेख है। जहां तक रीति-विज्ञान तथा साधनों का सम्बन्ध है, इसमें कोई अव्यवहारिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया है। इसमें केवल कुछ आवश्यक उद्देश्यों पर बल दिया गया है, जिन्हें प्राप्त करना है ताकि देश की अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाई जा सके और समाज के कमज़ोर वर्गों की रक्षा की जा सके।

जहां तक उत्पादन मूल्य, वसूली तथा अन्य सम्बन्धित मामलों का सम्बन्ध है, श्री मधु लिमये ने व्यापक और समेकित दृष्टिकोण अपनाया है। यदि इस समेकित दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया जाये तो ऐसी स्थिति में देश की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार हो सकता है।

वसूली, किसानों को दिए जाने वाले प्रोत्साहनों और मूल्यों को स्थिर करने की नीति के सम्बन्ध में हमें एक समुचित नीति तैयार करनी चाहिए। यदि कोई समेकित दृष्टिकोण भी अपनाया जाये तो भी काफी हद तक समस्या हल हो सकती है।

गेहूं का थोक व्यापार अपने हाथ में लेने की सरकार की नीति अपनी ही गलती से असफल हो गई है। विपणन योग्य तथा बाजार में सप्लाई किए गए फालतू अनाज के बीच कोई स्कीम निर्धारित नहीं की गई। हमने फुटकर व्यापारियों को लाइसेंस दे दिए और हमने उन्हें शहरों तथा गांवों में इस प्रकार से व्यापार करने के लिए कहा। इसके फलस्वरूप गेहूं का थोक व्यापार अपने हाथों में लेने का सरकार का यह परीक्षण बुरी तरह असफल हो गया। अब सरकार ने नीति में परिवर्तन कर दिया है। परन्तु यह नीति भी सफल नहीं हो पायेगी। इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि वितरण प्रणाली के लिए 150 लाख टन गेहूं उपलब्ध किया जायेगा। इस बात की कोई सम्भावना नहीं है कि गेहूं निर्धारित मूल्य पर बेचा जायेगा। और इस बात का भी कोई आश्वासन नहीं है कि समाज के कमज़ोर वर्गों की रक्षा हो सकेगी।

संकल्प में निहित सभी बातों से किसानों को पूरा प्रोत्साहन मिलेगा ताकि वे उत्पादन में वृद्धि कर सकें। यदि किसानों को समुचित प्रोत्साहन तथा समुचित मूल्य दिया जाये तो लोक वितरण प्रणाली को वितरण के लिए अधिकाधिक अनाज मिल सकेगा और इसके फलस्वरूप लोक वितरण प्रणाली भी मजबूत होगी।

निर्गम मूल्यों को कम करने के लिए केन्द्र को अधिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। कई ऐसे उपाय हैं, जिनके द्वारा, घाटे की अर्थव्यवस्था का सहारा लिए बिना अधिकाधिक सहायता उपलब्ध की जा सकती है। काले धन का पता लगाने के लिये ठोस कदम उठाये जाने चाहिएं। और उस धन को अधिक सहायता देने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है ताकि गेहूं का निर्गम मूल्य कम किया जा सके।

यदि सरकार कुछ किस्मों के कपड़े के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगा दे और इस बात पर जोर दे कि देश में केवल कुछ विशेष किस्म के कपड़े का ही उत्पादन होगा और यदि उत्पादन का समूचा व्यय किसी एक ही किस्म के कपड़े के उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाये तो हमारे लिये जनसाधारण की ज़रूरत के कपड़े का उत्पादन बढ़ाना और इस प्रकार उत्पादन व्यय को कम करना सम्भव हो सकता है।

इस प्रकार का समन्वित दृष्टिकोण अपनाया जाये तो अनिवार्य रूप से घाटे की अर्थव्यवस्था को बढ़ाये बिना देश की अर्थव्यवस्था स्वयं पुनः जीवित और स्थिर रह सकती है। और देश प्रगति की ओर अग्रसर हो सकता है।

Shri R.S. Pandey (Rajnandgaon) : This is a constructive resolution brought by Shri Madhu Limaye. National economy should be based on agricultural income and production. Sufficient attention was paid towards agriculture in the First and Second plan periods, we have to raise the agricultural production with a view to overcome the present economic crisis. There was some definite idea behind wheat trade take over but the process of its implementation remained such that the scheme did not prove to be effective. I think that there should be no rigidity so far as the experimentation in democracy or in the process of mixed economy is concerned. The support price for wheat has been fixed for Rs. 105 per quintal and it is hoped that traders will give 50 percent of their procurement for our buffer stock. We will continue this policy on experimental basis.

The present position of our agricultural inputs, water and electricity is not very much satisfactory. They are not available for entensive cultivation. In this connection my suggestion is that power stations should be set up in the vicinity of pit heads where there are large deposits of Coal. Power should be generated there and supplied through transmission towers at Cheaper rates. Similarly, directives should also be issued to banks that all inputs, seeds or fertilizers should be made available to the farmers at fair price through them.

Today the world is changing fast. A new ideology is likely to come up soon. There is a sense of discontentment for the rich and capitalists. Old traditions are giving away yielding place to new. Similarly in the build of agriculture, we must switch over to modern modes of agriculture. The fertilizers should be made available to Kisans with land holdings of less than 10 aeres at subsidised rates.

The power is the backbone of the development of any country and as a matter of fact with the development of steam and power, the development of world began. So we must discard our existing power stations which have become obsolete and new power stations with increased generating capacity be established.

It is high time for us to give top priority to our irrigation projects. Lift irrigation should be introduced in the areas where there are rivers with perennial water flow. The entire agricultural sector should be made profit oriented. If the sector is not equipped with the latest methods and made profitable our country and farmers would continue to starve.

श्री समर गुह (कन्टाई) : मेरा निवेदन यह है कि नियम समिति द्वारा मेरे संकल्प के लिये दो घंटे का समय दिया गया है। श्री लिमये के इस संकल्प पर विचार करते हुए आज तीसरा दिन चल रहा है। यदि इस पर विचार इसी तरह चलता रहा तो मुझे संभवतः अपना संकल्प प्रस्तुत करने का अवसर ही प्राप्त नहीं होगा। अतः मेरा अनुरोध है कि प्रस्तावक को बोलने का अवसर देने से पूर्व ही मुझे अपना संकल्प प्रस्तुत करने दिया जाये।

श्री के० रघुरामैया : श्री समर गुह के संकल्प पर 10 मई को चार बजे विचार आरंभ किया जायेगा ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Speaker in the Chair]

श्री वाई० एस० महाजन (बुलडाना) : श्री मधु लिमये द्वारा पेश किया गया कृषि मूल्य संबंधी संकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण है क्यों कि कृषि ही हमारे देश का प्रमुख उद्योग है तथा इसी पर हमारे देश का विकास निर्भर करता है।

वास्तव में इस संकल्प का उद्देश्य कृषि मूल्यों में स्थिरता लाने का है। इसके अनुसार बीज बोने से पहले ही सरकार को अनाज के मूल्यों की घोषणा कर देनी चाहिये। इससे अनाज बोने के कार्य को प्रोत्साहन मिलेगा। आज भारतीय कृषि अस्थिरता का शिकार हो रही है। मूल्य स्तर में आये दिन के उतार-चढ़ावों ने अनिश्चितता का वातावरण उत्पन्न कर दिया है। इसका प्रभाव कृषि निवेश संबंधी संसाधनों के प्रावधान पर भी पड़ता है। अतः अब यह आवश्यक है कि कृषि वस्तुओं के मूल्यों में समुचित स्तरों पर स्थिरता लायी जाये। मेरा सुझाव है कि मूल्यों का निर्धारण ऐसे स्तर पर किया जाना चाहिये जिससे कि किसानों को अधिक उत्पादन करने और कृषि कार्यों के नये-नये तरीके अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

यह ठीक है कि संकल्प का उद्देश्य सराहनीय है परन्तु फिर भी इसे स्वीकार करना संभव नहीं है क्योंकि इसके अनेक भागों को सही रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया। संकल्प के (ङ) तथा (च) प्रस्तावों को स्वीकार करने से इतनी हानि हो सकती है कि उससे संपूर्ण देश की वित्तीय व्यवस्था ही अस्त-व्यस्त हो जायेगी।

परिवहन, करों तथा लाभों आदि के लिए लागत का 50 प्रतिशत रखना काफी अधिक है। इसके बाद समर्थन मूल्य में उत्पादन लागत को भी शामिल किया जायेगा। यद्यपि श्री मधु लिमये का मूल्य स्थिरीकरण का दृष्टिकोण लागत मूल्य पर आधारित है, फिर भी इसमें अनेक कठिनाइयां हैं। इसकी सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि इसे मूल्य निर्धारण के लिये आधार रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता क्यों कि विभिन्न खेतों में ही विभिन्नता होती है। इससे सम्बद्ध दूसरी कठिनाई यह है कि उत्पादन लागत के तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं है। उत्पादन लागत दृष्टिकोण द्वारा मांग की पूर्णतया उपेक्षा की जाती है।

श्री मधु लिमये द्वारा सुझाव दिया गया है कि औद्योगिक वस्तुओं तथा कृषि उत्पादों के मूल्यों के बीच समानता होनी चाहिये। वास्तव में समान मूल्य उत्पादन लागत दृष्टिकोण का ही एक विकल्प है। इन दोनों बातों का एक साथ चलना संभव नहीं है। समान मूल्य का सिद्धान्त न तो आवश्यकता पर ही आधारित है और न ही व्यवहारिक ही। यह ऐसी पुरानी परम्परा पर आधारित है जो सफल नहीं हो पाई है। इससे मांग और पूर्ति में तदनुसार परिवर्तन नहीं होता। अमरीका जैसे विकसित देश में भी यह सिद्धान्त सफल नहीं हो पाया है।

श्री लिमये द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प के अन्त में यह भी कहा गया है कि सिंचाई की दर में 25 प्रतिशत की कमी कर दी जानी चाहिए। यदि इस सुझाव को स्वीकार कर लिया जाये तो वित्तीय दृष्टि से तो सरकार का दीवाला ही निकल जायेगा। अभी तक सरकार द्वारा बड़ी तथा मध्यम श्रेणी की सिंचाई परियोजनाओं पर 2717 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है, परन्तु अभी तक इनसे लाभ नहीं हो

रहा है। अतः श्री लिमये के सुझाव के स्वीकार करने से सरकार का वित्त संसाधन अस्त-व्यस्त हो जायेगा। वर्ष 1969-70 में ही सरकार को अपनी बिजली परियोजनाओं से 5.8 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी है।

यह देखा जा रहा है कि गत 6 महीनों में उर्वरकों के मूल्यों में 200 से 300 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये हमें काफी मात्रा में उर्वरकों का आयात करना पड़ता है अगले वर्ष तक हमारी उर्वरक आवश्यकता 50 लाख टन हो जायेगी जबकि सप्लाई केवल 28 लाख टन ही रहेगी। अतः यदि उर्वरकों के मूल्यों को कम कर दिया जाये, तो उनका वितरण करना और भी अधिक कठिन हो जायेगा अतः सैद्धान्तिक आधार पर भी इस संकल्प को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

Shri S.M. Banerjee (Kanpur) : I welcome the resolution of Shri Limaye. Now the prices in our country are very high. The poor people are facing starvation. There is utmost need for arresting the price rise. It is high time that Planning Commission should take measures in the Fifth Plan so as to ensure availability of essential goods to people at proper price.

According to my opinion, the resolution contains some valuable suggestions and should be accepted by the Government.

Mr. Speaker : Now Prof. Sher Singh will make an important statement.

सभी डाकघरों में अन्तर्देशीय रजिस्ट्री पार्सलों और पैकटों की बुकिंग स्थगित किये जाने के बारे में वक्तव्य

Statement Re. Suspension of Booking of Inland Registered Parcels and Packets at all Posts Offices

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : दिनांक 27-4-1974 से विभिन्न मार्गों पर रेल सेवायें रद्द किये जाने के फलस्वरूप, देश के सभी डाकघरों में अन्तर्देशीय रजिस्ट्री, पार्सलों और पैकेटों (जिनमें वी० पी० और बीमा भी शामिल है) की अस्थायी तौर पर बुकिंग स्थगित करना आवश्यक हो गया है। यह कार्यवाही इन वस्तुओं को इकट्ठा होने से रोकने के लिये की जा रही है जिससे कि डिलीवरी में विलम्ब के कारण जनता को कठिनाई न हो।

श्री समर गुह (कन्टाई) : क्या इसका संबंध केवल हड़ताल से है...... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री शिवनाथ सिंह।

Shri Madhu Limaye (Banka) : I rise on a point of order. It is an attempt to sabotage the negotiations. They want to declare a lock out by cancelling the trains.

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय आप ही ने आदेश दिया था कि मंत्री महोदय द्वारा जब भी कोई महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया जाना होगा, उसकी पूर्व सूचना दी जायेगी। कल मिश्र जी ने गाड़ियों को रद्द करने के बारे में बताया आज यह सब कहा जा रहा है। यह स्वयं रेल हड़ताल को भड़काना चाहते हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : कल रेल मंत्री महोदय ने बताया कि हम बातचीत के लिए सदा तैयार हैं। क्या बातचीत का यही ढंग होना है? कल बातचीत हो रही है और आज पार्सल आदि बंद करने की घोषणा की जा रही है...... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : कल रेल मंत्री द्वारा बताया गया कि चूंकि कोयले का स्टाक बनाये रखना अनिवार्य है इसीलिए गाड़ियों को रद्द किया जा रहा है? यह कैसा तर्क है?

अध्यक्ष महोदय : आप सभी कृपया बैठ जाइये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह वक्तव्य पहले क्यों नहीं दिया गया?

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : They want to sabotage the negotiations.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या आप हंगामा कराना चाहते हैं...... (व्यवधान)

इसके बाद श्री इन्द्रजीत गुप्त, श्री दीनेन भट्टाचार्य तथा कुछ अन्य सदस्य सदन से उठ कर चले गये।

Shri Inderjit Gupta, Shri Dinen Bhattacharyya and some other hon. Members then left the House.

अध्यक्ष महोदय : श्री शिवनाथ सिंह।

मूल्यों और कृषि उत्पादन संबंधी नीति के बारे में संकल्प (जारी)

Resolution re. policy in respect of prices an agricultural production—*contd.*

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunu) : The Resolution desires that prices should be controlled. The consumer should get his requirements at reasonable prices and producer should set proper profit. The shiril behind the resolution is laudable but some of its proposals are not practicable.

It has been suggested that essential articles should be sold at 1½ times than their cost of production including all charges and profit. But it has not been made clear, how much tax should be paid and what should be the margin of profit.

It is strange that in our country, the prices of industrial goods are fixed by industrialists but prices of agricultural products are not fixed by the farmers. We are yet to create the situation in which the farmers get fixed prices for their products. Only then the consumer would get foodgrains at reasonable price and farmers will get remunerative price.

मिस्र के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

Welcome to Egyptian Parliamentary Delegation

अध्यक्ष महोदय : मैं मिश्र के संसदीय शिष्टमंडल जिसका नेतृत्व वहां की उपाध्यक्ष द्वारा किया जा रहा है, का स्वागत करता हूं। म उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं कि दोनों राष्ट्रों के लोगों को अपनी मित्रता पर गौरव है।

उनका यहां बहुत स्वागत है। हमें खेद है कि वे यहां केवल एक रात ही ठहर रहे हैं। हमारी इच्छा थी कि वे यहां और अधिक दिन ठहरते, इस देश को देखते, दिल्ली को देखते, यहां के लोगों को देखते। संसद की ओर से मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं।

मैं क्षमा चाहता हूं कि सप्ताह तथा संसद के सत्र का अंतिम दिन होने के कारण यहां बहुत कम लोग उपस्थित हैं परन्तु फिर भी हम जितने भी हैं उनका हार्दिक स्वागत करते हैं।

मूल्यों और कृषि उत्पादन सम्बन्धी नीति के बारे में संकल्प—(जारी)

Shri Shivnath Singh : I was submitting that our goal is to control the prices and we are making efforts therefor. But the anomaly in this country is that the prices of the products are fixed by the industrialists themselves . Even agriculturists are not entitled to fix up the prices of their produce. We have to bring about an atmosphere where the farmers themselves would fix the prices of their produce. Only then we could be able to progress economically.

These days the farmer is not getting a good prices for his produce which he brings in after spending a lot on fertilizers and other valuable devices plus his hard labour. But the prices of that very produce reach very high when that goes in the hands of traders after 2 months. Therefore, the farmer should be given remunerative prices and the middle man system should be done away with. This would help in saving the consumers from paying more prices. I know it is not so easy we could not be fully successful in our wheat trade take-over, but still the Government should make efforts to ensure reasonable prices to the farmers.

The Food Policy envisages the procurement of wheat at Rs. 105 and the sale thereof at Rs. 150 maximum. This would create certain problems. How would you expect the trader to deposit his purchase with the Government at Rs. 105 when he would be able to purchase that at about Rs. 135, 140 or 150 since we would be selling wheat at Rs. 132 at Government shops ? Theoretically it may look possible but practically it is not . So the middleman should be eliminated in any case, otherwise the prices can never be controlled. Also the cost of electrical expenses should be included in cost of production. for the farmer having less than 10 acres of land.

I stand by the spirit of this resolution but there are certain impracticable propositions in it. Our endeavour should be to enable the farmer himself to fix up the prices of his produce so that the consumer could get the produce at reasonable rates.

कार्य मंत्रणा समिति

Business Advisory Committee

42वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (**श्री के० रघुरामैया**) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का 42वां प्रतिवेदन पेश करना चाहता हूं ।

मूल्यों और कृषि उत्पादन सम्बन्धी नीति के बारे में संकल्प-- (जारी)

श्री के० रघुरामैया : श्री सी०के० चन्द्रप्पन उपस्थित नहीं हैं। आप श्री मधु लिमये के संकल्प के बारे में आधे घंटे की चर्चा उठाने के लिए किसी अन्य सदस्य को कह सकते हैं।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : संकल्प पेश करने वाले सदस्य उपस्थित नहीं है। यह संकल्प हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू से संबंधित है....

[श्री नवल किशोर सिंह पीठासीन हुए]

[Shri Nawal Kishore Sinha in the Chair]

Shri Jagannath Mishra (Madhubai) : Mr. Chairman, let the proceedings of the House continue till 6-30 p. m. and all the hon. Members given 5 minutes each.

श्री के० रघुरामैया : क्योंकि कुछ और सदस्य बोलना चाहते हैं अतः सभा की कार्यवाही 6.30 बजे तक जारी रखी जाय ।

सभापति महोदय : मेरे पास नामों की सूची है और उसके अनुसार मैं सदस्यों को बुलाऊंगा ।

श्री बी० वी० नायक : इस संकल्प की प्रत्येक मद ऊपर से देखने में तो बड़ी आकर्षक लगती हैं परन्तु उनमें से अधिकांश या तो अव्यवहारिक हैं या फिर उनकी क्रियान्विति में सरकारी कोष पर अत्यधिक भार पड़ता है । उदहारणार्थ मद (घ) में सरकार से कहा गया है कि वह रुई, गन्ना, कच्चा पटसन, खाद्यान्न आदि की खरीद का दायित्व अपने ऊपर ले और उसके उत्पादन-खर्च को भी ध्यान में रखे तो फिर कृषि उत्पादन के मूल्य के लिये ही सरकार को कुल कोष का 50 प्रतिशत भाग दे देना पड़ेगा । यह देश की क्षमता से बाहर की बात है । यह मैं भी अनुभव करता हूं कि सिंचाई दरों में 25 प्रतिशत की कमी कर दी जाये । परन्तु सिंचाई सुविधायें प्राप्त किसान को बड़े लाभ हैं इसलिये कृषि उत्पादन में सहायता का पात्र वह किसान होगा जो छोटा किसान या सीमान्त किसान है तथा जिसको सिंचाई के लिये वर्षा पर निर्भर करना पड़ता है ।

इस संकल्प में मूल्यों में समानता के सम्बन्ध में जो तर्क पेश किया गया है वह किसी अमरीकन किताबी से उठाया गया उद्धरण है । हमारे देश में कृषि विश्लेषणों की कमी नहीं है और देश में बड़े-बड़े अर्थ-शास्त्री भी हैं परन्तु वे कृषि उत्पादन का हिसाब-किताब गणित के हिसाब से लगाते हैं और अपनी हर कल्पना को फलीभूत हुआ मान लेते हैं । इसीलिये भारी गड़बड़ हो जाती है । आज भी बड़े-बड़े भारतीय फार्मों में से आधे को भी किसान की जोत नहीं माना जाता क्योंकि उससे उसको किसी उद्योग अथवा

व्यापार के समान मुनाफा नहीं हो रहा है । इस प्रकार ऐसे फार्मों को अनुत्पादक एकक समझा जाता है । इसलिये विदेशों से प्राप्त किये गये उद्धरणों का हमारे देश में जहां कृषि परम्परागत ढंग से होती है, को क्रियान्वित करना एक सर्वथा असंगत बात होगी ।

हमारे पास न तो उत्पादन लागत के आंकड़े हैं और न ही मूल्य-समानता का सिद्धान्त लागू होता है । उर्वरकों के लिये राज-सहायता नहीं है । यूरिया दुगुने मूल्यों पर बिक रहा है । फिर पानी की दरों को कम करने और बिजली की दरों में राजसहायता देने का प्रश्न है, तो ये सब बातें केवल स्वप्न समान हैं और भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं हैं ।

हमारे यहां विशेषज्ञ भरे पड़े हैं और मारे-मारे फिरते हैं और न जाने ऐसे कितने ही संकल्प तैयार कर सकते हैं जिनका देश की उपयोगिता में कोई महत्व नहीं है । यह संकल्प भी इसी प्रकार का है और नासमझी से भरपूर है । इसे समूचे तौर पर अस्वीकार कर दिया जाये ।

***श्री एम० कतामुत्तु** (नागापट्टिनम) : इस सारगर्भित संकल्प का अभिप्राय उपयोग की आवश्यक वस्तुओं के मूल्य निर्धारण, खाद्यान्नों, चीनी तथा अन्य ऐसे पदार्थों को सरकारी माध्यमों से वितरण, किसानों के उनके उत्पादन के लाभप्रद मूल्य दिलाना बीजों, विद्युत, उर्वरकों आदि को राजसहायता प्राप्त दरों पर किसानों को उपलब्ध कराना सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर रुई, गन्ना, कच्चा जूट आदि वाणिज्यिक उत्पादों की वसूली कराना जिनमें कि 10 एकड़ से कम भूमिवाले किसान को उचित लाभ मिले और उसे राजसहायता-प्राप्त दरों पर उर्वरक आदि उपलब्ध हों । परन्तु मेरी समझ में यही नहीं आता कि मुझसे पूर्व बोलने वाले कांग्रेसी सदस्य ने इसे शेखचिल्ली का स्वप्न क्यों कहा है । मुझे विश्वास है कि वह सदस्य यह मानेंगे कि आज देश का सामान्य व्यक्ति खाद्यान्नों के बढ़ते हुए मूल्यों के कारण अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है । देश में खाद्यान्नों की इतनी कमी है कि लगता है कि उससे व्याप्त लोगों का असन्तोष अन्ततः हिंसा पर ही जाकर दम लेगा । देश की रीढ़ की हड्डी हमारे किसान अथवा खून-पसीना बहाकर भी लाभप्रद मूल्य नहीं पा रहे हैं ।

इन परिस्थितियों में सरकार ने गेहूं के व्यापार को गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंप कर एक जघन्य अपराध किया है । सरकार द्वारा गेहूं के थोक व्यापार का अधिग्रहण शासक-दल के वचनों की पूर्ति तथा देश के लोगों की चिरइच्छा का पूरा होना था । क्या अब इस कार्यवाही को वापस लेना देश के लोगों के हित में हुआ है ? क्या इस नई कार्यवाही से मूल्य घटे हैं ? वस्तुतः मूल्य बढ़े हैं और इस थोक व्यापार को गैर-सरकारी हाथों में देकर सरकार ने उनके सामने घुटने टेक दिये हैं और लोगों से साथ विश्वास-घात किया है ।

अब गेहूं पर 50 प्रतिशत का अधिकर लगाकर सरकार समझती है कि व्यापारी अपनी वसूली सरकार के पास जमा करा देंगे । न जाने क्यों सरकार अब इन व्यापारियों पर इतना विश्वास करने लगी है ?

चीनी की दोहरी-मूल्य नीति से चीनी के दाम बढ़े हैं, और इससे उत्पादकों या उपभोक्ताओं किसी को भी लाभ नहीं हुआ है । राशन में मिली चीनी कम होने के कारण लोगों को बहुत ऊंचे मूल्यों पर बाजार से चीनी खरीदनी पड़ती है । इससे चीनी मिल-मालिकों की चान्दी हो रही है परन्तु गन्ना उत्पादक को पूरे दाम भी नहीं मिल रहे हैं ।

*तमिल भाषा में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।
Summarised translated version of English translation of the speech delivered in Tamil.

गत तीन वर्षों से अन्न-उत्पादन में कमी हो रही है इसलिये सरकार का यह पहला कर्त्तव्य है कि वह बाज़ार से फालतू अनाज खरीदकर सरकारी प्रबन्ध में वितरण करे । केवल इसी से किसानों को उनका उचित मूल्य मिल सकेगा तथा उपभोक्ताओं को उचित दाम पर अनाज मिलेगा । खाद्यान्न-उत्पादन को बढ़ावा देने का एकमात्र मार्ग किसानों को बीज, उर्वरक, बिजली आदि राजसहायता-युक्त दरों पर देना है । बड़े खेद की बात है कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों को बिजली कृषि क्षेत्र की तुलना में बहुत सस्ती मिलती है । सरकार की मूल्य-नीति सारे देश में एक समान नहीं है जबकि खुले बाज़ार में चीनी का देशभर में समान मूल्य है । देश भर में मूल्य सम्बन्धी नीति तथा कृषि उत्पादन सम्बन्धी नीति समान होनी चाहिये इसके फलस्वरूप किसानों को उत्पादन करने का बढ़ावा मिलेगा, उन्हें उचित मूल्य मिलेंगे तथा उपभोक्ताओं को उचित दरों पर खाद्यान्न मिलेंगे ।

समाचार है कि सरकार ने तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक तथा आन्ध्र प्रदेश के लिये एक चावल ज़ोन बनाने का विचार किया है । तमिलनाडु किसी सीमा तक अतिरिक्त अन्नवाला राज्य होने पर भी वहां सरकार की दोहरी मूल्य-नीति के कारण वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहे हैं और सामान्य जन को कठिनाई हो रही है । वहां से मोटे अनाज को ले जाने पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने से तमिलनाडु में मोटे अनाज के मूल्य बढ़ गये हैं । भारत सरकार तमिलनाडु सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार करे कि मोटे अनाज पर 50 प्रतिशत का अधिभार लगाया जाये । दक्षिणी राज्यों के लिए एक चावल ज़ोन बनाने से पूर्व राज्य सरकारों की सहमति प्राप्त की जाये ?

मेरी सरकार से अपील है कि वह देश की गरीब ग्रामीण जनता जो कि गरीबी से भी नीचे के स्तर का जीवन बिता रही है को खाद्यान्न 50 प्रतिशत राजसहायता-युक्त मूल्य पर उपलब्ध कराये । किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिये एक समेकित मूल्य नीति तथा कृषि उत्पादन नीति बनाये केवल इसी से कृषि उत्पादन बढ़ सकेगा ।

श्री हरि किशोर सिंह (पुपरी) : देश में कोई योजना बनाने के लिये कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के मूल्य मूल आधार बनते हैं, इस बात की अब तक उपेक्षा की गई है और यही कारण है कि कृषि उत्पादों के मूल्य देश में निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं ।

गत वर्ष सरकार ने बड़ा उत्साह दिखाकर गेहूं के थोक-व्यापार को अपने हाथ में लिया था परन्तु क्योंकि तत्सम्बन्धी नीति ठीक से नहीं बनाई गई थी और उसमें किसानों को उनकी उत्पादन लागत के अनुरूप उचित लाभप्रद मूल्य देने की व्यवस्था का अभाव था और इसी कारण किसानों ने उस नीति का उस कार्यवाही का विरोध किया, इसलिये वह असफल हो गई । हमें वह नीति छोड़नी पड़ी और यह दुःख का विषय है । हम समझते हैं कि जब तक आवश्यक वस्तुओं के विपणन पर सरकार का नियंत्रण नहीं होगा तब तक उनके मूल्य बढ़ते ही रहेंगे । इस वर्ष सरकार ने 105 रुपये प्रति क्विटल दरें निश्चित की है, यदि ये दरें 90 रुपये प्रति क्विटल होती तो यह नीति सफल होती । अब भी आपसे विलम्ब नहीं हुआ है। सरकार को चाहिये कि वह आवश्यक वस्तुओं का थोक-व्यापार अपने हाथ में ले ले वरना हम लोग अपनी योजनाओं में सफल नहीं हो सकेंगे । आवश्यकता इस बात की है कि हम किसानों से उनके लाभप्रद मूल्यों पर खाद्यान्न खरीदें और 500 रु० से कम आय वाले लोगों को राजसहायता-प्राप्त दरों पर वे खाद्यान्न दें । ऐसा होने से किसानों तथा उपभोक्ताओं दोनों को ही लाभ पहुंचेगा ।

देश में किसानों की उपेक्षा करने की विडम्बना रही है । सहकारितायें उन्हें पर्याप्त ऋण सुविधायें नहीं दे रही हैं। हम पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक संवर्धन के लिये तो ऋण देते हैं परन्तु किसानों से हम 10 प्रतिशत ब्याज लेते हैं । सरकार छोटे तथा सीमान्त किसानों को 3.5 प्रतिशत ब्याज-दर पर ऋण दे क्योंकि उनकी निवेश की क्षमता बड़ी सीमित है ।

प्राकृतिक प्रकोपों के कारण किसान अपने पुंजी-निवेश से लाभ नहीं उठा पाता । कभी सूखा पड़ जाता है तो कभी बाढ़ आ जाती है । अतः फसल बीमा की नीति बनाई जानी चाहिये । देश में फसल को छोड़कर हर चीज़ का बीमा होता है । शायद फिल्म अभिनेताओं के चेहरों तक का भी बीमा होता हो परन्तु किसान की फसल बीमा नहीं होता । उसकी बीमा-व्यवस्था की जानी चाहिये ।

Shri Jagannath Mishra (Madhubani) : The country is passing through a great price-like crisis and Shri Madhu Limaye's Resolution appears to have come have in the wake thereof. But the propositions made therein are almost impracticable. However, of the Government should deeply look into the circumstances this price-spiral.

Our Fifth Five Year Plan should be production oriented, and for that we would have to expedite land reforms and distribution of land to landless poor and Harijans. Much attention is also necessary to be paid towards distribution system.

Last year the Govt. took over wholesale wheat trade and reversed it recently. Without going into the advantages and disadvantages thereof, I would suggest that we should think at least thrice before doing anything ; and once something is decided upon, that should be implemented and adhered to with fullest determination and enthusiasm, despite any obstacles from any quarter.

I congratulate the Government for giving incentive to the textile mills for producing more cloth for the poor at reasonable rates. But you should also be on the watch whether such incentives are proving fruitful or not. I know that the mill owners are still busy in producing fine cloth and not the coarse cloth. They prefer to pay the fine fixed by you since that proves more beneficial for them. Thus your efforts for helping the poor is not becoming fruitful. Do see into that also.

In the sugar industry, the private mill owners and managers are exploiting you and the cane-growers both. They invest money given by the Government in their private business and do not pay reasonable price to the sugarcane growers. Without going into details, I would urge that this industry should be nationalized.

With these words I would oppose the Resolution moved by Shri Madhu Limaye.

श्री के० सूर्यनारायण (एलूरू) : हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और यहां की तीन चौथाई जनसंख्या कृषि तथा इससे सम्बद्ध उद्योगों से अपना जीवन-निर्वाह करती है । हमारी अर्थ-व्यवस्था का आधार कृषि है । इसलिये सरकार को कृषि तथा इससे सम्बन्धित उद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान देना है ।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार हमने कृषि उत्पादन के क्षेत्र में निश्चय ही प्रगति की है परन्तु साथ ही साथ हमारा खाद्यान्न-आयात भी बढ़ा है। फिर भी सरकार उत्पादकों को उचित मूल्य देने को को तैयार नहीं है। छोटे किसानों को तो निश्चय प्राथमिकता दी जानी चाहिये। भूमि सुधार के बाद तो बड़े किसानों या कुलकों का प्रश्न ही नहीं रह जायेगा यह तो केवल राजनैतिक नारा है। भूमि सुधार कानून सभी राज्यों में लागू हो जाने पर सर्वत्र छोटे किसान ही रह जायेंगे।

किसान सस्ती दरों पर उर्वरक तथा ऋण चाहते है यदि ऐसा हो जाये तो फिर विपक्ष के लिये कुछ कहने की गुंजाइश नहीं रहेगी। हमारे चुनाव पत्र के अनुसार हम चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने को वचनबद्ध है। सभी दल इसका समर्थन भी कर रहे हैं फिर इसका राष्ट्रीयकरण करने में क्या सकोच है ? अन्यथा लोग हम पर सन्देह करेंगे।

कांग्रेस चुनाव घोषणा-पत्र में नगरीय सम्पत्ति की अन्तिम सीमा निश्चित करना भी है। इस सम्बन्ध में नियुक्त समिति ने क्या किया किसी को कुछ मालूम नहीं है।

मेरा राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है और हमारे यहां बिजली के उत्पादन हेतु पानी की प्रचुरता है परन्तु विद्युत उत्पादन क्षेत्र में हमारा 22वां या 23वां स्थान है। आन्ध्र नदियों का देश है, सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। वहां नागार्जुनसागर जैसी सिंचाई परियोजनायें हैं। परन्तु अब वहां गोदावरी अनेकट जिसका निर्माण 120 वर्ष पूर्व हुआ था इसका संकट पैदा हो गया है। किसी भी सरकार ने उसके लिए कुछ नहीं किया। राज्य सरकार के पास धन नहीं है उसने अनेक बार केन्द्र सरकार से धन मांगा है और केन्द्र ने कई बार वचन भी दिया है। हम अपने चुनाव क्षेत्र में जाते हैं तो जब लोग हमसे पूछते हैं कि क्या बना अतः भारत सरकार अपना वचन पूरा करे वरना हमारे विकास कार्य-क्रम सफल नहीं होंगे।

सहकारिता के क्षेत्र में हमें अब उत्पादक-व-उपभोक्ता सहकारी संस्थायें बनानी चाहियें। आप तो केवल उपभोक्ता सहकारितायें बना रहे हैं और वे भी केवल नगरीय क्षेत्रों में। आप तो केवल उपभोक्ताओं का ख्याल करते हैं उत्पादकों का नहीं।

सभापति महोदय : क्या आप अपना भाषण अगले अवसर पर भी जारी रखना चाहेंगे ?

श्री के० सूर्यनारायण : जी हां।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अगले अवसर पर अपना भाषण जारी रखेंगे। अब यह सभा 29-4-1974 के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित होती है।

उसके पश्चात् लोक सभा सोमवार 29 अप्रैल, 1974/9 वैशाख, 1896 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, April 29, 1974/Vaisakha 9, 1896 (*SAKA*)

MGIPRRND—24 LSS/74—Sec. VIII—22-8-74—490

PLS. 48. XXXIX 45,74(N)

490

© 1974 प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और व्यवस्थापक, भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, नई दिल्ली-110027 द्वारा मुद्रित ।

© 1974 BY THE LOK SABHA SECRETARIAT

PUBLISHED UNDER RULES 379 AND 382 OF THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA (FIFTH EDITION) AND PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110027.